लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit 18-8-92
Fumigated On 15-2-84
Parliament Library

[खंड 14 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIV Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 40, मंगलवार, 9 मई, 1972/19 वैशाख, 1894 (शक)

No. 40, Tuesday, May 9, 1972/Vaisakha 19, 1894 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
741. कटिहार रेलवे स्टेशन और यार्ड (पूर्वोत्तर रेलवे से चोरी के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss to Railways due to Thefts at Katihar Railway Station and Yard (North Eastern Railway)	...	1
743. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य कार्यालय के निकट स्वास्थ्य केन्द्र	Health unit near Headquarters Offices (North East Frontier Railways)	...	3
746. लघु उद्योग क्षेत्र में बनने वाली वस्तुओं का प्रचार द्वारा निर्यात बढ़ाना	Bossting Exports through Publicity of Commodities manufactured in Small Scale Sector	...	5
747. विदेशों में स्थित संयुक्त उद्योगों के बारे में पुस्तिका	Brochure on Joint Ventures Abroad	...	7
749. दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) और हाथरस रोड, इज्जत नगर (पूर्वोत्तर रेलवे) में कम ग्रेड में काम कर रहे संकेत (सिगनल) अनुरक्षक (मेन्टेनर)	Signal Maintainers Getting Lower Grades in Delhi Division (Northern Railway) and Hathras Road Lzatnagar (N.E. Railway)	...	7
50. नागदा-उज्जैन 'शटल' रेल गाड़ी को मऊ तक चलाना	Extension of Nagda-Ujjan Shuttle upto Mhow	...	9
51. वर्ष 1972 में निर्यात बढ़ाने के लिए प्रस्तावित व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल	Proposed Trade Delegations to Promote Export During 1972	...	9
52. गंडक परियोजना पर व्यय	Expenditure on Gandak Project	...	12
56. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को फिल्मों का निर्यात	Export of Films to South East Asian Countries through S.T. C.	...	14

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
757. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को कृषि के लिए रेलवे भूमि का दिया जाना	Allotment of Railway Land to SC and ST for Agricultural Purpose	...	15
758. राज्यों की विद्युत ग्रिड प्रणाली को परस्पर जोड़ने की योजना	Scheme for Inter Connection of State Power Grid System	...	17
759. पोलिएस्टर फिलामैंट यार्न के लिए आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Import Licences for Polyester Filament Yarn	...	21
760. तोरसा नदी के दोनों किनारों की सुरक्षा के लिए योजना	Scheme for Protection of both banks of Torsa River	...	21

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
721. युवकों की समस्या	Problem of Youth	...	22
722. नसबन्दी आपरेशन के लिए प्रोत्साहन	Incentive for Vasectomy Operations	...	24
723. नई अखिल भारतीय खेलकूद परिषद का गठन	Composition of New All India Council of Sports	...	25
724. केरल में चावड़ा नीन्दाकारा जलमार्ग से गाद निकालने की योजना	Scheme of Dredging of Chavra Nendakara Water way in Kerala	...	26
725. दिल्ली के अध्यापकों के लिए नए वेतन-मान	New Pay Scales of Delhi Teachers	...	27
726. विश्व पुस्तक मेले में आयोजित विचार गोष्ठियों और कैम्पों में लेखकों द्वारा भाग लिया जाना	Participation of Writers in World Book Fair Seminars and Camps	...	27
727. अनुसूचित जातियों के लिए आवास योजनाओं के बारे में मंत्रालयों के बीच तालमेल	Coordination between Ministries in regard to Housing Schemes for Scheduled Castes	...	27
728. मुद्रण प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय संस्थान	Regional Institutes of Printing Technology	...	28
729. एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों को नौकरी देना	Absorption of N. D. S. Instructors	...	28
730. ओलम्पिक खेलों में भारत द्वारा भाग लिया जाना	Participation of India in Olympics	...	29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

731. इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में जीवन रक्षक औषधि के संबंध में गम्भीर अनियमिततायें	Serious Lapses in Irwin Hospital, New Delhi re. Life Saving Drug ...	29
732. शिक्षा प्रशासन के संगठन में परिवर्तन	Change in Organisation of Educational Administration ...	30
733. भारत में नगरों के फैलाव पर नियंत्रण और विनियमन	Regulation and Control of Growth of Cities in India ...	30
734. खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियाँ	Oral Pills for Contraceptives ...	31
735. मुख्य मंत्रियों के गत सम्मेलन में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का विरोध	Opposition to Land Ceiling Laws at last Chief Ministers' Conference ...	32
736. तपेदिक के फैलने और उसके रोगियों की मृत्यु की दर	Rate of Infections and Mortality due to Tuberculosis ...	32
737. अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	Post Matric Scholarships for Studying Hindi in Non Hindi Speaking States ...	33
738. नगरों और गाँवों में पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय	Text Book Libraries in Towns and Villages ...	34
739. चीनी का उत्पादन बढ़ाना	Raising of Sugar Output ...	35
740. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जीवनी का प्रकाशन	Publication of Biography of Netaji Subhash Chandra Bose ...	35
742. बिहार में राजेन्द्र पुल के उत्तर में रेलवे स्टेशन का निर्माण	Construction of a Railway Station in North of Rajendra Bridge in Bihar ...	36
744. पुरानी रेलवे लाइनों को इस्पात मंत्रालय को दिया जाना	Transfer of Used Rails to steel Ministry ...	36
745. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से काजू का परिष्करण और पैकिंग	Processing and Packaging of Cashew nuts through state Trading Corporation ...	37
748. मध्य रेलवे जोन में नई रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण	Survey for New Railway Lines in Central Railway Zone ...	37
753. आधुनिक चाय बागान संबंधी योजना	Scheme for Modern Tea Plantation ...	37
754. नौपाद, गुनुपुर और रुपसा तालबन्द लाइनों का सुधार करने संबंधी उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव	Orissa Government proposals for improvement of Naupada, Gunupur and Rupsa Talband Lines ...	37
755. ईराक द्वारा भारत से चाय का आयात ...	Import of Tea from India by Iraq ...	38

विषय	Subject	पृष्ठ/Pagse
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5215. संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से मत्स्य विकास के लिए अरब सागर का सर्वेक्षण	Survey of Arbian Sea for Development of fishing under aid from UNF & AO ...	38
5216. मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का दूर किया जाना	Eradication of Unemployment in Madhya Pradesh ...	39
5217 गेहूँ के विक्रय पर कृषक को लाभ	Profit to a Farmer on Sale of Wheat ...	40
5218. किसान द्वारा एक क्विंटल गेहूँ पैदा करने पर किये जा रहे लागत व्यय का पता लगाना	Study of Cost of Production of one Quintal of Wheat by a Farmer ...	40
5219. 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में मध्य प्रदेश में कपास, चावल, गेहूँ तथा ज्वार का उत्पादन	Production of Cotton, Rice, Wheat and Jawar during 1968-69, 1969-70 and 1970-71 in M. P. ...	40
5220. मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेज के लिए चिकित्सा की एकीकृत प्रणाली	Integrated system of Medicine for Ayurvedic College in M. P. ...	41
5221. शिक्षा प्रयोजनों के लिए गुजरात और उड़ीसा को अनुदान	Grants to Gujarat and Orissa for Educational purposes ...	41
5222. समाज कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के पुनरीक्षित वेतनमानों के लिए अनुदान	Grants for revised payscales of Social Workers of Social Welfare Department, Madhya Pradesh ...	42
5223. हरित क्राँति तथा कृषि के यंत्रीकरण के फलस्वरूप बेरोजगारी	Unemployment due to Green Revolution and Mechanisation of Agriculture ...	42
5224. समेकित शुष्क भूमि कृषि विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय अनुदान	Central Grants to States for Integrated Dry Land Agricultural Development ...	42
5225. "सक्शन क्यूरेटेज"	'Suction Curettage' ...	44
5226. भारत में विदेशी विद्यार्थी	Foreign Students in India ...	44
5227. लद्दाख (कश्मीर) में फलों का उत्पादन	Production of Fruits in Ladakh ...	45
5228. कोहाट सहकारी गृह निर्माण समिति की वार्षिक आम सभा	Annual General Body Meetings of Kohat Cooperative House Building Society ...	45
5229. कोहाट सहकारी गृह निर्माण समिति	Kohat Cooperative House Building Society ...	46
5230. कोहाट सहकारी गृह निर्माण समिति के लेखों की लेखा परीक्षा	Auditing of Accounts of the Kohat Cooperative House Building Society ...	46

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5231. साहित्य अकादमी के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति और उन्हें स्थायी बनाना	Promotion and Confirmation of Class III and IV Employees of Sahitya Academy ...	47
5232. साहित्य अकादमी के कर्मचारियों द्वारा क्वार्टरों को खाली न करने का किराया	Rent for Retention of Quarters by Officials of Sahitya Academy ...	48
5233. साहित्य अकादमी के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की व्यवस्था	Provision of Government Accommodation to Low Paid staff of Sahitya Academy ...	48
5234. साहित्य अकादमी की कार्यक्रम संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations made by Programme Expert Committee on Sahitya Academy ...	49
5235. साहित्य अकादमी, नई दिल्ली में अधीक्षक के पद पर भर्ती	Recruitment to post of Superintendent in Sahitya Academy, New Delhi ...	49
5236 आंध्र प्रदेश में आवास योजनाओं के लिए सहायता	Assistance for Housing Scheme in Andhra Pradesh ...	50
5237. आंध्र प्रदेश में विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत मकानों का निर्माण	Construction of Houses under various Housing Schemes in Andhra Pradesh ...	50
5238. आंध्र प्रदेश में विकलांगों को छात्रवृत्तियाँ	Scholarships to Handicapped in Andhra Pradesh ...	51
5239. डी० आई० जैड० एरिया में अनाधिकृत टी स्टालों का हटाया जाना	Removal of Unauthorised Tea Stalls in D.I.Z. Area ...	52
5240. दिल्ली में कैंसर का अस्पताल बनाने के लिए धन का इकट्ठा किया जाना	Collection of Funds for Construction of Cancer Hospital in Delhi ...	53
5241. चावल के वसूली और बिक्री मूल्य के अन्तर को कम करने के लिए कार्यवाही	Steps to Reduce Margin Between Procurement and Sale Price of Rice ...	53
5242. सुपर बाजार, दिल्ली में बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Price of Commodities Sold at Super Bazar, Delhi ...	54
5243. चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला दूसरा देश भारत	India as Second Largest Rice Producing Country ...	54
5244. गरीब लोगों द्वारा खाये जाने वाले अनाज का वसूली मूल्य, बिक्री मूल्य तथा उसकी बिक्री पर राजसहायता	Procurement Price, Sale Price and Subsidy on Sale of Food grains Consumed by Poor People ...	55

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5245.	राष्ट्रीय पोषाहार निरीक्षण ब्यूरो के क्षेत्रीय यूनिटों की स्थापना	Setting up of Regional Units of National Nutrition Monitoring Bureau ...	56
5246.	अर्धशुष्क कटिबंधों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान	International Crops Research Institute for Semi Arid tropics ...	57
5247.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Andhra Pradesh for drought affected areas ...	58
5248.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए नियत की गई राशि का उपयोग	Utilisation of funds allocated for drought affected areas ...	59
5249.	उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ	Centrally sponsored Scheme in Orissa ...	60
5250.	बड़ौदा में संयुक्त राष्ट्र का एक नया कार्यक्रम	U. N. Novel Programme at Baroda ...	61
5251.	डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली	Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi	61
5252.	अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता सोसायटी तथा डा० भगवानदास स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली को दिये गये सहायता अनुदानों का दुरुपयोग	Misuse of grants-in-aid to All India Blind Reilef Society and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust ...	62
5253.	गणेश फ्लोर मिल	Ganesh Flour Mill ...	63
5254.	पेंशन भोगी व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधायें	Medical facilities given to pensioners ...	63
5255.	रासायनिक उर्वरकों के मूल्य युक्ति संगत बनाना	Rationalisation of price of chemical Fertiliser ...	64
5256.	विश्वविद्यालयों में सामान्य स्थिति लाना	Restoration of normalcy in Universities ...	65
5157.	सुपारी के मूल्य में गिरावट	Fall in the price of arecanut ...	65
5258.	गेहूँ, चावल और चीनी का निर्यात	Export of Wheat, Rice and Sugar ...	66
5259.	अकालग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल का सर्वेक्षण	Survey of ground water in famine affected areas ...	66
5260.	उठाऊ सिंचाई के लिये मध्य प्रदेश को राशि का आबंटन	Amount allocated to Madhya Pradesh for lift irrigation ...	67
5261.	अपनी आवश्यकताओं से अधिक तम्बाकू का उत्पादन करने वाले राज्य	States Producing Tobacco in Excess of their Requirement ...	68
5263	एलोपैथी के गैर-सरकारी चिकित्सकों पर औषध अधिनियम तथा नियमों को लागू करना	Application of Drug Act and Rules to Private Allopathic Medical Practitioners ...	68

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5264.	ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार की व्यवस्था	Provision of Employment under Crash Programme for Rural Employment ...	69
5265.	त्रिपुरा में तीन एकड़ कृषि भूमि को 'रेंट फ्री' करने के लिए अभ्यावेदन	Representation for making Agricultural Land upto 3 Acres Rent free in Tripura ...	69
5266.	ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और इसके परिणामस्वरूप भूमि पर दबाब	Unemployment in Rural Areas and consequent pressure on Land ...	69
5267.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा फ़ोटो सेन्सीटाइज्ड 'पेपर और डिवेलेपर' का आविष्कार	Photosensitized paper and developer invented by Indian Institute of Technology ...	71
5268.	बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अकाल की स्थिति	Famine Condition in some areas in Bihar and Madhya Pradesh ...	72
5269.	नई दिल्ली स्थित स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थान का साऊथ सेंटर	South Centre of Institute of Post Graduarte Studies, New Delhi ...	72
5270.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के 'रत्नचन्द्र' नामक जहाज में आग लगना	Fire in Vessel "Ratnachandra" of Shipping Corporation of India ...	73
5271.	नई दिल्ली स्थित दयाल सिंह कालेज द्वारा माँगी गयी वित्तीय सहायता	Financial help sought by Dayal Singh College, New Delhi ...	74
5272.	फिलिपान्स विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अध्ययन	Study Conducted by the University of Philippines of fluids inside unripe Coconnie ...	74
5273.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित सहायता प्राप्त आवास योजनाओं की धीमी प्रगति	Slow progress of Centrally Aided Housing Schemes ...	75
5274.	भारतीय बच्चों का स्वास्थ्य	Indian Childrens Health	75
5275.	अर्द्ध शुष्क कटिबन्ध के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान संबंधी समझौता	Agreement regarding International Crop Research Institute for Semi Arid Tropics ...	76
5276.	भागलपुर, बिहार में गंगा नदी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over river Ganga in Bhagalpur Bihar	77
5277.	पटना से फरक्का तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण	Construction of National Highway from Patna to Farakka ...	77
5278.	महत्वपूर्ण जलमार्गों की सफाई की जिम्मेदारी	Responsibility for Convervancy of Important Waterways	77

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
5279. अन्तर्देशीय जल परिवहन के बारे में भगवती समिति की सिफारिश	Recommendation of Bhagvati Committee on Inland Water Transport	...	78
5280. भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से दालों आदि की बिक्री से मध्यम तथा निर्धन वर्ग के लोगों को लाभ	Benefit to Middle and Poor People by sale of pulses through Food Corporation of India	...	79
5281. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय शिकायत समिति का गठन	Central Grievances Committee instituted by the Delhi University	...	79
5282. राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान द्वारा संस्थानों को वित्तीय सहायता	Institutes financed by National Institute of Physical Education	...	79
5283. भारतीय गजेटियर का प्रकाशन	Publication of Gazetteer of India	...	80
5284. चौथी योजना में अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नियत धनराशि	Amount Allocated for Training Teachers During Fourth Plan	...	81
5285. ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण	Construction of House Units in Rural Areas	...	82
5286. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों पर खर्च की गई राशि	Amount spent for Universities and Colleges by University Grants Commission	...	83
5287. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का विस्तार	Expansion of Ayurvedic system of Medicine	...	83
5288. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा गर्मियों में दूध की कमी को पूरा करने के लिए कार्यवाही	Steps to meet shortage of Milk Supply by D.M.S. in Summer	...	84
5289. राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर संगठन में सेवा निवृत कर्मचारियों को उपदान	Gratuity to Employees Retired in N.F.C. Organisation	...	84
5290. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में विधेयक प्रस्तुत करना	Introduction of Bill on B.H.U.	...	85
5291. कृषि अनुसंधान के बारे में भारत-रूस सहयोग पर विचार-विमर्श	Talks on Indo-Soviet Cooperation in Agricultural Research	...	86
5292. छोटे और सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय गोष्ठी	National Seminar on Small and Marginal Farmers and Agricultural Labourers	...	86
5293. दिल्ली में मकान के किराये में वृद्धि	Rise in House rent in Delhi	...	88
5294 चौथी योजना में शिशु कल्याण योजनाएं	Child Welfare Schemes in Fourth Plan	...	89
5295. समान प्रकार की शैक्षणिक संस्थायें	Uniform Type of Educational Institutions	...	89

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5296.	उड़ीसा सरकार द्वारा पारादीप पत्तन पर लौह अयस्क के लदान के लिए सुविधाओं को बढ़ाने का अनुरोध	Request from Orissa Government to increase Facilities for Handling Iron Ore at Pradip Port ...	89
5297.	जी० बी० अस्पताल, अगरतल्ला को मैडिकल कालेज बनाना	Conversion of G. B. Hospital Agartala into Medical College ...	90
5298.	पागल कुत्ते से संक्रमणीय रोग	Rabid Dog Infection ...	90
5299.	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में चपड़ा उद्योग का विकास	Development of Shellac Industry in Hilly Regions of U. P. ...	91
5300.	अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए निधि	Funds for Constructions of Scheduled Caste Girls Hostels in States ...	91
5301.	विदेशों में अध्ययन करने के लिए ऋण देना	Loans for Studies abroad ...	92
5302.	उड़ीसा में द्रुत कार्यक्रमों को ठेकेदारों द्वारा चलाया जाना	Execution of Crash Programme in Orissa through Contractors ...	93
5303.	पश्चिमी बंगाल भूमि की अत्यधिक सीमा संबंधी कानून को आदर्श कानून समझना	West Bengal Land Ceiling as Model Laws ...	93
5304.	मिथिला विश्वविद्यालय	Mithila University ...	93
5305.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा किए गए कार्य पर राष्ट्रीय समिति	National Committee on Netaji Subhash Chandra Bose's Work ...	94
5306.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन के बारे में विभिन्न देशों में अनुसंधान संस्थान	Research Institutions in Different Countries on the Life of Netaji Subhash Chandra Bose ...	94
5307.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की क्रान्तिकारी घटना	Revolutionary Episode of Netaji Subhash Chandra Bose ...	95
5308.	कटक स्थित नेताजी भवन का संरक्षण	Preservation of Netaji Bhavan at Cuttack ...	95
5309.	नई दिल्ली में खाली पड़े सरकारी क्वार्टर	Vacant Government Quarters in New Delhi ...	96
5310.	हरे राम हरे कृष्ण मिशन को सहयोग	Co-operation Extended to Hare Ram Hare Krishna Mission ...	96
5311.	उचित मूल्य पर चीनी दिये जाने के बारे में हलवाइयों तथा होटल चलाने वालों का अनुरोध	Request from Confectioners and Hoteliers for Supply of Sugar at Fair Price ...	96

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

5312. त्रिभाषा फार्मूला	Three Languages Formula ...	97
5313. कैंसर के टीकों की खोज	Discovery of Cancer Vaccines ...	97
5314. सशस्त्र सेनाओं में डाक्टरों के लिए अनिवार्य दायित्व योजना	Compulsory Liability Scheme for Doctors to serve in the Armed Forces ...	98
5315. ग्रामवासियों का नगरों में निर्बाध आवर्जन रोकने के लिए गाँव को मूल सुविधाएं	Basic Amenities for Villages to check Rural Migration to Cities ...	98
5316. देश में मैडिकल कालेज	Medical Colleges in the Country ...	99
5317. ट्रैक्टरों का अनधिकृत प्रयोग रोकना	Check on Unauthorised use of Tractors ...	99
5318. भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थियों को सुविधाएं	Facilities to Foreign Students Studying in India ...	99
5319. उड़ीसा में वनस्पति कारखाने की स्थापना	Setting up of Vanaspati Factory in Orissa ...	100
5320. पारादीप पत्तन का विकास	Development of Paradeep Port ...	101
5321. विदेश व्यापार के लिए भारतीय नौवहन की टनभार क्षमता में वृद्धि	Increase in tonnage of Indian Shipping to carry overseas trade ...	101
5322. पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के प्रबन्धकों की सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी के पद पर पदोन्नति	Promotion of Managers of All Day Milk Stalls as Assistant Milk Distribution Officer ...	102
5323. गन्दी बस्ती सफाई योजना के लिए उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को दी गई धनराशि	Amount allotted to U.P. and West Bengal for Slum clearance scheme ...	103
5324. विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले स्टालों के कार्य के घन्टों में अन्तर	Variation in working hours of All Day Stalls of Delhi Milk Scheme located in various Departments/Ministries ...	103
5325. तीव्र गति से भूमि सुधारों के अनुरूप वातावरण का तैयार किया जाना	Creation of atmosphere conducive to speedy land reforms ...	104
5326. विकासशील देशों की शिक्षा समस्याओं का समाधान	solution for Educational problem of Developing countries ...	104
5327. किसानों को किराये पर ट्रैक्टरों का वितरण करने की योजना	Scheme for distribution of Tractors on rent to Farmers ...	105
5328. ट्रैक्टरों की खरीद	Purchase of Tractors ...	106

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5329.	राजधानी में अनियमित बस सेवा	Irregular Bus Service in Capital ...	107
5330.	गेहूँ के वसूली भाव तय करने के बारे में शिकायतें	Complaints regarding fixation of procurement prices of wheat ...	107
5331.	खण्डसारी के अन्तर्राज्यीय परिवहन पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Inter State Movement of Sugar ...	108
5332.	विलेज लैवल वर्कर और ग्राम सेविकाओं द्वारा पोषाहार संबंधी कार्य करना	Nutrition work by village level worker and Gram Sewikas ...	108
5333.	रूस के साथ सांस्कृतिक करार	Cultural agreement with Soviet Union ...	108
5334.	अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक	Meeting of All India Mayors Council ...	109
5335.	कैंसर से हुई मौतें	Deaths Due to Cancer ...	109
5336.	विशाखापतनम बन्दरगाह पर सुरक्षा कर्मचारियों और एक मजदूर के बीच विवाद	Dispute between Security Personnel and a Worker at Visakhapatnam Port ...	110
5337.	दिल्ली के हस्पतालों में विभिन्न विभागों में समन्वय	Coordination among different Department of Hospitals in Delhi ...	110
5338.	गुजरात में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषि योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Centrally sponsored Agricultural Schemes in Gujarat ...	111
5339.	पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात को चीनी का आबंटन	Allotment of Sugar to Gujarat during last Three years ...	112
5340.	गुजरात में राष्ट्रीय राजपथों पर खर्चा करने के लिए मंजूर की गई राशि	Amount Sanctioned and spent on National Highways in Gujarat ...	113
5341.	राज्यों को अपने भूमि संबंधी रिकार्ड ठीक करने के लिए केन्द्र का निदेश	Central Directive to States for Correction of their Land Records ...	114
5342.	मध्य प्रदेश में छोटे किसानों को हरित-क्रांति के लाभ	Benefits to Green Revolution to Small Farmers in M.P. ...	115
6343.	दिल्ली परिवहन निगम की 'इच्छानुसार यात्रा करो' योजना के अन्तर्गत टिकटों के मूल्य में वृद्धि से पहले तथा उसके पश्चात टिकटों की औसत बिक्री	Average Sale of D. T. C. 'Travel as you Please' Ticket before and after Price Rise ...	115
5344.	नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों के क्वार्टरों को आगे किराये पर उठाया जाना	Sub-letting of Quarters in Government Colonies, New Delhi ...	116

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5345.	ट्रेक्टरों की बुकिंग और सप्लाई में अनियमिततायें रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to Check Irregularity in Booking and Supply of Tractors ...	116
5346.	हरिजन कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश को अनुदान	Grants to U. P. for Welfare of Harijans ...	117
5347.	सीमापुरी दिल्ली के झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों की माँगे	Demands of Jhuggi-Jhonpri Dwellers in Seemapuri, Delhi ...	117
5348.	नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में स्कूटर खड़े करने के लिए स्थान	Space for Parking Scooters in Government Colonies, New Delhi ...	118
5349.	परियोजनाओं की व्यवहारिता के आधार पर किसानों को ऋण और इसके लिए केन्द्रीय आबंटन	Loans to Farmers on Basis of Viability of Projects and Central allocation therefor ...	118
5350.	चीनी के नये कारखाने स्थापित करने में विलम्ब दूर करना और लागत कम करना	Cut down Delays and Costs in Installation of new Sugar Factories ...	119
5351.	सर्जरी के उपकरणों की सुविधा से सम्पन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres with Surgical Equipments ...	119
5352.	हरित क्रांति का अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव	Effects of Green Revolution on the Economy ...	121
5354.	चिकित्सा छात्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा	Medical Students to Serve in Rural Areas ...	122
5355.	बिहार में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	Malaria Eradication Programme in Bihar ...	122
5356.	केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित बिहार स्थित समाज कल्याण संस्थायें	Social and Welfare Institutions in Bihar run by Central Government ...	123
5357.	आदिवासी लोगों के लिये पालामऊ जिले (बिहार) में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधायें	Health and Educational Facillities in Plamau District (Bihar) for Tribals ...	124
5358.	पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच बंगला देश होकर नदी परिवहन सेवा का फिर से चालू किया जाना	Resumption of River Transport Service between West Benal and Assam through Bangladesh ...	124
5359.	पौधों के संरक्षण और रोग निवारण के लिये कृषि में विमानों का अधिक प्रयोग करने हेतु राज्य को धन राशि का नियतन	Allocation to States for Development of Agricultural Aviation for Plant Protection and Quarantine ...	124
5360.	अनाज का भण्डार करने संबंधी सुविधाओं की कमी	Shortage of Grain Storage Facility ...	126

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5361.	शान्ति निकेतन और वसन्त विहार, नई दिल्ली में आवास स्थलों की बिक्री के मापदण्ड	Criteria for sale of Housing Sites in Shanti Niketan and Vasant Vihar, Delhi ...	126
5362.	नई दिल्ली में शान्ति निकेतन और वसन्त विहार में आवास स्थल	Housing Sites in Shanti Niketan and Vasant Vihar, Delhi ...	127
5363.	सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Retiring Government Servants ...	127
5364.	सप्रु हाउस लाइब्रेरी, नई दिल्ली	Sapru House Library, New Delhi	128
5365.	राजस्थान में हरिजन छात्रों के लिये छात्रावास	Hostels for Harijan Students in Rajasthan	128
5366.	भूजल गवेषण कार्य का भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग से स्थानान्तरण	Transfer of Ground Water Exploration from Geological Survey of India	129
5367.	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित पुल निगम की वित्तीय सहायता	Financial Assistance for bridge corporation set up by Uttar Pradesh Government	129
5368.	भाण्डागार निगम में भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण	Reservation in Recruitment and Promotion in Warehousing Corporation	129
5369.	दिल्ली नगर निगम द्वारा झुग्गी-झोंपड़ी और दुकानों के चालान	Challans made against Jhuggi-Jhonpri, shops by M.C.D.	130
5370.	पूसा इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली से इन्द्रपुरी तक पुल का निर्माण	Bridge constructed from Pusa Institute to Indra Puri, New Delhi	131
5371.	राजधानी में पानी का युक्ति संगत वितरण	Rational Distribution of Water in the Capital	131
5372.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी कर्मचारियों को मकान/प्लाट आबंटित किया जाना	Allotment of House/Plot to Government Servants by D. D. A.	133
5373.	मंत्रियों और संसद सदस्यों की ओर बकाया किराया	Arrears of Rent against Ministers and M.Ps.	133
5374.	प्रौढ़ शिक्षा की प्रायोगिक परियोजना	Pilot Project for Adult Literacy	134
5375.	पर्वतीय क्षेत्रों के लिये शिलांग में एक नया विश्वविद्यालय खोलना	Setting up of a University for Hill Areas at Shillong	134
5376.	दिल्ली में संस्कृत पढ़ाने वाले स्नातकोत्तर अध्यापक पद से रहित विद्यालय	Schools in Delhi without Post of P. G. Teachers for Sanskrit	135

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
5377. रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में क्वार्टरों को आगे किराये पर चढ़ाना	Sub letting of Quarters in R. K. Puram, New Delhi	135
5378. भाण्डागार निगम में प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये नियम तथा विनियम	Rules and Regulations for Appointment to the Post of Managing Director, Warehousing Corporation	136
5379. वनस्पति उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता	Installed capacity of Vanaspati Industry ...	137
5380. आंध्र प्रदेश उर्वरक परिवहन घोटाले के संबंध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की रिपोर्ट	Report C. B. I. Regarding Andhra Pradesh Fertilised Transport Scandal ...	137
5381. विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखने के उपाय	Steps taken to keep Students out of Politics ...	138
5382. गेहूँ का वर्तमान वसूली मूल्य	Present Procurement Price of Wheat ...	138
5383. चौथी योजना के लिए गेहूँ का उत्पादन लक्ष्य	Wheat Production Target for Fourth Plan ...	139
5384. देश में पक्षी रक्षित क्षेत्र	Bird Sanctuaries in the Country ...	139
5385. पारादीप पत्तन न्यास में स्वीकृत प्राक्कलनों के बिना व्यय	Expenditure whitout Sanctioned Estimates in Paradip Port Trust ...	140
5386. पारादीप पत्तन न्यास में लेखा रिकार्ड रखना	Maintenance of Accounts Records in Paradip Port Trust ...	140
5387. कलकत्ता में साक्षरता	Literacy in Calcutta ...	140
5388. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिये प्राथमिकता	Priority for Allotment of Accommodation to Central Government Employees ...	141
5389. परिवार नियोजन पर व्यय	Expenditure on Family Planning ...	142
5390. दिल्ली में विचित्र प्रकार के बुखार का प्रकोप	Delhi in Grip of Strange Fever ...	143
5391. परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme ...	143
5392. सन्तान प्रजनन में सहायक आयुर्वैदिक औषधि	Ayurvedic Development Drug for Procreation ...	144
5393. सहकारी बैंकों को किसानों की माँगें पूरा करने हेतु अधिक धन देना	Provision of increased Finance to Co-operative Banks to meet Demand from Cultivators ...	144

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5394.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Jamia Millia Islamia, New Delhi ...	145
5395.	अखिल भारतीय गोरक्षा महाभियान समिति को गोरक्षा समिति में प्रतिनिधत्व	Representation of All India Goraksha Mahabhiyan Samiti on Cow Protection Committee ...	146
5396.	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	Delhi Rent Control Act ...	146
5397.	शंकर गार्डन कालोनी, दिल्ली का विकास	Development of Shankar Garden Colony, Delhi ...	147
5398.	अखिल भारतीय महापौर परिषद् द्वारा पास किया गया प्रस्ताव	Resolution passed by All India Council of Mayors ...	148
5399.	केरल सरकार का अधिक ट्रैक्टर सप्लाई करने के लिये अनुरोध	Request from Kerala for More Tractors ...	148
5400.	केरल में ग्राम्य जल संभरण के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता	Central Assistance for Rural Water Supply to Kerala ...	149
5401.	केरल में निम्न और मध्य्‍ा आय आवास योजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Low and Middle Income Housing Schemes in Kerala ...	149
5402.	गत तीन वर्षों में केरल राज्य में राजपथों के लिए मंजूर किया गया धन	Amount Sanctioned during last Three years for National Highways in Kerala State ...	149
5403.	केरल राज्य द्वारा प्रारम्भ किये गये समाज कल्याण कार्यक्रम	Social Welfare Programme undertaken by Kerala ...	150
5404.	पंजाब सरकार द्वारा शास्त्रियों और आचार्यों को बी० ए० तथा एम० ए० के समकक्ष माना जाना	Recognition of Shastries and Acharyas as equivalent to B. A. and M. A. by Punjab Government ...	151
5405.	राष्ट्रीय स्वस्थ्यता दल (नेशनल फिटनेस कोर) का विकेन्द्रीकरण	Decentrallisation of National Fitness Corps ...	151
5406.	दिल्ली में यमुनापार कालोनियों के प्लाट होल्डरों के लिये वैकल्पिक आवास	Alternative Accommodation for Plot Holders of Trans Yamuna Colonies in New Delhi ...	152
5407.	वर्ष 1972-73 में चावल मिलों की स्थापना	Setting up of Rice Mills during 1972-73 ...	153
5408.	अन्तर्देशीय जल परिवहन पर खर्च की गई राशि	Funds for Inland Water Transport Remain Unspent ...	154
5409.	भेड़ पालन और ढोर विकास में भारत की सहायता करने वाले अन्य देश	Foreign Countries Assisting India in Sheep Rearing and Cattle Development ...	154

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5410.	रोहतक रोड, दिल्ली पर स्थित बस्तियों के लिये नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था	Civic Amenities for Colonies on Rohtak Road, Delhi ...	155
5411.	दिल्ली में शमशान भूमियाँ	Cremation Grounds in Delhi ...	155
5412.	दिल्ली में गैर मंजूरशुदा कालोनियाँ	Unapproved Colonies in Delhi ...	157
5413.	महाराष्ट्र में डिघी और मोरकर वाडा पत्तनों का मछली पकड़ने के पत्तनों के रूप में विकास	Development of Dighi and Mirkar Wada Ports as Fishing Harbours in Maharashtra ...	157
5414.	रत्नगिरी पत्तन के कार्य का पुनर्विलोकन	Review of Work of Ratnagiri Harbour ...	158
5415.	कच्ची फिल्मों और उपकरणों का आयात	Import of Raw Films and Equipments ...	159
5416.	खंडवा और इटारसी स्टेशनों (मध्य रेलवे) के बीच एक नया रेलवे स्टेशन बनाना	Opening of a New Railway Station between Khandwa and Itarsi Stations (Central Railway) ...	159
5417.	मध्य प्रदेश में विद्युतचालित करघों का विकास	Development of Powerlooms in Madhya Pradesh ...	159
5418.	सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान	Payment of Arrears of Pay and Allowances in Employees who Participated in September, 1968 Strike ...	160
5419.	पूना मीराज सेक्शन (दक्षिण मध्य रेलवे) पर फालतू सहायक स्टेशन मास्टर	Surplus Asstt. Station Masters on Poona Miraj Section (South Central Railway) ...	160
5420.	अमीनगाँव (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) में दो अध्यापकों वाला प्राथमिक विद्यालय	Duble Teacher Primary School at Amingaon (North East Frontier Railway) ...	161
5421.	गूटी और गुंटकल में लोको शेडों के कर्मचारियों की संख्या	Strength of Staff for Loco Sheds at Gooty and Guntakal ...	161
5422.	निर्यात गृहों को लाइसेंस जारी करना	Licences Issued to Export Houses ...	162
5423.	लेह और कार्गिल में लघु जल विद्युत योजनाएं	Minor Hydro Electric Projects in Leh and Kargil ...	162
5424.	आयाति कोप्रा का वितरण	Distribution of imported Copra ...	163
5425.	नारियल के मूल्यों में कमी	Decline in Prices of Coconut ...	163
5426.	टूंडला स्टेशन पर पार्सल उतारने चढ़ाने (एस० क्यू० टी०) का काम रेलवे सहकारी श्रम संविदा सोसाइटी लिमिटेड को दिया जाना	Awarding of Parcels and SQT Handling work of Tundla Station to Railway Sahkari Shram Samvida Society Limited ...	164

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5427.	माल उतारने चढ़ाने वाले ठेकेदारों की धोखाधड़ी के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Manipulation by Goods Handling Contractors ...	164
5428.	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना निर्वाचन आयोग में तदर्थ नियुक्तियाँ	Ad hoc Appointments in Election Commission without consulting UPSC ...	165
5429.	भारतीय निर्वाचन आयोग में भर्ती	Recruitment in Election Commission of India ...	166
5430.	रोहतक में उपनगरीय रेलगाड़ियों का रख रखाव	Maintenance of Suburban Trains at Rohtak ...	167
5431.	नांगलोई और बहादुरगढ़ तथा बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच दोहरी रेलवे लाइन बिछाना	Double Railway line between Nangloi-Bahadurgarh and Bahadurgarh-Rohtak ...	167
5432.	शकूरबस्ती और नांगलोई के बीच दोहरी रेलवे लाइन बिछाना	Doubling of Railway line between Shakurbasti and Nangloi ...	167
5433.	बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर साइकिल स्टेंड बनाना	Opening of a Cycle Stand at Bahadurgarh Railway Station ...	168
5434.	रेलवे स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान	Scales of Pay for Railway School Teachers ...	168
5435.	असलात नगर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में बिजली लगाया जाना	Electrification of Asalat Nagar, District Meerut, U. P. ...	169
5436.	डीलक्स गाड़ी से जुड़ी ब्रेक वैन से सामान का गुम हो जाना	Missing of Luggage from the Brake Van Attached to Deluxe ...	169
5437.	दोबारा मतदान वाले स्थान	Places where Repolling was Held ...	170
5438.	फिरोजाबाद (उत्तर रेलवे) में एक ठेकेदार को माल लाने ले जाने का ठेका देना	Allotment of Goods Handling Contract to a Contractor at Firozabad ...	170
5439.	मतदाताओं को गलत मोहर की सप्लाई किए जाने के कारण अवैध हुए मत-पत्र	Invalidity of Ballot Papers due to Supply of wrong Seal to Voters ...	171
5440.	बसोड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मत केन्द्र की मत पेटिका में अधिक संख्या में मत पत्र डाला जाना	Excess Ballot Papers found in Ballot Box at Polling Station of Basoda Assembly Constituency ...	171
5441.	बंगला देश और पश्चिम बंगाल के बीच फिल्मों का आदान-प्रदान	Exchange of Films between Bangla Desh and West Bengal ...	172

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U S. Q. Nos.		
5442. पुरुषोत्तम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर को आयात लाइसेंस का दिया जाना	Grant of Import Licences to Purushottam Traders Private Ltd., Indore ...	172
5443. भारत बंगला देश के बीच वृत चित्रों और टेलीविज़न कार्यक्रमों का आदान-प्रदान	Inter-changing of documentary films and Television programmes between India and Bangla desh ...	173
5444. रुई के आयात पर रोक के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें	Expert Committee's Recommendations Regarding Ban on Cotton Imports ...	173
5445. विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earning ...	173
5446. विभिन्न देशों द्वारा निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम को भुगतान	Payment to S. T. C. for Exports by various countries ...	174
5447. "ट्रैक्टर उपहार योजना" के अन्तर्गत आयातित ट्रैक्टरों पर शुल्क लगाना	Duty on Tractors imported under Tractor Gift Scheme ...	175
5448. इलाहाबाद डिवीजन के लिपिक वर्ग को घाट शुल्क माफ करने की क्षमता	Clerical Staffs competence to waive wharfage charges, Allahabad Division ...	175
5449. पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर द्वारा गया का दौरा	Visit of General Manager at Gaya (Eastern Railway) ...	175
5450. दिल्ली में विश्व औद्योगिक मेले का आयोजन करने संबंधी समिति	Committee for organising World Industrial Fair at Delhi ...	176
5451. हथकरघा समितियों को सहायता	Assistance to Handloom Societies ...	176
5452. राज्य व्यापार निगम के निदेशकों की नियुक्ति	Appointment of Directors of S. T. C. ...	177
5453. राज्य व्यापार निगम द्वारा दिया गया किराया	Rent paid by S. T. C. ...	177
5454. विदेशों में भेजे गए व्यापार प्रतिनिधि-मंडल तथा भारत आये विदेशी प्रति-निधिमंडल	Trade Delegations sent to foreign countries and Foreign Delegations which came to India ...	177
5455. कोयले की कमी के कारण बिहार में बिजली घरों में संकट	Crisis in Power Plants in Bihar due to shortage of Coal ...	178
5456. पटना घाट रेलवे गोदाम में सामान का जमा हो जाना	Accumulation of goods at Patna Ghat Railway Godown ...	178
5457. हस्त शिल्प क्षेत्र में रोजगार क्षमता तथा मजूरी	Employment Potentiality and wages in Handicrafts Sector ...	179

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5458.	गंगा आयोग और नदी बेसिन आयोग में एक प्रतिनिधि की नियुक्ति	Appointment of a representative on Ganga Commission and River Basin Commission ...	179
5459.	दस्तकारों में अल्प रोजगार	Under employment in Handicrafts ...	179
5460.	मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को पूरा करने के उपाय	Steps to meet shortage of electricity in rural areas of eastern region of Madhya Pradesh ...	180
5461.	उज्जैन स्टेशन के यार्ड से कोयले की चोरी	Theft of Coal from Yard at Ujjain Station ...	181
5462.	राजकोट डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में हैड टिकट कलक्टरों के पद के लिए अनुसूचित जातियों के प्रत्याशी	Scheduled Castes Candidate for Head Ticket Collectors Post in Rajkot Division (Western Railway) ...	182
5463.	'राजधानी एक्सप्रेस' जैसी गाड़ियाँ चालू करने के लिए रेल पटरी का निरीक्षण	Inspection of Railway Tracks for introducing Rajdhani Express Type of Trains ...	182
5464.	गरिया स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) पर आक्रमण	Attack on Garia Railway Station (South Central Railway) ...	182
5465.	लौह अयस्क की सप्लाई के लिए करार	Agreement for supply of Iron Ore ...	183
5466.	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से भारत और दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार	Transaction of business between India and South Asian Countries through S. T. C. ...	183
5467.	बैंकाक में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग की बैठक	E. C. A. F. E. Meeting in Bangkok ...	184
5468.	पूंजीगत माल का आयात करने हेतु आयात लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव	Proposal to issue Import Licences for Capital Goods ...	184
5469.	बच्चों को समान रूप से गोद लेने के बारे में कानून	Legislation on Common adoption of Children ...	185
5470.	मध्य प्रदेश में नदियों के जल से बिजली तैयार करना	Harnessing of Rivers in Madhya Pradesh for Power Generation ...	185
5471.	मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों को शामिल किया जाना	Inclusion of Harijan Localities in MP under Rural Electrification Schemes ...	186

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
5472. अजमेर डिवीजन के छंटनी किए हुए छुट्टी रिजर्व नैमित्तिक श्रमिकों को पश्चिम रेलवे के संकेत तथा दूर संचार विभाग के रिक्त पदों पर लगाना	Posting of Retrenched Leave Reserve Casual Labourers of Ajmer Division against vacant Posts (S & T Department Western Railway)	...	187
5473. इन्दौर-दोहद रेलवे लाइन	Indore Dohad Railway Line	...	187
5474. लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर यात्री गाड़ियों का न रुकना	Non-Stoppage of Passenger Trains at Laxmibainagar Station (Western Railway)	...	188
5475. विदेश में भारतीय व्यापार मिशन	Indian Trade Mission Abroad	...	188
5476. निर्यात संवर्द्धन की सहायतार्थ प्रकाशन	Publication to assist Export Promotions	...	189
5477 विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त पद	Vacancies in various High Courts	...	189
5478. खानपान सेवाओं से रेलवे को आय	Income of Railways from Catering Service	...	190
5479. चाय के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned by Tea Export	...	191
5480. उड़ीसा में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति	Execution of various Irrigation Projects in Orissa	...	191
5481. अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में संवर्ग के पुनर्विलोकन के लिए नियम	Rules for Review of Cadre (Ajmer Division) Western Railway	...	192
5482. पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद और दिल्ली-आगरा फोर्ट के बीच गाड़ियों में रेलगाड़ी के बिजली कर्मचारियों की ड्यूटी	Duties of Train Lighting Staff on Trains between Ahmedabad and Delhi/Agra Fort (Western Railway)	...	193
5483. अभ्रक के निर्यात में कमी	Decline in Mica Export	...	194
5484. विदेश में भारतीय उद्यमों के लिए उदार शर्तें	Liberal Terms for Indian Ventures Abroad	...	194
5485. बैंकाक में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग की बैठक	E. C. A. F. E. Meeting in Bangkok	...	194
5486. चाय निर्यात करने वाली कंपनियाँ	Companies Exporting Tea	...	195
5487. कोयला खानों के निकट तापीय केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Thermal Stations near Collieries	...	195
5488. हाईटेंशन ट्रांसमिशन नेटवर्क के विकास के लिए राजस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Rajasthan for Development of High Tension Transmission Network	...	197
5489. केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा माँगी गई रिपोर्ट	Report Demanded by Central Vigilance Commission	...	198

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5490. समाजवादी देशों को सूती कपड़े के निर्यात में कमी	Decline in Textile Exports to Socialist Countries ...	199
5491. दिल्ली-आसाम मेल का बक्सर और चौसा बड़े स्टेशनों (पूर्व रेलवे) के बीच रेलवे फाटक पर एक ट्रैक्टर ट्रेलर से टकरा जाना	Ramming of Delhi Assam Mail into a Tractor Trailer at Level Crossing between Buxar and Chausa Station (Eastern Railway) ...	200
5492. बिहार की निर्यात सम्भावनाओं का अध्ययन	Study of Export Potential of Bihar ...	200
5493. रेलवे कर्मचारियों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Railway Staff ...	200
5494. कुसुंडा (पूर्व रेलवे) पर हुई रेल दुर्घटना	Railway Accident at Kusunda (Eastern Railway) ...	202
5495. इलैक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिगनल मैन्टेनर्स, इज्जत नगर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में छुट्टी रिजर्व और विश्राम रिजर्व कर्मचारी	Leave Reserve and Rest Giver Staff for Electrical and Mechanical Signal Maintainers, Izatnagar Division (North Eastern Railway) ...	202
5496. दिल्ली और मुरादाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में इलैक्ट्रिकल सिगनल मैन्टेनर्स और मैकेनिकल सिगनल मैन्टेनर्स के लिए छुट्टी रिजर्व और विश्राम रिजर्व स्टाफ	Leave Reserve and Rest Giver Staff for Electrical Signal, Maintainers and Mechanical Signal Maintainers, Delhi and Moradabad Division (Northern Railway) ...	203
5497. जयपुर, राजकोट, रतलाम और कोटा डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में छुट्टी रिजर्व तथा रैस्ट गिवर स्टाफ	Leave Reserve and Rest Giver Staff for Jaipur, Rajkot, Ratlam and Kota Division (Western Railway) ...	204
5498. गोंडा तथा बनगाई रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के मध्य पेड़ी अजब सिंह ग्राम में हाल्ट स्टेशन	Halt Station at Peri Ajab Singh Village between Gonda and Bangain Railway Station (North Eastern Railway) ...	205
5499. पश्चिम कोसी नहर परियोजना की खुदाई के लिए भूमि का दिया जाना	Handing over of land for excavation of Western Kosi Canal Project ...	205
5500. घाटे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग में सुधार की आवश्यकता	Need for Improvement in Transportation Department due to Loss	205
5502. ईरान में संयुक्त उपक्रम	Joint Ventures in Iran ...	206
5503. चौथी योजना के दौरान समाजवादी देशों से व्यापार	Trade with Socialist Countries during Fourth Plan ...	206

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5504.	माता टीला बाँध द्वारा बुन्देलखंड क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना	Fulfilment of Needs of Bundelkhand Area by Mata Tilla Dam ...	207
5505.	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात और आयात के लिए और वस्तुओं का शामिल किया जाना	Inclusion of More Items for Export and Import through S. T. C. ...	207
5506.	बारबिल, जाजपुर और बाढ़गढ़ स्थित उद्योगों के लिए बन्द माल डिब्बों की व्यवस्था	Covered Wagons for Industries at Barbil, Jajpur and Bargarh ...	208
5507.	वंसपाणि-जाखपुरा के बीच रेल सम्पर्क के लिए उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव	Orissa Governments' Proposals for Banspani Jakhpura Rail Link ...	209
5508.	उड़ीसा में तूफानों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रस्ताव	Proposals to Prevent Recurrences of Cyclones in Orissa ...	209
5509.	उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें	Rural Electrification Schemes in Orissa ...	209
5510.	गुमती परियोजना के पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप उससे प्रभावित होने वाले परिवारों को मुआवज़ा	Compensation to Families likely to be Affected by Completion of Gumati Project ...	210
5511.	भिलाई-कलकत्ता रेल मार्ग का विद्युतीकरण	Electrification of Bhilai Calcutta Railway Route ...	210
5512.	हैंडलूम वस्तुओं का निर्यात	Export of Handloom Products ...	211
5513.	तमिलनाडु में रेलवे लाइनों के सुधार के लिए तमिलनाडु सरकार का अनुरोध	Tamil Nadu Government Request for improvement of Railway Lines in that State ...	211
5614.	गड़वा रोड जंकशन से दिल्ली और दिल्ली से गड़वा रोड़ जंकशन के लिए यात्रियों को रिजर्वेशन-सुविधायें	Reservation Facilities for passengers from Garhwa Road Junction to Delhi and Vice Versa ...	212
5515.	बिहार में रेलवे के शिक्षा संस्थान	Railway Educational Institutions in Bihar ...	213
5516.	कान्हर डांडू और यूरिया नदियों पर बाँध का निर्माण	Construction of Dams on Kanhar Dandu and Uria Rivers ...	213
5517.	गोमोह-डेहरी आन सोन यात्री रेलगाड़ी की पटना बोगी में से तीसरी श्रेणी का डिब्बा हटाना	Removal of Third Class Compartment in Patna Bogie of Gomoh Dehri on Sone Passenger Train ...	213
5518.	खुर्दा डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में रेल तथा सड़क यातायात में प्रतिस्पर्धा	Competition between Railway and Road Traffic Khurda Divisions (South Eastern Railway) ...	214

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5519.	निर्यात गृहों का व्यापार	Business of Export Houses ...	215
5520.	निर्यात गृहों को विशेष रियायतें	Special Concessions to Export Houses ...	216
5521.	प्रत्येक राज्य की राजधानी से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ चलाना	Running of Rajdhani Express Trains from Every State Capital to Delhi ...	218
5522.	आयातित वस्तुओं की पूर्ण सूची रखना	Maintenance of Complete List of Imported Items ...	218
5523.	ग्राम इंजीनियरिंग सर्वेक्षण योजना	Rural Engineering Survey Scheme ...	219
5524.	विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों का चयन करने का मापदण्ड	Criteria for Selecting Members of Delegation sent Abroad ...	219
5525.	फालना स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर आरक्षण की सुविधाएँ	Reservation Facilities at Falna Station (Western Railway) ...	219
5526.	रेलवे यार्डों और स्टेशनों पर चोरी और अपराध में जी० आर० पी० तथा रेलवे सुरक्षा बल का हाथ	Participation of G. R. P. and R. P. F. in Piferages and Crimes Committed in Railway Yards and Stations ...	220
5527.	पटना-गया लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा	Ticketless travelling on Patna Gaya Line ...	220
5528.	बारांग स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के उद्योगों द्वारा स्थान शुल्क तथा रेल भाड़े की बकाया राशि का भुगतान	Payment of wharfage and freight dues by Industries of Barang Station (South Eastern Railway) ...	221
5529.	कासगंज जंकशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर नये प्लेटफार्म का निर्माण	Construction of a new platform at Kasganj Junction (North Eastern Railway) ...	222
5530.	जी० टी रोड को अन्य सड़क, जो एटा से कासगंज जाती है, से जोड़ने वाली लिंक रोड की मरम्मत	Improvement of Link Road connected G. T. Road with another road leading to Kasganj from Etah ...	222
5531.	छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए तमिलनाडु सरकार का अनुरोध	Tamil Nadu Governments request for conversion of Meter Gauge Lines into Broad Gauge Lines ...	222
5532.	विधि पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद	Translation of Law Books into Hindi ...	223
5533.	नई दिल्ली में हुए 'अंकटाड' सम्मेलन के पश्चात निर्यात में कमी	Short Fall in Exports since U. N. C. T. A. D. held in New Delhi ...	224

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5534.	हथकरघा उद्योग के संकट को दूर करने के लिए सूत की गाँठों का दिया जाना	Release of Yarn Bales to ease crisis in handloom industry ...	225
5535.	कोयले के लिए वैगनों की कमी के कारण दिल्ली में ईंट के भट्टों का बन्द होना	Closure of Brick kilns of Delhi due to short supply of wagons for Coal ...	225
5536.	विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्यों को सहायता	Assistance to States to step up generation of power ...	226
5537.	सिंचाई जलाशयों में रेत के जमाव को रोकने के उपाय	Steps to check sedimentation of Irrigation Reservoirs ...	226
5538.	55 अप तथा 6 एम० डी० सवारी गाड़ियों का देर से चलना	Late running of 55 UP and 6 M. D. Passenger Trains ...	227
5539.	55 अप यात्री गाड़ी के हापुड़ से चलने के समय में परिवर्तन	Change in Departure time of 55 Up Passenger Trains from Hapur ...	227
5540.	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा हिन्दी में प्रकाशित प्रकाशन	Publications brought out in Hindi by Ministry of Irrigation and Power and Central Water and Power Commission ...	228
5541.	गोपालपुर पत्तन और उसके पृष्ठ प्रदेश में रेलवे लाइन	Railway Link of Gopalpur Port with Hinterland ...	228
5542.	रेल वैगनों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की माँग	West Bengal Government Demand for Rail Wagons ...	228
5543.	मऊ लोको शेड के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक आकस्मिक छुट्टी	Employees of Mhow Loco Shed on Mass Casual Leave ...	229
5544.	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में कोरियर्ज और टी० ए० जी० सी० और कैश विट्नेसिज की नियुक्ति	Posting of Couriers, T. A. G. C. and Cash witnesses, Ajmer Division (Western Railway) ...	229
5545.	कंट्रोलर आफ स्टोर्स दक्षिण रेलवे के अधीन क्लर्कों की उच्चतर वेतन मानों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा	Examination for clerks under Controller of Stores for Promotion to higher scale Pay (Southern Railway) ...	229
5546.	भण्डार नियन्त्रक पेरम्बूर (दक्षिण रेलवे) के अधीन अनुसूचित जातियों के क्लर्क	Scheduled Castes' Clerks under Controller of Stores, Perambur (Southern Railway) ...	230
5547.	भारत और फ्रांस के बीच औद्योगिक और आर्थिक सहयोग	Industrial and Economic Cooperation between India and France ...	231

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5548.	जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में 'बी' ग्रेड ड्राइवरों की पदावनति के कारण रिक्त पदों का भरा जाना	Filling up of posts due to Reversion of Drivers 'B' Grade, Jaipur Division (Western Railway) ...	231
5549.	जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में ग्रेड 'बी' ड्राइवरों की ग्रेड 'सी' ड्राइवरों के रूप में पदावनति	Reversion of Drivers Grade 'B' to Grade 'C' Jaipur Division (Western Railway) ...	232
5550.	पूर्वी रेलवे द्वारा दक्षिण उपनगरीय नगरपालिका बहाला, कलकत्ता, को देय नगरपालिका की बकाया राशि	Outstanding Municipal Dues Payable by Eastern Railway to South Suburban Municipality Behala, Calcutta ...	232
5551.	मध्य पूर्व के देशों और मलयेशिया में चाय के लिए मंडी सर्वेक्षण का प्रस्ताव	Proposal for Market Survey of Tea in Middle East Countries and Malaysia ...	233
5552.	मंत्रालयों में चाय बोर्ड की उधार बिक्री प्रणाली	Credit Sale System by Tea Board in Ministeris ...	233
5553.	चाय की पेटियों की बिक्री	Selling of Tea Caddies ...	234
5554.	चित्तरंजन लोको कारखाने द्वारा डीजल इंजनों का निर्माण	Manufacturing of Diesel Engines by Chittaranjan Loco Unit ...	235
5555.	पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनायें	Schemes for Rural Electrification in Backward Regions ...	235
5556.	हल्दिया और पारादीप बन्दरगाहों को लौह अयस्क की ढुलाई के लिए बाक्स वैगनों की कमी	Short Supply of Box Wagons for Movement of Iron Ore to Haldia and Paradip Ports ...	235
5557.	बालूगन रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) का सुधार	Improvement of Balugan Railway Station (South Eastern Railway) ...	236
5558.	खुर्दा डिवीजन के बालूगन स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर माल क्लर्क की नियुक्त	Posting of Goods Clerks at Balugan Station, Khurda Division (South Eastern Railway) ...	236
5559.	संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Sick Textile Mills ...	237
5560.	1971-72 में हुए व्यापार करार	Trade Agreements during 1971-72 ...	237
5561.	उर्वरक की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे दक्षिण के चाय बागान	Tea Plantations facing Fertilizer Scarcity in South India ...	237
5562.	केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उपलब्ध की गई धनराशि	Amount made Available for Rural Electrification in Kerala ...	238

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

5563.	काजू का आयात / निर्यात	Import/Export of Cashew nuts ...	239
5564.	तम्बाकू डीलर्स एसोसियेशन, कानपुर से अभ्यावेदन	Representation from Tobacco Delears Association, Kanpur ...	239
5565.	केरल में नई रेल लाइनों के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव	Kerala Government Proposals for New Railway Lines in Kerala ...	240
5566.	जयपुर और अजमेर डिवीजनों (पश्चिम रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों की रचना	Creation of Posts of Commercial Clerks, Jaipur and Ajmer Division (Western Railway) ...	241
5567.	स्थायी नदी आयोग के बारे में भारत-बंगला देश वार्ता	Indo-Bangladesh Talks on Permanent River Commission ...	241
5568.	समुद्री तट के साथ साथ आप्टा से मंगलौर तक पश्चिम तट रेलवे	West Coat Railway from Apta to Mangalore along Sea Shore ...	242
5569.	भारतीय रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों को खपाना	Absorption of Casual Labourers in Indian Railways ...	242
5570.	विदेश यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली-किशनगंज (पश्चिम रेलवे) के परिशिष्ट II-ए योग्यता प्राप्त ग्रेड I के क्लर्कों को अधिक वेतन देना	Appendix II-A Qualified Clerks Grade-I drawing Higher Pay, FTA Office, Delhi Kishan Ganj (Western Railway) ...	243
5571.	विदेश यातायात लेखा, कार्यालय (पश्चिम रेलवे) में ग्रेड II के लेखा क्लर्कों को मशीन चालकों के रूप में कार्य करने पर दिया जाने वाला विशेष वेतन	Special Pay to Accounts Clerks Grade-I working as Machine Operators FTA Office (Western Railway) ...	243
5572.	उत्तर रेलवे मुख्यालय के कार्यालय को कानपुर / लखनऊ स्थानान्तरित करना	Shifting of Northern Railway Headquarters Office to Kanpur/Lucknow ...	244
5573.	रेलवे को तोड़-फोड़ से होने वाली हानि	Loss to Railways due to sabotage Activities ...	245
5872.	ताँबे के तार की चोरी	Theft of Copper Wire ...	245
5575.	स्टेनोग्राफरों की वरिष्ठ ग्रेड में पदोन्नति (उत्तर रेलवे)	Promotion of Stenographers to Senior Scale (North Railway) ...	247
5576.	रेलवे में स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति के नियमों में परिवर्तन	Change in Rules for Promotion of Stenographer on Railways ...	247
5577.	मुआवज़ा दावों संबंधी एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की रेलवे सुरक्षा दल के बारे में टिप्पणियाँ	Comments on R. P. F. by one-man Expert Committee on Compensation Claims ...	247

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5578.	वाणिज्यिक विभाग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Administrative Reforms Commissions Recommendations Regarding Commercial Department ...	248
5579.	पार्सल कार्यालयों के कार्यकरण के बारे में मुआवज़ा दावों संबंधी एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियां	Observation on the Working of Parcel Offices by One-man Expert Committee on Compensation Claims ...	248
5580.	खासा और गुरूसर सुतलानी स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के बीच 526 / 17-18 वें किलोमीटर पर बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रासिंग पर फाटक की व्यवस्था करना	Provision of a Gate at Unmanned Railway Crossing at K. M. 526/17-18 between Khasa and Gurusar Sutlani Stations (Northern Railway) ...	249
5581.	जाली भाड़ा रसीदें बनाने वाले गिरोह का भण्डाफोड़	Unearthing of a Fake Freight Receipt Gang ...	249
5582	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के रनिंग स्टाफ की वरिष्ठता का निर्धारण	Fixation of Seniority of Running Staff, Ajmer Division (Western Railway) ...	250
5583.	लोको रनिंग स्टाफ की शिकायतें तथा समस्यायें	Grievances and Problems of Loco Running Staff ...	250
5584.	राजकोट डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में फायरमैन से चालकों और गार्डों के बक्से उठवाना	Fireman Utilised to carry Boxes of Drivers and Guards Rajkot Division (Western Railway) ...	251
5585.	रेलवे में लोको / ईंधन इंस्पेक्टरों के पद पर पदोन्नति के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया	Procedure Followed for Promotion as Loco/Fuel inspectors on Railways ...	251
5586.	1 अप और 2 डाउन कालका मेल के साथ सम्बद्ध भोजन यान में खान पान का प्रबन्ध गैर सरकारी ठेकेदार को हस्तांतरित करना	Transfer of Catering Service in Dining Car Attached to 1 Up and 2 Down Kalka Mail to a Private Contractor ...	251
5587.	नेपाल के प्रधान मन्त्री की दिल्ली यात्रा	Nepalese PMs Visit to Delhi ...	252
	अतारांकित प्रश्न संख्या 35 दिनांक 15 नवम्बर, 1971 और अतारांकित प्रश्न संख्या 2772 दिनांक 22 जून, 1971 के उत्तरों को शुद्ध करने वाले विवरण	Correcting Statements to U. S. Q. No. 35 dated 15-11-1971 and U. S. Q. No. 2772 dated 22-6-1971 ...	253
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में— (प्रश्न)	Re. Motion for Adjournment— (Query) ...	253
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	254

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
जम्मू और कश्मीर के तिथवाल क्षेत्र में भारतीय ठिकानोंपर पाकिस्तानी आक्रमण का समाचार	Reported Pakistani attack on Indian positions in Tithwal sector of Jammu and Kashmir ...	254
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody ...	255
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram ...	256
वियतनाम में युद्ध के बारे में	Re. War in Vietnam ...	258
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	259
डा० बी० एच० शाह की आत्महत्या के समाचार के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Reported suicide by Dr. V. H. Shah ...	261
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed ...	261
समितियों के लिए निर्वाचन	Election to Committees ...	264
(एक) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट	(i) Court of University of Delhi ...	264
(दो) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	(ii) Marine Products Export Development Authority ...	264
(तीन) चाय बोर्ड	(iii) Tea Board ...	265
साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) संशोधन विधेयक--पुरःस्थापित	General Insurance (Emergency Provisions) Amendment Bill—Introduced ...	265
अनुदानों की माँगें — 1972-73	Demands for Grants 1972-73 ...	266
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	Ministry of Petroleum and Chemicals ...	266
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale ...	267
विधि और न्याय मंत्रालय	Ministry of Law and Justice ...	270
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee ...	270
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary ...	274
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan ...	275
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga ...	276
श्री के० बासप्पा	Shri K. Basappa ...	276
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R. P. Ulaganambi ...	276
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	277
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkarlal Berwa ...	278
श्री धर्मराव अफजलपुरकर	Shri Dharamrao Afzalpurkar ...	279
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishor Sharma...	280
श्री टी० बालकृष्णैया	Shri T. Balakrishniah ...	280
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda ...	281
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R. D. Bhandare ...	281
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale ...	281
कम्पनी कार्य विभाग	Department of Company Affairs ...	284

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan ...	285
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao ...	286
श्री के० बालतंडायुतम	Shri K. Balathandayutham ...	287
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra ...	288
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody ...	288
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata ...	289
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma ...	289
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi ...	290
श्री सी० सी० देसाई	Shri C. C. Desai ...	291
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee ...	292
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan ...	292
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy ...	293
नौवहन और परिवहन मंत्रालय	Ministry of Shipping and Transport ...	296
श्री गदाधर साहा	Shri Gadhadhar Saha ...	297
श्री एम० एस० संजीवी राव	Shri M. S. Sanjeevi Rao ...	300
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan ...	302
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	302
श्री शंकर राव सावन्त	Shri Shankarrao Savant ...	303
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta ...	304
श्री एस० एल० पेजे	Shri S. L. Peje ...	306
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	
11वाँ प्रतिवेदन	Eleventh Report ...	306

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 9 मई, 1972/19 वैशाख, 1894 (शक)

Tuesday, May 9, 1972/Vaisakha 19, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Loss to Railways due to Thefts at Katihar Railway Station and Yard (North-Eastern Railway)

*741. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government suffer loss to the tune of rupees one crore every year on account of thefts committed at Katihar Railway Station and Yard; and

(b) if so, the steps being taken by Government to check such thefts ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) वार्षिक हानि लगभग 10 हजार रुपये है ।

(ख) निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :

(1) यार्ड, प्लेटफार्मों, स्थानान्तरण स्थल और पार्सल शैड में रेलवे सुरक्षा दल द्वारा चौबीसों घंटे पहरा दिया जाता है । भेद्य स्थलों पर अपराध आसूचना को भी दृढ़ किया गया है ।

(2) रेलवे सुरक्षा दल और वाणिज्यिक कर्मचारियों के मिले-जुले पर्यवेक्षण में माल और पार्सल लादे और उतारे जाते हैं ।

(3) रेलवे सुरक्षा दल द्वारा पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है और संयुक्त छापे मारे जाते हैं ।

(4) आवश्यकता पड़ने पर रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता दस्ते द्वारा पहरा भी तीव्र कर दिया जाता है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Mr. Speaker. Sir, the theft of the order of Rs. 1 crore takes place every year but the hon. Minister has given the figure of Rs. 10,000. It is mentioned in it that the policemen of the Railway Protection Force and Commercial Clerks i.e. Parcel Clerks committed the thefts in collusion with each other. May I know the amount of properties stolen from the Railway and private firms during the last three years and the compensation paid to them ?

श्री के० हनुमन्तैया : संबंधित अधिकारियों ने मुझे जो आँकड़े दिये हैं उनसे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । उन्होंने मुझे जो आँकड़े दिये हैं वे 10,000 रुपये के हैं तथा मैं उन पर किसी भी तरह अविश्वास नहीं कर सकता हूँ ।

दूसरे, जहाँ तक उनके इस आरोप का संबंध है कि रेलवे सुरक्षा बल, वाणिज्यिक क्लर्क तथा अन्य लोगों द्वारा मिल कर चोरी की जाती है, इस बारे में मैं इस सभा में बहुत बार पहले ही कह चुका हूँ कि यदि सदस्य कहते हैं कि कुछ सीमा तक चोरी होती है तो यह आरोप सही है और इस समस्या का समाधान किया जा रहा है ।

रेलवे सम्पत्ति तथा प्राईवेट बुकिंग से हुए नुकसान का ब्यौरा इस प्रकार है : 1969 में 2,074 रुपये की बुक की गई खेपों का नुकसान हुआ तथा 1,911 रुपये की रेल सम्पत्ति का नुकसान हुआ; 1970 में बुक की गई 3,569 रुपये की खेप तथा 6,101 रु० की रेलवे सम्पत्ति का; 1971 में 1,923 रुपये की बुक की गई खेप तथा 4,599 रुपये की रेलवे सम्पत्ति का नुकसान हुआ ।

प्रत्येक मामले में चुराये गए माल में से 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का माल बरामद किया गया है ।

Shri Onkar Lal Berwa : How many police officers and Commercial Clerks and Parcel Officers were removed from service or punished, when found guilty of theft ?

श्री के० हनुमन्तैया : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

Shri Onkar Lal Berwa : Why a separate notice is required for this ? When he has given in the statement that police officers and commercial clerks are in league and when they have been convicted, may I know whether they have been released without being punished ? I am sorry to say that they have been convicted but not punished.

Shri N. N. Pandey : Will the hon. Minister state the amount of claims in arrear as a result of these thefts which took place during a year and which have been stated by them ?

श्री के० हनुमन्तैया : उसके लिये भी अलग सूचना चाहिये क्योंकि वह भी एक अलग प्रश्न है । यदि अलग सूचना दी जाय तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे सकता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : ये प्रश्न इस प्रश्न के क्षेत्र से बाहर हैं । यदि मंत्री महोदय के पास जानकारी होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती परन्तु वह अलग सूचना चाहते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह प्रश्न के क्षेत्र से बाहर नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has made very good arrangements to see that more thefts do not take place but may I know whether some persons, who have been found guilty of the thefts taken place so far have been prosecuted, if so, when it was brought to his notice that officers themselves comment theft or they get the theft committed by other people ? If it has been brought to his notice, what action he has taken against them ?

श्री के० हनुमन्तैया : जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं यह देखने के लिये उत्सुक हूँ कि दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाये । परन्तु यह भी सही है कि प्रक्रिया एवं नियम तथा सम्बद्ध मामले इतना अधिक समय लेते हैं कि उन्हें तुरंत सजा देना असंभव सा हो जाता है । एक वर्ष पूर्व एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया था । अभी तक उसे सजा नहीं दी जा सकी है । वह कई बातों के लिये कह रहा है । वह कई कागजात एवं दस्तावेज आदि माँग रहा है । परन्तु जब तक इस प्रक्रिया में संशोधन नहीं होगा तब तक दोषी व्यक्तियों को समय पर सजा देना असंभव है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, my question has not been replied to. The hon. Minister has stated in his reply that some policemen and officers get the thefts committed. I want to know the number of cases which were taken to court. If they get the theft committed, what action has been taken against them ? The hon. Minister gives vague reply.

Mr. Speaker : If you do not sit down how will he reply ?

श्री के० हनुमन्तैया : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस बात की जानकारी चाहते हैं कि कितने मामलों में मुकदमा चलाया गया, कितने मामलों में लोगों को सजा दी गई । वह मामलों की संख्या जानना चाहते हैं ।

श्री के० हनुमन्तैया : जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनके बारे में मेरे पास आँकड़े हैं परन्तु बाद की कार्यवाही के बारे में मेरे पास कोई आँकड़े नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनके पास भेज दूंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह गिरफ्तार किये गये लोगों की संख्या जानना चाहते हैं ।

श्री के० हनुमन्तैया : 1969 में 46, उसके अगले वर्ष 41 तथा गत वर्ष 44 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य कार्यालयों के निकट स्वास्थ्य केन्द्र

*743 **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य कार्यालय में कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारियों से उनके कार्यालय के निकट स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) क्या वहाँ स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) चूँकि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का 250 खाट वाला मुख्य केन्द्रीय अस्पताल जहाँ बहिरंग रोगी के इलाज की सुविधा उपलब्ध है, रेलवे के मुख्यालय से एक किलोमीटर के अन्दर स्थित है इसलिए वहाँ स्वास्थ्य यूनिट की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गोहाटी क्षेत्र में उन मुख्यालय सेक्शनों में लगभग 5,000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। लगभग 4 वर्ष पूर्व इस स्वास्थ्य एकक को समाप्त कर दिया गया था। महाव्यवस्थापक ने इस मामले को रेलवे बोर्ड को भेज दिया। आपातकालीन मामलों में देख-भाल करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकारी तथा श्रमिक सभी इससे प्रभावित हैं। क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेंगे तथा उस स्थान पर स्वास्थ्य एकक खोलने का आदेश देंगे ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैं इस पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार नहीं हूँ। इस स्वास्थ्य एकक को समाप्त करने संबंधी बोर्ड के निर्णय का मैंने अनुमोदन किया था। साथ ही सभा यह महसूस करती है कि हम रेलवे कर्मचारियों पर व्यय बढ़ा नहीं सकते हैं। मुख्यालय के एक किलो-मीटर के अन्दर एक बड़ा अस्पताल वहाँ पर है। वहाँ प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं भी हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य एकक से अधिक अच्छी सुविधाएं नहीं हैं तो भी उसके समान अन्य सुविधाएं हैं जिनसे स्वास्थ्य एकक के न होने से भी किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे के प्रत्येक मुख्यालय में एक स्वास्थ्य एकक चल रहा है ? ये अभागे व्यक्ति अस्पताल पर आश्रित क्यों रहें ?

श्री के० हनुमन्तैया : गोहाटी के लोग अधिक शौभाग्यशाली हैं क्योंकि उनके मुख्यालय के निकट सबसे बड़ा अस्पताल है। दूसरे मामलों में ऐसा नहीं है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या मंत्री महोदय ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि गोहाटी स्थित अस्पताल पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में मुख्यालय के समूचे लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये पर्याप्त है ?

श्री के० हनुमन्तैया : जी हाँ। मैंने स्वयं उस स्थान को देखा है। इसका शानदार भवन है और तथा यह बहुत अच्छी तरह सुसज्जित है और मुझे संतोष है कि यह उनकी आवश्यकताएँ पूरी कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इसकी क्षमता पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मुख्यालय के सभी लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये पर्याप्त है ?

श्री के० हनुमन्तैया : जी हाँ। ऐसी मेरी राय है तथा जब मैंने वहाँ का दौरा किया था तो इसके अपर्याप्त होने के बारे में किसी ने कोई अभ्यावेदन नहीं दिया था।

लघु क्षेत्र में बनने वाली वस्तुओं का प्रचार द्वारा निर्यात बढ़ाना

*746. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि लघु उद्योग क्षेत्र में बनने वाली अनेक प्रकार की वस्तुओं का समुचित रूप से प्रचार न होने के कारण भारत विदेशी मंडियों में अपने निर्यात में वृद्धि नहीं कर सका है; और

(ख) यदि हाँ, तो विदेशों में प्रचार द्वारा निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज : (क) तथा (ख) . लघु क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिये निर्यात संवर्धन प्रचार को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता के बारे में सरकार अवगत है। इस दिशा में हमारी व्यापार प्रदर्शनियों को अधिक प्रभावशाली बनाने और विदेशों में परिचालन के लिये अच्छी क्वालिटी का प्रचार साहित्य तैयार करने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं। वास्तव में, बहुत से विदेशी खरीदार लघु क्षेत्र में उत्पादित गैर-परम्परागत भारतीय माल सहित अनेक किस्मों की ऐसी वस्तुओं के आयात की सम्भाव्यताओं के संबंध में अधिक जाग्रत हो गये हैं। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि निर्यातों का विस्तार अनेक बातों पर निर्भर करता है, केवल निर्यात प्रचार पर ही नहीं।

श्री जी० वाई० कृष्णन : उत्तर में कहा गया है कि निर्यात का विस्तार केवल प्रचार पर ही निर्भर नहीं करता अपितु कुछ अन्य बातें भी हैं। क्या उन बातों के बारे में संक्षेप में बताया जायेगा ? लघु उद्योग तथा गैर-परम्परागत वर्गों में निर्यात में वृद्धि करने के लिये बाह्य प्रचार कार्यक्रम क्या हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : प्रचार माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन अभियान के अतिरिक्त कतिपय अन्य बातें भी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण हैं। वे बातें इस प्रकार हैं कि हमारे सामान की किस्म कैसी है, हमारी क्षमता क्या है, विकसित देशों के साथ हम अपने उत्पादों की कहाँ तक स्पर्धा कर सकते हैं। बाह्य प्रचार के संबंध में हमने अपने प्रोत्साहन कार्यक्रमों के लिये एक विस्तृत योजना बनाई है। इस मामले को हमारी निर्यात संवर्धन परिषद सक्रिय रूप से उठा रही है तथा शिष्टमंडलों का आयोजन कर रही है जो बाजार का सर्वेक्षण करने और भावी ग्राहकों के साथ सम्पर्क बनाने के लिए घटना स्थल पर जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जो यू० एन० डी० पी० दल हमारे देश का दौरा करते हैं वे यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम लघु क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजने लायक उत्पाद तैयार करते हैं। राज्य व्यापार निगम भी लघु क्षेत्र के संवर्धन में प्रभावी ढ़ंग से व्यस्त है……

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूर्ण तथा प्रचार के बारे में था। इसे इस सभा में पहले दो बार बताया जा चुका था।

श्री जी० वाई० कृष्णन : हथकरघा क्षेत्र में काफी आन्दोलन हुआ है। क्या कार्यवाही···

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के अन्तर्गत हथकरघा क्षेत्र कैसे आ सकता है ? इसमें हथकरघा का कहाँ उल्लेख है ?

श्री जी० वाई० कृष्णन : हथकरघा लघु क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रश्न को अस्वीकृत नहीं कर रहा हूँ परन्तु मुख्य प्रश्न जो सामान्य प्रश्न है, उसमें इसका कहीं उल्लेख नहीं है ?

श्री जी० वाई० कृष्णन : यह इसके अन्तर्गत भी आ सकता है। परन्तु यदि मंत्री महोदय इसका उत्तर देने के लिये तत्पर नहीं हैं,तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अध्यक्ष की हैसियत से अपना कार्य करना पड़ता है। आप इसे किसी दूसरी शक्ल में पूछ सकते हैं ? प्रश्न पूछने के बहुत से तरीके हैं, अथवा यदि मंत्री महोदय उन्हें संतुष्ट कर सकें तो ठीक है।

श्री ए० सी० जार्ज : हथकरघा की वस्तुओं के निर्यात का भविष्य बहुत अच्छा है। इस वर्ष हम 25 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् ने हाल ही में अफ्रीकी देशों में एक शिष्टमंडल भेजा था जहाँ हमारा बहुत अच्छा बाजार है विशेषकर दक्षिण भारत के उत्पादों के संबंध में। मेरे वरिष्ठ सहयोगी हाल ही में जब ब्रिटेन में थे तो ब्रिटेन द्वारा उठाई गई कई समस्याओं द्वारा हथकरघा उत्पादों के निर्यात की समस्या उलझ रही थी उसे मैत्रीपूर्ण ढ़ंग से सुलझाया गया तथा हथकरघा के उत्पादों के निर्यात का भविष्य उज्जवल है।

श्री भोगेन्द्र झा : प्रचार समान का प्रदर्शन और शिष्टमंडल भेजने के संबंध में अब तक ये प्रयास किन-किन देशों में किये गए हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : सभी देशों में प्रचार करने के निदेश हैं। व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों के बारे में आगामी वर्ष के लिये हमारे पास सात महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों का कार्यक्रम है।

श्री विक्रम महाजन : मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रचार पर कितनी राशि व्यय की गई है और लघु क्षेत्र का कितना निर्यात था तथा मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में कितनी राशि व्यय की गई, और प्रचार से कितना निर्यात बढ़ जायेगा ?

श्री ए० सी० जार्ज : लघु क्षेत्र के बारे में हम अलग आँकड़े नहीं रखते हैं। कितना व्यय हुआ इसके बारे में मैं बाद में आँकड़े दे दूंगा।

विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों के बारे में पुस्तिका

*747. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों के बारे में एक पुस्तिका निकालने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). सरकार ने हाल ही में इंडियाज़ जांइंट वैंचर्स एब्राड (विदेशों में भारत के संयुक्त उद्यम) नामक एक विवरणिका निकाली है और उसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय को भेज दी गई हैं ।

श्री पम्पन गौडा : इस पुस्तिका की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह एक आकर्षक पुस्तिका है और यह ग्रंथालय में उपलब्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : जब कोई दस्तावेज सुगमता से उपलब्ध हो तो उस बारे में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते । मैं जब पंजाब विधान सभा का अध्यक्ष था तो उस समय आप हैदराबाद विधान सभा के उपाध्यक्ष थे । आप को नियमों से भली-भाँति परिचित होना चाहिए । मैं दूसरों को दोष नहीं देना चाहता ।

Signal Maintainers Getting Lower Grades in Delhi Division (Northern Railway) and Hathras Road, Izatnagar (N. E. Railway)

*749. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Maintainers of the Signal and Telecommunication Department at Subzimandi, Jind and New Delhi in Delhi Division of Northern Railway and at Hathras Road in Izatnagar Division of North Eastern Railway, are getting lower grades than the sanctioned grades;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether the lower grade staff working on higher grade posts is being given officiating allowance ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) दिल्ली डिवीजन में जींद स्टेशन के और इज्जत नगर डिवीजन में हाथरस रोड स्टेशन के किसी भी अनुरक्षक को मंज़ूरशुदा ग्रेड से कम ग्रेड में वेतन नहीं मिल रहा है । परन्तु सब्जी मंडी और नयी दिल्ली स्टेशनों पर 175-240 रुपये के ग्रेड के एक-एक पद को अस्थायी रूप से घटाकर 130-212 रुपये का कर दिया गया है । इन दो पदों पर काम करने वाले कर्मचारी बाद वाले ग्रेड में ही वेतन ले रहे हैं ।

(ख) इन दो पदों के बारे में, नई दिल्ली और सब्जी मंडी स्टेशनों पर एक-एक पद का

ग्रेड कम कर दिया गया है। इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों ने 175-240 रुपये के ग्रेड में पदोन्नति के लिए परीक्षा में अर्हता भी नहीं प्राप्त की।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए उच्चतर ग्रेड में स्थानापन्न भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Hukam Chand Kachwai : It appears from the statement of the hon. Minister that he is not aware of the actual position. He has simply conveyed the information that had been given to him by officers. The signalling machines play an important role in speeding up the Railway traffic, but in experienced and untrained persons have been posted in the Department. They cannot handle machines properly, in consequence where any machines get out of order resulting in a substantial loss to the Railways. Raw hands have been recruited in lower grade. The hon. Minister says that they are working in the grade of Rs. 110 and Rs. 130, whereas their grade should be of Rs. 180 and Rs. 212. They are doing the same work but are being paid less. I would like to know whether efforts will be made to remove this disparity ?

श्री के० हनुमन्तैया : जहाँ तक इन नियुक्तियों का संबंध है इसमें कोई विसंगति नहीं है, क्योंकि बोर्ड के पास इस संबंध में पूर्ण अधिकार हैं। किन्तु माननीय सदस्य को यह शंका है कि इस संबंध में कुछ अन्याय किया गया है। मैं इस विषय पर उनसे निजी रूप में चर्चा करूंगा और यह देखने का यत्न करूंगा कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है।

श्री पीलू मोदी : यह कोई निजी मामला नहीं है।

श्री के० हनुमन्तैया : यह वेतन एवं भत्तों से संबंधित सामान्य मामला है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं कि मैं इसके बारे में उनसे यहाँ चर्चा करूं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has said that two persons have not qualified in the test for promotion but still they are holding the jobs. I wish to know that when these persons are not competent enough to hold the job, why are they allowed to hold on the jobs ?

Many imported machines are being spoiled due to mishandling by untrained hands and Railways are suffering huge loss. I want to know whether Government propose to start some training classes in this regard so that machines are handled only by competent persons and when competent persons will work on these machines, naturally they will get the scale of Rs. 180 and Rs. 212.

श्री के० हनुमन्तैया : हम केवल योग्य व्यक्तियों की ही नियुक्ति करते हैं। कई बार व्यवहारिक ज्ञान वाले व्यक्ति भी अन्य लोगों की भाँति दक्ष सिद्ध होते हैं। यदि माननीय सदस्य को कहीं विसंगति दीखती है तो मैं इस मामले पर उनसे अलग बात करूंगा तथा उनकी समस्या दूर करने का यत्न करूंगा।

Shri Chandrika Prasad : The hon. Minister says that it is not such an important matter. The signalling machines have a special significance in the matter of Railway accidents. Therefore, it is an important department. The system of appointing inefficent hands on lower grade is not proper. I want an assurance from the hon. Minister that workers will only be posted in this appropriate grade.

श्री पीलू मोदी : इस बारे में अलग से बात कब होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री महोदय और माननीय सदस्य का निजी मामला है। मेरा संबंध केवल इस सदन के अन्दर होने वाली चर्चा से है।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय ने इस संबंध में सदन में आश्वासन दिया है।

श्री के० हनुमन्तैया : मैं इस मामले पर उनसे निजी रूप में बात करूंगा। यह बेहतर होता यदि माननीय सदस्य इन मामलों पर सबके सामने चर्चा करने की बजाय मेरे साथ निजी रूप से बात करते। उन्होंने जिन प्रश्नों को उठाया है उनके उत्तर मैं अलग से उन्हें दे दूंगा।

Extension of Nagda-Ujjain Shuttle upto Mhow

* 750. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the survey work regarding the extension of Nagda-Ujjain shuttle upto Mhow has commenced; and

(b) if so, the time by which it is likely to be completed ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय इन्दौर से मऊ तक बड़ी लाइन के विस्तार से है। इस लाइन के सर्वेक्षण के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

(ख) 31-12-1972 तक सर्वेक्षण-कार्य के पूरा हो जाने की सम्भावना है।

Shri Phool Chand Verma : I want to know from the hon. Minister the time by which Nagda-Ujjain shuttle will be extended upto Mhow. In case the Indore-Mhow metre gaug line is converted into broad gauge, will the Government be prepared to run Nagda-Ujjain shuttle upto Mhow ?

श्री के० हनुमन्तैया : यह माननीय सदस्य द्वारा दिया गया एक सुझाव है।

Shri Phool Chand Verma : My other question is that Nagda-Ujjain shuttle halts for long at Ujjain after starting from Nagda. I want to know till the survey work continues and Indore-Mhow line is not converted into broad gauge whether there is any proposal to run Nagda-Ujjain shuttle upto Indore ?

श्री के० हनुमन्तैया : जी नहीं।

Shri Phool Chand Verma : This shuttle halts for long at Ujjain. What is the difficulty in running it upto Indore ?

वर्ष 1972 में निर्यात बढ़ाने के लिए प्रस्तावित व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल

*751. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में निर्यात बढ़ाने के लिए कितने व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल विदेशों को भेजने का विचार है;

(ख) वे किस-किस देश का दौरा करेंगे; और

(ग) क्या उक्त प्रतिनिधिमंडलों में व्यापार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) विदेशी सरकारों के साथ व्यापार करारों/संलेखों के बारे में बातचीत करने, उनका नवीकरण करने अथवा उनकी अवधि बढ़ाने के लिए वर्ष 1972 के दौरान विदेशों में सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजने की इस समय छः प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं ।

(ख) सूडान, दक्षिण कोरिया, जर्मन संघीय गणराज्य, स्विटजरलैंड, हंगरी, पोलैंड, रूमानिया तथा बल्गारिया ।

(ग) जी नहीं ।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे प्रतिनिधिमंडलों में कौन से अधिकारी भेजे जाएंगे तथा उसका गठन कैसा होगा ? इन प्रतिनिधिमंडलों के भेजने पर कितना खर्चा आएगा तथा देश को इससे क्या लाभ पहुँचेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : चूंकि यह प्रतिनिधिमंडल व्यापार समझौतों के संबंध में भेजे जा रहे हैं, अतः यह केवल सरकारी प्रतिनिधिमंडल होंगे । इनके अन्तर्गत उन अधिकारियों को रखा जाएगा जिनका उन देशों के साथ सम्पर्क है, जैसाकि आप जानते हैं विभिन्न देश विभिन्न ज़ोनों में बँटे हुए हैं और उन ज़ोनों के प्रभारी अधिकारियों को अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले विभिन्न देशों को भेजा जाता है । इन पर होने वाले खर्चे के संबंध में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि दो तीन अधिकारी प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल के साथ जाते हैं ।

श्री एस० एन० मिश्र : मैंने दो अन्य प्रश्न भी पूछे हैं । मेरे प्रथम अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन प्रतिनिधिमंडलों के भेजने पर कितना खर्चा आएगा तथा इससे देश को क्या लाभ पहुँचेगा ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह प्रश्न प्रतिनिधिमंडलों के लौटने के उपरांत पूछना चाहिए ।

श्री एस० एन० मिश्र : यही कारण है कि हमें खर्चे का कोई अनुमान नहीं होता ।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : क्या महिलाओं को भी इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल किया जाएगा क्योंकि महिलाएँ कुछ मदों का सबसे अधिक उपभोग करती हैं

एक माननीय सदस्य : महिलाएँ उत्तम विक्रेता होती हैं ।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : निश्चय ही यह उत्तम विक्रेता होती हैं क्योंकि वह कुछ वस्तुओं के प्रति विदेशी महिलाओं के मन में रुचि उत्पन्न कर सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय: : सौंदर्य प्रसाधनों तथा अन्य ऐसी वस्तुओं के संबंध में उन्हें प्रतिनिधि-मंडल में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय का कहना है कि व्यापारिक प्रतिनिधियों को इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा किन कारणों से किया जा रहा है। अधिकारी वर्ग सम्पूर्ण व्यापारिक गतिविधियों से परिचित नहीं होता। मंत्री महोदय ने व्यापारिक प्रतिनिधियों को इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल करने के प्रस्ताव को किन कारणों के आधार पर अस्वीकार कर दिया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : दो प्रकार के प्रतिनिधिमंडल विदेशों को भेजे जाते हैं। इनमें से एक सरकारी होते हैं और दूसरे गैर-सरकारी। यह प्रश्न सरकारी प्रतिनिधिमंडलों के बारे में है अत: इसमें केवल सरकारी अधिकारी ही भेजे जाएँगे।

श्री के० लकप्पा : नौकरशाही यहाँ तक बढ़ गई है कि निर्यात-वृद्धि के मामले में भी देश को बहुत हानि उठानी पड़ी है। और इसके मुकाबले में आयात बढ़ा है। इसे रोकने के लिए अन्य देशों को और मंत्री महोदय के अनुसार समाजवादी देशों को सरकारी प्रनिनिधिमंडल भेजने से पूर्व किन वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं पर विचार किया गया है जिनके बारे में प्रतिनिधि-मंडल वहाँ उनके प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करेंगे।

श्री एल० एन० मिश्र : यह तो वस्तुओं पर निर्भर है। उदाहरण के लिए आप ईरान से वही वस्तुएँ नहीं ले सकते जो सऊदी अरब से ले सकते हैं। अत: वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री के० लकप्पा : अत: आप इन्हें बिना उद्देश्य ही भेज रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ और इसके लिए आपकी सहायता चाहता हूँ। मैंने विशेष रूप से पूछा था कि ये प्रतिनिधिमंडल संगठित करने से पूर्व मंत्रालय द्वारा किन वस्तुओं की निर्यात संभावनाओं पर विचार किया जाता है और यदि ऐसा कर लिया गया है तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : प्रतिनिधिमंडल की सूची तैयार करने से पूर्व हम यह देखते हैं कि संबंधित देशों के साथ हमारे आयात-निर्यात की क्या स्थिति है और इसके बाद हम आपसी आवश्यकताओं के बारे में निर्णय लेते हैं। इसके बाद एक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार किया जाता है और अधिकारियों को इस विषय में जानकारी दी जाती है। प्रत्येक देश के लिए एक-एक शाखा है और प्रत्येक शाखा का प्रभारी एक अधिकारी होता है। यदि आवश्यक होता है तो वरिष्ठ अधिकारी इस प्रतिनिधिमंडल के साथ जाते हैं और अन्तिम चरण में यदि आवश्यक हो तो मंत्री भी जाते हैं।

Shri R. R. Sharma : Did such delegation go abroad in 1968-69 and 1970 also ? If so, whether such visits were useful to the country ?

Mr. Speaker : The question relates to proposed delegation in 1972. He may ask about this aspect only.

Shri R. R. Sharma : Government must be aware of the assessment of such visits ?

Mr. Speaker : If he wants any additional information he may give a separate notice thereof.

Expenditure on Gandak Project

* 752. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to states :

(a) the total expenditure incurred on Gandak Project so far;

(b) the extent of work completed and the extent thereof which has yet to be completed;

(c) whether he has made any suggestion to Government of Bihar for making an assessment of the work done on Gandak Project; and

(d) the extent to which this suggestion has been implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The total expenditure incurred on Gandak Project in Bihar and Uttar Pradesh is about Rs. 128 crores. The Gandak Barrage has been completed. In the Eastern Canal System, work of Don Branch Canal and Tirhut main canal and its branches upto R. D. 653 are completed. Balance work is in progress. The main Western canal in Nepal Territory has been completed, while that in Uttar Pradesh Territory is nearing completion. Work on the Saran canal has made good progress. Work is also in progress on the smaller channels of the distribution system.

Irrigation potential created so far is about 1·6 lakh hectares (4 lakh acres) in Bihar, 0·67 lakh hectares (1·7 lakh acres) in Uttar Pradesh, out of total potential of 11·51 lakh hectares (28·45 lakh acres) in Bihar and 3·32 lakh hectares (8·2 lakh acres) in Uttar Pradesh.

At the suggestion of the Government of India, the Government of Bihar has appointed a high power Technical Committee to review the project functioning; to draw up a phased programme for the works needed to expedite accrual of irrigation benefits and to suggest the measures needed to tackle drainage, congestion and water logging. The report of the Committee is expected to be finalised in a month or two.

Shri Bibhuti Mishra : Sir, the Statement mentions the total expenditure on Gandak Project amounting to 128 crores of rupees and the irrigation potential created in Bihar is of about 4 lakh acres where as in U. P., it is 1·7 lakh acres. The hon. Minister had stated here during the last Session that an Evaluation Committee is proposed to be set up to examine whether this amount was actually spent thereon but he has not said any

thing in this regard. I want to know whether in pursuance of his assurance, such a Committee is proposed to be set up or not ?

Secondly, I want to know whether farmers are being given the benefits of irrigation potential. So created and whether they would get adequate water for irrigation for raising two crops a year in view of proposed land ceiling ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : गंडक परियोजना पर हुए 120 करोड़ रुपये के भारी व्यय के अनुरूप सिंचाई क्षमता का निर्माण नहीं किया जा सका, यह हम स्वीकार करते हैं। मूल्यांकन समिति बनाने के बारे में केन्द्र की सलाह से बिहार सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए मेरे वचनानुसार ऐसी एक समिति बनाई है।

मैं समिति से विभिन्न बातों की जाँच किए जाने और 2-3 मास में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने की आशा करता हूँ। हम चाहते हैं कि सिंचाई की क्षमता बढ़े। बिहार में उत्पन्न 4 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता के स्थान पर वास्तविक सिंचाई एक लाख एकड़ से भी कम भूमि की होती है। इसीलिए हमें गंडक परियोजना के बारे में खेद है। किसी कारण से हम वांछनीय प्रगति नहीं कर पाये। यह समिति इन्हीं विभिन्न कारणों का पता लगायेगी और इस संबंध में सुझाव देगी।

Shri Bibhuti Mishra : I wanted to know whether the Evaluation Committee will be set up or not ? This has not been answered.

डा० के० एल० राव : जैसा मैंने पहले कहा, विफलता का कारण व्यय और क्षमता का संगत न होना है। हमें तो यह पता लगाना है कि क्या व्यय इस प्रकार नहीं किया जा सकता था जिससे क्षमता बढ़ाई जा सकती। इस विफलता का एक कारण यह है कि पीछे किया जाने वाला कार्य पहले किया गया जैसे सारन में नहरों की खुदाई का अन्तिम चरण पहले पूरा किया जाना।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether Government wants to appoint its own technicians in Gandak Project, if so, when and when they would take up the work in view of approaching irrigation time to avoid water logging, or whether the technician of Bihar Government would continue to work there ?

Secondly, when the Gandak Project would be completed ? Has the centre fixed a target date therefor ?

डा० के० एल० राव : यह ठीक है कि पूर्वी नहर में पानी जमा हो जाने की समस्या अधिक गंभीर है और इसीलिए 220 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कथनों में इस कार्य का भी उपबन्ध है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में यह परियोजना 1974 तक पूरी होने का लक्ष्य है परन्तु बिहार क्षेत्र में यह कार्य चौथी योजना के बाद तक चलता रहेगा।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या मंत्री महोदय ने उसी तकनीकी समिति का उल्लेख किया है जो हाल ही में गंडक परियोजना क्षेत्र के दौरे पर आई थी ? यदि यह समिति वही है तो क्या इसे संसद-सदस्यों, विधायकों और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए अतिरिक्त जल के लिए

निकासी नहरों और इन नहरों पर पैदल-पुल बनाने संबंधी अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ?

डा० के० एल० राव : यह वही समिति है और यह इन अभ्यावेदनों पर विचार करके ही अपनी रिपोर्ट देगी ? मुझे आशा है कि उसकी रिपोर्ट 1-2 मास में मिल जायेगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्योंकि गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को लाभ होगा, अतः दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति क्यों नहीं बनाई गई ?

डा० के० एल० राव : यही तो किया गया है । इस समिति में उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रतिनिधि हैं और इसके सभापति उत्तर प्रदेश के एक बहु विख्यात इंजीनियर हैं ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को फिल्मों का निर्यात

*756. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय फिल्मों के निर्यात को नियंत्रित करने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). सिद्धांत रूप में हमने निर्यात व्यापार सरकारी क्षेत्र में लेने का विनिश्चय कर लिया है । केवल ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

श्री पी० गंगादेव : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या राज्य व्यापार निगम उक्त निर्यात स्वयं करेगा अथवा निर्यात कुछ अन्य एजेंसियों के माध्यम से किया जायेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : आई० एम० पी० ई० सी०, जो राज्य व्यापार निगम द्वारा नियंत्रित है, यह कार्य कर रही है लेकिन इसका कार्य आशानुकूल नहीं रहा है । यह संभव है कि हम इसके लिए एक स्वतंत्र संगठन बनायें ।

श्री पी० गंगादेव : क्या सरकार का विदेशी फिल्म आयातकर्त्ताओं से भारत से फिल्म आयात करने के बारे में कोई समझौता हुआ है, यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमने कुछ देशों में इस संबंध में प्रबन्ध किया है लेकिन मुख्य देश अमरीका है और दुर्भाग्य से जुलाई के बाद उससे हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है । हम समझौता करने को उत्सुक हैं, हम अमरीका से भी समझौता करना चाहते हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डे : गत वर्ष दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों को निर्यात की गई फिल्मों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

श्री एल० एन० मिश्र : वर्ष 1970-71 में हमें 5,08,00,510 रुपये प्राप्त हुए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या पुरस्कार विजेता फिल्मों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भेजा गया है और क्या उनमें तमिल, बंगाली अथवा अन्य भाषाओं में बनी फिल्में शामिल हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस प्रश्न के लिये मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्हें इस बात के लिए नोटिस चाहिए कि क्या पुरस्कार विजेता फिल्मों का निर्यात किया जा रहा है ?

श्री एल० एन० मिश्र : पुरस्कार विजेता फिल्मों का निर्यात किया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में अधिक आकर्षक होती हैं और उनके ग्राहक अधिक हैं और वे विदेशों में जाती हैं । लेकिन वह बंगाली, तमिल और अन्य भाषाओं के बारे में जानना चाहते हैं । इसके लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है ।

Allotment of Railway Land to S. C. and S. T. for Agricultural Purposes

*757. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to distribute the land adjoining railway lines for agricultural purposes;

(b) if so, the percentage of the land reserved for distribution among land-less persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(c) the percentage of land actually allotted to the said communities so far ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेलवे की कृषि-योग्य भूमि का लाइसेंस जिसकी रेलवे के निर्माण-कार्य के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं हो, कृषि कार्य के लिए दिया जा सकता है ।

(ख) इस प्रकार की भूमि का लाइसेंस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को देने के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : At the time of presenting the Railway Budget, the Railway Minister had announced that the land available on both the sides of railway tracks would be given for cultivation. Perhaps he might have taken the estimate of the land available for distribution from his own Ministry or the Railway Board. I want to know whether he will take the House into confidence in this regard.

श्री के० हनुमन्तैया : जी, हाँ । रेलवे की कुल 1,17,356 एकड़ फालतू कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : What will be the procedure for getting this land

cultivated ? I want to know whether the Railway Ministry will do cultivation work also in addition to running trains or a separate Corporation will be set up for this purpose or this land will be distributed amongst the people ? If the land is to be distributed, it should be distributed amongst the Harijans and Adivasis and there should not be any difficulty in taking a decision in this matter.

श्री के० हनुमन्तैया : कठिनाई माननीय सदस्य को है मुझे नहीं। प्रश्न स्पष्ट है। रेल की पटरी के दोनों ओर की भूमि को अधिकांश लोग नहीं लेना चाहते क्योंकि यह मीलों तक बहुत कम भूमि है। अतः अधिकांश गैंगमैनों से इस कार्य को करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : भूमि की अधिकतम सीमा कितनी होगी ?

श्री के० हनुमन्तैया : रेलवे भूमि ही सीमा है। एक निगम अथवा इसी प्रकार की संस्था की स्थापना कर मैं इस उद्यम के लिये धनराशि खर्च नहीं करना चाहता। इससे रेलवे को और वित्तीय हानि होगी। मेरा प्रस्ताव यह है कि सर्व प्रथम इस भूमि को गैंगमैनों को दे दिया जाये जो हमेशा रेल की पटरी के साथ रहते हैं अथवा उन लोगों को दे दिया जाये जिनकी भूमि इससे लगी हुई है। यदि कोई अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति किसी विशेष भूमि के टुकड़े के लिए आवेदन करेगा तो मैं उसे प्राथमिकता दूंगा।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : उक्त भूमि का वितरण रेलवे विभाग द्वारा किया जायेगा अथवा इसके वितरण का कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया जायेगा ? दूसरे, क्या सरकार ने भूमि के वितरण के बारे में कोई सिद्धान्त अथवा कोई नियम बनाये हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : यह कार्य राज्य सरकारों को नहीं सौंपा जायेगा। यह कार्य रेलवे प्रशासन द्वारा किया जायेगा। उक्त भूमि का वितरण करने के लिए पहले ही नियम हैं और उनका पालन किया जायेगा।

Shri Sarjoo Pandey : There is large scale corruption in the distribution of land along the railway track. I have got personal experience in this matter. They allot land after accepting bribe. I want to know whether some rules will be framed in this regard so that the poor people in particular could get the land ? Nowadays the land are being distributed amongst the big people.

अध्यक्ष महोदय : ये सब सुझाव हैं।

श्री के० हनुमन्तैया : मैं तो केवल यह कह सकता हूँ कि ये बहुत उपयोगी सुझाव हैं।

श्री माधुर्य्य हालदार : हमारा यह अनुभव है कि जब भी रेलवे पटरी के दोनों ओर की कृषि योग्य भूमि रेलवे कर्मचारियों, विशेषकर स्टेशन मास्टरों, टिकट कलेक्टरों, और गैंगमैनों को दी जाती है, भूमि को प्रतिवर्ष लगभग 100 से 125 रुपये बीघा की ऊँची दर से स्थानीय किसानों को फिर से पट्टे पर दे दिया जाता है। मंत्री महोदय का यह कहना कि स्थानीय लोग भूमि को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, सच नहीं है। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह उक्त भूमि को स्थानीय किसानों को देने के इच्छुक हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गैंगमैन, निकटवर्ती भूमि के मालिक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को खेती के लिए उक्त भूमि देने की अनुमति दी जायेगी।

Shri Mohd. Jamilurrahman : I want to know as to what will be the policy of the Government towards the landless people living near Railway tracks, whether they be Scheduled Caste/Tribe people or not ?

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य इस भ्रम में हैं कि मैं किसी विशेष व्यक्ति को भूमि का वितरण कर रहा हूँ। यह तो केवल पट्टे पर दी जाती है। यह किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती।

श्री जी० विश्वनाथन : सरकार द्वारा उक्त भूमि को पहले से ही कृषि कार्य में लगे लोगों को न देकर गैंगमैनों को वितरित करने का निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यदि कुछ ऐसे लोग इसके लिए आवेदन करते हैं तो मैं उनको प्राथमिकता दूँगा।

श्री जी० विश्वनाथन : इस बारे में क्या सिद्धान्त हैं ? ऐसी भूमि को उन लोगों में वितरण करने के क्या कारण हैं जिन्हें कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जो कृषि कार्य में रुचि नहीं रखते ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत सरल प्रश्न है। इसके लिए क्या सिद्धान्त अपनाया गया है ?

श्री के० हनुमन्तैया : इसमें ऐसा कोई सिद्धान्त निहित नहीं है जिससे माननीय सदस्य के विचार को ठेस पहुँचे। मुख्य उद्देश्य भूमि पर खेती कराना है और जो कोई भूमि पर खेती करने के लिए आवेदन करेगा हम उसे भूमि दे देंगे (**व्यवधान**)। सीधी बात यह है कि भूमि इतनी कम है कि अनेक लोग भूमि पर खेती करने के लिए आवेदन नहीं करते। यदि भूमिहीन व्यक्ति खेती के लिए आवेदन करते हैं तो हम उन्हें निःसंदेह भूमि देंगे। यदि भूमिहीन अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्ति भूमि के लिए आवेदन-पत्र देते हैं, तो मैं उनके आवेदन-पत्रों पर निःसंदेह विचार करूँगा (**व्यवधान**)।

राज्यों की विद्युत ग्रिड प्रणालियों को परस्पर जोड़ने की योजना

*758. **श्री वेकारिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य-विद्युत ग्रिडों को, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र के महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और मध्य प्रदेश राज्यों में विद्यमान ग्रिडों को परस्पर जोड़ने की कोई व्यावहार्य योजना बनाने का है जिससे उन राज्यों को संपूर्ण विद्युत उत्पादन क्षमता को एक साथ मिलाकर उसका सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य विद्युत प्रणालियों को आपस में जोड़ने और उनको एक बनाने का विचार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है और समेकित क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है । अनेक अंतर्राज्यिक पारेषण लाइनों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है ताकि राज्यों के बीच विद्युत की आपसी अदला-बदली की जा सके और ग्रिड-प्रणालियों का प्रचालन किया जा सके । देश के पाँचों क्षेत्रों में से प्रत्येक में राज्य विद्युत प्रणालियाँ एक-दूसरे से संबद्ध कर दी गई हैं । समय-समय पर प्रणाली प्रचालन, प्रत्याशित भार-माँगों, विभिन्न भौगोलिक स्थानों में विद्युत-जनन क्षमता को प्रस्तावित अभिवृद्धियों के संबंध में अध्ययन सहित विस्तृत तकनीकी अध्ययन किए जाते हैं और अतिरिक्त अंतर्राज्यिक/अंतर्क्षेत्रीय लाइनों का निर्माण किया जा रहा है । चौथी योजना की अवधि के दौरान, राज्य योजना के आबंटनों से बाहर केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत इन लाइनों के निर्माण के लिए धन का प्रावधान किया जा रहा है। इसलिए कि क्षेत्रों में विद्युत प्रणालियों का समेकित प्रचालन किया जा सके, चार क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है । ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए कलवा में, उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली में, पूर्वी क्षेत्र के लिए हावड़ा में और दक्षिणी क्षेत्र के लिए बंगलौर में होंगे । अधिकांश मामलों में राज्य भार प्रेषण केन्द्रों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है और अन्य राज्यों को भी अपने अनुसार इसी का अनुसरण करना है । क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना प्रत्येक प्रणाली की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुसार चरणबद्ध की जा रही है और जैसे-जैसे प्रणाली का विकास होता जाएगा, स्वचालित नियंत्रण सहित अनुश्रवण और नियंत्रण के लिए अधिक आधुनिकतम उपकरण और सुविधाओं का प्रतिष्ठान उत्तरोत्तर किया जाएगा । प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रिड के विकसित होने और एक समेकित ढंग से इसके प्रचालन से विविध विद्युत प्रणालियों में विद्युत-जनन और पारेषण सुविधाओं का अधिकतम समुपयोजन किया जा सकेगा ।

पश्चिमी क्षेत्र : महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की विद्युत प्रणालियां एक दूसरी से जुड़ी है । गुजरात और महाराष्ट्र प्रणालियां तारापुर परमाणु विद्युत् केन्द्र से होकर 220 के० वी० की लाइन के जरिए एक दूसरी से जुड़ी हैं और इस लाइन के होने से महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्य तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र से विद्युत ले सकते हैं । मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र विद्युत प्रणालियां मध्य प्रदेश में चांदनी को महाराष्ट्र में भुसावल से जोड़ने वाली 132 के० वी० लाइन के एक दोहरे सर्किट से होकर आपस में एक दूसरी से जुड़ी हैं । महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से इसी लाइन से होकर विद्युत लेता रहा है । इस समय महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में विद्युत प्रणालियों का प्रचालन संघटक यूनिटों के अधिकतम लाभ तक एक अंतःसम्बद्ध तरीके से हो रहा है और राज्य विद्युत प्रणालियों के बीच विद्युत-विनिमय में एक-दूसरी को जोड़ने वाली ये लाइनें बहुत उपयोगी हैं । गोआ 33 के० वी० की एक लाइन के जरिए महाराष्ट्र से विद्युत की सप्लाई प्राप्त कर रहा है ।

अंतः सम्बद्ध संपर्क भी हैं। पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्र में मैसूर कोल्हापुर

को बेलगाम से जोड़ने वाली 220 के० वी० लाइन के जरिए एक-दूसरे से जुड़े हैं। गोआ 110 के० वी० की एक लाइन के जरिए मैसूर प्रणाली से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश भी एक-दूसरे से जुड़े हैं।

बम्बई के निकट कलवा में क्षेत्रीय भार प्रेषक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि क्षेत्र में विद्युत प्रणालियों का प्रचालन एक समेकित ढंग से किया जा सके। संघटक प्रणालियों और पड़ोसी क्षेत्र के बीच विद्युत के विनिमय को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित अतिरिक्त अंतर्राज्यिक/अंत: क्षेत्रीय पारेषण लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव है :

(1) **अंतर्राज्यिक लाइनें** :

सतपुड़ा (मध्य प्रदेश)–अम्बाजारी (महाराष्ट्र) 220 के० वी० लाइन
नवसारी (गुजरात)--नासिक (महाराष्ट्र) 220 के० वी० लाइन
बड़ौदा (गुजरात)–बुड़वाहा (मध्य प्रदेश) 220/400 के० वी० लाइन
कनकावली/कोल्हापुर (महाराष्ट्र)–पोंडा (गोआ) 110/220 के० वी० लाइन।

(2) **अंत:क्षेत्रीय लाइनें** :

नरोदा (गुजरात–उदयपुर (राजस्थान) 220 के० वी० लाइन
बेलगाम (मैसूर)–कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 220 के० वी० लाइन (दूसरे सर्किट का तार खींचना)
रिहन्द (उत्तर प्रदेश)–अमरकण्टक (मध्य प्रदेश) 132 के० वी० लाइन (दूसरे सर्किट का तार खींचना)
इटारसी (मध्य प्रदेश)—कोटा (राजस्थान) 220 के० वी० लाइन।

Shri Vekaria : There are separate electricity board in different states. When there is a shortage of electricity in one state it has its bad effect on industries and cultivation. I want to know whether Government have started any negotiation with those four States to solve the problem of scarcity of power and if so, what are the results thereof ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : अधिकांश राज्यों में, केवल आंध्र प्रदेश को छोड़कर, यह कमी 10 प्रतिशत से कम हो गई है। केवल आन्ध्र प्रदेश में यह कमी 20 प्रतिशत की है। भारत सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में विद्युत का विनिमय करने के बारे में प्रबन्ध करने में प्रयत्नशील है।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि ऐसी स्थिति में जब एक राज्य सरकार तापीय बिजली उत्पादन करने और अतिरिक्त क्षमता पैदा करने की इच्छुक नहीं है तो क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करेंगे और यदि अन्य बातें अनुकूल हों और न्यायोचित हों तो वह अपना विद्युत संयंत्र स्थापित करेंगे ?

डा० के० एल० राव : बिजली घर साधारणतया राज्य सरकारों द्वारा स्वयं स्थापित किए

जाते हैं। केवल ऐसे ही कुछ अपवादपूर्ण मामलों में जब एक से अधिक राज्य संबंधित हों और विशेष विचार का मामला हो तभी केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करती है। उदाहरण के तौर पर हमने दिल्ली में उपरी क्षेत्र को सहायता देने के लिए बदरपुर बिजली घर की स्थापना की है। बिजली घरों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार के पास अन्य विशेष कारण होने चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai : In answering a question the hon. Minister has stated that efforts are being made to enforce the same power rate in all the States. I want to know the steps taken by the Government in this direction ? In some States, the rates of power are very high due to shortage of power. Government is establishing big power stations and atomic power centres. I want to know whether the rate of power will be reduced after the work will be started in them ?

डा० के० एल० राव : वर्तमान स्थिति में सभी राज्यों को बिजली समान मात्रा में और समान दरों पर सप्लाई करना सम्भव नहीं है। ऐसा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करनी होगी। आशा है उक्त लक्ष्य हम दस वर्ष बाद प्राप्त कर लेंगे।

Shri Hukum Chand Kachwai : Mr. Speaker, no reply has come. The Hon. Minister has stated that he was making efforts in such a way as to make the rates uniform. I want to know what efforts he is making to make the rates uniform in the States.

डा० के० एल० राव : इस समय प्रयास यह किये जा रहे हैं कि भारत सरकार राज्य की योजना से बाहर अन्तर्राज्यिक लाइनों के लिए धन की व्यवस्था कर रही है ताकि अखिल भारतीय विद्युत ग्रिड की स्थापना को प्रोत्साहन मिल सके।

इसके अतिरिक्त, हम यह जाँच कर रहे हैं कि क्या विद्युत का उत्पादन, जिस पर अब अधिक व्यय होगा, केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में होना चाहिए।

इनकी जाँच की जा रही है और इस संबंध में आगे निर्णय पाँचवीं योजना की अवधि में लिए जायेंगे।

श्री डी० डी० देसाई : राज्यों को आपस में मिलाने के लिए बरवाहा-बड़ौदा और उदयपुर-अहमदाबाद लाइनों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

डा० के० एल० राव : इन पर विचार सही अनुमान लागत मिलने पर किया जायेगा ?

श्री प्रभुदास पटेल : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि इन चार राज्यों में से किस राज्य में विद्युत की अधिकता है और किन राज्यों में इसकी कमी है तथा सरकार इसके लिए क्या ठोस कार्यवाही कर रही है ?

डा० के० एल० राव : देश में विद्युत की बड़ी कमी है। मैं कह नहीं सकता कि किसी विशेष राज्य में विद्युत की अधिकता है। मध्य प्रदेश में विद्युत की कुछ अधिकता है जो कि केवल दस या बीस लाख यूनिट है। इसी प्रकार मैसूर और केरल ऐसे दो राज्य हैं जहाँ कुछ मात्रा में विद्युत की अधिकता है परन्तु समूचे रूप में, देश में विद्युत की बड़ी कमी है। विशेषकर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बिजली की भारी कमी है और यह चिन्ता का विषय है।

पोलिस्टर फिलामैन्ट यार्न के लिए आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना

*759. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1972 के 'फाइनेन्शियल एक्सप्रेस' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पोलिस्टर फिलामैंट यार्न के आयात के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को लाइसेंस जारी किए गए हैं जोकि इसके वास्तविक प्रयोक्ता नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक ऐसे कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं और वे कितने मूल्य के हैं;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात का दुरुपयोग न हो सरकार ने क्या तरीके निकाले हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार लाइसेंस जारी करने का अर्थ अब तक चली आयी उस प्रथा को त्याग देना है जिसके अंतर्गत वास्तविक प्रयोक्ताओं को कपड़ा आयुक्त की सिफारिश पर ऐसे लाइसेंस जारी किए जाते थे और यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (घ). प्रश्नाधीन समाचार के संबंध में सरकार को सूचना मिल चुकी है। जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं चाहता हूँ कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। मेरे प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया गया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री महोदय मुझे बतायें कि क्या वे इस विषय पर अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करेंगे ताकि सूचना एकत्रित की जा सके और सभा में प्रश्न पर विचार किया जा सके ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार के बारे में है और हमने इसको देखा है। चूंकि यह उपभोक्ता लाइसेंस से संबंधित है अतएव इस बारे में सूचना एकत्रित करनी है। हमने माइक्रोन से लिए लाइसेंस जारी नहीं किये हैं। अतएव यह सूचना एकत्रित करके सभा पटल पर रखी जायेगी। यदि माननीय सदस्य बाद में इस पर चर्चा करना चाहते हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

तोरसा नदी के दोनों किनारों की सुरक्षा के लिए योजना

*760. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने तोरसा नदी के दोनों किनारों की सुरक्षा की उस योजना को जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने भेजा था अंतिम रूप से मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ होगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से नवम्बर, 1971 में तोरसा नदी के दोनों किनारों पर तटबंधों के निर्माण के लिए 5·8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक स्कीम प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में इसकी जाँच की गई थी और राज्य सरकार को दिसम्बर, 1971 में टिप्पणियाँ भेज दी गईं। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह मॉडल अध्ययन करने के बाद स्कीम को अंतिम रूप दे दे। राज्य सरकार से संबंधित स्कीम अभी प्राप्त होनी बाकी है।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय के वक्तव्य से लगता है कि राज्य सरकार से 5·8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना प्राप्त हुई है।

इस योजना की पुनः जाँच के लिए राज्य सरकार को क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : किन बातों की पुन: जाँच करने के लिए ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : यह योजना सदा की भाँति केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेजी गयी है। उन्हें इसमें कई कमियाँ दिखी हैं, उन्होंने कहा है कि पहले इसका मॉडल अध्ययन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार नदी के प्रस्तावित तटबंधों की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है और तटबंधों को थोड़ा दूर होना चाहिए था। इसी प्रकार कुछ इंजीनियरिंग संबंधी आपत्तियाँ उठाई गई हैं और उत्तरी बंगाल नियंत्रण बोर्ड को इन आपत्तियों का निराकरण करके अनुमानों को वापिस भेजने के लिए कहा गया है।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधित योजना में उन्होंने 5·8 करोड़ रुपयों के व्यय की स्वीकृति दी है अथवा उसमें कोई परिवर्तन किया गया है ?

डा० के० एल० राव : यह धन का प्रश्न नहीं है अपितु निर्माण के लिए एक सुरक्षित डिजाइन बनाने का प्रश्न है। हम केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की टिप्पणियों से संबंधित उत्तरी ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के उत्तर तथा अनुमानित लागत को शीघ्र पुनः प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

युवकों की समस्या

*721. **श्री श्रीकिशन मोदी** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के युवकों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने कुछ योजनायें बनाई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सरकार ने कुछ योजनायें तैयार/शुरू की हैं जिनके संबंध में यह आशा की जाती है कि देश के युवकों के लिए लाभकारी होंगी।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा है।

विवरण

युवकों की समस्यायें, चाहे वे विद्यार्थियों की हों या उन लोगों की हों जिन्होंने अपनी शिक्षा यथाविधि पूरी करली है, एक जटिल व्याकुलता का लक्षण है जो आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कारणों से उत्पन्न होता है। विभिन्न वर्गों से संबंधित युवकों की जरूरतों पर विचार करते हुए सरकार ने कुछ योजनायें तैयार की हैं जिनसे यह आशा की जाती है कि ये योजनायें देश के युवकों के लिए हितकारी होंगी। इन योजनाओं की मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं :—

1. सरकार ने राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के सहयोग से डिग्री कक्षाओं के प्रथम दो वर्षों के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक तथा चयनात्मक आधार पर राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू की है जिससे उन्हें समुदाय की सेवा के योग्य बनाया जा सके।

2. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने के लिए 5 करोड़ रुपए के परिव्यय से युवकों की कुछ विशेष जरूरतों का पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें शामिल हैं :

(i) 170 जिलों में चुने हुए शहरी क्षेत्रों में खेल के मैदानों का विकास।

(ii) युवकों को स्वसेवायोजन की संभावनाओं के साथ विभिन्न व्यावसायिक निपुणताओं में प्रशिक्षित करने के हेतु, प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश को एक परियोजना आबंटित करते हुए कार्य केन्द्रों को स्थापित करना जिससे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे अपने आपको उत्पादक व्यवसाय में प्रतिष्ठित कर सकें।

(iii) विशेष निपुणता, स्कूल से बाहर शिक्षा, सतत शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के कार्यक्रम क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित करने के लिये जिसमें युवक भाग ले सकें, जिलों में नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना करना।

(iv) युवक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित सुविज्ञता उपलब्ध कराने के हेतु युवक नेताओं/कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण।

3. पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को जो युवक कल्याण कार्यकलापों में संलग्न हैं वित्तीय सहायता दी जा रही है।

4. शिक्षित बेरोजगारों तथा इंजीनियर और तकनीकज्ञों जैसे तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को स्व-सेवा योजन सुलभ कराने की दृष्टि से विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

30,000 प्राथमिक स्कूल अध्यापकों, 240 सहायक स्कूल निरीक्षकों तथा 1,000 कार्य अनुभव अनुदेशकों को नियुक्ति के हेतु राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी है।

5. सरकार उन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में राष्ट्रीय खेल-कूद संगठन कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है, जिनमें होनहार खलाड़ियों के हेतु व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं।

6. सरकार ने सिद्धान्त रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों के भाग लेने से संबंधित विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अभिशासन सहित गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, इन सिफारिशों को, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कानूनी प्रस्तावों का प्रतिपादन करते समय ध्यान में रखा है।

7. शिक्षाशास्त्रियों तथा छात्र नेताओं की समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार विश्वविद्यालय के परिसरों में कार्य कर रहे उन युवक तथा अन्य संगठनों की जाँच-पड़ताल करने के लिए जो साम्प्रदायिक तनावों में योगदान कर रहे हैं एक जाँच आयोग की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक संस्थानों में युवक कल्याण क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को आरम्भ किया है :—

(क) छात्र-अशान्ति के विभिन्न पक्षों के अध्ययन के हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए अनेक अनुसंधान परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(ख) आयोग ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन तथा अनुसंधान संचालित करने के लिए छात्रों की सहायतार्थ अनेक छात्रवृत्तियाँ प्रारम्भ की हैं।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि छात्रों की समस्याओं पर उनके आन्दोलनात्मक रूप लेने से पूर्व ही ध्यान दिया जाये, विश्वविद्यालयों में छात्र कल्याण के शाखाध्यक्षों (डीन) की नियुक्ति करना।

(घ) पुस्तक बैंक की स्थापना के हेतु कालेजों को अनुदान।

(ड) आवासीय क्षेत्रों में पाठ्यपुस्तक केन्द्रों की स्थापना।

सरकार ने छात्रों में स्वावलंबन तथा आत्म-निर्भरता की भावना उत्पन्न करने के लिए तथा गैर-शैक्षणिक समुदाय की सेवा करने के लिए शैक्षिक वर्ग को अवसर प्रदान करने के हेतु छात्र सेवा संस्थानों (मानक भवनों) की स्थापना भी की है।

Incentive for Vasectomy Operations

*722. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of Districts in Bihar in which the new scheme of giving more

incentive to vasectomy operations under the Family Planning programme has been introducсd and the outcome thereof;

(b) whether Government have not been able to achieve its target inspite of the said scheme for providing more incentives to the perso ns undergoing vasectomy operations and to those who bring such cases; and

(c) if so, whether Government have made any review in regard to the causes thereof and if so, the main features thereof and the remedical steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State for Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b). On an experimental basis, special vasectomy camps with additional incentives were organised in February, 1972 in two districts of Bihar which were extended to four more districts. Against the target of 30,000 vasectomy operations fixed for the two districts, the achievement in all these camps was 48,922.

(c) The whole question of mass camps is under examination.

नई अखिल भारतीय खेलकूद परिषद का गठन

*723. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के गठन को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हाँ।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

अध्यक्ष

1 जनरल पी० पी० कुमारमंगलम

सदस्य

(1) खिलाड़ी

1. श्री विजय मर्चेंट
2. मेजर ध्यान चंद
3. श्री मन्सूर अली खाँ
4. श्री बलवीर सिंह
5. श्री एस० मेवालाल
6. डा० टी० आओ

7. श्री आर० कृष्णन
8. श्री धौस मोहम्मद
9. श्री नन्दू नाटेकर
10. श्री मिहिर सेन
11. श्री मिलखा सिंह
12. श्री वी० एस० बरुआ
13. श्री भीम सिंह
14. श्रीमती आरती गुप्ता
15. श्री स्टेफी सीक्वीरा
16. श्री तेनजिंग नोरगे
17. श्री ए० पालानिचामी
18. डा० कर्णी सिंह

(2) खेलकूद प्रोत्साहक

19. श्री टी० डी० रंगा रामानुजम
20. श्री भैरव चंद्र मंहती
21. श्री वी० एम० काक
22. श्री आर० टी० पार्थसारथी
23. श्री जी० के० हांडू
24. श्री एम० आर० कृष्ण

(3) खेलकूद विषयक लेखक

25. श्री रोन हेंड्रिक्स

(4) शिक्षा शास्त्री

26. श्री जी० पार्थसारर्था
27. प्रो० चन्द्रन डी० एस० देवनेसेन
28. श्री एम० एन० कपूर

(5) संसद सदस्य

29 तथा 30. लोक सभा से दो सदस्य जिनको बाद में मनोनीत किया जायेगा।

31. राज्य सभा से एक सदस्य जिनको बाद में मनोनीत किया जायेगा।

(6) विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि

32. श्री महबूब अहमद।
33. नयाचार प्रमुख।

(7) सदस्य सचिव

34. श्री कान्ति चौधुरी,
संयुक्त सचिव,
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय।

केरल में चावड़ा-नीन्दाकारा जलमार्ग से गाद निकालने की योजना

*724. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चावड़ा नीन्दाकारा जलमार्ग से गाद निकालने की कोई योजना है;

(ख) क्या गाद निकालने का कार्य आरम्भ हो गया है और यदि हाँ, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या उक्त कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा हो जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जनवरी, 1972 में योजना को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने 30 मार्च, 1972 को अपेक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है । कार्य के प्रगति के बारे में कोई रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन इस समय किसी प्रगति रिपोर्ट की आशा करना बहुत जल्दी मालूम होता है ।

(ग) कार्य को चौथी योजना काल में पूरा करने का इरादा है ।

दिल्ली के अध्यापकों के लिए नए वेतनमान

*725. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दिल्ली के अध्यापकों (दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत) को वही सुविधाएँ प्रदान करने के लिए तीसरा वेतन आयोग नियुक्त करने का है जो सुविधाएँ समान वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : दिल्ली के अध्यापकों के लिए कोई पृथक वेतन आयोग नियुक्त करने का विचार नहीं है । दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमान हाल ही में परिशोधित किए गए हैं तथा ये वेतनमान उन आशोधनों के अधीन होंगे जिन पर निर्णय तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार करेगी । तृतीय वेतन आयोग की स्थापना पहले ही से सरकार द्वारा की जा चुकी है ।

Participation of Writers in World Book Fair Seminars and Camps

*726. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of the writers who participated in Literary Seminars and Writers' Camp held during the World Book Fair; and

(b) whether Hindi literary figures had boycotted the said Seminars and Camp, if so, the reasons therefor; and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Civilization (Prof. D. P. Yadav) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See* No. LT—1967/72].

अनुसूचित जातियों के लिए आवास योजनाओं के बारे में मंत्रालयों के बीच तालमेल

*727. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों के लिए आवास योजनाओं के बारे में समाज कल्याण विभाग, आवास मंत्रालय और योजना आयोग के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए किसी नियमित मशीनरी की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). ऐसी दो प्रकार की आवास योजनाएं हैं, जिनके अधीन अनुसूचित जातियों के सदस्य मकानों के निर्माण के लिए सहायता ले सकते हैं। केवल अनुसूचित जातियों के ही लाभ के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आवास योजनाएँ बनाई गई हैं, और उनका कार्यान्वियन उनके अपने निर्देशन और नियंत्रण में किया जा रहा है। दूसरी प्रकार की सामाजिक आवास योजनाएं निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई हैं, जो आय पर आधारित हैं तथा ये जाति एवं धर्म का भेद-भाव किए बिना आम जनता के लाभ के लिए उद्दिष्ट हैं। अन्य समुदायों के लोगों के साथ अनु-सूचित जातियों के सदस्य भी इन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता के पात्र हैं।

2. जब कभी सांझे विषय विचाराधीन हों, योजना आयोग समेत केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा, एक दूसरे से परामर्श करना अपेक्षित है। इस परामर्श के कारण दो मंत्रालयों और योजना आयोग के बीच समन्वय करने के लिए किसी अन्य मशीनरी की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

मुद्रण-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय संस्थान

*728. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुद्रण-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय संस्थानों को अपने दैनिक कार्यकरण प्रशासन और परीक्षा कराने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इन संस्थानों में अपेक्षित सुधार लाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल० हसन) : क्षेत्रीय मुद्रण स्कूल, मद्रास, बम्बई तथा इलाहाबाद, किसी ने भी प्रशासन परीक्षाओं के संचालन और संबंधित मामलों पर किसी प्रकार की कठिनाई के बारे में सूचित नहीं किया है। कलकत्ता क्षेत्रीय स्कूल को छात्रों द्वारा उसके विरुद्ध किए जा रहे आंदोलन के कारण, अप्रैल, 1972 की परख परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए विशेष कार्यवाई करने में कुछ कठिनाई पड़ी थी। विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों से विचार-विमर्श करने के बाद अब कठिनाई को हल कर लिया गया है।

एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों को नौकरी देना

*729. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने 'राष्ट्रीय स्वस्थता कार्प्स' में कार्य कर रहे एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों को नौकरी देने के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की है; और

(ख) प्रत्येक राज्य ने क्या शर्तें रखी हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क)

और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० — 1968/72.**]

ओलम्पिक खेलों में भारत द्वारा भाग लिया जाना

*730. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी ओलम्पिक खेलों में भारत द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लेने के लिए क्या तैयारियाँ की जा रही हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मयूनिच ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए टीमों को तैयार करने के हेतु कार्यवाई करना मुख्यतया संबंधित राष्ट्रीय खेलकूद संघों का काम है। अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए पूर्व ओलिम्पक प्रतियोगिता अभ्यास के एक उपाय के रूप में सरकार अपनी ओर से विभिन्न खेल-कूद टीमों को विदेश भ्रमण के हेतु वित्तीय सहायता सहित मदद देती रही है। इसके अतिरिक्त आगामी ओलम्पिक खेलकूद के हेतु भारतीय दल को तैयार करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण शिविरों को आयोजित करने के हेतु संबंधित संघों को सरकार, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के परामर्श से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में जीवन रक्षक औषधि के संबंध में गम्भीर अनियमिततायें

*731. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जीवन रक्षक औषधि, एक्रामाइसीन के मंगाने, निरीक्षण करने, भंडार भरने और प्रयोग के बारे में इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में हुई गंभीर अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है जिनका उल्लेख लोक लेखा समिति की 34 वीं रिपोर्ट में किया गया है;

(ख) क्या इन अनियमितताओं के कारण उक्त औषधि खराब हो गई और उसका मरीजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे उनका जीवन संकट में पड़ गया; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) ऐसी भूलों के बारे में समिति द्वारा चौथी लोक सभा की अपनी 125 वीं रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया था तथा इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार, पाँचवी लोक सभा की 34 वीं रिपोर्ट में किया गया है।

(ख) एक्रोमाइसीन में कुछ विकृति आ गई थी और देने पर कुछ रोगियों में मामूली सी प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई थी तथा उसे तुरन्त रोक दिया गया था।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:—

1. **माँग पत्र**—सभी औषधियों की माँगों की जाँच करने के लिए इर्विन अस्पताल में एक क्रय समिति का गठन किया गया है। यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि फालतू माँग बन्द हो तथा औषधियों की सप्लाई अलग-अलग चरणों में हो।

2. **निरीक्षण**—सामग्री भण्डारों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाने वाली जाँच के अलावा औषधि नियंत्रण अधिकारी अनेक बार स्टोरों का निरीक्षण और जाँच करते रहते हैं।

3. **भण्डार व्यवस्था**—जहाँ औषधियों के संग्रहण में कम तापमान की आवश्यकता होती हो वहाँ एक और कमरे की व्यवस्था कर दी गई है जिससे इनमें खराबी न होने पाये।

शिक्षा प्रशासन के संगठन में परिवर्तन

*732. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अप्रैल, 1972 को नई दिल्ली में महिला पोलीटैक्निक द्वारा आयोजित एक विचार गोष्ठी में विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया था कि शिक्षा प्रशासन के संगठन में 'व्यावसायिक' व्यक्तियों की नियुक्ति करके इसमें पूर्णरूपेण परिवर्तन किया जाये; और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

(ख) यदि हाँ, तो दिये गए सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं; और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). दिल्ली महिला पौलिटैक्निक द्वारा दिल्ली में जो सेमिनार आयोजित किया गया था वह संघ शासित प्रदेश की तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के लिए एक सेवा-रत कार्यक्रम के स्वरूप में था। सेमिनार ने अन्य बातों के साथ मानव साधन विकास की आधुनिक संकल्पनाओं तथा परिपाटियों को संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित करने तथा कार्यक्रमों के विकास के लिए व्यावसायिक आगमन प्रारंभ करने की जरूरत पर भी विचार-विमर्श किया। सेमिनार की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत के नगरों में फैलाव पर नियंत्रण और विनियमन

*733. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नगरीकरण अत्यन्त अव्यवस्थित रूप में हो रहा है;

(ख) क्या भविष्य का ध्यान रखते हुये, शहरी क्षेत्रों में भूमि के प्रयोग को विनियमित करने के कोई उपाय नहीं किये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो भारत के नगरों में फैलाव का विनियमन और नियंत्रण करने की दिशा में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि के कारण वर्तमान नगरीय क्षेत्रों का और विशेष रूप से महानगरों का द्रुतगति से विकास हो रहा है।

(ख) तथा (ग). नगरीग केन्द्रों में भूमि उपयोग को विनियमित करना बुनियादी तौर पर राज्यों का विषय है तथा राज्यों सरकारों द्वारा नगरीय भूमि उपयोग को विनयमित करने के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं जिसमें उन्हें कुछ अंशों तक सफलता प्राप्त हुई है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को उन के नगरीय क्षेत्रों के विकास के नियन्त्रण तथा निर्देशन हेतु उपयुक्त उपायों के प्रतिपादन तथा कार्यान्वियन में सहायता और परामर्श दे रही है।

खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक गोलियाँ

*734. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक गोलियाँ संसार भर में एक बेहतर गर्भ-निरोधक साधन सिद्ध हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इनका देश में ही उत्पादन करने और 'निरोध' की तरह इन्हें राजसहायता देकर कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) खाने वाली गर्भ-निरोधक गोलियाँ बहुत से देशों में उपयोग की जाती हैं, जिनमें संयुक्त अरब गणराज्य, मलेशिया, और सिंगापुर जैसे कुछ विकासशील देश सम्मिलित हैं। इनकी गुणकारिता बहुत से कारणों से सीमित रहती है। उदाहरण के तौर पर अनपढ़ महिलाओं द्वारा इनका कम अपनाया जाना और इसका कम निरन्तर प्रयोग।

भारत में मार्गदर्शी परियोजना अध्ययनों से भी मालूम हुआ है कि डेढ़ वर्ष के उपयोग के अन्त में 100 में से 23 महिलाओं ने ही इनका उपयोग जारी रखा। इनका उपयोग करने वाली अधिकांशतः कुछ शिक्षित महिलाएँ थीं। परिवार नियोजन कार्यक्रम में खाने वाली वर्तमान किस्म की गर्भ-निरोधक गोलियों के उपयोग के प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं किया गया है।

भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में खानेवाली गर्भ-निरोधक गोलियों के प्रयोग पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्रियों के गत सम्मेलन में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का विरोध

*735. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मंत्रियों के गत सम्मेलन में कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी केन्द्र सरकार के प्रस्तावों का विरोध किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहां।
(ख) प्रश्न नहीं होता।

तपेदिक के फैलने और उसके रोगियों की मृत्यु की दर

*736. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने लोग तपेदिक रोग से ग्रस्त हुए और उनमें से कितने प्रतिशत लोगों की मृत्यु हुई और क्या तपेदिक के कारण होने वाली मौतों की संख्या में कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त रोग की रोकथाम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत वित्तीय वर्ष में बंगलौर स्थित राष्ट्रीय तपेदिक प्रशिक्षण संस्थान में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) अनुमान किया गया है कि हजार में लगभग 2 से 8 तक व्यक्ति संक्रामक क्षयरोग से पीड़ित हैं, जिससे लगभग प्रति हजार चार का औसत बैठता है अर्थात् 0·4 प्रतिशत व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं। अनुमान लगाया गया है कि प्रति लाख लगभग 80 से 100 तक व्यक्ति क्षयरोग से मरते हैं। आधुनिक रासायनिक चिकित्सा से तपेदिक के रोगियों की मृत्यु दर में काफी कमी हुई है किन्तु आँकड़ों में सूचना उपलब्ध न होने के कारण यह बतलाना सम्भव नहीं है कि यह कमी ठीक ठीक कितनी हुई है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) निर्माण कार्य पर हुए खर्च को छोड़ कर लगभग 14 लाख रुपये।

विवरण

देश में पहले से ही राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है, राज्य सरकारों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देकर चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे केन्द्र पुरोनिधानित योजना के

रूप में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश भर में क्षय रोगियों का कारगर रूप से उपचार करने के लिये जिला क्षयरोग केन्द्रों की स्थापना करने उनका दर्जा बढ़ाने, क्षयरोगियों के लिये अस्पतालों में रखने तथा क्षयरोग केन्द्रों को क्षयरोग निरोधी औषधियाँ देने की व्यवस्था है।

रोकथाम के उपायों के रूप में 20 साल से कम आयु वर्ग के लोगों को बी० सी० जी० का टीका लगाया जा रहा है। वर्तमान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से सभी जिलों में रोगियों का पता लगाने, उनका उपचार करने तथा बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम चलाने के लिये जिला क्षयरोग केन्द्र आधारभूत केन्द्रों का कार्य करते हैं।

सुखाकर जमाई गई वैक्सीन का और अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिये बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला गिण्डी का विस्तार करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं।

सेवा भाव से कार्य कर रहे क्षयरोग संस्थानों को भी अनावर्ती अनुदान दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त सेवा कार्यरत संस्थानों को क्षयरोग निरोधी औषधियाँ भी दी जाती हैं।

Post Matric Scholarships for Studying Hindi in Non-Hindi Speaking States

*737. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether students of non-Hindi speaking States are given scholarships for Post-matric studies in Hindi;

(b) if so, the number of students granted scholarships during 1971 and 1972, State-wise together with the amounts of scholarships, and

(c) the success achieved by this scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture : (Shri D. P. Yadav : (a) Yes, Sir.

(b) Statement attached.

(c) The scheme is popular and it has been possible through this scheme to teach Hindi to a large number of students from non-Hindi speaking areas.

Statement

S. No.	Name of Non-Hindi Speaking State/Union Territory.	Year 1971-72	
		No. of students granted scholarships.	Amounts of scholarships granted.
1	2	3	4
			Rs.
1.	Andhra Pradesh	359	2,94,800
2.	Assam	54	50,925
3.	Gujarat	97	1,50,025

1	2	3	4	
			Rs.	
4.	Jammu & Kashmir	16	17,125	
5.	Kerala	170	2,49,200	
6.	Tamil Nadu	329	2,64,283	
7.	Maharashtra	185	1,62,650	
8.	Mysore	233	2,99,275	
9.	Orissa	81	44,175	
10.	Punjab	49	70,700	
11.	West Bengal	131	1,00,350	
12.	Chandigarh	2	1,600	Amount yet to be released.
13.	Goa, Daman & Diu	3	2,200	
14.	Manipur	4	—	Acceptances of offers awaited.
15.	Pondicherry	2	450	
	Total	1,715	17,07,758	

The other Non-Hindi Speaking States and Union Territories mentioned below have not forwarded any applications for the year 1971-72 and, therefore, no award has been made—

1. Nagaland,
2. Andaman & Nicobar Islands,
3. Dadra and Nagar Haveli,
4. Meghalaya,
5. Nefa,
6. Tripura, and
7. Laccadive and Minicoy Islands.

नगरों और गाँवों में पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय

*738. **डा० रानेन सेन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरों और गाँवों में पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालयों का संवर्द्धन करने और उन्हें सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). सरकार का नगरों और गाँवों में पाठ्य-पुस्तक पुस्तकालयों का संवर्द्धन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। तथापि, नगरों और गाँवों में पुस्तकालयों की सहायता अथवा संस्थापन करने के प्रमुख उद्देश्य से शीघ्र ही राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान नामक एक पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना की जा रही है।

यह प्रतिष्ठान मौजूदा पुस्तकालयों की सहायता, नये पुस्तकालयों की स्थापना और चल पुस्तकालय सेवाओं के आयोजन के लिए जिससे गाँवों में पुस्तकें पहुँचेंगी, प्रयास करेगा ।

चीनी का उत्पादन बढ़ाना

*739. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चीनी का उत्पादन बढ़ाने की काफी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में मुख्यतः सहकारी क्षेत्र में अंशतः मौजूदा यूनिटों का विस्तार करके और अंशतः नई यूनिटों की स्थापना करके 47 लाख मी० टन का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्पादन कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में 35·6 लाख मी० टन उत्पादन हुआ था । इस उत्पादन-लक्ष्य के आधार पर 12·39 लाख मी० टन की अतिरिक्त वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता के लिए अब तक नए चीनी कारखानों की स्थापना और मौजूदा यूनिटों के विस्तार के लिए आशय-पत्र/लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं ।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की माँग के संदर्भ में चीनी उद्योग के बारे में गहराई से विचार करने के लिए सितम्बर, 1970 में नियुक्त शर्करा उद्योग-जाँच आयोग से यह भी कहा गया है कि वह अगले 10 से 15 वर्ष से अधिक अवधि के लिए चीनी और संबंधित उद्योगों के विकास की रूप-रेखा के संबंध में सुझाव दें ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जीवनी का प्रकाशन

*740. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान, रूस, पश्चिम जर्मनी, पूर्व जर्मनी, आस्ट्रिया, ब्रिटेन, अमरीका तथा कई अन्य देशों के प्रसिद्ध विद्वानों तथा जीवनी-लेखकों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जीवनी प्रकाशित की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी पुस्तकों के नाम क्या हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय पाठकों के लाभ हेतु इनमें से कुछ प्रामाणिक जीवनियों का अनुवाद कराने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जो पुस्तकें सरकार के ध्यान में आयी हैं, उनकी एक सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1969/72.**]

(ग) सरकार इस सुझाव की जांच करायेगी।

Construction of Railway Station in North of Rajendra Bridge in Bihar

*742. **Shri Ram Bhagat Paswan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there has been a long standing demand from the public for construction of a Railway Station in the North of Rajendra Bridge in Bihar for the convenience of pilgrims; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes, Sir.

(b) There is already a train halt, named Rajendra Pul Halt on the northern side of Rajendra Bridge between Simaria and Hathidah stations. The feasibility of shifting the halt closer to the bridge was examined and found not justified from the financial and the engineering points of view.

पुरानी रेलवे लाइनों को इस्पात मंत्रालय को दिया जाना

*744. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार पुरानी लाइनों को इस्पात मंत्रालय को लौटाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका प्रयोजन क्या है; और

(ग) लौटाई जाने वाली रेलवे लाइनों की लागत क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) लगभग 2 लाख मीटरिक टन पुरानी पटरी के वर्तमान ढेर को मुख्य इस्पात उत्पादकों के बाड़ों के माध्यम से रद्दी माल का पुनर्बेलन करने वाली इकाइयों में वितरित करने का विचार है।

(ख) इस्पात मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच सहमति प्राप्त इस व्यवस्था का उद्देश्य रद्दी माल का पुनर्बेलन करने वाली इकाइयों को उचित मूल्य पर कच्चे माल की उपलब्धता निश्चित करना और उपभोक्ताओं को युक्तिसंगत मूल्य पर पुनर्बेलित उत्पादनों की बिक्री का नियमन करना है।

(ग) लगभग 16 करोड़ रुपये।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से काजू का परिष्करण और पैकिंग

*745. **श्री श्रीकिशिन मोदी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार विश्व की मंडियों को निर्यात के लिए काजू का परिष्करण और पैकिंग करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Survey for New Railway Lines, Central Railway Zone

*748. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any traffic and economic surveys were conducted for laying new railway lines on the Central Railway during the Third and Fourth Five Year Plan periods; and

(b) if so, the results thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in the Library. Please see* No. L T—1970/72]

आधुनिक चाय बागान संबंधी योजना

*753. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से आधुनिक चाय बागान संबंधी कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नौपदा-गुनुपुर और रूपसा तालबन्द लाइनों का सुधार करने संबंधी उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव

*754. **श्री पी० के० देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने नौपदा-गुनुपुर और रूपसा तालबन्द ब्रांच रेलवे लाइनों का सुधार करने हेतु केन्द्रीय सरकार को कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, श्रीमान् ।

(ख) नौपदा-गुनुपुर लाइन के रेल-पथ को एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर सुधारने के लिए कदम उठाये गये हैं । रूपसा-तालबंद खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक यातायात सर्वेक्षण किया गया है और रेलवे बोर्ड द्वारा रिपोर्ट की जाँच की जा रही है ।

ईराक द्वारा भारत से चाय का आयात

*755. **श्री राजदेव सिंह : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय ईराक के बाजार में अधिक लोकप्रिय होती जा रही है;

(ख) क्या हाल ही में सम्पन्न हुए भारत-ईराक व्यापार करार में यह व्यवस्था की गई है कि ईराक अपनी चाय की कुल आवश्यकताओं का 20 प्रतिशत भारत से आयात करेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो ईराक 1972 में भारत से कितनी चाय खरीदेगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत-ईराक व्यापार करार में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ईराक भारत से अपनी कुल चाय की आवश्यकतों का 20 प्रतिशत भाग आयात करेगा । करार में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई कि ईराक 1-9-1971 से 31-3-1973 तक करार की अवधि के दौरान 26 लाख स्टर्लिंग पौंड के मूल्य की चाय खरीदेगा ।

(ग) लगभग 2 करोड़ रुपये की ।

संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से मत्स्य विकास के लिए अरब सागर का सर्वेक्षण

5215. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मत्स्य विकास के लिए नार्वे के सहयोग से अरब सागर में सामुद्रिक सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). दक्षिण पश्चिम तट के समुद्री मात्स्यकी संसाधनों के अन्वेषण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक परियोजना पहले ही शुरू की जा चुकी है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी नार्वे

एजेन्सी संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना के उन ठेकेदारों के रूप में इस परियोजना के साथ सहयोजित है। यह योजना फरवरी, 1971 से चालू हो गई है और पाँच वर्षों तक चलेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मछलियों का पता लगाने के लिए आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित दो जलयान अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। इन जलयानों में से एक प्राप्त हो गया है और सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है। आशा है दूसरा जलयान इस वर्ष के दौरान प्राप्त हो जाएगा। इस अन्वेषण का उद्देश्य सरडाइन्ज तथा मैकरेल मछलियों के संसाधनों का पता लगाना है।

Eradication of Unemployment in Madhya Pradesh

5216. **Shri Martand Singh:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the various works undertaken by the Government of Madhya Pradesh in various Districts of Rewa Division in Madhya Pradesh under the approved scheme of the Central Government for eradication of unemployment in backward areas of the State and the number of persons provided with employment thereby during 1970-71; and

(b) the progress made in this regard District-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) and (b). The Crash Scheme for Rural Employment is being implemented from the year 1971-72. The works undertaken in various districts of Rewa Division in Madhya Pradesh under this Scheme include roads and minor irrigation works. As the number of persons benefited and the period of their employment differs from project to project, it is more appropriate to indicate the number of man-days of employment generated under the scheme rather than the number of persons employed. A statement showing the number of mandays of employment generated in various districts of Rewa Division during the year 1971-72 on the basis of available information is placed on the Table of the House.

Statement

S. No.	Districts	Nature of works	Period upto which reports received	Expenditure incurred (Rs. '000)	Man-days of Employment generated ('000 Man-days)
1	2	3	4	5	6
1.	Tikamgarh	Roads	February 1972	26·27	2·53
2.	Chhatarpur	Minor Irrigation	,, ,,	4·21	0·55
3.	Panna	Minor Irrigation	,, ,,	50·68	26·44
4.	Satna	Minor Irrigation & Roads	,, ,,	2·94	1·18
5.	Rewa	Minor Irrigation & Roads	,, ,,	12·13	4·84
6.	Shahdol	Minor Irrigation & Roads	,, ,,	0·70	1·45
7.	Sidhi	Minor Irrigation and Roads	,, ,,	69·26	41·26
				166·19	78·25

गेहूं के विक्रय पर कृषक को लाभ

5217. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि मूल्य आयोग के नये प्रस्तावित मूल्यों के आधार पर एक औसत छोटे किसान को प्रति क्विंटल गेहूँ के विक्रय पर कितना शुद्ध लाभ मिलेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : कृषि मूल्य आयोग ने 1972-73 के मौसम (1971-72 के फसल मौसम का तदनुरूपी) के लिए गेहूँ के वसूली मूल्य सभी राज्यों में समान अर्थात देशीय लाल गेहूँ के लिए 66 रुपये प्रति क्विंटल और आम सफेद देशीय तथा विभिन्न मैक्सीकन किस्मों के लिए 72 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य का सुझाव दिया था। किन्तु सरकार ने वसूली मूल्यों का गत वर्ष का स्तर अर्थात देशीय लाल किस्म का मूल्य 71-74 रुपये प्रति क्विंटल और अन्य किस्मों का मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल बनाये रखने का निश्चय किया है।

प्रस्तावित नये मूल्यों पर गेहूँ बेचने से औसत छोटे कृषकों को प्रति क्विंटल बिक्री पर होने वाले शुद्ध लाभ का अनुमान लगाने के लिए तदनुरूपी फसल मौसम अर्थात् वर्ष 1971-72 में औसत छोटे कृषकों के लिए आने वाली गेहूँ की उत्पादन लागत के आँकड़ों की आवश्यकता है। वर्ष 1971-72 के फसल मौसम के लिये ऐसे आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

किसान द्वारा एक क्विंटल गेहूं पैदा करने पर किए जा रहे लागत-व्यय का पता लगाना

5218. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक छोटे किसान द्वारा, जो मशीनों का प्रयोग नहीं करता, एक क्विंटल गेहूँ की उपज पर क्या व्यय किया जाता है;

(ख) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) तत्संबंधी अनुमान का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि साधनों की लागत किन दरों पर निकाली गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). छोटे कृषक द्वारा, जोकि मशीनरी का प्रयोग नहीं करता, एक क्विंटल गेहूँ का उत्पादन करने में आने वाली लागत का विशिष्ट रूप से मूल्यांकन करने के लिये कोई अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

Production of Cotton, Rice, Wheat and Jawar during 1968-69, 1969-70, and 1970-71 in M. P.

5219. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantum of cotton, rice, wheat and jawar produced during 1970-71 in Madhya Pradesh;

(b) whether the production of the said commodities during 1970-71 was more as compared to 1968-69 and 1969-70; and

(c) the action being taken to increase the production of these commodities in the above State ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The following quantities of these Commodities were produced in Madhya Pradesh during 1970-71:—

1. Cotton	2·14 lakh bales of 180 kgs. each.
2. Rice	36·47 lakh tonnes.
3. Wheat	25·28 lakh tonnes.
4. Jawar	14·07 lakh tonnes.

(b) while the production of rice and wheat in 1970-71 was more as compared to the production in 1968-69 and 1969-70, the production of cotton and jowar was less.

(c) To increase the production of rice, wheat and jowar, steps have been taken to increase the coverage under the high-yielding varieties on these crops in the State. Besides, plant protection efforts have been intensified and the programmes of farmer's training and demonstrations stepped up. The production of cotton is sought to be increased by the implementation of Centrally Sponsored Schemes viz., Maximised production of cotton and Intensive cotton district programme. In addition, it is proposed to take up another Centrally Sponsored Scheme of Hybrid-cotton seed production during the next two years.

Integrated System of Medicine for Ayurvedic College in M. P.

5220. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the integrated system of medicine has been introduced for the Ayurvedic College students in Madhya Pradesh also and whether Government have approved the proposal regarding the said system; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Grants to Gujarat, Orissa for Educational Purposes

*5221. **Shri G C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the amount of grants given to Gujarat and Orissa for educational purposes under the various schemes during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D. P. Yadav) : The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Grants for Revised Pay Scales of Social Workers of Social Welfare Department, Madhya Pradesh

5222. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether, out of the Central Social Welfare Fund grants were earmarked for Madhya Pradesh during the year 1969-70 and 1970-71 for the purpose of fixing and revising the pay scales and dearness allowances given to the social workers of Social Welfare Department; and

(b) if so, the pay scales and rates of dearness allowance given to the said workers and the amount of grant given to Madhya Pradesh, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

हरित क्रान्ति तथा कृषि के यंत्रीकरण के फलस्वरूप बेरोजगारी

5223. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरित क्रान्ति तथा कृषि के यंत्रीकरण के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। "हरित क्रांति" शब्द का प्रयोग सामान्यतः वर्ष 1966-67 से कृषि विकास के लिए अपनाई जाने वाली नयी नीति की सफलता के लिये किया जा रहा है। इस नयी कृषि नीति की कार्यान्विति ने जिसमें अधिक उत्पादनशील किस्में और बहुद्देशीय फसल कार्यक्रम सम्मिलित हैं, कार्यकलापों का विस्तार कर दिया है और इस प्रकार कृषि के आंशिक यंत्रीकरण के बावजूद रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध हुए हैं,

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

समेकित शुष्क भूमि कृषि विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय अनुदान

5224. **श्री मार्तण्ड सिंह :**
श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में राज्यों को समेकित शुष्क भूमि कृषि विकास संबंधी योजना के अनुसार राज्यवार कितनी राशि के ऋण और अनुदान दिये गये;

(ख) क्या उनमें से किसी राज्य ने और अधिक ऋण और अनुदान के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) गत दो वर्षों की अवधि में समेकित बारानी कृषि विकास योजना के लिये व्यय के लेखा परीक्षित आँकड़ों के समायोजन के आधार पर राज्य सरकारों को 100·66 लाख रुपये की राशि अस्थायी रूप से निर्मुक्त की गई थी। राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

क्र०सं	राज्य	ऋण	अनुदान	कुल	ऋण	अनुदान	कुल
1	2	3	4	5	5	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	0·35	1·80	2·15	12·02	1·93	20·95
2.	बिहार	—	—	—	0·50	2·85	3·35
3.	गुजरात	—	1·35	1·35	2·00	5·80	7·80
4.	हरियाणा	12·54	8·31	20·85	14·15	4·42	18·57
5.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—	0·23	0·50	0·73
6·	महाराष्ट्र	—	0·91	0·91	6·65	7·57	14·22
7.	मध्य प्रदेश	1·28	1·07	2·35	1·70	7·89	9·59
8.	मैसूर	—	1·67	1·67	4·35	2·83	7·18
9.	उड़ीसा	—	—	—	0·50	1·30	1·80
10.	राजस्थान	7·71	2·78	10·49	10·13	6·42	16·55
11.	तमिलनाडु	0·40	1·14	1·54	2·20	10·14	12·34
12.	उत्तर प्रदेश	1·60	1·97	3·57	16·35	16·35	32·70
	कुल	23·88	21·00	44·78	70·78	75·00	145·78

(ख) तथा (ग). जी हाँ।

अतिरिक्त ऋणों / अनुदानों के लिए राज्य सरकारों से निम्न प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुये थे :—

(रुपये लाखों में)

राज्य	ऋण	अनुदान	ऋण
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	0·01	3·05	3·06
2. बिहार	—	1·17	1·17
3. गुजरात	—	1·78	1·78

1		2	3	4
4. हरियाणा		0·04	1·83	1·87
5. मध्य प्रदेश		0·04	2·83	2·87
6. महाराष्ट्र		0·03	2·52	2·55
7. मैसूर		0·03	0·90	0·93
8. राजस्थान		0·02	1·84	1·86
9. तमिलनाडु		—	3·42	3·42
10. उत्तर प्रदेश		0·05	6·01	6·06
11. जम्मू तथा कश्मीर		0·77	2·17	2·94
	कुल	0·99	27·52	28·51

वर्ष 1971-72 के व्यय प्राक्कलनों में इन अतिरिक्त आवश्यकताओं की व्ययस्था न की जा सकी। भारत सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार जब राज्य सरकारें वास्तविक व्यय प्रस्तुत करेंगी तब तथाकथित राशि निर्मुक्ति के लिए बढ़ा दी जायेगी।

सक्शन क्यूरेटेर्ज

5225. **श्री वयालार रवि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भपात विधि के उदार बनाये जाने के संदर्भ में सरकार को गर्भपात के लिए आसान तकनीक अपनाने के बारे में कोई रिर्पोट मिली है जिसको हमारे देश में 'सक्शन क्यूरेटेज' कहा जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका सारांश क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). 'सक्शन क्यूरेटेज' द्वारा गर्भ का समापन करने के लिए देश के कुछ केन्द्रों में वैक्यूम एस्पिरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके प्रयोग संबंधी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत में विदेशी विद्यार्थी

5226. **श्री वयालार रवि** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से कितने भारतीय छात्रवृत्तियों से अध्ययन कर रहे हैं और भारत में अध्ययन करने के लिए विदेशी विद्यार्थियों को यदि कोई गैर सरकारी संस्था छात्रवृत्तियाँ दे रही है तो उनके नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) उपलब्ध सांख्यिकीय आंकड़े के अनुसार, जोकि 1969-70 से संबंधित हैं, भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थियों की कुल संख्या 9,549 है।

(ख) सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्तियों, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, कोलम्बो-प्लान, विशेष राष्ट्रमंडलीय अफ्रीकी-सहायता-प्लान, और राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्तियों और अधिछात्रवृत्तियों की योजनाओं के अधीन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। 1971-72 के दौरान भारत में अध्ययन के लिए जिन विद्यार्थियों ने ये छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कीं, उनकी संख्या 997 है। भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद भी विदेशी विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास, दर्शनशास्त्र और भारतीय संस्कृति के अन्य पहलुओं के अध्ययन के लिए प्रति वर्ष छः छात्रवृत्तियाँ देती है। प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भारत में अध्ययन के लिए विदेशी विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

Production of Fruits in Ladakh, Kashmir

5227. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the steps taken by Government to increase fruit production in Ladakh in order to develop fruit-jam's industry and thus improve the economic condition of the area through their sale?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha when received.

कोहाट सहकारी गृह निर्माण समिति की वार्षिक आम सभा

5228. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोहाट सहकारी गृह-निर्माण समिति की वार्षिक आम सभा इसके स्थापना से लेकर अब तक किस किस तारीख को हुई;

(ख) क्या समिति की वार्षिक आम सभा नियमित रूप से नहीं होती है; और

(ग) यदि हाँ, तो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि समिति की बैठकें नियमित रूप से हों क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को हुईं:—

1. 12–6–1949
2. 21–1–1964
3. 9–2–1964
4. 23–2–1964
5. 16–8–1964
6. 21–2–1965
7. 21–3–1965
8. 7–11–1965
9. 9– 4–1967
10. 21–4–1968
11. 4–10–1970

(ख) तथा (ग). विभिन्न लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण टिप्पणियों द्वारा समिति की आम सभा नियमित रूप से करने का आदेश दिया गया था। 19 फरवरी, 1970 को रजिस्ट्रार द्वारा एक आम सभा बुलाई गई थी जिसके फलस्वरूप 4–10--1970 को एक बैठक हुई। समिति को पुन: आदेश दिया गया है कि वह समिति के नियमों तथा उप-नियमों के उपबन्धों के अनुसार आम सभा प्रतिवर्ष बुलाये।

कोहाट सहकारी गृह-निर्माण समिति

5229. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहाट सहकारी गृह-निर्माण समिति ने अपना नक्शा प्रस्तुत कर दिया है और यदि हाँ, तो नक्शा कब प्रस्तुत किया गया था और मामला इस समय किस स्थिति में है;

(ख) नक्शे के कब तक मंजूर हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). जी, हाँ। 2 मई, 1972 को प्रस्तुत किया गया संशोधित ले-आउट-प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है। यदि इसे ठीक समझा गया तो यह प्राधिकरण की अगली बैठक में पेश कर दिया जायेगा।

(ग) समिति द्वारा पहले प्रस्तुत किया गया ले-आउट-प्लान बृहत्त योजना/सामान्य विकास योजना के उपबन्धों के अनुरूप नहीं था।

कोहाट सहकारी गृह-निर्माण समिति के लेखों की लेखापरीक्षा

5230. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहाट सहकारी गृह-निर्माण समिति के लेखों को रजिस्ट्रार की ओर से नियमित रूप से लेखा परीक्षा कराई जाती है और यदि हाँ, तो कितने-कितने समय के पश्चात् और किस-किस तारीख को;

(ख) यदि रजिस्ट्रार की ओर से कोई लेखापरीक्षा नहीं कराई गई है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी लेखापरीक्षकों के अतिरिक्त अन्य प्राधिकृत लेखापरीक्षकों द्वारा भी समिति के लेखों की लेखापरीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो इसकी स्थापना से लेकर किन वर्षों में; और

(घ) यदि भाग (ग) में उल्लिखित कार्यवाही नहीं की गई तो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार इस बात को किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं कि समितियों के सदस्यों की जमा राशियों का दुरुपयोग समितियों के पदाधिकारियों द्वारा न हो ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हाँ। लेखा-परीक्षण के वर्ष तथा तारीखें इस प्रकार हैं :—

सहकारी-वर्ष के परीक्षित लेखे (1 जुलाई से 30 जून तक)	लेखा परीक्षण पूर्ण होने की तिथि
1954–55	9–3–56
1958–59 1959–60	23–9–60
1961–62	7–6–63
1962–63	2–7–63
1963–64	4–1–65
1964–65	9–2–70
1965–66	27–5–70
1966–67	28–6–71
1967–68	5–7–71
1968–69 1969–70 1970–71	5–8–71

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) क्योंकि लेखों का परीक्षण पंजीकरण की ओर से किया गया है अत: इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

साहित्य अकादमी के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति और उन्हें स्थायी बनाना

5231. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित साहित्य अकादमी में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति और उन्हें स्थाई बनाने की क्या प्रक्रिया है; और

(ख) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें अपने ग्रेड में सेवा करते आठ वर्ष से भी अधिक समय हो गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) साहित्य अकादमी में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों की पदोन्नति तथा स्थायी-

करण का नियंत्रण उसके सेवा उप-नियमों के उपबधों द्वारा किया जाता है जिसकी प्रतिलिपियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) 8 तृतीय श्रेणी में और 15 चतुर्थ श्रेणी में।

साहित्य अकादमी के कर्मचारियों द्वारा क्वार्टरों को खाली करने का किराया

5232. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी नई दिल्ली के दो कर्मचारियों द्वारा दो क्वार्टरों को खाली न करने के लिए मार्केट रेन्ट के भुगतान में से कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है, और

(ख) इस पर कितना मासिक खर्च आता है और इस पर अकादमी ने अब तक कुल कितना धन व्यय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) साहित्य अकादमी के जो दो अधिकारी सरकारी मकानों में रह रहे हैं, कोई मकान-किराया-भत्ता नहीं पा रहे हैं। वि० नि० 45 क के अधीन इन अधिकारियों द्वारा दिये जा रहे तथा बाजार भाव के किरायों के बीच का अन्तर साहित्य अकादमी द्वारा पूरा किया जा रहा है। इस समय यह राशि प्रतिमास 950 रुपए के लगभग है।

(ख) उपर्युक्त हिसाब में साहित्य अकादमी द्वारा दी गई यह राशि प्रतिमास 950 रुपए के लगभग है। इस प्रकार इन अधिकारियों को यदि कोई सरकारी मकान न दिया गया होता, तो जो मकान किराया भत्ता सामान्य रूप से अनुमत्य है, उसे ध्यान में रखते हुए, अकादमी द्वारा पिछले 7 वर्षों के दौरान किया गया खर्च 25,000 रुपए के लगभग है।

साहित्य अकादमी के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास की व्यवस्था

5233. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन नही किया जाता है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इनको भविष्य में यह सुविधा प्रदान करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली में सरकारी रिहायशी आवास की अत्यधिक कमी के कारण साहित्य अकादमी के कर्मचारियों को सरकारी आवास के सामान्य वर्ग हेतु पात्र बनाना सम्भव नहीं हुआ है ।

साहित्य अकादमी की कार्यक्रम संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

5234. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी कुछ निम्न पदों की भर्ती करने हेतु विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार अपने कार्यक्रम को धन की कमी के कारण क्रियान्वित करने में असमर्थ है, और

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में धन की कमी के कारण श्रेणी बावर कितने पदों की भर्ती नहीं की गई है, और

(ग) क्या पद के लिये मितव्ययता बरतने के बजाये क्षेत्रीय सचिव, बम्बई के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) अकादमी द्वारा कोई कार्यक्रम विशेषज्ञ समिति नियुक्त नहीं की गई है । अतः अकादमी द्वारा पदों को भरे जाने के लिए कार्यक्रम विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हाँ । क्षेत्रीय कार्यालय सचिव, बम्बग का पद विज्ञापित किया गया है । यह नया पद नहीं है, यह पद जो कि साहित्य अकादमी के मुख्यालय का है तथा वरिष्ठतम सहायक सचिव द्वारा सचिव के रूप में उन्नति पा जाने के कारण रिक्त हुआ है, इसे बम्बई में हाल ही में स्थापित किए गए अकादमी के क्षेत्रीय कर्यालय में स्थानांतरित किया गया है ।

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली में अधीक्षक के पद पर भर्ती

5235. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकेडमी, नई दिल्ली में अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए क्या पद्धति अपनाई जाती है, और

(ख) क्या अधीक्षकों के सभी पद भरने के लिए इसी पद्धति का अनुसरण किया जाता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) साहित्य अकादमी में अधीक्षक के पद की भर्ती अकादमी की सेवा में उपनियमों के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित है जिसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) जी, हाँ। तथापि साहित्य अकादमी में अधक्षिक का एक पद है।

आंध्र प्रदेश में आवास योजनाओं के लिए सहायता

5236. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से आवास योजनाओं के अनुमोदनार्थ तथा वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिनको तीस नगरपालिका क्षेत्रों में क्रियान्वित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन नगरपालिकाओं के नाम क्या हैं और नगरपालिका-वार योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश सरकार ने 30 नगरपालिकाओं की गन्दी बस्तियों वाले क्षेत्रों के सुधार हेतु वातावरणीय सुधार के लिए नई केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत लगभग 1·25 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया था। फिलहाल केवल हैदराबाद नगर इस नई योजना के अन्तर्गत अनुदान सहायता का पात्र है। आंध्र प्रदेश सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है। हैदराबाद नगर निगम से प्राप्त 3 गन्दी-बस्ती-क्षेत्रों के वातावरण संबंधी सुधार के परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित कर दिये गए हैं जिसकी कुल अनुमानित लागत 38,42,100 रुपये है तथा 9,63,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दे दी गई है।

आंध्र प्रदेश में विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

5237. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में जिला-वार राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना, कम आय वर्ग संबंधी आवास योजना, मध्य आय वर्ग आवास योजना तथा ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत अलग-अलग कितने मकान बनाए गए हैं; और

(ख) उक्त योजनाओं में से प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभ हुआ ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार से अब तक प्राप्त प्रगति रिर्पोटों के अनुसार राज्य में प्रत्येक योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों की संख्या नीचे दी जाती है—

योजना का नाम	निर्मित मकानों की संख्या
1. औद्योगिक कर्मचारियों तथा समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना	5,846
2. निम्न आय वर्ग आवास योजना	9,690
3. मध्यम आय वर्ग आवास योजना	2,225
4. ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम	4,220
जोड़	21,981

मंत्रालय में ज़िलावार आँकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या उसके अन्तर्गत निर्मित मकानों की संख्या के बराबर होगी। अतः लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या परिवारों की संख्या से लगभग पाँच गुना होगी।

आंध्र प्रदेश में विकलांगों को छात्रवृत्तियाँ

5238. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में 1971-72 और 1972-73 में वर्ष-वार तथा जिला-वार विकलांग लड़के तथा लड़कियों से अलग-अलग छात्रवृतियों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितनी छात्रवृतियाँ दी गईं;

(ख) आंध्र प्रदेश में उक्त अवधि के लिए वर्ष-वार तथा जिला-वार कितने विक्लाँगों से एकमुश्त स्वैच्छिक अनुदानों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितने व्यक्तियों को अनुदान दिए गए; और

(ग) छात्रवृति पाने तथा इसको जारी रखने के लिए अपेक्षित योग्यताएँ क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) स्थिति नीचे दी गई है—

वर्ष	विकलांग छात्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	दी गई छात्रवृतियों की संख्या
1971-72	165	88 (76 लड़के तथा 12 लड़कियाँ)
1972-73	इस वर्ष के लिए आवेदन-पत्र अभी प्राप्त होने हैं। इस वर्ष आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 31 अगस्त, 1972 है। जिला-वार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	

(ख)

वर्ष	विक्लांग व्यक्तियों से विवेकाधीन अनुदान के लिए प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या	अनुदान पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1971-72	3 (दो हैदराबाद जिले से, एक गुनतुर जिले से)	1 (हैदराबाद जिले से)
1972-73	वर्ष 1972-73 में, जो अभी आरम्भ ही हुआ है, अब तक कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।	

(ग) विकलाँग व्यक्तियों को छात्रवृति प्रदान किए जाने का विनियमन करने वाले नियमों की एक प्रतिलिपि संलग्न है, जिसमें पात्रता संबंधी अपेक्षितताओं संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—1971/72.**]

डी० आई० जैड० एरिया में अनधिकृत 'टी स्टालों' का हटाया जाना

5239. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली में एक 'टी स्टाल' जो टाइप तीन के क्वार्टरों के निर्माण के समय बनी थी, अब भी वहाँ पर चल रही है;

(ख) क्या इस अनधिकृत निर्माण को जो परेशानी का कारण बन गई है; हटाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) इसके कब तक हटाये जाने की संभावना है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ). टाइप-II क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद चाय के स्टाल को हटाने की कार्यवाही आरम्भ की गई थी, तथापि ठेकेदार को, जो अब सड़कों तथा बरसाती पानी की नालियों के कार्य के निष्पादन में लगा हुआ है, अपने श्रमिकों के प्रयोग के लिए भी चाय के स्टाल की आवश्यकता है तथा उसने सड़कों का कार्य पूर्ण होते ही उक्त चाय के स्टाल को हटाने का उत्तरदायित्व ले लिया है । सड़क का कार्य पूर्ण होने को है तथा आशा है कि यह चाय का स्टाल शीघ्र ही हटा लिया जायेगा । जब तक कि ठेकेदार इस चाय के स्टाल को हटा नहीं देता उसे कार्य की पूर्णता का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जायेगा ।

दिल्ली में कैंसर का अस्पताल बनाने के लिए धन का इकट्ठा किया जाना

5240. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है (टाइम्स आफ इण्डिया; दिनांक 26 अप्रैल, 1972) कि दिल्ली के रोटरी क्लब ने 50 लाख रुपयों की लागत से दिल्ली में कैंसर के अस्पताल के निर्माण के लिए धन एकत्र करने का निर्णय किया है जो उत्तरी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित अस्पताल के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई योगदान दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बात क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). रोटरी जिला 310 ने, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रोटरी क्लब आते हैं, दिल्ली में एक कैंसर प्रतिष्ठान स्थापित किया है जिसका एक बड़ी कैंसर परियोजना चलाने का प्रस्ताव है और जिसमें 300 पलंगों और बहिरंग विभाग सहित एक बड़ा अस्पताल, एक अनुसंधान प्रयोगशाला और कैंसर के कार्य में प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान होगा । इस परियोजना पर शुरू में 2 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है । चिकित्सा सहायता राज्य सरकार का विषय होने के कारण यद्यपि केन्द्रीय सरकार के लिए इस कैंसर अस्पाल की स्थापना में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देना संभव नहीं होगा, तथापि वह कैंसर प्रतिष्ठान को अन्य सारी आवश्यक सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगी । इस कैंसर प्रतिष्ठान से एक पूरी योजना तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है जिसमें प्रस्तावित अस्पताल पर होने वाले व्यय का ब्यौरा दिया गया हो । प्रतिष्ठान ने अभी तक विस्तृत योजना नहीं भेजी है ।

चावल के वसूली और बिक्री मूल्य के अन्तर को कम करने के लिए कार्यवाही

5241. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के वसूली मूल्य, तथा उचित मूल्य की दुकानों से बिकने वाले चावल के मूल्यों में बहुत अन्तर है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इसमें से कितनी राशि (वसूली तथा बिक्री मूल्य में अन्तर) को बिचौलियों, सरकारी वितरण व्यवस्था द्वारा उपयोग किया जा रहा है और उचित मूल्य की दुकानों को कितनी कमीशन दी जा रही है; और

(ग) इस बारे में मितव्ययता बरतने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि चावल के वसूली तथा बिक्री मूल्य में विद्यमान अन्तर को कम किया जा सके और इसे उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर दिया जा सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

सुपर बाजार दिल्ली में बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

5242. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अप्रैल, 1972 के हिन्दुस्तान टाइम्स के 'ईवनिंग न्यूज' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सुपर बाजार में बिकने वाली कुछ वस्तुओं के मूल्यों में हाल में बहुत वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो वह वस्तुयें कौन सी हैं जिनके मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या मूल्य में वृद्धि इस तथ्य के कारण हुई है कि सुपर बाजार, सुपर बाजार में बिकने वाली वस्तुओं को, जिनके मूल्यों में वृद्धि हुई है, एक ठेकेदार के माध्यम से खरीदता रहा है, और यदि हाँ, तो मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). यह समाचार सुपर बाजार, नई दिल्ली में बिकने वाली सब्जियों तथा फलों के मूल्यों के बारे में है । सुपर बाजार के प्राधिकारियों ने बाजार का सर्वेक्षण किया है, जिससे पता चला है कि सुपर बाजार फलों तथा सब्जियों के मूल्यों और दिल्ली के तुलनीय बाजारों के मूल्यों में कोई बड़ा अन्तर नहीं था । तथापि, कुछ वस्तुओं के मूल्यों में पहाड़गंज के बाजार के भावों की तुलना में कुछ अन्तर था । इस पर तत्काल ध्यान दिया गया और तद्नुसार उन वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन किया गया । सुपर बाजार में फल तथा सब्जी अनुभाग प्राईवेट पार्टी के साथ किए गए विशेष प्रबन्धों के अधीन चलाया जा रहा है, परन्तु, करार की शर्तों के अनुसार सुपर बाजार किस्मे तथा मूल्य पर नियंत्रण रखता है, जिसके लिए बाजार से तुलना भी की जाती है । सुपर बाजार द्वारा रखे जाने वाले नियंत्रण को देखते हुए, साधारणतया फलों तथा सब्जियों की तुलनीय किस्मों अथवा इसी प्रकार के प्रबन्धों के अन्तर्गत सुपर बाजार में बेची जाने वाली अन्य वस्तुओं के मूल्यों का बाजार के मूल्यों से अधिक होने की कोई संभावना नहीं है ।

चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला दूसरा बड़ा देश भारत

5243. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाले देशों में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है;

(ख) क्या इससे देश आत्मनिर्भर हो गया है तथा इसके पास कुछ चावल फालतू भी हो गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितना चावल फालतू हो गया है और क्या उक्त स्थिति को देखते हुए राशन/उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल के मूल्य को कम कर दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पिछले कई वर्षों से भारत विश्व में चावल पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश रहा है।

(ख) बिना कोई आयात किए खपत के वर्तमान स्तर पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल का उत्पादन पर्याप्त है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गरीब लोगों द्वारा खाए जाने वाले अनाज का वसूली मूल्य, बिक्री मूल्य तथा उसकी बिक्री पर राजसहायता

5244. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कौन-कौन से खाद्यान्न की वसूली की जा रही है;

(ख) प्रत्येक प्रकार के अनाज का वसूली तथा बिक्री मूल्य क्या है; और

(ग) सरकार किस प्रकार के अनाज पर राजसहायता दे रही है और कितनी और क्या उन अनाजों को, जिनका उपयोग गरीब लोगों द्वारा किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो कुछ राजसहायता देकर सस्ते दामों पर बेचने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ और चावल की अधिप्राप्ति की जा रही है ।

(ख) गेहूँ का अधिप्राप्ति मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल है और निर्गम मूल्य 78 रुपये प्रति क्विंटल है । चावल के अधिप्राप्ति मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। राज्यवार मूल्यों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । चावल के निर्गम मूल्य इस प्रकार हैं :

मोटा	100	रुपये	प्रति	क्विंटल
मध्यम	111	"	"	"
बढ़िया	120	"	"	"
बहुत बढ़िया	128	"	"	"

(ग) फिलहाल, गेहूँ और चावल दोनों ही के वितरण पर राजसहायता दी जा रही है। 1971-72 में गेहूँ और चावल के लिए दी गई राजसहायता क्रमश: 44·21 करोड़ रुपये और 5·48 करोड़ रुपये थी ।

खाद्य निगम उचित मूल्यों पर मोटे खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और बिक्री भी कर रहा है जिनको मुख्यत: समाज के गरीब वर्गों के लोग प्रयोग करते हैं ।

विवरण

1971-72 मौसम में विभिन्न राज्यों में चावल की मानक किस्मों के अधिप्राप्ति मूल्य बताने वाला विवरण ।

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मानक किस्म	1971-72 के लिए अधिप्राप्ति मूल्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	अक्कुल्लू	80·32
2.	असम	विंटर साली	—
3.	बिहार	मोटा	95·25
4.	गुजरात	साठी	85·34
5.	हरियाणा	बेगमी	85·50
6.	केरल	पालघाट मट्टा	85·88
7.	मध्य प्रदेश	गुरमटिया	83·00
8.	महाराष्ट्र	मोटा	81·00
9.	मैसूर	मोटा (कच्चा)	74·30
10.	उड़ीसा	मध्यम	95·20
11.	पंजाब	बेगमी	85·50
12.	राजस्थान	सुथरसौल	—
13.	तमिलनाडु	कट्टईसाम्बा	88·31 (सेला)
14.	उत्तर प्रदेश	ग्रेड-3	89·00
15.	पश्चिमी बंगाल	साधारण	91·20

राष्ट्रीय पोषाहार निरीक्षण ब्यूरो के क्षेत्रीय यूनिटों की स्थापना

5245. **श्री वयालार रवि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय पोषाहार निरीक्षण ब्यूरो की क्षेत्रीय यूनिटें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इन यूनिटों को क्या कार्य सौंपा जायेगा; और

(ग) क्या सरकार ऐसी एक यूनिट केरल में स्थापित करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,

मैसूर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 1 अप्रैल, 1972 से राष्ट्रीय पोषाहार निरीक्षण के क्षेत्रीय ब्यूरो खोले दिए हैं।

(ख) देश की आबादी के विभिन्न वर्गों का पोषण संबंधी स्तर क्या है और उसके निर्धारित तत्व क्या हैं इसके बारे में जानकारी जुटाना और साल में एक बार ऐसे अध्ययनों को दुहरा कर घटित परिवर्तनों के साथ-साथ ऐसे परिवर्तन के कारणों की जानकारी देना इन एककों का मूल उद्देश्य है। क्षेत्रीय केन्द्र क्लिनिकी पोषण सर्वेक्षण, मानव मितीय माप परिवार आहार सर्वेक्षण, व्यक्तिगत आहार सर्वेक्षण करने और खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न उपलब्धता आदि जैसी अन्य संबंधित सामग्री एकत्र करने का कार्य भी करेंगे। चालू पोषाहार कार्यक्रमों का सतत् मूल्यांकन करना राष्ट्रीय पोषाहार निरीक्षण कार्यालयों का एक मुख्य कार्य है जिसके निष्कर्षों के आधार पर देश के पोषाहार कार्यक्रमों के संचालन में यथापेक्षित सुधार बीच में किये जा सकें।

(ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 1 अप्रैल, 1972 से केरल में राष्ट्रीय पोषाहार निरीक्षण ब्यूरो का एकक पहले ही खोल दिया है।

अर्धशुष्क कटिबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान

5246. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्धशुष्क कटिबंध का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का एकक कब तक बनकर पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या इस एकक की स्थापना देशी सामग्री और धन से की जा रही है अथवा विदेशी सहयोग से; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उस एकक पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क). भारत में अर्द्ध-रुक्ष उष्ण-कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना के उद्देश्य से भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परामर्शदात्री ग्रुप की ओर से फोर्ड फाउंडेशन के मध्य 28-3-72 को एक समझौता हुआ था। संस्थान इस वर्ष स्थापित हो जाने की संभावना है।

(ख) यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के परामर्शदात्री ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है। संस्थान को वित्तीय सहायता तथाकथित ग्रुप द्वारा दी जायेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, इंगलैंड तथा पश्चिमी जर्मनी आदि की सरकारें सम्मिलित हैं।

(ग) संस्थान की मुख्य बातों के संबंध में एक नोट संलग्न है। भारत सरकार को इसके लिए विदेशी मुद्रा का कोई व्यय नहीं करना पड़ेगा।

विवरण

भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परामर्शदात्री ग्रुप की ओर से कार्य कर रही फोर्ड फाउंडेशन के साथ अर्द्ध-रुक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए एक करार किया है।

2. संस्थान एक स्वायत्त, अंतर्राष्ट्रीय, लोकार्थ, गैर-लाभार्थ, अनुसंधानकारी, शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संगठन होगा।

3. संस्थान (क) ज्वार, बाजरे, अरहर तथा चने के एक विश्व केन्द्र; (ख) उन्नत फसल प्रतिमानों तथा कम वर्षा वाले, असिंचित, मौसमी रूप से भूखे तथा अर्द्ध-रुक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के विकास तथा प्रदर्शन के एक केन्द्र तथा (ग) इसी प्रकार के खेतों में अनुसंधान कार्य के एक केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

4. संस्थान की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अमरीका तथा इंग्लैण्ड ने प्रारम्भ में 4,00,000 डालर का अनुदान देने का वचन दिया है।

5. यह संस्थान भारत सरकार के बारानी कृषि विषयक राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहायता देगा। इसके अंतर्गत केवल भारत के गैर-सिंचित क्षेत्रों के कृषि उत्पादन में ही नहीं बल्कि उन्नत बीजों, फसल प्रतिमानों, कृषि प्रणालियों तथा मानव और प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा विश्व के अर्द्ध-रुक्ष उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मौसमी रूप से सूखे रहने वाले क्षेत्रों के उत्पादन में भी क्रान्ति लाने की अत्यधिक संभावनायें निहित हैं। संस्थान से विश्व के लगभग 4,000 लाख लोगों को लाभ पहुँचने की आशा है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

5247. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में सतत् सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याएँ सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को अब तक गत तीन वर्षों में कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) जिन योजनाओं के लिए यह सहायता दी गई है उनके नाम क्या हैं और इन योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायता माँगी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम देश के निरन्तर सूखे से ग्रस्त रहने वाले 54 चुनींदा जिलों में अभावात्मक परिस्थितियों की उग्रता को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1970-71 में प्रारम्भ किया गया था। आंध्र प्रदेश के 5 जिलों के लिए, जहाँ कि यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, वर्ष 1970-71 से 1973-74 की अवधि में 10 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय उपलब्ध होगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को 1970-71 तथा 1971-72 की अवधि में कुल 525·79 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई थी।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, वन रोपण, सड़कों तथा पेय जल आपूर्ति योजनाओं के लिए सहायता दी गई थी। संस्वीकृत योजनाओं पर व्यय की स्थिति को देखते हुए प्रगति संतोषजनक दिखाई देती है।

(ग) जी हाँ।

(घ) भारत सरकार ने राज्य सरकार को दो निरन्तर सूखाग्रस्त तालुकों अर्थात् नालगोंडे जिले के देवोरकोंडा तालुक और प्रकाशम (ओंगोले) जिले के कानिगिरी तालुक में, जोकि पहले से छाँटे गए जिलों के पड़ोस में ही हैं, कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए 64 लाख रुपये का अतिरिक्त परिव्यय देना स्वीकार कर लिया है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए नियत की गई राशि का उपयोग

5248. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में सतत् सूखाग्रस्त क्षेत्रों की योजनाओं के लिए नियत की गई निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इन दो वर्षों में वास्तव में कितनी राशि कम खर्च की गई;

(ग) इस कमी के क्या कारण थे; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाओं के लिए नियत की गई निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग हो, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय बजट प्रावधान तथा वास्तविक रूप से कम खर्च की गई राशि निम्न प्रकार है :

(रुपये करोड़ों में)

	1970-71	1971-72
बजट प्रावधान	25·00	20·00
कम खर्च की गई राशि	15·65	1·5

(ग) कार्यक्रम के प्रथम वर्ष अर्थात 1970-71 के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर कई प्रारम्भिक कदम उठाये गये थे। निरन्तर रूप से सूखे से प्रभावित रहने वाले जिलों का चयन करने के लिए राज्यों से विस्तृत ब्यौरा एकत्र किया जाना था। कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनायें तैयार करने के लिए मार्ग दर्शन पद्धति तैयार करने के साथ-साथ इसे राज्यों को भी परिचारित किया जाना था। कार्यक्रम जिलों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में राज्यों ने काफी समय लिया। फिर भी, कार्यक्रम के प्रथम वर्ष (1970-71) में छाँटे गए 54 जिलों में से 45 जिलों में केन्द्र द्वारा योजनायें स्वीकृत कर दी गई थीं। इसके उपरान्त योजनायें पृथक-पृथक रूप से संस्वीकृत कराने तथा उनकी कार्यान्विति के उद्देश्य से आवश्यक संगठन का निर्माण करने के लिए, राज्यों को सामान्य तकनीकी, प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्याविधियों का अनुसरण करना पड़ा है। इन कारणों से बजट प्रावधानों का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा सका। फिर भी, 1971-72 के दौरान कार्यक्रम की क्रियान्विति को गतिमान किया गया और बजट के अनुदान भाग का पूरा-पूरा उपयोग किया गया। ऋण भाग (जोकि 1·50 करोड़ रुपये है) का उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि राज्य सरकारों ने जिन कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में दी जाती है, व्यय के आँकड़े पृथक रूप से प्रस्तुत नहीं किए थे।

(घ) अब यह कार्यक्रम सभी 54 जिलों में स्वीकृत कर दिया गया है। कुल 76·67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं और इस प्रकार राज्य सरकारों के पास विस्तृत कार्यक्रम कार्यान्विति के लिए उपलब्ध हैं। राज्यों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे संस्वीकृत योजनाओं को बिना किसी बाधा के लागू करें। आवश्यक प्राथमिक कार्यवाही प्रायः पूर्ण की जा चुकी है और कार्यक्रम की शीघ्र कार्यान्विति के लिए आवश्यक संगठन का निर्माण किया चुका है।

उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

5249. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विशेष जाँच प्रभागों, जहाँ राज्यों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिलती है, की योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में एक योजना का सूत्रपात किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा में अब तक ऐसी कितनी योजनाएँ कहाँ-कहाँ पर चालू की गई हैं;

(ग) उड़ीसा में केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न क्षेत्रों में कितना धन व्यय हुआ है और इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने कठिन और अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अब तक कोई ब्यौरेवार योजना एवं प्राक्कलन तैयार किए हैं और यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ). विशेष जाँच प्रभागों की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अधीन उड़ीसा में 1965 से

तीन उपप्रभागों वाला एक प्रभाग कार्य कर रहा है। दिसम्बर, 1971 से एक और उप प्रभाग की संस्वीकृति दे दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों की कठिन और अभावग्रस्त क्षेत्रों में जल पूर्ति की समस्या का पता लगाने तथा उसकी जाँच करने तथा आँकड़े आदि का संकलन करने के लिए उन्हें शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के अभावग्रस्त एवं कठिन क्षेत्रों के लगभग सात हजार ग्रामों में प्रारम्भिक जाँच कार्य, नक्शा बनाने एवं पहचानने का कार्य पूरा हो चुका है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रारम्भिक जाँच कार्य के पूरा हो जाने की सम्भावना है।

इन प्रभागों का काम न तो जल पूर्ति योजनाओं की विस्तृत योजनाएं एवं प्राक्कलन तैयार करना था और ना ही उनका वास्तविक संचालन करना। वैसे, विशेष जाँच प्रभागों की योजना के कार्य को पूरा करने के लिए एक और योजना हाल ही में चलाई गई है जिसके अधीन राज्यों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देकर विशेष योजना तथा डिजाइन सेल खोलने की मंजूरी दे दी गई है। ये सेल ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिए विस्तृत योजनाएँ एवं प्राक्कलन तैयार करेंगे। इस योजना के अधीन दिसम्बर, 1971 में उड़ीसा सरकार को एक प्रभाग की मंजूरी दी गई थी। वैसे, अनेक कारणों से 1971-72 में इस प्रभाग को शुरू नहीं किया जा सका। संभवतः चालू वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाए।

बड़ौदा में संयुक्त राष्ट्र का एक नया कार्यक्रम

5250. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी समुदाय विकास में सहायता करने हेतु विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के नए समेकित कार्यक्रय के लिए विश्व में चुने गए सात नगरों में से गुजरात में बड़ौदा भी एक नगर है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या संयुक्त राष्ट्र के एक दल ने हाल ही में बड़ौदा की यात्रा की है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र नए कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या होंगे और इससे कितने परिवारों को लाभ पहुँचेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, New Delhi

5251. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether grant was given by his Ministry to Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi;

(b) whether the Chartered Accountant who audited the accounts of the said Trust has certified that all the information or clarifications which were necessary for audit purpose were made available to him; and

(c) if not, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) The following grants have been given by the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) to Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi so far :

(i)	1962-63	Rs. 50,000/—	for completion of general ward, sanitary installation and purchase of equipment.
(ii)	1963-64	Rs. 12,000/—	For the construction of verandah, stair case, terrace and an out-patient pavillion (Rs. 6000) and for the purchase of equipment (Rs. 6000/—).
(iii)	1964-65	Rs. 1,000/—	For the purchase of equipment for Yoga Institute for Psycho-Physical Therapy, Bhagwan Dass Seva Sadan, New Delhi.

No grant has been given by the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) to Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, after the year 1964-65.

(b) and (c). In the absence of any remarks of the Chartered Accountants concerned on the certificates signed by them that information or clarifications which were necessary for audit purpose were not made available to them, it is to be assumed that such information and clarifications had been made available. The certificates produced are adequate evidence of the fact that the grants received by Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, New Delhi from the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) were utilised for the purposes for which they were sanctioned.

अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता सोसायटी तथा डा० भगवानदास स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली को दिये गये सहायता अनुदानों का दुरुपयोग

5252. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1779 के उत्तर के अनुसार अनुदानों के पुर्नविनियोग और धांधली का लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख). इस मामले का संबंध दिल्ली प्रशासन से है और उनसे इस बारे में सूचना मंगाई गई है।

Ganesh Flour Mill

5253. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Ganesh Flour Mill, Subzimandi, Delhi has been lying closed for a long time, as a result of which a large number of labourers have been rendered jobless;

(b) whether Government have adopted the policy of taking over closed factories: and

(c) the steps proposed to be taken by Government to reopen or take over the said mill ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) M/s. Ganesh Flour Mills Co. Ltd., Delhi, have been operating manufacturing units in a number of industries in Delhi, Kanpur and Bombay, some of which are functioning more or less normally, while others have closed down on the dates specified below :

(i) the flour mill at Delhi, in April 1956 having been destroyed by fire.

(ii) the electric fan factory at Delhi, in June, 1970.

(iii) the vanaspati factory at Delhi in September, 1971.

The Board of Directors of the Company was removed in January, 1972, by orders of the Delhi High Court and replaced by a new Board constituted by the Court.

(b) Statutory provision enabling Government to authorise the taking over of the management, either directly or after carrying out a preliminary investigation as may be deemed expedient, of industrial undertakings in which there has been, or is likely to be, a substantial fall in production or which may have been closed for a period of three months, subject to the fulfilment of certain conditions, has been made under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951.

(c) The matter is under active consideration.

पेंशन भोगी व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधायें

5254. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन भोगी व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) . केन्द्रीय सेवाएँ (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 तथा उसके अधीन जारी किये गये आदेशों में केन्द्रीय सरकार के पेन्शनरों को चिकित्सा की कोई सुविधा देने की व्यवस्था नहीं की गई है। फिर भी, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद और मेरठ जैसे शहरों में जहाँ इस योजना को लागू किया गया है, केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को विहित अंशदान देने पर चिकित्सा कराने की सुविधाएं दी गई हैं।

रासायनिक उर्वरकों के मूल्य युक्तिसंगत बनाना

5255. **श्री रणबहादुर सिंह :**
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा के अनेक सदस्यों द्वारा लिखित रूप में दिए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार के समक्ष इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव है कि माल उतारने-चढ़ाने तथा वितरण के केन्द्रों को कम करके रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों को युक्तियुक्त बनाया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). सरकार माननीय सदस्यों की इस चिंता को समझती है कि वितरण प्रणाली के स्तरों को कम करने के साथ-साथ वितरण की लागत को संभावित सीमा तक कम किया जाना चाहिए । भारतीय उर्वरक निगम सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उर्वरक विनिर्माता है और उसकी द्विवस्तरीय वितरण प्रणाली है । फिर भी सरकार का वितरण व्यवस्था में विभिन्न स्तरों की संख्या को दृढ़ता से निश्चित करने का प्रस्ताव नहीं है, किन्तु वह इस बात का पूर्ण ध्यान रखेगी कि कुल लागत अधिकृत सीमान्तों से अधिक न हो ।

सहकारी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत देश में बिकने वाले आधे से अधिक उर्वरक का विक्रय किया जाता है और इनमें सामान्यत: त्रिस्तरीय वितरण प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है । राज्य एपेक्स विपणन समिति को उर्वरकों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ता है, किन्तु उर्वरकों को वे सामान्यत: मौसम से पूर्व ब्लाक स्तरीय समितियों ही को भंडारण के लिये भेज देती है । त्रिस्तीय व्यवस्था के बावजूद भी वितरण की कुल लागत सामान्य सीमांत से बढ़नी चाहिए और प्रत्येक स्तर को अपने द्वारा की गई सेवाओं के अनुपात से सीमान्त का अपना अंश रख लेना चाहिए । किन्तु इस प्रथक प्रणाली की संरचना प्रत्येक राज्य में पृथक पृथक की जाती है । राष्ट्रीय विकास निगम ने विभिन्न राज्यों की सहकारी वितरण व्यवस्था का अध्ययन करने तथा उसे सुचारु रूप देने के लिये एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की है, जिससे कृषक न्यूनतम संभावित मूल्य पर उर्वरक प्राप्त कर सकें ।

उर्वरकों के अधिकतम सांविधिक मूल्य जिसमें कर तथा शुल्क सम्मिलित नहीं हैं गत तीन वर्षों की अवधि में स्थिर रहे, और यूरिया तथा एमोनियम सल्फेट के मूल्य में सरकार ने क्रमश: 20/- रुपये तथा 100/- रुपये प्रति मीटरी टन की कमी कर दी है । राष्ट्रीय कृषि आयोग ने बताया है कि भंडारण, परिवहन आदि की लागत सहित उर्वरकों का वितरण मूल्य बढ़ गया है, किन्तु उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्यों को वर्तमान स्तर तक बनाये रखने की दिशा में प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा ।

विश्वविद्यालयों में सामान्य स्थिति लाना

5256. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि अत्यधिक कुप्रशासन से देश के अनेक विश्व-विद्यालयों में असंतोष है जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकास के लिए दिया गया धन उनमें उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है, और

(ख) यदि हाँ, तो पटना विश्वविद्यालय की तरह अशान्त विश्वविद्यालयों में सामान्य स्थिति लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार क्या कार्यवाही करने का है अथवा संबंधित राज्य सरकारों को सुझाव देने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के पास इस संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि अत्यधिक कुप्र-शासन के कारण देश के अनेक विश्वविद्यालयों में विक्षोभ है। जहाँ तक आयोग द्वारा विकास के लिये किये गए अनुदानों का उचित रूप से उपयोग करने का संबंध है, अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थाओं को कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा यथाविधि प्रमाणिकृत किए गए इस आशय के परीक्षित लेखों तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूर किया गया था।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय में सामान्य स्थितियाँ लाने के लिये किसी भी राज्य सरकार से कोई संदर्भ के प्राप्त होने पर आयोग मामले की पूर्ण रूप से जाँच करेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए सिफारिश करेगा।

सुपारी के मूल्य में गिरावट

5257. **श्री० सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपारी के मूल्य में बहुत गिरावट आ गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन मूल्यों को गिरने से रोकने तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) हाल के वर्षों में सुपारी के मूल्य कमी आई है और बहुत सी मंडियों में इसके फलस्वरूप मूल्य गत वर्ष के स्तर से भी नीचे गिर गये हैं।

(ख) सरकार को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं और इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

गेहूँ, चावल और चीनी का निर्यात

5258. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री पम्पन गौडा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूँ, चावल और चीनी के निर्यात का लक्ष्य क्या है;

(ख) यदि हाँ, तो निर्यात किन देशों को किया जाता है और कितने मूल्य का किया जाता है; और

(ग) जिन देशों को निर्यात किया गया है, उनसे भुगतान किस प्रकार से लिया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1972-73 के दौरान 1 लाख मी० टन चीनी और 25,000 मी० टन बढ़िया बासमती चावल निर्यात करने का लक्ष्य है ।

(ख) चावल का निर्यात सऊदी अरब युद्ध विराम संबंधी राज्य, कुवैत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, सिंगापुर, हांगकांग, फिज़ी और मारीशस को किये जाने की संभावना है जिसका मूल्य 4·5 करोड़ रुपये के आस-पास होगा । चीनी का निर्यात ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जायेगा जिसका मूल्य लगभग 12 करोड़ रुपये होगा ।

(ग) सामान्यतः साख-पत्र के माध्यम से भुगतान प्राप्त होते हैं ।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल का सर्वेक्षण

5259. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उसके राज्य में निरन्तर अकालग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल का सर्वेक्षण किया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त सर्वेक्षण इस बीच पूरा कर लिया गया है और यदि हाँ, तो किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है और चालू वर्ष में किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जायेगा और इस संबंध में क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ।

(ग) केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल (कृषि मंत्रालय के अधीन संलग्न कार्यालय) देश के विभिन्न भागों में भूमिगत जल के समन्वेषण का कार्य कर रहा है।

गुजरात में केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल ने कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा और मेहसाना जिलों के कुछ भागों में कार्य किया है। मेहसाना और बनासकांठा जिलों में आगे और कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान में जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सीकर, झुनझुनू, नागौर, अलवर और गंगानगर जिलों के भागों में सर्वेक्षण किये गये हैं। अब केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल नागौर जिले में कार्य कर रहा है और चूरू, सीकर, झुनझुनू तथा बीकानेर जिलों में आगे और कार्य भी किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर, बाँदा और हमीरपुर जिलों में कार्य किया गया है। आजमगढ़ जिले में आगे और कार्य किया जा रहा है तथा इसके उपरान्त बलिया और इलाहाबाद जिलों में कार्य शुरू किया जायेगा।

बिहार में केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल ने मुजफ्फरनगर, सारन, दरभंगा, गया, शाहाबाद मुंगेर और चम्पारन जिलों में कार्य किया है। वर्ष 1972-73 में शाहाबाद जिले के मोहानिया क्षेत्र में कुछ और कार्य किया जाना है।

मध्य प्रदेश में भी सूखे से प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य भूमिगत जल निदेशालय द्वारा बेतूल, धर, झबुआ और सीधी जिलों में सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने भी अहमदनगर, नासिक, पूना, साँगली, सतारा और शोलापुर जिलों में भूमिगत सर्वेक्षण करने के लिए हमें लिखा है। केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल इनमें से कुछ क्षेत्रों में शीघ्र ही एक भूमिगत जल सर्वेक्षण परियोजना शुरू करेगा।

Amount Allocated to Madhya Pradesh for Lift Irrigation

5260. **Shri Arvind Netam :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount allocated for Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan for the purpose of lift irrigation schemes; and

(b) the target fixed in regard to the number of power pumps to be installed ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) and (b). The information is being collected from the State Government and will be placed on the table of the Lok Sabha when received.

अपनी आवश्यकताओं से अधिक तम्बाकू का उत्पादन करने वाले राज्य

5261. **श्री पम्पन गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जो अपनी आवश्यकताओं से अधिक तम्बाकू का उत्पादन करते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : भारत के महत्वपूर्ण उत्पादक और खपत करने वाले राज्यों में से आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मैसूर और तमिलनाडु राज्यों में तम्बाकू का उत्पादन इनकी खपत से अधिक है । परन्तु, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ये राज्य अन्य क्षेत्रों से तम्बाकू का आयात नहीं करते । वास्तव में, कुछ ऐसी किस्मों का तम्बाकू, जो कि राज्य में पैदा नहीं होता या जिनका उत्पादन माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अन्य उत्पादक क्षेत्रों से आयात किया जाता है ।

एलोपैथी के गैर-सरकारी चिकित्सकों पर औषध अधिनियम तथा नियमों को लागू करना

5263. **श्री प्रताप सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध अधिनियम और नियमों को निजी एलोपैथी चिकित्सकों पर भी लागू किया गया है यद्यपि वे कैमिस्ट नहीं हैं और न ही वे अपने औषधालयों में औषधियाँ बेचते हैं न उनका स्टाक करते हैं और न वे किसी औषधि का बेचने के लिए प्रदर्शन करते हैं;

(ख) क्या राजस्थान और पंजाब की सरकारों ने अपने विशेष गजट अधिसूचनाओं द्वारा औषध अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें रजिस्टर्ड चिकित्सक मान लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस वर्ष के चिकित्सकों को औषध अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने को कहे जाने के क्या कारण हैं और उनका औषध नियमों की अनुसूची के अन्तर्गत छूट के लिए मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय 4 के उपबन्धों और औषधियों के निर्माण और बिक्री से संबंधित नियमावली से औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में यथा परिभाषित 'पंजीकृत चिकित्सकों' को अपने रोगियों को ही दी गई औषधियों के संबंध में छूट दी गई बशर्ते कि वे उक्त नियमावली की अनुसूची 'ट' की प्रविष्टि 5 में विर्निदिष्ट शर्तों को पूरा करते हों ।

(ख) राजस्थान और पंजाब सरकारों ने औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अधीन क्रमशः 14 मई, 1960 और 1 मई, 1960 को आधुनिक चिकित्सा पद्धति से कम से कम पाँच वर्षों से चिकित्सा कार्य कर रहे मौजूदा चिकित्सकों को पंजीकृत चिकित्सकों के रूप में अधिसूचित कर दिया है ।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 2 के खण्ड (इ० इ०)

के उप खण्ड (iii) के अधीन किस श्रेणी के चिकित्सकों को पंजीकृत चिकित्सकों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए यह राज्य सरकारों के अपने विवेक पर निर्भर करता है। जिन चिकित्सकों को राज्य सरकारों द्वारा 'पंजीकृत चिकित्सकों' के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, उन्हें औषधियों की बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस हासिल करने होते हैं।

ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार की व्यवस्था

5264. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत रोजगार की व्यवस्था करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और इस वर्ष कितने अतिरिक्त श्रमिकों को काम दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : ग्राम रोजगार की त्वरित योजना, जो वर्ष 1971-72 में 50 करोड़ रुपए के परिव्यय से योजना से भिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में आरंभ की गई थी, को चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय से केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीम के रूप में जारी रखा जा रहा है।

इसके अतिरिक्त बेरोजगारी के स्वरूप एवं परिमाण की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से लगभग 15 खण्डों में प्रायोगिक आधार पर एक कार्यवाही एवं अध्ययन परियोजना आरंभ करने का विचार किया है। इस बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

त्रिपुरा में तीन एकड़ कृषि भूमि को रेंट फ्री करने के लिए अभ्यावेदन

5265. **श्री दशरथ देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा में तीन एकड़ तक भूमि कृषि भूमि को (रेंट फ्री) करने के लिए त्रिपुरा सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) इस विषय पर भारत सरकार विचार कर रही है।

Unemployment in Rural Areas and Consequent Pressure on Land

5266. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether unemployment is affecting agricultural land adversely in a big way;

(b) whether the number of unemployed persons in villages has also increased as a result thereof;

(c) whether Planning Commission have considered ways and means to check the pressure on agricultural land as a result thereof; and

(d) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). Precise estimates of unemployment in the country are not available. The available information relates to work seekers on the live registers of employment exchanges. Since the employment exchanges are located in urban areas only, the number on their live registers does not reflect the unemployment situation in the rural areas. However, it is well-known that there is considerable seasonal unemployment and under-employment among rural labour, a majority of whom are engaged in agriculture.

(c) and (d). The problem of rural unemloyment and under-employment cannot be solved by a single scheme or even by a combination of several schemes. It can be mitigated to a great extent by vigorous implementation of the plan programmes for agricultural production supported by schemes for irrigation, rural electrification, rural industries, roads, housing, etc. In addition to vigorous implementation and orientation of programmes to accelerate both production and employment generation, a number of special programmes for stimulating employment in the rural areas have since been introduced. These special problems are intended to deal with the problem of marginal farmers, sub-marginal cultivators and agricultural labourers and also to meet the employment needs of certain areas. For assisting the first category of small but potentially viable farmers in obtaining access to credit facilities and also to modern inputs such as seeds, fertilisers, ground water etc. special projects are being taken up in about 46 selected districts through Small Farmers Development Agency. The Fourth Plan outlay for this is Rs. 67·50 crores. The focus in these projects is on intensive agriculture. The potentially viable small farmers are being defined with reference to local conditions. This may vary in irrigated areas and in unirrigated areas. Broadly, the category covers holdings from 2·5 to 3 acres with local adjustments. Each project covers a district or a part of district and deals with about 50,000 families. The financial provision for each Agency is Rs. 1·50 crores for the duration of the Fourth Plan.

Besides the potentially viable small farmers, there are a large number of very small farmers whose land base is itself very narrow and whose income has necessarily to be supplemented from subsidiary occupations and farm labour. 41 projects have been sanctioned for the banefit of these morginal farmers and agricultural labour. The total Fourth Plan outlay for this is Rs. 47·50 crores. Each project covers a district or a part of a district and caters to about 20,000 families. In some projects the area covered is a compact and contiguous area of two districts. This programme is essentially market and works-oriented. The selection of areas for these projects is in relation to the availability of centres of demand for the projects. The beneficiaries of these projects are marginal farmers with holdings upto 2·5 acres and some agricultural labour families. While some of the participants are being enabled to take to intensive agriculture, the major emphasis in these programmes is on ancillary occupations like dairy, poultry, piggery, sheep breeding etc. For the purely landless labour there are programmes of rural works. For each project there is an outlay of Rs. 1 crore for the duration of the Fourth Plan.

For the benefit of the farmers in dry areas, a programme of integrated dry farming development is being undertaken during the Fourth Plan in areas where dry farming is practised on a large scale. It is intended to have 24 pilot projects ultimately. The total Fourth Plan provision for this scheme is Rs. 20 crores.

As a part of non-plan programmes, a series of rural works projects are being under-

taken in areas which are prone to drought. The object of the scheme is to create permanent civil works which will mitigate the effects of drought when it occurs and at the same time provide employment to the rural households. The programme is to cover 54 districts. The total Fourth Plan provision for this scheme is Rs. 100 crores.

With a view to alleviating the prevailing condition of unemployment and under-employment in rural areas, the Government of India have decided that scheme for the execution of essentially labour-intensive projects in all the districts of the country, should be implemented with utmost urgency. The scheme came into operation in April 1971 and will remain in operation till the end of the Fourth Plan. The scheme is likely to cost Rs. 50 crores per annum. The scheme contemplates direct generation of employment through the execution of projects which are essentially labour-intensive in all the districts of the country. The scheme has a two-fold purpose. First, each project should provide employment for 1,000 persons on an overage continuously over a working season of 10 months in a year in every district. Secondly, each project should produce works of assets of a durable nature in consonance with local development plans.

Enactment of land ceiling legislation by State Government is also expected to make some lands available for redistribution.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा फोटोसेन्सीटाइज्ड 'पेपर' और 'डिवेलेपर' का आविष्कार

5267. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के एक वैज्ञानिक दल ने प्रथम बार 'फोटोसेन्सी-टाइज्ड पेपर, और 'डिवेलेपर' का विकास किया है ।

(ख) यदि हाँ, तो आविष्कार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हाँ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के एक वैज्ञानिक दल ने फोटोसेन्सीटाइज्ड पेपर तथा डिवेलेपर तैयार करने के लिए प्रक्रियाओं का विकास किया है ।

(ख) फोटोसेंसिटाइज्ड पेपर पर प्रतिवृति का विकास करने के हेतु इस आविष्कार में फोटोसेन्सिटाइज्ड पेपर और एक उपयुक्त द्रव का विकास किया गया है । सीधे वैद्युत स्थिर प्रतिकृति प्रक्रिया की जिसमें इस कागज तथा विकासक का प्रयोग किया जाता है, अत्यधिक महत्व-पूर्ण विशेषताएँ हैं, प्रतिलिपि की कम लागत, प्रतिलिपि निर्माण की उच्च अनुपात प्रचालन की सुविधा, तथा उच्चकोटि का उत्पादन हैं । वैद्युत स्थित प्रतिलिपि करना संचरण प्रत्यक्ष आधार सामग्री, अभिलेखन-लेखी, अनुलिपि अभिलेखन, उच्च गति माइक्रोफिल्म, रीडर प्रिंट और लीथोग्राफीय तथा लैटर प्रेस प्लेटस चित्रमुद्रण आदि सहित इस कागज के अनेक उपयोग हैं । चूँकि इस कागज

और विकासक की प्रक्रिया के लिए अपेक्षित सभी सामग्री देशीय ढंग पर भारत में ही उपलब्ध है, अतः इस प्रकार निर्मित वस्तुओं की लागत आयात की गई सामग्रियों की अपेक्षा बहुत कम है। अन्य प्रकार के फोटोग्राफी कागज की तुलना में इस कागज का इसकी प्रकाश सुग्राहिता संबंधी विशेषता को हानि पहुँचाए बिना सामान्य प्रकाश में भी, उपयोग किया जा सकता है।

(ग) विदेशी मुद्रा में बचतों का एक सुनिश्चित प्राक्कलन प्रक्रियाओं के व्यापारिक तौर पर दोहन करने के पश्चात् ही तैयार किया जा सकता है।

Famine Condition in Some Areas in Bihar and Madhya Pradesh

5268. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether famine situation has arisen among 75,000 hill people in Santhal Pargana in Bihar and in some backward areas of Madhya Pradesh;

(b) whether these State Governments have also sought assistance from the Centre in this regard; and

(c) if so, the amount demanded by them and the action proposed to be taken by the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Government of Bihar has intimated that 337 villages in Santhal Pargana inhabited by the Paharias have been affected by scarcity conditions due to the previous year's crop failure. The State Government has undertaken various relief measures and the situation is well under control. The Government of Madhya Pradesh has not reported any scarcity condition in the State.

(b) Government has not received any request for Central financial assistance from the two State Governments.

(c) Does not arise.

नई दिल्ली स्थित स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थान का साऊथ सेंटर

5269. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय को स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थान में एम० काम० की दो कक्षायें चलाने के लिए 1969 में कार्य से रीडर और लेक्चरर के अतिरिक्त पदों के लिए मंजूरी दी गई थी परन्तु एक वर्ष पश्चात् विश्वविद्यालय ने एम० काम० की एक कक्षा साऊथ सेन्टर में स्थानान्तरित कर दी तथा साऊथ सेन्टर के लिए भी प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर हेतु अतिरिक्त पदों के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली; और

(ख) क्या गत वर्ष (जुलाई 1971) स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थान में विद्यार्थियों की

तुलना में साऊथ सेन्टर में एम० काम० के लिये केवल विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था तथा शेष विद्यार्थियों को साऊथ सेन्टर जाने के लिए विवश किया गया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) स्नातकोत्तर (सांय) अध्ययन संस्थान में एम० काम० कक्षाओं के लिए 1969-70 के दौरान एक रीडरतथा दो प्राध्यापकों के अतिरिक्त पदों के लिए मंजूरी दी गई थी। 1970-71 के दौरान स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए दक्षिण दिल्ली विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना हो जाने से इस केन्द्र में हिन्दी, अंग्रेजी में एम० ए० तथा एम० काम० की कक्षाएँ शुरू की गई थीं तथा आवश्यक स्टाफ प्रदान किया गया था। ये कक्षाएँ विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग का विस्तारण है तथा इस केन्द्र में एम० काम० की कक्षाएं शुरू करने के लिए स्नातकोत्तर (सायं) अध्ययन संस्थान से एम० काम० कक्षाओं का कोई भी भाग स्थानान्तरित नहीं किया गया था।

(ख) 1971-72 के दौरान एम० काम० कक्षाओं में दक्षिण दिल्ली केन्द्र तथा स्नातकोत्तर (सांय) अध्ययन संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या दक्षिण दिल्ली केन्द्र तथा क्रमश: 95 तथा 167 थी और न की 22 तथा 190 जो कि प्रश्न में कही गई है।

(ग) दक्षिण दिल्ली की एम० काम० कक्षाओं को स्नातकोत्तर (सांय) अध्ययन संस्थान की कक्षाओं के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के 'रत्नचन्द्र' नाम के जहाज में आग लगना

5270. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के 'रत्नचन्द्र' नामक जहाज में 6 अप्रैल, 1972 को कोयला ले जाते हुए श्रीलंका के तट से दूर आग लग गयी थी तथा उसके 'हैल्ट' में विस्फोट हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो कितने व्यक्ति समुद्र में गिर गये थे तथा कितनों को चोटें पहुँची थीं; और

(ग) आग लगने का क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हाँ। धुँआ पहले 3-4-72 को 8 बजे प्रातः खिड़की नं० 2 और 3 से आता हुआ दिखाई दिया, 4-4-72 को 8·36 बजे प्रात: खिड़की नं० 2 में एक छोटा विस्फोट हुआ बताया जाता है।

(ख) एक नाविक समुद्र में गिर गया लेकिन वह जल्दी ही उठा लिया गया। दो नाविक कुछ जल गये।

(ग) स्पष्टतः आग जहाज में कोयला के स्थोरा में स्वयं दहन के कारण लगी।

Financial Help Sought by Dayal Singh College, New Delhi

5271. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Dayal Singh College affiliated to the Delhi University has sought financial assistance from the Central Government; and

(b) if so, the amount thereof and the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) The Dayal Singh College has not asked for any special grant in the recent past from the University Grants Commission. The College, however, continues to get its non-recurring and maintenance grant from the Commission in accordance with the norms laid down by the Commission.

(b) Does not arise.

फिलिपाइन्स विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अध्ययन

5272. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिपाइन्स विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार अधपके नारियल के अन्दर पाया गया तरल किस्म का पानी भारी रक्तभाव वाले रोगों के मामलों में अस्थायी रूप से अधिक रक्त निकलने को रोकने हेतु एक प्रभावकारी 'प्लाज्जमा एक्सपैंडर' सिद्ध हुआ है;

(ख) क्या कुत्तों पर किये गये इसके परीक्षण ने 90 प्रतिशत कुत्तों की जान बचाई है; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर 'हाँ' में है तो क्या हमारे देश में नारियल के बाहुल्य को देखते हुए सरकार ऐसे परीक्षण करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) फिलिपाइन्स विश्वविद्यालय ने इस विषय पर एक अध्ययन किया है, 10 अप्रैल, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की सरकार को जानकारी है।

(ख) इस अध्ययन के परिणाम अभी ज्ञात नहीं हुए हैं।

(ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने त्रिवेन्द्रम चिकित्सा कालेज में "जठरान्त्रशोथ के रोगियों पर प्राकृतिक नारियल के पानी एवं ग्लूकोस सेलाइन का आई० वी० उपयोग संबंधी तुलनात्मक अध्ययन" नामक योजना चलाई थी। जैसा कि जीव रासायनिक एवं क्लीनिकी

पैरामीटरों द्वारा पता चला है जठरान्त्रशोथ के जीर्ण रोगियों के शरीर में पानी की कमी को दूर करने में नारियल के पानी को शिराओं द्वारा शरीर में दिया जाना सफल सिद्ध हुआ। नारियल के पानी के रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि जैसे जैसे नारियल पक्का होता है उसमें मोनो-सैकेराइड का गाढ़ापन खत्म हो जाता है और उसके स्थान पर सूक्रोज का गाढ़ापन बढ़ता जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि कच्चे नारियल का पानी शास्त्रवर्णित आइ० वी० तरलों का एक अच्छा अनुकल्प है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित सहायता प्राप्त आवास योजनाओं की धीमी प्रगति

5273. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित सहायता प्राप्त आवास योजनाओं की प्रगति धीमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). यह सत्य है कि सामाजिक आवास योजनाओं की प्रगति आवश्यकता के आकार के अनुसार नहीं हुई है। इस धीमी प्रगति का कारण यह है कि कृषि, सिंचाई तथा बिजली आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों के प्रति स्पर्द्धात्मिक दावों की तुलना में राष्ट्रीय योजना की स्कीम में आवास को अपेक्षाकृत निम्न प्राथमिकता दी गई है। फलस्वरूप, सामाजिक आवास के लिये उपलब्ध साधन सीमित रह गए हैं।

भारतीय बच्चों का स्वास्थ्य

5274. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बच्चों का स्वास्थ्य विश्व में बहुत ही गिरा हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो भारतीयों की भावी पीढ़ी को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

अर्द्ध शुष्क कटिबन्ध के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान संबंधी समझौता

5275. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध शुष्क कटिबंध के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिये हाल ही में दिल्ली में भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के परामर्शदात्री दल के बीच समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय सस्य अनुसंधान परामर्शदात्री दल की ओर से कार्य कर रहे फोर्ड फाउन्डेशन के बीच 28 मार्च, 1972 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) समझौते की मुख्य बातों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय सस्य अनुसंधान परामर्शदात्री दल की ओर से कार्य कर रहे फोर्ड फाउन्डेशन के बीच हुए समझौते के अनुसार अर्धशुष्क उष्ण कटिबन्धों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना भारत में हैदराबाद के निकट की जाएगी। यह संस्थान एक स्वायत्त, अन्तर्राष्ट्रीय, लोक-हितैषी, अलाभकर, अनुसंधान, शैक्षिक और प्रशिक्षण संगठन होगा।

2. संस्थान निम्न प्रकार से अपनी सेवायें प्रदान करेगा—(क) ज्वार, मोटे अनाज, बंगाली चना (चना) और लाल चना (अरहर) के सुधार के लिये एक विश्व केन्द्र के रूप में; (ख) सुधरे हुए फसल प्रतिमानों और खेती की पद्धतियों के विकास और प्रदर्शन को उन्नत करने के रूप में, जो कम वर्षा, असिंचित, मौसमी सूखा और अर्ध-शुष्क उष्णकटिबन्धों में मानवीय और प्राकृतिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना।

3. संस्थान के कोर कार्यक्रम को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिये लगभग 100 से 120 लाख डालर की पूँजीगत लागत का अनुमान लगाया गया है। संस्थान में समस्त कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर मौजूदा एककों की लागत के आधार पर कोर पर 25 से 30 लाख डालर वार्षिक आवर्ती लागत आने का अनुमान है। आई० बी० आर० डी०, यू० एन० डी० पी०, आई० डी० आर० सी० आदि सहित अन्तर्राष्ट्रीय सस्य अनुसंधान परामर्शदात्री दल संस्थान के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

4. भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र (इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेज) अधिनियम, 1947 के खण्ड 3 के अधीन उपयुक्त अधिसूचना जारी करके संस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करेगी और नाममात्र किराए पर पट्टे पर लगभग 1000 हैक्टेयर भूमि भी प्रदान करेगी।

5. संस्थान की एक शासी निकाय होगी। निकाय में भारत सरकार द्वारा नामित 3 सदस्यों सहित 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। यह निकाय विकास और/या संस्थान के कार्यक्रम की स्वीकृति के लिये और जिन नीतियों के अनुसार संस्थान कार्य करेगा उनके लिये उत्तरदायी होगा। यह निकाय संस्थान के लिये एक निदेशक का चयन करेगा जो संस्थान के आन्तरिक प्रचालन और प्रबन्ध तथा संस्थान के कार्यक्रम और उद्देश्यों के उपयुक्त विकास और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा।

Construction of Bridge Over River Ganga in Bhagalpur, Bihar

5276. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government consider it necessary to construct a bridge over the Ganga river in Bhagalpur City in Bihar with a view to providing greater transport and trade facilities to the people of Bihar and West Bengal State;

(b) if so, whether the Central Government have invited any scheme from the Government of Bihar or the Government of Bihar have themselves sent any scheme seeking assistance from the Central Government; and

(c) in case there is any scheme, the time by which it would be implemented ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c). The proposed bridge, when constructed, would fall on a State road and thus the Government of Bihar are primarily concerned in the matter. Neither the Central Government have invited any scheme for the proposed bridge nor have the State Government submitted any scheme seeking financial assistance in the matter.

Construction of National Highway From Patna to Farakka

5277. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the steps taken to build a National Highway from Patna to Farakka ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : There is already a National Highway link connecting Patna and Farakka along the Patna—Begusarai—Khagaria—Kursela—Purnea—Dalkola—Raiganj—Malda—Farakka route. The National Highways (Nos. 30,31 and 34) comprising this route are already existing roads and are being improved further to meet the needs of the traffic.

महत्वपूर्ण जलमार्गों की सप्लाई की जिम्मेदारी

5278. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गंगा, घाघरा और ब्रह्मपुत्र आदि जैसे महत्वपूर्ण जलमार्गों की सफाई की पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बारे में क्या निर्णय लिया है; और

(ख) क्या सरकार अन्तर्देशीय जलमार्गों की नौगम्यता सुधार में करने के लिए ड्रेजरों के निर्माण करने और उन्हें प्राप्त करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सभी महत्व-पूर्ण जलमार्गों की नौगम्यता को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी लेने के बारे में भगवती समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों से उनके अधिकारक्षेत्रों के महत्व-पूर्ण नौगम्य जलमार्गों का ब्यौरा देने के लिए अनुरोध किया गया है । उपर्युक्त सूचना की प्राप्ति पर ही इस बारे में निर्णय किया जाएगा ।

तथापि गंगा, घाघरा और ब्रह्मपुत्र नदियों में सप्लाई संबंधी कार्यों के बारे में मौजूदा स्थिति निम्न प्रकार से है :—

पटना और मुंगेर के बीच गंगा नदी की सफाई का काम बिहार राज्य सरकार कर रही है और जल परिवहन निदेशालय, बक्सर और गाजीपुर के बीच की सफाई व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहा है ।

घाघरा नदी में कोई भी सफाई कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस समय इस नदी में कोई भी सेवा चालू नहीं है ।

ब्रह्मपुत्र नदी की सफाई का काम, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० भारत सरकार की ओर से कर रहा है जोकि लागत की प्रतिपूर्ति करती है ।

(ख) अन्तर्देशीय जलमार्गों की नौगम्यता में सुधार लेने के लिए निकर्षकों के निर्माण/अधिप्राप्ति के प्रश्न पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा महत्वपूर्ण जलमार्गों की नौगम्यता बनाये रखने के लिए जिम्मेदारी लेने संबंधी फैसला किये जाने के बाद ही विचार किया जाएगा ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के बारे में भगवती समिति की सिफारिश

5279. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए तकनीकी संगठन को मजबूत करने के बारे में भगवती समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). भगवती समिति ने जैसी सिफारिश की है, केन्द्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये तकनीकी संगठन को सशक्त करने की आवश्यकता अभी तक अनुभव नहीं हुई और मौजूदा ढाँचा आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त समझा गया था, परन्त अब विभिन्न राज्यों में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये बहुत सी योजनाएँ मंजूर हुई हैं और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नदी सेवा की शीघ्र ही चालू होने की संभावना है अतएव केन्द्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन संगठन की

संख्या को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा यदि यह अनुभव किया गया कि कार्य की वृद्धि से ऐसे वृद्धि का औचित्य है।

Benefit to Middle and Poor People by Sale of Pulses Through Food Corporation of India

5280. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state how the poor and middle class people are likely to be benefited by the scheme to sell pulses and edibl eoils through the Food Corporation of India ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : There may be some indirect benefit to the poor and middle-class consumers as the scheme of the Food Corporation of India is expected to have some beneficial effect on the open market prices.

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय शिकायत समिति का गठन

5281. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की शिकायतें सुनने के लिये केन्द्रीय शिकायत समिति का गठन किया है;

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय अनुसंधानकर्त्ता संघ ने अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे दुर्व्यवहार का उक्त समिति के सामने विरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार छात्रों के लिए कोई केन्द्रीय शिकायत समिति नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय ने छात्रों की समस्याओं की जाँच-पड़ताल करने के लिए 1970-71 सत्र के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संगठन के प्रतिनिधियों सहित एक संयुक्त परामर्शी समिति का गठन किया था। इस प्रकार की कोई समिति 1971-72 वर्ष के दौरान कार्य न कर सकी। विश्वविद्यालय ने छात्र कल्याण के डीन की भी नियुक्ति की है, जो विश्वविद्यलाय की नजर में आने वाली छात्रों की सभी शिकायतों पर कार्यवाही करता है।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय के अनुसंधान अध्येयताओं ने अपनी समस्याओं से संबंधित तीन ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं और ये विश्वविद्यालय के विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान द्वारा संस्थानों को वित्तीय सहायता

5282. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कितने संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है;

(ख) क्या लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर को शतप्रतिशत अनुदान के आधार पर सहायता की जाती है; और

(ग) यदि हाँ, क्या तो उक्त संस्थान की प्रगति संतोषजनक है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). संभवत: माननीय सदस्य का संकेत लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर की ओर है, जिसे भारत सरकार द्वारा पूरी तरह आर्थिक सहायता दी जाती है। यह संस्थान किसी अन्य संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है।

विभिन्न कारणों से यह संस्थान अपनी शैक्षिक क्षमताओं का पूरा उपयोग अभी नहीं कर सका है, मुख्य कारण यह है कि स्कूलों तथा कालेजों में रोजगार के कम अवसरों के कारण अच्छे विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा द्वारा जीविका के लिए आकर्षित नहीं हो रहे हैं। संस्थान से निकलने वाले शारीरिक शिक्षा के स्नातकों अथवा उत्तर स्नातकों के लिए शारीरिक शिक्षा निदेशक राज्यों में शारीरिक शिक्षा निरीक्षक जैसे उच्चस्तर के पदों की संख्या जिन के लिए वे आकांक्षा करते हैं, बहुत सीमित है। हालांकि पर्याप्त संख्या में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की बढ़ती हुई आवश्यकता को अच्छी तरह से समझा जाने लगा है फिर भी संस्थानों में साधनों की कमी के कारण रोजगार के अवसरों की दिशा में उन्नति नहीं हुई है। इस संस्थान का शासी मंडल इस मामले से अवगत है तथा प्रतिकारी उपाय करने के यत्न कर रहा है।

भारतीय गजेटियर का प्रकाशन

5283. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गजेटियर के सब खण्ड प्रकाशित हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उनका प्रकाशन किस तारीख तक किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) लेखकों द्वारा उनको सौंपे गए लेखों अथवा अध्यायों को पूरा करने में पर्याप्त समय लेना, नवीनतम जनसंख्या आँकड़ों की अनुपलब्धता और छापेखाने द्वारा बहुत ज्यादा समय लेना देरी के कारण हैं।

(ग) खण्ड 1 प्रकाशित किया जा चुका है। इस खण्ड का दूसरा संस्करण शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। इस खण्ड के कुछ अध्यायों को पुस्तिकाओं के रूप में अलग से भी प्रकाशित किया गया है। खण्ड 2 प्रेस में है। खण्ड 3 को इस वर्ष के अक्तूबर/नवम्बर तक छपाई के लिए भेजने की संभावना है। इस माला के अन्तिम खण्ड-4 का संकलन किया जा रहा है।

Amount Allocated for Training Teachers During Fourth Plan

+

5284. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount allocated in the Fourth Five Year Plan for training teachers;

(b) the amount paid or proposed to be paid to each State out of the said allocation;

(c) the number of colleges in the country providing training to teachers at present; and

(d) the admission capacity of each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D. P. YADAV): (a) The allocation for Teacher Education is Rs. 21·17 crores in the Fourth Five Year Plan.

(b) The outlays for Teacher Education in the Fourth Plan of States and Union Territories amount to Rs. 11·54 crores. The balance is in the Central Sector in the Fourth Plan allocations of the U. G. C. and N. C. E. R. T. The amout actually provided for teacher training in each State and U. T. Plan is indicated in the enclosed Statement. These are to be met from the bulk allotment made for the State Plan. No separate payment is made for teacher education schemes.

(c) There are 336 colleges preparing students for the B. Ed. or equivalent degree.

(d) The total capacity is 51,137. Information for each college separately is not available.

Statement

STATEMENT SHOWING THE OUTLAY PROVIDED TO STATES AND U. Ts. DURING THE FOURTH FIVE YEAR PLAN

State/U. T.	Outlay Provided by the States/U. Ts. (in lakhs)
Andhra Pradesh	47·73
Assam Plain 79·18	
Hill 16·34	95·52
Bihar	87·58
Gujarat	86·00
Haryana	20·00
Himachal Pradesh	8·15
Jammu & Kashmir	—
Kerala	52·00
Madhya Pradesh	—
Maharashtra	N. A.

State/U. T.		Outlay Provided by the States/U. Ts. (in lakhs)
Meghalaya		22·00
Mysore		45·75
Nagaland		58·63
Orissa		39·55
Panjab		4·70
Rajasthan		6·00
Tamil Nadu		98·50
Uttar Pradesh		190·00
West Bengal		198·20
	Total	1060·31
U. T.		
A & N Islands		2·68
Chandigarh		—
Dadra & Nagar Haveli		—
Delhi		37·90
Goa, Daman & Diu		15·70
L. M. A. Islands		—
Manipur		18·40
NEFA		—
Pondicherry		3·00
Tripura		9·85
	Total	87·53

G. Total : 1060·31+87·53=1147·84

ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण

5285. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री पप्पन गौडा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा; और

(ख) कितने राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को आवास योजनाओं के लिये अनुदान देने हेतु अपने प्रस्ताव भेजे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों आदि से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1972-73 के दौरान ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत 2573 मकानों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत 7 राज्यों से, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल,

मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश से, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के लिये वित्तीय सहायता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों पर खर्च की गई राशि

5286. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री एम० एस० जोजफ :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों पर पृथक-पृथक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान देने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या कसौटी अपनाई;

(ग) क्या कुछ मामलों में विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों के संबंध में लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तों अथवा अन्य कसौटी का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है, तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Expansion of Ayurvedic system of Medicine

5287. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Ayurvedic system of medicine is far more cheap and efficacious than Allopathy;

(b) if so, whether Ayurvedic medicines have neither been standardized at any place nor is any emphasis laid on research thereon and there are no hospitals for such treatment;

(c) whether the drugs manufactured as a result of research on 'Sarpagandha', 'Gawarpathal', 'Bansa' and 'Jawakhar' are taken abroad by foreigners and then these are imported for use in our country; and

(d) if so, whether Government propose to encourage indigenous formulae, teehniques and apparatus instead of encouraging the foreign ones and to spend the same amount on Ayurvedic system as is being spent on Allopathy ?

The Minister of State in the Ministry of Health & Family Planning : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा गर्मियों में दूध की कमी को पूरा करने के लिये कार्यवाही

5288. **श्री एल० सी० सामन्त :**

श्री मूलचन्द डागा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शादीपुर डिपो स्थित दिल्ली दुग्ध योजना की डेयरी में दोहरी संयंत्र प्रणाली है जिससे किसी कारण से एक संयंत्र के खराब हो जाने पर दूसरे संयंत्र को काम में लाया जा सके;

(ख) क्या प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में दिल्ली दूग्ध योजना की दूध की सप्लाई कम हो जाती है और इस बात के प्रयास नहीं किए जाते कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे दूध की सप्लाई बढ़ जाये और दूध की सप्लाई की कमी न हो; और

(ग) क्या दिल्ली दूग्ध योजना के कार्य में सुधार करने का विचार है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर शिंह) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय डेरी में बोतल भरने की 5 मशीनें हैं जिनमें से 4 का विद्यायित दूध के सम्भरण के लिए रोजाना दो पारियों में नियमित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। पांचवीं बोतल भरने की मशीन आरक्षित रखी गई है।

(ख) गर्मी के मौसम के दौरान पशुओं के दूध देने की क्षमता में काफी कमी आ जाती है, अतः इस मौसम के दौरान ताजे दूध की उपलब्धि में भी काफी कमी हो जाती है। इस कमी को ताज़े दूध से निकाली गई मक्खन की चिकनाई और स्किम्ड दुग्ध चूर्ण से पुनः दूध बनाकर पूरा किया जाता है।

(ग) दुग्ध अधिप्राप्ति, दुग्ध विद्यायन, दुग्ध वितरण और संबद्ध क्रियाविधि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए योजना के कार्यों के पुनरीक्षण का काम राष्ट्रीय डेरी विकास मण्डल को सौंपा गया है। मौजूदा डेरी संयंत्र के 3 लाख लिटर प्रति दिन तरल दुग्ध संभालने की वतमान क्षमता को भी दिसम्बर, 1972 के अन्त तक 3·75 लाख लिटर प्रति दिन तक बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में 4 लाख लिटर प्रति दिन दुग्ध की क्षमता की एक दूसरी डेरी भी खोलने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर संगठन में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को उपदान

5289. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन से अनेक कर्मचारी अस्थायी तौर पर सेवा निवृत्त हो गए हैं।

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन कर्मचारियों को उपदान तथा अन्य लाभ दिये थे; और

(ग) कुल ऐसे कितने व्यक्ति सेवा निवृत्त हुए तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हाँ । 30-4-1972 तक 41 कर्मचारी जो अस्थायी अथवा स्थायिवत् थे, सेवा निवृत हुए थे ।

(ख) (i) 33 व्यक्ति उपदान प्राप्त करने के हकदार नहीं थे क्योंकि वे सैनिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे । इन अधिकारियों में से एक ने अंशदायी भविष्य निधि का लाभ उठाया था ।

(ii) 41 में से एक अधिकारी उपदान प्राप्त करने का हकदार नहीं था क्योंकि उसने दस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं की थी । उसने अंशदायी भविष्य निधि का लाभ नहीं उठाया था ।

(iii) 3 अधिकारियों को अंतिम उपदान दिया गया था ।

(iv) उपदान के तीन मामलों को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है ।

(v) एक मामले में क्योंकि सेना से पेंशन के बारे में अपेक्षित सूचना भेजी गई है अतः मामले से सम्बद्ध सेना अभिलेखा कार्यालय का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

(ग) 41, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1972/72.**]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में विधेयक प्रस्तुत करना

5290. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) विधेयक के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय की संरचना की जाँच करने तथा विश्वविद्यालयों के अभिशासन से संबंधित गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिशों के सन्दर्भ में विधान के लिये प्रस्ताव तैयार करने के हेतु कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति की स्थापना की है । इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए एक विस्तृत विधान पेश करने के संबंध में कार्यवाही आरंभ की जाएगी ।

कृषि अनुसंधान के बारे में भारत-रूस सहयोग पर विचार-विमर्श

5291. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान के बारे में भारत-रूस सहयोग पर हाल ही में दिल्ली में विचार-विमर्श हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). कृषि और पशु विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और **प्राविधिक सहयोग के** विकास के लिए भारत सरकार और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के बीच 18 जून, 1971 को प्रथमतः पाँच वर्षों के लिए एक करार हुआ था । हाल ही की वार्ता इस करार के अनुसरण में वर्ष 1972 तथा वर्ष 1973 के पूर्वार्द्ध के कार्यक्रम के बारे में थी । 10 अप्रैल, 1971 को हस्ताक्षरित इस वार्ता के संलेख की एक प्रति संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—1973/72.**]

छोटे और सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय गोष्ठी

5292. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे और सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के बारे में हाल ही में दिल्ली में हुई राष्ट्रीय गोष्ठी में क्या मुख्य सिफारिशें की गई ?

कृषि मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : दिनांक 11 से 13 अप्रैल, 1972 तक नयी दिल्ली में हुई छोटे और सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों से संबंधित राष्ट्रीय गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

दिनांक 11 से 13 अप्रैल, 1972 तक नई दिल्ली में हुई छोटे तथा सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों से संबंधित राष्ट्रीय गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें—

1. राष्ट्रीय गोष्ठी ने दो योजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण किया और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया तथा कार्यवाही के संबंध में व्यापक सुझाव

दिये। इसने इस बात पर बल दिया है कि इन परियोजनाओं का मार्गदर्शी स्वरूप ध्यान में रखा जाना चाहिये और चौथी योजना में जारी परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिये 5 वर्ष का समय दिया जाये। एजेन्सियों को स्थानीय क्षेत्र के लिये उपयुक्त कार्यक्रमों के चयन तथा कार्यान्वियन में काफी छूट की अनुमति दी जानी चाहिये।

2. गोष्ठी ने सिफारिश की है कि एजेन्सियों को क्षेत्र विकास उपागम अपनाने चाहिएं और उपयुक्त संभाव्य क्षमता वाले कार्यक्रमों का पता लगाया जाना चाहिये, जो बाद में वित्तीय संस्थाओं को भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। एजेन्सियों द्वारा कार्यक्रमों की सफलता के लिये कृषि उत्पादन तथा गौण दोनों व्यवसायों के संबंध में विपणन, परिसंस्करण तथा भंडारण के लिये आवश्यक अवस्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिये। वित्तीय सहायता करने वाली एजेन्सी के स्तर पर एक बीमा-राशि तैयार कर पशुओं के लिये एक बीमा योजना अपनाई जा सकती है।

3. भू-अभिलेखों को नवीनतम बनाने, मृदा संरक्षण का कार्य प्रारम्भ करने तथा विस्तार-कार्य को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया है। गोष्ठी ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों को इनके लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये।

4. परियोजना क्षेत्रों में भूगर्भ जल सर्वेक्षण पूरा करने के कार्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह सुझाव दिया गया कि उन क्षेत्रों में जहाँ कि विस्तृत भूगर्भ जल अध्ययन नहीं किये गये हैं वहाँ जल क्षेत्रों पर आधारित व्यापक क्षेत्र निकास कार्य को अपनाया जाना चाहिये। तकनीकी स्वीकृति के मार्गदर्शन निर्धारित किये जाने चाहिये, जिससे कि भागीदारों के लिये छोटे कृषक विकास एजेन्सी / सीमान्त कृषि तथा कृषि श्रमिकों के क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वित किये जा सकें।

5. गोष्ठी ने विस्तार कार्यकर्त्ताओं को मृदा परीक्षण किटों, उन्नत कृषि प्रणालियों के विषय में भागीदारों के प्रशिक्षण तथा गौण व्यवसाय शुरू करने की सुविधाएँ प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया है और सुझाव दिया है कि ये कार्य एजेन्सियों की धनराशि से उचित व्यय-भार पर किये जाने चाहिंये।

6. एजेन्सियों के कार्यक्रमों में आशोधन करने तथा ऋण संस्थाओं की सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए ऋण प्राक्कलनों और सहकारी संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों के कार्य को समझकर तैयार की गई एक ऋण योजना का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिये। एजेन्सियों को यह सुनिश्चित करना है कि भागीदारों को वस्तु के रूप में अन्य आदानों के साथ ऋण समय पर उपलब्ध किया जाये तथा उत्पाद के विपणन के माध्यम से वसूली की व्यवस्था की जाये। दीर्घकालिक ऋण के प्रवाह के लिये ऋण की वसूली पर बल दिया जाना चाहिये और एजेन्सियों तथा विस्तार मशीनरी को देय राशि की तुरन्त वसूली के लिये ऋण संस्थाओं की सहायता करनी चाहिये। वाणिज्यिक बैंकों को अधिक सघन केन्द्र तथा शाखाएं खोलनी चाहिये और एजेन्सी के क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये। सहकारी रूप से दुर्बल राज्यों की ओर विशेष ध्यान देना आश्वयक है। एजेन्सी के क्षेत्रों में प्रारम्भ किये गये सब पर्यवेक्षित ऋण

कार्यक्रम, सहकारी संस्थाओं से गैर-चुनींदा या गैर उत्पादन उद्देश्य के लिये बिना किसी सीमा के ऋण सहायता के पात्र माने जाने चाहियें।

7. एजेन्सी को विशिष्ट उद्देश्यों के लिये एक आवर्ती निधि की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि पशुधन की खरीद तथा लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में उसके वितरण के लिये समय-अन्तर को पूरा किया जा सके। इस आवर्ती निधि को लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिशः ऋण संस्वीकृत किये जाने के उपरान्त पुनः पूर्ण कर लिया जायेगा। एजेन्सी के लिये प्रत्यक्ष रूप से ऋण देना और वित्तीय संस्था बनाना संभव नहीं होगा। एजेन्सी का कार्य तथा भूमिका मूलतः उत्प्रेरक और प्रोन्नायक की होनी चाहिये।

8. एजेन्सियों के सहभागियों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिये कृषि पुर्नवित्त निगम से शत प्रतिशत पुर्नवित्त की रियायत समस्त योजनावधि के लिये 30-6-72 से भी आगे जारी रखी जानी चाहिये। रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया अधिनियम में इस दृष्टि से संशोधन किया जाना चाहिये, जिससे कि सहकारी समितियाँ रिजर्व बैंक वित्त से मात्स्यकी योजनाओं के लिये वित्त प्रदान कर सकें।

9. परियोजना क्षेत्रों में तल चिह्न सर्वेक्षण पूर्ण किया जाना चाहिये, जिससे कि एजेन्सी क्षेत्रों में कार्यक्रम तैयार करने के लिये ये सूचक तथा प्रगति मापक के रूप में काम आ सकें।

10. पूर्वी राज्यों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय व्यवस्था और कर्मचारियों के लिये उपदान प्रदान करने के लिये सहायता की, और अधिक उदार प्रणाली की आवश्यकता है।

दिल्ली में मकान के किराये में वृद्धि

5293. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मकान के किराये में अनियमित रूप से वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या एक बरसाती भी 150 रुपए प्रति महीने से कम में उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार राजधानी में मकान के किराये को कम करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). दिल्ली में मकानों के किराये बढ़ते जा रहे हैं परन्तु यह केवल दिल्ली की ही विशिष्ट विशेषता नहीं है।

(ग) दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 में दिल्ली के संघ क्षेत्र में किराये के नियन्त्रण की व्यवस्था है। अध्याय 11 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार, मानक किराये से अधिक

के किराये की वसूली वर्जित है तथा मालिक मकान या किरायेदार द्वारा आवेदन-पत्र देने पर किराया नियन्त्रक द्वारा मानक किराया निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

चौथी योजना में शिशु कल्याण योजनायें

5294. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री पम्पन गौडा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिशु कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी योजनायें शामिल की गई हैं; और

(ख) इन योजनाओं को अब तक कहाँ तक क्रियान्वित किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). एक विवरण पत्र, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** — 1974/72.]

Uniform Type of Educational Institutions

5295. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have issued direction to the various State Governments for introducing uniform type of educational institutions throughout the country; and

(b) if so, the time by which the said Scheme would be implemented ?

The Minister of Education, Social welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b). It is presumed that the honorouble member refers to a uniform pattern of Sohool and University classes. The Government of India Resolution on National Policy on Education, 1968 has laid down that "it will be advantageous to have a broadly uniform structure in all parts of the country. The ultimate objective should be to adopt the 10+2+3 pattern, the higher secondary stage of two years being located in schools, colleges or both according to local conditions." The recommendation has been referred to the State Gover nment, some of which have agreed to adopt this pattern, while others are examining it. The matter will be discussed at the forthcoming meeting of the Central Advisory Board of Education.

उड़ीसा सरकार द्वारा पारादीप पत्तन पर लौह-अयस्क के लदान के लिए सुविधाओं को बढ़ाने का अनुरोध

5296. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री डी० के० पण्डा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चौथी योजनावधि की समाप्ति से पूर्व पारादीप पत्तन, उड़ीसा के माध्यम से प्रतिवर्ष 40 लाख टन लौह अयस्क का लदान करने का लक्ष्य है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त लक्ष्य की क्या स्थिति है; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने 10 लाख टन प्रतिवर्ष तक लौह अयस्क को लदान करने के लिए सुविधायें बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त धनराशि की माँग की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना में चौथी योजना (1973-74) के अन्त तक पारादीप पत्तन से होकर लौह अयस्क के 40 लाख टन के निर्यात की व्यवस्था है। निर्यात के इस स्तर के लिए उचित पत्तन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

जी० बी० अस्पताल, अगरतल्ला को मैडिकल कालेज बनाना

5297. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को त्रिपुरा सरकार से जी० बी० अस्पताल, अगरतल्ला को मैडिकल कालेज बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क). अगरतल्ला अस्पताल पर आधारित एक चिकित्सा कालेज खोलने के बारे में त्रिपुरा सरकार माँग करती रही है।

(ख) 50 लाख की आबादी के पीछे एक चिकित्सा कालेज के नियम के अनुसार त्रिपुरा किसी अलग चिकित्सा कालेज पाने का हकदार नहीं है। वैसे, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, मेघालय, अरुणाचल एवं मिजोराम राज्य/संघ शसित क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक चिकित्सा कालेज खोलने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिए गठित तथ्य अन्वेषण समिति ने प्रस्तावित कालेज को इम्फाल में खोलने की सिफारिश की है।

पागल कुत्ते से संक्रमणीय रोग

5298. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कसौली स्थित केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान ने गत तीन वर्षों में पागल कुत्ते के संक्रमण रोग के कितने मामलों का परीक्षण किया है;

(ख) क्या पागल कुत्ते द्वारा काटे गये व्यक्तियों में वस्तुतः व्याप्त हुए हाइड्रोफोबिया के रोग का पता लगाने हेतु अनुसंधान करने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(ग) क्या कुत्तों के अतिरिक्त अन्य जानवरों में पागलपन के संक्रमण रोग के बारे में कोई आँकड़े उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में चपड़ा उद्योग का विकास

5299. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में चपड़ा उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं;

(ख) उन अन्य राज्यों के नाम क्या हैं; जहाँ मंत्रालय का चपड़ा उद्योग का विकास करने में सहायता करने का प्रस्ताव है; और

(ग) केन्द्र द्वारा किन-किन स्थानों के लिए कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). संबंध जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Funds for the construction of Scheduled Castes Girls Hostels in States

5300. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether funds were granted in the year 1971 for the construction of new hostels and for the expansion of the existing ones for the girls belonging to the Scheduled Castes; and

(b) if so, the amounts granted to each State and the number of Scheduled Caste girls which will be accommodated in each hostel ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) Allocation made to each State during 1971-72 are given below :

	(Rs. in lakhs)
1. Andhra Pradesh	1·70
2. Assam	0·40
3. Bihar	0·25
4. Gujarat	0·25
5. Haryana	0·25
6. Himachal Pradesh	0·80
7. Kerala	2·00
8. Madhya Pradesh	1·75
9. Maharashtra	0·80
10. Mysore	0·65

	(Rs. in lakhs)
11. Orissa	0·40
12. Punjab	0·55
13. Rajasthan	1.65
14. Tamil Nadu	2·00
15. Uttar Pradesh	3.00
16. West Bengal	1·50
	17·95

The information regarding number of Scheduled Caste girls to be accommodated in each hostel is not available as the progress reports for 1971-72 are yet to be received from the State Governments.

Loan for Studies Abroad

5301. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether some talented students sought loans during 1970 and 1971 for study in foreign universities in those subjects for which adequate facilities are not available in India; and

(b) if so, the names thereof, the subjects of their study, the names of countries of their study and the amount of loans sought by each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) ; (a) & (b). Under the Scheme of partial financial assistance, loans are granted to meet the cost of one way passage from India to the foreign countries concerned and/or to supplement the cost of maintenance abroad, provided the candidates have no source of their own from which they can meet this expenditure wholly or partly, to the following categories of persons :—

(i) Persons who are awarded scholarships/fellowships by foreign Governments/ institutions;

(ii) Persons awarded Research Training Assistantship/facilities for practical training in Industrial concerns;

(iii) Teachers (employed in Universities, colleges and other institutions for higher learning and possess a brilliant academic record) who secure appointment in foreign Universities on a salary basis;

(iv) Persons possessing brilliant academic record who have completed their studies in India and wish to go abroad at their own expenses for further studies; and

(v) Loans to persons in the above categories will be granted only if necessary facilities for the course of study or training are not available in India and that such study/training is likely to be useful from the country's point of view.

During the years 1970 and 1971, requests were received from students seeking loans for meeting the passage cost. A statement giving names, subjects, names of the countries, amount of loan sought in the years 1970 and 1971, is attached. No eligible student who has completed all formalities regarding application has been refused a loan. [*Placed in the Library. Please see* No L. T.—1957/72.]

उड़ीसा में द्रुत कार्यक्रमों को ठेकेदारों द्वारा चलाया जाना

5302. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में द्रुत कार्यक्रम को ठेकेदारों द्वारा चलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल भूमि की अत्यधिक सीमा संबंधी कानून को आदर्श कानून समझना

5303. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सिफारिश की है कि भूमि का अधिकतम सीमा का कानून बनाने और लागू करने में वे बंगला में भूमि के अधिकतम सीमा को 'आदर्श' मानें;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के इस आदर्श कानून की संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). पंचवर्षीय योजना में निर्धारित नीति को दृष्टि में रखते हुए पिछले वर्ष राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल अधिनियम में संशोधन किया गया था। राज्यों को कोई ऐसी विशेष सिफारिश नहीं की गई है कि वे पश्चिम बंगाल अधिनियम को आदर्श रूप में ग्रहण करें। राज्य सरकारों को केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के आधार पर जोत की अधिकतम सीमा के कानूनों में संशोधन करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारें इस विषय में अधिकाधिक जागरूक हैं कि वे राष्ट्रीय नीति को दृष्टिगत रखते हुए इन कानूनों के संशोधन तथा उनकी क्रियान्विति को प्राथमिकता दें।

मिथिला विश्वविद्यालय

5304. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है और इस संबंध में घोषणा कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और

(ख). अपेक्षित सूचना की बिहार सरकार से प्रतीक्षा है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा किये गये कार्य पर राष्ट्रीय समिति

5305. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने निम्नलिखित कार्य करने के लिए क्या कार्यवाही की है—(एक) नेताजी की प्रामाणिक जीवनी का प्रकाशन तथा उनके लेखों और भाषाओं का सभी भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय संस्करण निकालना, (दो) उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का सस्ते संस्करण निकालना, (तीन) आजाद हिन्द फौज का विस्तृत इतिहास तैयार करना, (चार) राष्ट्रीय योजना की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करना, (पाँच) दिल्ली, बम्बई और मद्रास जैसे नगरों में नेताजी संग्रहालय की स्थापना और (छ:) सभी शैक्षणिक संस्थाओं में 23 जनवरी को अखिल भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाना; और

(ख) क्या मंत्रालय का विचार इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय समिति स्थापित करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) सरकार का दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास जैसे नगरों में नेताजी संग्रहालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार कलकत्ता के नेताजी संग्रहालय को और सुदृढ़ करना उत्तम समझती है, और तदनुसार इस प्रयोजन के लिए कुछ अनुदान पहले ही दिए जा चुके हैं।

(ख) जी नहीं।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन के बारे में विभिन्न देशों में अनुसंधान संस्थान

5306. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी, पूर्व जर्मनी, वियाना, लन्दन और जापान जैसे विभिन्न देशों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन के बारे में अनुसंधान संस्थान बनाए गए हैं;

(ख) क्या कुछ ऐसे संस्थानों ने हाल में नेताजी अनुसंधान ब्यूरो के निदेशक डा० शिशिर बोस को आमंत्रित किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इन संस्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही करने की तथा नेताजी के बारे में अनुसंधान कार्य में लगे इन संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए नेताजी अनुसंधान ब्यूरो के मार्गदर्शन में एक अनुसंधान समिति नियुक्त करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की क्रान्तिकारी घटना

5307. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से काबुल को जिस मार्ग से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस गये थे उसके महत्वपूर्ण स्थानों पर ऐतिहासिक स्मृत्ति चिह्न लगाए जायेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) और (ख). इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है और न ही भारत सरकार इस प्रयोजन के लिए ऐतिहासिक चिह्नों के फलक स्थापित करना जरूरी समझती है।

कटक स्थित नेताजी भवन का संरक्षण

5308. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक स्थित नेताजी भवन, जहाँ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म हुआ था और जहाँ उन्होंने अपने जीवन के प्रारम्भिक दिन बिताये थे, के संरक्षण के लिए सरकार ने कोई उपाय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हरिपुरा और त्रिपुरा में, जहाँ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उपयुक्त स्मृति चिह्न स्थापित किये गये हैं और क्या समझौता-विरोधी सम्मेलन के स्थल पर रामगढ़ में भी इसी प्रकार का चिह्न स्थापित किया गया है; और

(घ) क्या आसाम और नागालैंड की सीमाओं पर आजाद हिन्द फौज के संघर्ष की परम्परा को सुरक्षित रखने के लिए इसी प्रकार के उपाय किये गये हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Vacant Government Quarters in New Delhi

5309. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether a large number of residential quarters constructed for Central Government employees in Delhi which are laying vacant have not been allotted to them so far;

(b) if so, the numbers thereof, the reasons for which they have not been allotted and the loss suffered in terms of rent as a result thereof; and

(c) the time generally taken in allotting newly constructed or vacant quarters ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral): (a) to (c). 80 Type-IV quarters in Sector-XII, R. K. Puram and 8 Type-I quarters at Thyagaraja Nagar, became available on 1st February, 1972 for allotment. These were not taken in the 'general pool' as a proposal to transfer the quarters to the P. & T. Department in exchange for their quarters in the D. I. Z. area was under consideration. The P. & T. Department have not agreed to take over these quarters which are now being allotted in the 'general pool'. Quarters in the 'general pool' are allotted as soon as they become available for allotment and they remain vacant only for a few days during the process of allotment.

Co-operation extended to Hare Ram Hare Krishna Mission

+

5310. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have extended any co-operation to the members of the 'Hare Ram Hare Krishna' Mission who came to this country;

(b) if so, the nature of the co-operation extended to them; and

(c) the effect of their efforts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D P. Yadav) : (a) to (c). The information when collected will be laid on the table of the House.

Request from Confectioners and Hoteliers for Supply of Sugar at Fair Price

5311. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a delegation of confectioners and hoteliers has requested that arrangements should be made for supply of sugar to them at fair price; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir. A delegation of the All India Hotels' Halwais' Federation made such a request,

(b) There is at present no statutory control on the price and distribution of sugar. However, through an informal arrangement with the industry, 60% of the monthly releases are being acquired for meeting emergent requirements and for distribution to the domestic consumers at fixed prices. In view of the limited availability of fixed price sugar, it has not been possible even to meet the requirements of domestic consumers in full and there is, therefore, no scope for meeting the demands of bulk consumers.

Three Language Formula

5312. **Shri Shiv Kumar Shastri**: Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the three-language formula has affected the teaching of Sanskrit and if so, to what extent; and

(b) the ratio of the students opting for Sanskrit before the introduction of the three-language formula and the ratio thereof at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D. P. Yadav): (a) The three-language formul ahas affected the teachng of Sanskrit to the extent that the Formula does not envisage teaching of Sanskrit as a icompulsory subject of study.

(b) this information is not available with the Ministry of Education and Social Welfare.

कैंसर के टीकों की खोज

5313. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि शिकागो विश्वविद्यालय के दो रोग वैज्ञानिकों ने एक खोज का दावा किया है जिससे कैंसर के प्रभावकारी टीके बनाए जा सकते हैं;

(ख) क्या वे शरीर से कैंसर को इस प्रकार निकाले जाने का प्रयत्न कर रहे थे जैसे बाह्य पदार्थ अथवा द्रव्य जैसे कि गुर्दा अथवा हृदय तन्तुओं (हर्ट ग्राफ्ट्स) को निकाला जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो देश के कैंसर संस्थानों में कार्य कर रहे हमारे वैज्ञानिक इस खोज से कहाँ तक परिचित हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सशस्त्र सेनाओं में डाक्टरों के लिए अनिवार्य दायित्व योजना

5314. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय डाक्टरों के लिए एक अनिवार्य दायित्व योजना है जिसके अन्तर्गत एक विशेष आयु के डाक्टरों को एक निर्धारित अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में अनिवार्य रूप से सेवा करनी होती है;

(ख) क्या यह योजना केवल सरकारी सेवा में डाक्टरों पर लागू थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बात को उययुक्त समझती है कि इस योजना को सरकारी सेवा और गैर-सरकारी सेवा वाले सभी डाक्टरों पर लागू किया जाये जिससे सरकारी सेवा से चिकित्सा संबंधी प्रतिभा पलायन को रोका जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ। अनिवार्य सेवा दायित्व योजना नामक एक योजना है जिसके अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियुक्त 40 वर्ष से कम उम्र तथा 10 वर्ष से कम की सेवा वाले डाक्टरों के लिए चार साल तक सशस्त्र सेनाओं में काम करना अनिवार्य है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी हाँ । जो लोग सरकारी सेवाओं में नहीं हैं उन पर भी इस दायित्व योजना को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय सेवा विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है ।

ग्रामवासियों का नगरों में निर्बाध आवर्जन रोकने के लिए गाँवों को मूल सुविधाएँ

5315. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नगरों में निर्बाध आवर्जन रोकने के लिए आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के गाँवों में या इनके आसपास रोजगार के अवसर और आधुनिक जीवन की मूल सुविधाएँ उपलब्ध कराने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 6 तथा 7 अप्रैल, 1972 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आवास तथा नगर विकास नीति के विकास पर हुई गोष्ठी द्वारा इस बारे में एक सिफारिश की गई है । आवास तथा नगर विकास पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु गोष्ठी की इस तथा अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस समय यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

Medical Colleges in the Country

5316. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a number of students are deprived of medical education due to shortage of medical colleges in the country; and

(a) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the reasons for not opening more medical colleges by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b). There is considerable demand for admission to medical colleges and the existing colleges are not able to fully meet the demand. However, according to the recommendations of the Health Survey and Planning Committee (Mudaliar Committee) 1961, there should be one medical college for 5 million population. On this basis, for a population of 547 million, the country needs about 110 medical colleges. Upto the year 1968-69 there were 93 medical colleges and a provision of 10 more colleges was made in the 4th Five Year Plan. The existing number of colleges is 97 with a total admission capacity of above 12000. By the end of 4th Five Year Plan the target of 103 colleges is expected to be achieved.

Check on unauthorised use of Tractors

5317. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have made physical verification to find out whether the persons supplied with tractors are actually using them personally or they have sold them out in the black market; and

(b) if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). No. The Government of India have neither made any physical verification nor it is practicable to find out whether the persons supplied with tractors are actully using them personally or have sold them out in the blackmarket. However, with a view to eliminating possible blackmarketing in tractors, the Government have promulgated Tractors (Distribution and Sale) Control Order, 1971. It is also intended to discourage frivolous booking of orders and to prevent resale of tractors immediately after purchase.

भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थियों को सुविधाएँ

5318. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार तथा अन्य संबद्ध एजेंसियों द्वारा भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थियों को क्या सुविधाएँ दी जाती हैं; और

(ख) क्या सम्बद्ध एजेंसियाँ भी विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देती हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख). शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न छात्रवृत्तियों के अधीन भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। भारतीय इतिहास, दर्शन-शास्त्र, नृत्य, संगीत तथा भारतीय संस्कृति के अन्य पहलुओं के अध्ययन के लिए भारतीय सांस्कृतिक कार्य परिषद भी विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देती है।

दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में सामान्यतया निम्नलिखित मद आते हैं—

(1) भोजन तथा आवास की लागत।

(2) शिक्षा-शुल्क, परीक्षा-शुल्क तथा अन्य अनिवार्य शुल्क।

(3) पुस्तकों, उपकरणों तथा उपस्करों की लागत।

(4) चिकित्सा व्यय।

(5) अध्ययनार्थ किए गए अध्ययन-भ्रमण की लागत।

(6) अवकाश अनुदान।

इसके अलावा, सरकार विदेशी छात्रों को उपयुक्त विश्वविद्यालयों/कालेजों में दाखिले, छात्रावास में स्थान प्राप्त कराने, तथा छात्रों के भारत में रहने के दौरान सामान्य रूप से उनकी देखभाल का प्रबंध करने में भी सहायता देती है।

भारतीय सांस्कृतिक संपर्क परिषद, नई दिल्ली, जिसे विदेशी छात्रों के कल्याण का कार्य विशेष रूप से सौंपा गया है, विदेशी छात्रों के पहुँचने पर उनका स्वागत करने, भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देने, सामाजिक मेल मिलाप कराने, ग्रीष्म शिविरों के आयोजन तथा देश के अन्दर सैर और अध्ययन भ्रमण का प्रबंध करने जैसी विभिन्न अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराती है।

उड़ीसा में वनस्पति कारखाने की स्थापना

5319. **श्री बक्शी नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य के किसी भाग में वनस्पति कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु भारत सरकार से अनुमति माँगी है; और

(ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) उड़ीसा में वनस्पति फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक प्राइवेट पार्टी को लाइसेंस देने की सिफारिश करने के अलावा राज्य सरकार ने ऐसी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अपनी ओर से कोई भी प्रस्ताव नहीं किया है। प्राइवेट-पार्टी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि उसमें स्थान का उल्लेख नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पारादीप पत्तन का विकास

5320. **श्री बक्सी नायक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हाँ।

(ख) पारादीप पत्तन के विकास के संबंध में कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं—

(1) अयस्क धरा उठाई संयंत्र की धरा उठाई क्षमता में सुधार करने के लिए माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर को एक अतिरिक्त लौह अयस्क रिक्लेमर के लिए आर्डर दिया गया है। इस रिक्लेमर की दिसम्बर, 1972 में सुपुर्द किये जाने की संभावना है।

(2) सामान्य स्थोरा घाट का निर्माण संबंधी कार्य प्रगति में है।

(3) पत्तन रेल पद्धति को शीघ्र पूरा करने के उपाय किये जा रहे हैं और चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस को तीन डीजल शंटिंग रेल इंजनों के लिए आर्डर दिये गये हैं।

(4) एक 30 टीन बौलार्ड पुल टन दो चिरवल बंजरों सहित क्रेन एवं पकड़ निकर्षक एक चालन एवं जल बजरा प्राप्त किए जा रहे हैं।

(5) पत्तन की अतिरिक्त बिजली की माँग के लिए 33 केवी लाइन की दिसम्बर, 1972 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

विदेश व्यापार के लिए भारतीय नौवहन की टन भार क्षमता में वृद्धि

5321. **श्री एम० कत्तामुतु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को यह अधिकार है कि वह विदेश व्यापार के लिए 50 प्रतिशत माल को अपने जहाजों में ढो सकता है;

(ख) क्या इस समय भारतीय जहाजों से विदेश व्यापार के लिए केवल 22 प्रतिशत माल ढोया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो भारतीय नौवहन की टन भार क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं जिससे विदेश व्यापार के लिए आधे माल को अपने जहाजों से ढोया जा सके ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) सामान्यतः, जी हाँ।

(ख) 1971-72 के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु 1969-70 में भारतीय जहाजों ने देश के समुद्रपार व्यापार का 21·34 प्रतिशत उठाया। निम्नलिखित कारणों से 1970-71 में यह घटकर लगभग 20 प्रतिशत रह गया—

(i) वर्ष के दौरान प्राप्त किए गये जहाज खुले मालवाहक जहाज और तेल पोत हैं जोकि बहुधा अन्तर्राष्ट्रीय आड़े व्यापार में लगे रहे; और

(ii) वर्ष के दौरान व्यापार की प्रमात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप भारतीय जहाजों में उठाये गये व्यापार संबंधी माल के प्रतिशत में कमी हो गई।

(iii) समुद्रपार लाइनर और अन्य व्यापार में व्यस्त पुराने सूखा स्थोरा वाहक जहाजों की सामान्य रद्दी। फिर भी इसके साथ साथ हमने अपने बेड़े को गत वर्ष काफी बढ़ा लिया है और जबकि सितम्बर, 1970 में हमारे पास केवल 179 समुद्रपार व्यापार संबंधी जहाज थे, वह संख्या सितम्बर 1970 में बढ़कर 191 हो गई और 1 मई, 1972 को 196 तक पहुँच गई। आशा है कि इस पर्याप्त रूप से बढ़े टनभार से हमारे जहाजों द्वारा उठाये गये समुद्रपार व्यापार संबंधी माल में काफी वृद्धि हो गई होगी।

(ग) देश के समुद्रपार व्यापार के 50 प्रतिशत माल को वहन करने के लिए हमें लगभग कुल 60 लाख जी० आर० टी० टन भार की क्षमता के जहाजों के निर्माण करने की आवश्यकता होगी। वास्तव में, यह पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान नौवहन के संबंध में हमारा अनन्तिम लक्ष्य है। चतुर्थ योजना में नौवहन का लक्ष्य 40 लाख जी० आर० टी० है। 1 मई, 1972 को चालू टन भार बढ़कर 25·30 लाख जी० आर० टी० हो गया जो कि स्वयं में एक रिकार्ड है। इसके अलावा, आर्डर दिया गया टनभार 15·33 लाख जी० आर० टी० है, जिससे जी० आर० टी० टन भार कुल 40·63 लाख हो जाता है। कुल 2·24 लाख जी० आर० टी० के पुराने जहाज चतुर्थ योजना की समाप्ति से पहले रद्दी किये जाने हैं। अतएव चतुर्थ योजना के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए चतुर्थ योजना के शेष दो वर्षों के दौरान कुल प्राप्त किया जाने वाला टन भार केवल 1·61 लाख जी० आर० टी० है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती है, आशा है कि पाँचवीं योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पाँचवीं योजना के दौरान यही गति रखी जायेगी।

पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के प्रबंधकों की सहायक दुग्ध-वितरण अधिकारी के पद पर पदोन्नति

5322. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या कृषि मंत्री सरकारी भवनों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर के बारे में 10 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2344 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 3 वर्षों में पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कितने प्रबंधकों को सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई है;

(ख) क्या सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने के मामले में पुरुषों के मुकाबले महिला प्रबंधकों के साथ भेदभाव बरता जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) कोई नहीं। इस अवधि के दौरान सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों के केवल दो रिक्त पद भरे गये और दोनों पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गये हैं।

(ख) प्रोन्नति के कोटे में सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों के पद भरते समय पुरुष और महिला सब योग्य अभ्यर्थियों पर विचार किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

गन्दी बस्ती सफाई योजना के लिए उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को दी गई धनराशि

5323. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान गन्दी बस्ती सफाई योजना के लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को कुल कितनी राशि दिये जाने की संभावना है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने कुछ राशि माँगी है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें कितनी राशि की आवश्यकता है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना, चौथी पंच वर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र में है। राज्य क्षेत्र की समस्त योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 'खण्ड ऋणों' और 'खण्ड अनुदानों' के रूप में दी जाती है, ऐसी सहायता किसी कार्यक्रम के साथ संबद्ध नहीं की जाती। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये, खण्ड सहायता में से, गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजना के लिए ऐसी निधियों को जैसाकि वे आवश्यक समझें, प्रयोग करने में स्वतन्त्र हैं।

विभिन्न विभागों, मंत्रालयों में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले स्टालों के कार्य के घन्टों में अन्तर

5324. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **कृषि** मंत्री विभिन्न विभागों, मंत्रालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य की शर्तों के बारे में 10 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2271 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों तथा संबद्ध कार्यालयों में स्थित पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के लिए कार्य के घन्टे $7\frac{1}{2}$ घन्टे प्रतिदिन (जिसमें मध्याह्न भोजन के लिए आधे घन्टे की

छुट्टी भी सम्मिलित है) निर्धारित किया गया है जबकि मंत्रालयों आदि के कार्य के घन्टे सात घन्टे प्रति दिन निर्धारित हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो एक ही भवन में कार्य करने वाले तथा समान सेवा नियमों के अधीन कार्य कर रहे अनुसचिवीय कर्मचारियों के कार्य के घंटों में अन्तर रखे जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्रीय सरकार का एक विभाग होते हुए भी मुख्यतः यह वाणिज्यिक संस्था है, जो दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिसंस्करण तथा विक्रय में लगी है। पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टाल, मुख्यतः मंत्रालयों में, जहाँ वे स्टाल स्थित हैं, कार्य कर रहे कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए ये स्टाल मंत्रालयों के समय से 15 मिनट पहले खुलते हैं और 15 मिनट बाद बन्द होते हैं।

तीव्र गति से भूमि सुधारों के अनुरूप वातावरण का तैयार किया जाना

5325. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीव्र गति से भूमि सुधारों के अनुकूल देश में विशेषकर राज्य विधान मण्डलों और प्रशासनों में राजनैतिक वातावरण तैयार करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). सरकार भूमि सुधारों की गति तीव्र करने के लिए काफी इच्छुक है और इस मामले पर तीव्र रूप से कार्यवाही कर रही है। इस कार्यक्रम की मुख्य बातें चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई हैं।

विकासशील देशों की शिक्षा समस्याओं का समाधान

5326. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में विश्व बैंक के सेक्चेशनल कार्यकारी दल ने कोई समाधान प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हाँ तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) और (ख). अनुमानतः यह शिक्षा संबंधी विश्व बैंक क्षेत्र कार्यकारी निबंध (वर्ल्ड बैंक सैक्टर वर्किंग पेपर आन ऐजुकेशन) संदर्भ में हैं।

निबंध ने अविकसित देशों में व्याप्त निम्नलिखित विचारधाराओं तथा समस्याओं पर प्रकाश डाला है :

(क) भरती में अपार वृद्धि ।

(ख) कोटि बनाये रखने के लिए उचित सुविधाओं की आवश्यकता ।

(ग) वर्तमान संस्थात्मक रूपों, स्कूल पद्धति संरचनाओं, अध्यापन रीतियाँ तथा पाठ्यचर्या का बने रहना ।

(घ) जन शक्ति माँगों के पुनः मूल्यांकन, श्रम बाजारों के संचालन में सुधार करने तथा शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुस्थापित करने की आवश्यकता ।

कार्यकारी निबंध ने यह सिफारिश भी की है कि शिक्षा की ऐसी पद्धतियों के लिए अनुसंधान होने चाहिएँ जिससे ग्राम विकास पर सीधा असर पड़े और जो कम खर्चीली हों ।

—आंतरिक कुशलता में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के प्रयत्न होने चाहिये ।

—शिक्षा संबंधी वित्त के नये स्रोतों का पता लगाने के प्रयत्न होने चाहियें, और

—स्कूल तथा विश्वविद्यालय पद्धतियों के आकार और रूप की योजना बनाने व उन्हें नियंत्रित करने के प्रयत्न होने चाहियें ।

किसानों को किराये पर ट्रैक्टरों का वितरण करने की योजना

5327. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे भारत में न्यूनतम किराये पर किसानों को प्रायोगिक आधार पर ट्रैक्टरों का वितरण करने की कोई योजना मंत्रालय ने तैयार की है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या गरीब किसानों को ट्रैक्टर प्रयोग करने का प्रशिक्षण देने की कोई योजना बनाई जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). जी हाँ । दो योजनायें हैं—(1) कृषि मशीनरी भाड़ा केन्द्र की स्थापना, तथा (2) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना ।

भाड़ा केन्द्रों की स्थापना राज्य कृषि-उद्योग निगमों द्वारा तथा कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना निगमों की सहायता से बेरोजगार इंजीनियरों, तकनीकी कार्मिकों तथा कृषि स्नातकों द्वारा की जा रही है । ये केन्द्र रियायती दरों पर उन किसानों को कृषि मशीनरी भाड़े पर देते हैं, जो कीमती मशीनरी नहीं खरीद सकते हैं।

(ग) ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र बुदनी तथा ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र हिसार में

ट्रैक्टरों के रख-रखाव तथा संचालन के संबंध में व्यक्तियों के प्रशिक्षण की एक योजना पहले ही मौजूद है और दक्षिण में भी एक तीसरा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। बुदनी तथा हिसार के वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्र प्रतिवर्ष लगभग 600 ट्रैक्टरों के उपयोगकर्त्ताओं को उपकरणों के अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण की अवधि तीन माह की है और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 70 रुपये प्रति मास वजीफा दिया जाता है।

ट्रैक्टरों की खरीद

5328. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सारे देश में उनके मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों में कितने ट्रैक्टरों की खरीद की गई और किन कम्पनियों से उन्हें खरीदा गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : कृषि मंत्रालय विभिन्न देशों से ट्रैक्टरों के आयात की व्यवस्था कर रहा है। शायद माननीय सदस्य का मतलब ऐसे आयातों से ही है। वर्ष 1969-70 के दौरान 35,000 ट्रैक्टरों को आयात करने का निर्णय किया गया। वर्ष 1969-70 से 1971-72 की अवधि के दौरान विदेशी सम्भरणकर्त्ताओं से की गई संविदाओं के संबंध में जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1969-70 से 1971-72 की अवधि के दौरान (वर्ष 1969-70 के आयात कार्यक्रम की तुलना में) विदेशी सम्भरणकर्त्ताओं से ट्रैक्टरों की संख्या के संबंध में की गई संविदाओं को प्रदर्शित करने वाला विवरण :

क्रम संख्या	विदेशी सम्भरणकर्त्ताओं का नाम	संविदा किये गये ट्रैक्टरों की संख्या
1	मैसर्स ओटोट्रैक्टर, फौरेन ट्रेड स्टेट कम्पनी, बुचारेस्ट, रोमानिया	3000
2	मैसर्स यूजिनइक्सपोर्ट, फोरेन ट्रेड स्टेट कम्पनी, बुचारेस्ट, रोमानिया	1000
3	मैसर्स मोटोकोव फौरेन ट्रेड कार्पोरेशन, प्राह जेकोस्लेविया	10500
4	मैसर्स मोटो इम्पोर्ट, वार्सजावा, पोलैंड	6500
5	मैसर्स इन्डस्ट्रीजा मसीना ट्रकटोरा, नोवी बिओग्राड, यूगोस्लेविया	1650
6	मैसर्स फोर्ड मोटर कम्पनी लिमिटेड, लन्दन (इंगलैंड)	850
7	मैसर्स इन्टरनेशल हारवैस्टर कम्पनी आफ ग्रेट ब्रिटेन लिमिटेड लन्दन (इंगलैंड)	1000
8	मैसर्स मैसे फरगुसन (इंगलैंड) लिमिटेड, लन्दन (इंगलैंड)	1000
9	मैसर्स डेविड ब्राउन ट्रैक्टर्स (सेल्स) मेल्याम, हड्डसैफील्ड (इंगलैंड)	500
10	वी० ओ० प्रोम्माश एक्सपोर्ट मास्को, रूस	1850
11	वी० ओ० "ट्रैक्टरो एक्सपोर्ट" मास्को, रूस	5650
12	मैसर्स क्लोकनर-हम्बोल्डट-ड्यूटज के० जी०, कोलन, पश्चिम जर्मनी	500
	योग	34,000

Irregular Bus Service in Capital

5329. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether one has to wait for hours together at bus stands on account of shortage of buses in the capital; and

(b) if so, the routes on which there is no regular bus service at present ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur): (a) It is true that on some routes during certain hours of the day the frequency of services provided is inadequate and falls short of requirements and the passengers are obliged to wait for some considerable time though not "hours". The Delhi Transport Corporation has therefore, initiated a number of steps since 3.11.71, when the management of the D.T.U. was transferred to the statutory corporation, to improve the bus service in the city. The figures given below indicate the improvements effected in some respects :

	September 1971	March 1972	Percentage increase/ decrease
(i) Daily average of buses on road	1089	1222	(+) 12 Approx.
(ii) Average number of trips missed daily	4366	2834	(—) 35 ,,
(iii) Average Kms. operated per bus daily	180	197	(+) 9 ,,

(b) There are thirty-two routes and sub-routes in the rural areas and three routes in the city where sustained services throughout the day are not operated, in view of the small traffic offering.

Complaints Regarding Fixation of Procurement Prices of Wheat

5330. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Associations from which complaints have been received by Government after the recommendations of the Agricultural Prices Commission, regarding the fixation of procurement prices of wheat; and

(b) the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) A large number of representations were received from Associations against reduction in the procurement price of wheat as recommended by the Agricultural Prices Commission.

(b) Government have not reduced the procurement prices of wheat.

खण्डसारी के अन्तर्राज्यीय परिवहन पर प्रतिबन्ध

5331. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंडसारी के एक राज्य से दूसरे राज्य को लाये-लेजाये जाने पर भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगाये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). खंडसारी चीनी तैयार करने में गन्ने का अधिक प्रयोग और इसके फलस्वरूप गन्ने की पर्याप्त सप्लाई न हो पाने से निर्वात-पात्र (वेक्यूमपेन) चीनी कारखानों के बंद होने को रोकने के लिए 2 मार्च, 1972 को खंडसारी चीनी के अंतर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे। तथापि, खंडसारी तैयार करने वाले क्षेत्रों की चीनी मिलों के बंद हो जाने पर ये प्रतिबन्ध 14 अप्रैल, 1972 से वापिस ले लिए गये थे।

'विलेज लैवल वर्कर' और ग्राम सेविकाओं द्वारा पोषाहार संबंधी कार्य करना

5332. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'विलेज लैवल वर्कर' और ग्राम सेविकाओं द्वारा पोषाहार संबंधी कार्य किया जाना सफल सिद्ध नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) : और (ख). ग्रामीण क्षेत्रों में पोषाहार कार्य में सुधार करने तथा संबंधित सेवाओं के लिए उपयुक्त वितरण प्रणालियाँ तैयार करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है। तथापि, यह कहना सही नहीं है कि ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकाएं सफल नहीं हुई हैं। वे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहेंगे।

रूस के साथ सांस्कृतिक करार

5333. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में रूस के साथ कितने सांस्कृतिक करार किए गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : भारत गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के बीच 1960 में हुए सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शिल्प वैज्ञानिक सहयोग विषयक करार के अनुसरण में पिछले दो वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच निम्नलिखित सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक विनिमय के कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए गए :

कार्यक्रम	हस्ताक्षर की तिथि
1970-71	12-6-70
1971-72	17-8-71
1972-74	13-3-72

अखिल भारतीय महापौर परिषद् की बैठक

5334. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 के सितम्बर के पहले सप्ताह में अखिल भारतीय महापौर परिषद् की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा सरकार ने किन सुझावों को स्वीकार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क)अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारिणी समिति की बीसवीं बैठक 3 सितम्बर, 1971 को नई दिल्ली में हुई ।

(ख) निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :

(1) पिछली बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि,

(2) ग्वालियर के एक भूतपूर्व महापौर के निधन की सूचना,

(3) शिक्षावृत्ति योजना,

(4) स्थानीय प्राधिकारियों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ की कार्यकारिणी समिति में प्रतिनिधित्व,

(5) बंगला देश का प्रश्न,

(6) 4 सितम्बर, 1971 को आयोजित की जाने वाली स्थानीय शासन की केन्द्रीय परिषद तथा अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारिणी समिति की दूसरी संयुक्त बैठक में निपटाये जाने वाले विषयों के बारे में अनोपचारिक विचार-विमर्श,

(7) पूर्वता अधिपत्र (वारंट आव प्रैसिडेन्स) में महापौर का स्थान ।

प्रथम छः मदों पर भारत सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जानी थी । जहाँ तक आखिरी मद का प्रश्न है सितम्बर, 1969 में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को आवश्यक अनुदेश भेज दिये गये थे । नवम्बर, 1971 में राज्य सरकारों आदि से इन अनुदेशों के बारे में पुनः कह दिया गया है ।

कैंसर से हुई मौतें

5335. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969, 1970 और 1971 के दौरान देश में कैंसर से मरे लोगों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ख) देश में मुख के कैंसर का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विशाखापत्तनम बन्दरगाह पर सुरक्षा कर्मचारियों और एक मजदूर के बीच विवाद

5336. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम बन्दरगाह पर 3 अप्रैल, 1972 को काम बन्द हो गया था, क्योंकि केन्द्रीय सुरक्षा कर्मचारियों ने एक मजदूर की पिटाई कर दी थी;

(ख) क्या उक्त मामले में कोई जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 1 और 2 अप्रैल, 1972 को कुछ कर्मचारियों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टाफ के बीच हुए झगड़े के कारण, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे, विशाखापत्तनम गोदी श्रम बोर्ड के कर्मचारियों ने 1 अप्रैल, 1972 के अपराह्न से हड़ताल कर दी और उसके बाद 3 अप्रैल, 1972 से विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर द्री। उक्त विवाद उस समय शुरू हुआ जबकि एक कर्मचारी ने गेट पर खड़े संतरी को पहचान पत्र दिखाने से इन्कार कर दिया था। इससे पत्तन की यातायात में कुछ बाधा पड़ी।

(ख) और (ग). उक्त घटनाओं की पुलिस जाँच कर रही है। इस दौरान, ए० आई० जी०, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मद्रास ने जाँच पूरी होने, तक एक संतरी गार्ड को निलम्बित कर दिया है।

दिल्ली के अस्पतालों में विभिन्न विभागों में समन्वय

5337. **श्री वेकारिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फाल्टी ब्रिंग मेड लिकर फैटल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली में अस्पतालों के विभिन्न विभागों में कोई समन्वय नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ऐसा कानून बनाने का है जिससे किसी अस्पताल में एक विभाग के उपकरण दूसरे विभाग को उपलब्ध हो सकें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (ख) और (ग). सफदरजंग और विलिंग्डन अस्पतालों में विभिन्न विभागों के बीच तालमेल रहता है। दिल्ली स्थित अन्य अस्पतालों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यदि आवश्यक हुआ तो इनमें तालमेल रखने के लिए उचित कार्यवाही की जायेगी।

गुजरात में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषि योजनाओं की क्रियान्विति

5338. **श्री वेकारिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में लागू की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषि विकास योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या गुजरात में अधिक उपज देने वाले गेहूँ के बीजों के उत्पादन और मूल्यों में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वित्तीय वर्ष 1972-73 में गुजरात में क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित कृषि विकास योजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं :

कृषकों की शिक्षा :

कृषक प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्यक्रम

निर्यात वर्धन के लिये वाणिज्यिक फसलों का विकास :

1. कपास का अधिकतम उत्पादन।
2. सघन कपास जिला कार्यक्रम।
3. मूँगफली का अधिकतम उत्पादन।
4. वर्जीनिया फ्लू क्यूर्ड तम्बाकू का विकास।
5. नारियल विकास।
6. बागवानी विकास।

अन्य :

1. सोयाबीन विकास।
2. सूरजमुखी प्रदर्शन।
3. एरंडी प्रदर्शन।
4. स्थानीक मारी क्षेत्रों में फसलों के कीट/रोगों का उन्मूलन।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1972-73 के दौरान क्रियान्वित करने के लिये गुजरात में संकर-4 कपास के बीजों के उत्पादन के लिये एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्वीकृत की गई है।

इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी माँगी गई है और यदि आवश्यक समझा गया तो उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) गुजरात में अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है । तथापि, चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य सरकार की एक स्कीम है जिसकी 22 लाख रु० की लागत से क्रियान्विति की जायेगी । इस क्रियान्विति में बन्नी (कच्छ फार्म) सहित "बीज वर्धन तथा राज्य फार्म का विस्तार" करना भी शामिल है ।

(ग) उन्नत किस्मों के बीजों के वर्णन तथा वितरण और कृषकों की उन्नत कृषि प्रणालियों के प्रदर्शन के लिये, जिले के प्रत्येक ताल्लुक में बीज फार्म खोलने के संबंध में ताल्लुक बीज वर्धन फार्म की स्थापना की राज्य योजना एक आदर्श योजना है । अब तक 142 छोटे आकार के फार्मों तथा एक बड़े आकार के फार्म की स्थापना की जा चुकी है । 142 छोटे आकार के फार्मों में से 77 बीज फार्म पूर्णतः विकसित किये जा चुके हैं, जबकि शेष फार्मों के संबंध में आवश्यक भवनों का निर्माण करने, बाड़ लगाने, तथा सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य चौथी योजना में किया जायेगा । लगभग 500 एकड़ के दो बड़े आकार के फार्मों को स्थापित करने का विचार है, जहाँ सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं । ऐसा एक फार्म बानसकांठा जिले के असेदा नामक स्थान पर पहले ही स्थापित किया जा चुका है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात को चीनी का आबंटन

5339. **श्री बेकारिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात को चीनी का कुल कितना कोटा आबंटित किया गया;

(ख) तथा सरकार को इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि गुजरात को आबंटित चीनी का कोटा अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चीनी वर्ष (अक्तूबर–सितम्बर) 1968–69, 1969–70 और 1970–71 (अप्रैल, 1971 तक) के दौरान गुजरात राज्य को आबंटित चीनी का मासिक कोटा बताने वाला एक विवरण संलग्न है, मई, 1971 से चीनी पर से नियंत्रण हटाया गया था । जनवरी, 1972 से तयशुदा मूल्यों पर चीनी के स्वैच्छिक वितरण की एक योजना चालू की गई है । जनवरी, 1972 से स्वैच्छिक वितरण योजना के अधीन गुजरात को आबंटित उचित मूल्य की चीनी का कोटा इस प्रकार है :—

जनवरी, 72	19,886 मी० टन
फरवरी, 72	19,000 मी० टन
मार्च, 72	15,000 मी० टन
अप्रैल, 72	15,000 मी० टन
मई, 72	15,000 मी० टन

(ख) जी हाँ।

(ग) आबादी, 1967–68 तथा 1968–69 के दौरान खपत के पिछले ढंग और चीनी की उपलब्धि को ध्यान में रखकर 1–3–1972 से विभिन्न राज्यों को युक्तियुक्त आधार पर उचित मूल्य की चीनी का मासिक आबंटन किया जा रहा है। निर्धारित मूल्य की चीनी की सीमित उपलब्धि होने के कारण राज्य के कोटे में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में गुजरात राज्य को आबंटित कोटे को बताने वाला विवरण

(आँकड़े मी० टन में)

	1968–69	1969–70	1970–71
अक्तूबर	10073	12477	28000
नवम्बर	10073	12477	24231
दिसम्बर	10073	12477	24231
जनवरी	11776	12477	21000
फरवरी	11776	16477	21000
मार्च	11776	16477	21000
अप्रैल	11776	16477	24788
मई	12477	21000	विनियंत्रित
जून	12477	21000	,,
जुलाई	12477	21000	,,
अगस्त	12477	24983	,,
सितम्बर	12477	45231	,,
जोड़ :	139708	232553	164250

गुजरात में राष्ट्रीय राजपथों पर खर्चा करने के लिए मंजूर की गई राशि

5340. **श्री वेकारिया : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात में राष्ट्रीय राजपथों के लिए कुल कितना केन्द्रीय अनुदान मंजूर किया गया;

(ख) गुजरात राज्य के प्रत्येक राजपथ के लिए कितना अनुदान मंजूर किया गया; और

(ग) राज्य में प्रत्येक राजपथ पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) विवरण संग्लन है।

विवरण

1969-70 से 1971-72 के दौरान गुजरात में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए किए गए राष्ट्रीय माजमार्ग (मूल) निर्माण कार्य के आबंटनों का राष्ट्रीय राजमार्ग वार ब्यौरा तथा तत्संबंधी व्यय :

रुपये लाखों में

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम	1969-70		1970-71	
	अंतिम आबंटन	व्यय	अंतिम आबंटन	व्यय
(1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8	51·38	42·84	125·16	132·77
(2) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 क	5·40		0·48	
(3) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ख	2·20		6·02	
कुल	58·98		131·66	

1971-72 के संबंध में 262·27 लाख रुपये की बजट व्यवस्था में से राज्य सरकार की अपनी आवश्यकताओं पर आधारित अंतिम आबंटन 237·43 लाख रुपये था।

1969-70 से 1971-72 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत के लिए निधि और किए गए व्यय के विषय में सूचना निम्न प्रकार है :

रुपये लाखों में

	आबंटन	व्यय
1969-70	90·25	91·21
1970-71	139·70	144·20
1971-72	कुल आबंटन 132·47 लाख रुपये था।	

टिप्पणी : रखरखाव और मरम्मत के लिए धन की व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्गवार आबंटित नहीं की जातीं, बल्कि इकमुश्त रूप में उनका आबंटन होता है।

राज्यों को अपने भूमि संबंधी रिकार्ड ठीक करने के लिए केन्द्र का निदेश

5341. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों से अपने भूमि संबंधी रिकार्ड अद्यातन करने के लिए अनुदेश देना चाहती है; और

(ख) क्या सरकार के विचार में अद्यतन और ठीक भूमि-रिकार्ड भूमि सुधार कार्यक्रम का अंग है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). चौथी पंच-

वर्षीय योजना में भूमि सुधार के उचित कार्यान्वयन के लिए भू-अभिलेखों को नवीनतम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह योजना राज्य योजनाओं में सम्मिलित की गई है।

मध्य प्रदेश में छोटे किसानों को हरित क्रान्ति के लाभ

5342. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में हरित क्रान्ति की प्रगति बहुत कम रही है;

(ख) क्या 72 प्रतिशत सीमान्त किसान कर्जदार हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उनको कर्ज से मुक्त कराने और इन छोटे किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों को हरित क्रान्ति के लाभ सुनिश्चित कराने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकार से जानकारी माँगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली परिवहन निगम की 'इच्छानुसार यात्रा करो' योजना के अन्तर्गत टिकटों के मूल्य में वृद्धि से पहले तथा उसके पश्चात् टिकटों की औसत बिक्री

5343. **डा० कर्णी सिंह** :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम की 'इच्छानुसार यात्रा करो' योजना के अन्तर्गत टिकट के मूल्य को एक रुपए से बढ़ाकर 1·25 रुपये करने से पूर्व टिकटों की दैनिक औसत बिक्री क्या थी;

(ख) इसके मूल्य में वृद्धि किये जाने पर इन टिकटों की दैनिक औसत बिक्री कितनी है; और

(ग) यदि आय में कोई कमी हुई है तो उसकी प्रतिशतता क्या है, तथा इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 32,350 रुपये (8-3-72 से 30-3-72 तक की अवधि के दौरान)।

(ख) 19,748 रुपये (8-4-72 से 30-4-72 तक की अवधि के दौरान)।

(ग) यद्यपि भ्रमण टिकटों की बिक्री के कारण राजस्व में लगभग 24 प्रतिशत की कमी हुई है, तथापि कुल दैनिक आय में कोई गिरावट नहीं आई है। दूसरी ओर साधारण टिकटों और मासिक पासों की बिक्री में वृद्धि के कारण मार्च, 1972 की संगत अवधि की तुलना में 8 से 30 अप्रैल, 1972 तक की अवधि के दौरान कुल दैनिक यातायात आय में लगभग 9,000 रुपये की वृद्धि हुई है।

Sub-Letting of Quarters in Government Colonies, New Delhi

5344. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the quarters allotted to the Government employees in Sriniwas Puri, Vinay Nagar (New Delhi) have been sub-let by them;

(b) whether the employees are legally authorised to sub-let the Government accommodation allotted to them; and

(c) if the reply to part (b) is in the negative the steps proposed to be taken by Government in future in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) (a) 25 complaints of sub-letting in Sriniwaspuri and Vinay Nagar (Sarojini Nagar) were received during the year 1971-72. Out of these, 15 complaints were anonymous/pseudonymous and in one case sub-letting could not proved. Only in one case sub-letting was proved and the Government servant was debarred from allotment of Government accommodation. 8 cases are still under investigation.

(b) A Government servant allotted a general pool residence, can share it with a person of an eligible category decided by Government from time to time, by charging reasonable rent for the portion placed at the disposal of the sharer. If the residence is shared on any other basis or is completely sub-let, action is taken against the allottee under the penal provisions of the Allotment Rules.

(c) In order to curb the mal-practice of subletting, periodical checks are conducted in Government colonies by officers of the Directorate of Estates and the C. P. W. D. Besides, action is taken on complaints received from individuals.

Steps to Check Irragularity in Booking and supply of Tractors

5345. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether some buyers have to wait for as much as three years in getting tractors from the Tractor Distribution Centres, whereas some persons get them only after 6 months; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken to stop such irregularities ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b). The Government of India has promulgated Tractors (Distribution and sale) Control

Order, 1971 on 1st September, 1971. Under the Control Order, the sale of tractors by dealers is to be made on the basis of registrations made by them except in cases where the Controller appointed under the Control Order directs otherwise. The period involved in the sale of tractors to buyers depends on the popularity/demand of the various makes of tractors and their availability. Certain imported tractors are available for supply immediately whereas one may have to wait long to get a make for which there is keen demand. The Tractors Control Order is intended to discourage the frivolous booking of orders and curb other malpractices which were reported hitherto in the distribution of tractors.

Grants to U. P. for Welfare of Harijans

5346. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether each State is given grants by the Central Government for the welfare of Harijans; and

(b) if so, the amount given to and utilised by the Government of Uttar Pradesh during 1970-71 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) Details of the outlay approved and expenditure incurred for the welfare of Scheduled Castes in Uttar Pradesh during 1970-71 are given below :

(Rs. in lakhs)

	Approved outlay	Expenditure Anticipated
State Sector	53·00	51·88
Central Sector	87·00	87·00
Total :	140·00	138·88

Demands of Jhuggi-Jhonpri Dwellers in Seemapuri, Delhi

5347. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Jhuggi-Jhonpri dwellers in Seemapuri, Delhi have made a demand that arrangements should be made for meeting the shortage of drinking water there as reported in the "Nav Bharat Times" dated the 9th April, 1972; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) (a) Yes, Sir.

(b) Water is being supplied from :—

(i) Tubewell in the colony;

(ii) Tubewell in the neighbouring colony; and

(iii) Hand Pump.

Construction of another tubewell has been taken in hand.

नई दिल्ली सरकारी कालोनियों में स्कूटर खड़े करने के लिए स्थान

5348. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटरों को खड़ा करने के लिये नई दिल्ली की कुछ कालोनियों में अलग से स्थान की व्यवस्था की है;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर 'हाँ' में है तो क्या सरकार उन अन्य कालोनियों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने की योजना बना रही है, जहाँ इस प्रकार की सुविधा नहीं है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर 'हाँ' में है तो उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परियोजनाओं की व्यवहारिता के आधार पर किसानों को ऋण और इसके लिए केन्द्रीय आबंटन

5349. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर सहायता देने हेतु कृषि मंत्रालय से लाभ-प्राप्त कर्त्ताओं द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं की व्यवहारिता पर अधिक बल देना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अपनी आय का 20 प्रतिशत भाग छोटे किसानों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए नियत करने का निदेश दिया गया है; और

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में इन योजनाओं के लिए कुल कितना परिव्यय रखा गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को कृषि विकास के लिए पूंजी लगाने के संबंध में प्रेषित निदेशनों द्वारा उन्हें सलाह दी गई है कि वे उत्पादक उद्देश्यों के लिए पैसा उधार दें और ऋण की मात्रा का संबंध बढ़ती हुई आय और उधार लेने वाले की अपनी निजी पूंजी लगाने की क्षमता से जोड़ें न कि दी जाने वाली

जमानत की मात्रा से । ये अनुदेश छोटे किसानों पर भी लागू होंगे । समय-समय पर भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों को सलाह दी है कि वे बढ़ती हुई आय और भुगतान क्षमता के संदर्भ में अपनी ऋण नीतियों और कार्य विधियों को पुनः निश्चित करें न कि भूमि की जमानत के संदर्भ में । रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि वर्ष 1971-72 में राज्य सहकारी बैंकों से केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा लिए गए ऋण का कम से कम 20 प्रतिशत छोटे और गरीब किसानों के लिए प्राथमिक बैंकों द्वारा दी गई राशि द्वारा आवृत होना चाहिए ।

(ग) इन सुझावों के कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में किसी परिव्यय की आवश्यकता नहीं है । इस कार्य के लिए ऋण रिजर्व बैंक की सहायता द्वारा वाणिज्य और सहकारी बैंकों से प्राप्त होगा ।

चीनी के नए कारखाने स्थापित करने में विलम्ब दूर करना और लागत कम करना

5350. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चीनी के नये कारखाने स्थापित करने में विलम्ब दूर करने और लागत कम करने में औद्योगिक वित्त निगम से सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कारखानों को लाइसेंस दिये थे परन्तु उनकी स्थापना में विलम्ब है;

(ग) क्या आवेदन-पत्र अब भी सरकार के विचारधीन हैं; और

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में इन सभी कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार ने नये चीनी कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस दिए हैं और उनको स्थापित करने में कुछ विलम्ब हो रहा है ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) चौथी योजनावधि के अन्त तक वे सभी कारखाने, जिन्हें लाइसेंस दिये गये हैं, उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं ।

सर्जरी के उपकरणों की सुविधा से सम्पन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

5351. **श्री वयालार रवि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्जरी के उपकरणों की व्यवस्था की गई है और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन केन्द्रों में आपरेशन संबंधी सुविधायें न होने की वजह से ये उपकरण बेकार पड़े हैं और खराब हो रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इन उपकरणों का समुचित उपयोग करने और खराब होने से बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) कार्य कर रहे 5131 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 2857 केन्द्रों को यूनिसेफ उपस्कर प्रदान किए गये हैं जिनमें शल्य चिकित्सा के उपस्कर भी शामिल हैं। 31 दिसम्बर, 1971 की स्थिति के अनुसार राज्यवार ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर हमें यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इन केन्द्रों में सब उपस्करों का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	
		कार्य कर रहे	यूनिसेफ द्वारा सहाय्यित
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश*	416	292
2.	असम*	104	90
3.	बिहार‡	587	119
4.	गुजरात*	251	227
5.	हरियाणा	89	80
6.	जम्मू व कश्मीर	75	48
7.	केरल†	162	146
8.	मध्य प्रदेश	446	315
9.	महाराष्ट्र	388	334
10.	मैसूर	265	135
11.	मेघालय‡	9	7
12.	मणिपुर	14	12
13.	हिमाचल प्रदेश	75	54
14.	नागालैंड*	9	—
15.	उड़ीसा*	313	165
16.	पंजाब	127	120
17.	राजस्थान	232	117

1	2	3	4
18.	तमिलनाडु	379	199
19.	त्रिपुरा†	23	12
20.	उत्तर प्रदेश*	813	227
21.	पश्चिम बंगाल†	238	132
संघ शासित क्षेत्र			
22.	दिल्ली*	5	5
23.	अरुणांचल प्रदेश	75	—
24.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	—
25.	पांडिचेरी	11	11
26.	लक्षद्वीप मिनिकाय अमिनदिव द्वीपसमूह	7	7
27.	गोआ, दमन तथा दिव	15	3
28.	दादर, नगर हवेली‡	2	3
29.	चण्डीगढ़*	—	—
		5131	2857

*31-9-71 को समाप्त होने वाले त्रैमासिक रिपोर्ट से संबंधित आँकड़े ।
‡30-6-71 को समाप्त होने वाले त्रैमासिक रिपोर्ट के आँकड़े ।
†31-3-71 को समाप्त होने वाले त्रैमासिक रिपोर्ट के आँकड़े ।

"हरित क्रान्ति" का अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव

5352. **श्री बी० वी० नायक** : क्या कृषि मंत्री "हरित क्रांति" के सामाजिक—आर्थिक प्रभावों के बारे में 10 अप्रैल, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 326 तथा उस पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कई कारणों से इस मत पर पहुँची है कि "हरित क्रांति" का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो ये बुरे प्रभाव क्या हैं;

(ग) इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). 'हरी क्रांति' का प्रयोग साधारणतया वर्ष 1966-67 से कृषिक विकास की नई नीतियों की सफलता के लिए किया जा रहा है। फिर भी सिंचाई अथवा वर्षा पर आश्रित रहने वाले क्षेत्रों में साधारणतया कृषि के तत्काल विकास के लिए काफी सम्भावनायें मौजूद थीं । इसके अतिरिक्त जहाँ तक किसानों के विभिन्न वर्गों का संबंध है, साधारण रूप से नई तकनीकी का भूमि के आकार से कोई संबंध

नहीं होता। यह देखा गया है कि नई कृषि की नई प्रणाली को अपनाने में छोटे किसान भी बड़े किसानों से पीछे नहीं हैं। फिर भी, विभिन्न बाधाओं के कारण (जिससे कम सुविधा वाले और छोटे किसान हानि उठाते है) "हरी क्राँति" ने नई तकनीकों से लाभ उठाने वाले साधनयुक्त किसानों और इस प्रकार के साधन से विहीन किसानों के बीच की असमानता को बढ़ा दिया है।

(ग) नई तकनीकों का लाभ कम सुविधा वाले समुदायों और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए छोटे किसानों, सीमांत कृषकों, और कृषिक मजदूरों तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता के लिये विशेष कार्यक्रय आरम्भ किये गये हैं। इनमें से अधिकतर कार्यक्रम पिछले दो सालों में प्रारम्भ किये गये हैं और कार्यान्वियन की आरम्भिक अवस्था में हैं। इससे प्राप्त अनुभवों का विस्तृत रूप से लाभ उठाया जायेगा जिससे कि देहाती क्षेत्रों के कम सुविधा प्राप्त वर्गों और सूखे क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके।

चिकित्सा छात्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा

5354. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा बांड तैयार किया गया है जिससे प्रत्येक चिकित्सा छात्र को प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद कुछ समय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करनी होगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख). जी हाँ। एक ऐसा बांड तैयार किया गया है जिसमें यह अनुबन्ध रखा गया है कि किसी मेडिकल कालेज में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् यदि जरूरत पड़ी तो, कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए देश के किसी भाग में ग्रामीण क्षेत्रों में, सेवा करनी होगी। लागू करने के प्रयोजन से यह बांड सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को भेज दिया गया है। बांड की शर्तों के अनुसार, छात्र को पाठ्यक्रम के पूरा करने की तिथि से 30 दिन के अन्दर-अन्दर अपने प्रशिक्षण की समाप्ति के बारे में सरकार को बतलाना आवश्यक होगा। इस सूचना की प्राप्ति से छः महीनों की अवधि के अन्दर, सरकार छात्रों को किसी ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने के लिए बुला सकती है। बांड की शर्तों के उल्लंघन करने वाले छात्र को 5000/- रु० तक की राशि सरकार को देनी पड़ेगी।

बिहार में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

5355. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बिहार सरकार को केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिली है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकार का कुछ विशिष्ट अतिरिक्त सहायता देने का विचार है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना बना दिया गया है। सहायता के निर्धारित स्वरूप के अनुसार भारत सरकार आक्रामक एवं समेकित चरणों वाले एककों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के परिचालन पर होने वाले खर्च को शत प्रतिशत वहन करती है किन्तु 1957-58 में राज्य सरकारें जिस खर्च को देने के लिए वचनबद्ध थीं वह रकम इसमें कम करनी होगी। इसके अलावा, इन एककों को सामग्री और उपस्कर निःशुल्क दिए जाते हैं। निर्धारित स्वरूप के अनुसार बिहार सरकार को वित्तीय सहायता दी गई है और यह पर्याप्त समझी जाती है।

(ग) गत तीन वर्षों में बिहार सरकार को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित सहायता दी गई है—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	परिचालन सहायता	सामग्री और उपस्कर	योग
1969-70	58·87*	14·69	73·56
1970-71	60·50	19·77	80·27
1971-72	56·93	27·25	84·18

*यह रकम अस्थायी रूप से दी गई थी और इसमें 24·37 लाख रुपये की अधिक भुगतान की गई रकम भी सम्मिलित है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित बिहार स्थित समाज कल्याण संस्थान

5356. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित बिहार स्थित समाज कल्याण संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इनमें से कौन कौन सी संस्थाएँ पालामऊ और हजारीबाग जिले में हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) बिहार राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई समाज कल्याण संस्था नहीं चलाई जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी लोगों के लिए पालामऊ जिले (बिहार) में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाएं

5357. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पालामऊ जिले (बिहार) के पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ियों में रहने वाली आदिवासी जनता अत्यधिक गरीब और काफी पिछड़ी हुई है;

(ख) क्या उस क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनके जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) (क) से (ग). जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल और असम के बीच बंगला देश होकर नदी परिवहन सेवा का फिर से चालू किया जाना

5358. **श्री बी० वी० नायक :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और असम के बीच बंगला देश होकर नियमित नदी परिवहन सेवा फिर से चालू हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह किस एजेंसी को सौंपा गया है और उक्त एजेंसी द्वारा की जा रही सेवाओं संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पौधों के संरक्षण और रोग निवारण के लिए कृषि में विमानों का अधिक प्रयोग करने हेतु राज्य को धनराशि का नियतन

5359. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पौधों के संरक्षण और रोग निवारण के लिये कृषि में विमानों के और अधिक प्रयोग किए जाने संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) वर्ष 1972-73 में ऐसी योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धन-राशि नियत की गई है और उसमें केन्द्रीय सरकार का अंशदान कितना है; और

(ग) वर्ष 1972-73 में प्रत्येक राज्य की ऐसी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) देश में कृषि विमानन विकास के लिये वर्ष 1957 में भारत सरकार द्वारा एक केन्द्रीय विमानन एकक की स्थापना की गई थी जिससे फसलों को कीड़ों और बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। हवाई रसायनिक कार्यवाहियों द्वारा विभिन्न फसलों के लिए लिया गया वार्षिक क्षेत्र वर्ष 1959-60 में 24,814 एकड़ से बढ़कर वर्ष 1971-72 में लगभग 27·0 लाख एकड़ हो गया। जहाजों का बेड़ा भी बढ़कर 29 फिक्सड विंग और 32 हेलीकोप्टर हो गया है। वर्ष 1970-71 और 1971-72 के लिए हवाई कार्यक्रमों के अधीन लिया गया राज्यवार क्षेत्र अनुबंध 1 में दिया गया है। वर्ष 1972-73 में राज्यों द्वारा प्रस्तावित हवाई छिड़काव का अनन्तिम लक्ष्य अनुबंध 2 में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1976/72.**]

हवाई और भूमि छिड़काव द्वारा स्थानिक क्षेत्रों में कीड़ों/बीमारियों के उन्मूलन में राज्यों की सहायता के लिए भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रवर्त्तित एक योजना तैयार की है। चतुर्थ योजना में 430 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और इससे प्रति वर्ष लगभग 16 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र के आने की आशा है।

भारत में वनस्पति और वनस्पति वस्तुओं के आयात के नियंत्रण और रोकथाम के लिये विनाशकारी कीड़ों और कीट अधिनियम, 1914 तथा उसके अधीन नियमों की व्यवस्था के अंतर्गत वनस्पति संगरोध उपाय किए जाते हैं। इन रोकथामों का ध्येय लोकहित में हानिकारक फसली कीटों के प्रवेश और फैलाव को रोकना है। संक्रांत वस्तुओं का रसायनों द्वारा उपचार करना होता है अथवा धुआँ देना पड़ता है जिससे अधिक संक्रांत वस्तुओं का विनाश हो जाए।

वनस्पति तथा वनस्पति वस्तुओं के अन्तर्राज्य क्षति को नियंत्रित करने के लिए वनस्पति रक्षण, संगरोध तथा संचयन का केन्द्रीय निदेशालय भी आवश्यक कार्यवाही करता है जिससे विनाशकारी कीटों और बीमारियों के और अधिक फैलाव को, जो पहले ही इस देश में प्रवेश कर गई हैं, रोका जा सके।

(ख) वर्ष 1972-73 के लिए स्थानिक क्षेत्र योजना के अन्तर्गत कुछ मुख्य फसलों पर हवाई रसायनिक कार्यवाहियों का राज्यवार ब्यौरा तथा सिफारिश की गई केन्द्रीय सहायता अनुबंध 3 में दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा किया गया आबंटन प्राप्त किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) वर्ष 1972-73 के लिए राज्य योजनाओं को अभी अन्तिम रूप देना है। 16 और 17 मई, 1972 को होने वाली वार्षिक वनस्पति रक्षण गोष्ठी के पश्चात एक पक्का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

अनाज का भण्डार करने संबंधी सुविधाओं की कमी

5360. **श्री बी० वी नायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनाज भण्डारण का विकास अनियमित था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केवल पंजाब में ही गत फसल की कटाई के बाद भण्डार संबंधी सुविधाएँ न होने के कारण 25 लाख टन गेहूँ खुले में पड़ा रहा; और

(ग) अनाज जमा करने की उचित व्यवस्था करने हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भण्डार क्षमता की आवश्यकता और उपलब्धता कितनी कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अधिप्राप्ति तथा सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने देश में भण्डारण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए बाकायदा योजना तैयार की है । इस बारे में सिलसिलेवार 'क्रैश कार्यक्रम' तैयार किए गए हैं और इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा भण्डारण के बारे में नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति ने भी हाल ही में इस बारे में जाँच की है और सिफारिशें की हैं जिनको कार्यान्वित करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(ख) पिछली कटाई के बाद पंजाब में गेहूँ असुरक्षित पड़ी होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) भण्डारण संबंधी विशेषज्ञ समिति ने प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में भण्डारण क्षमता की आवश्यकता और उपलब्धता का विस्तृत जायजा लिया है और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने की सिफारिशें की हैं। भण्डारण संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

शान्ति निकेतन और बसंत विहार, नई दिल्ली में आवास स्थलों की बिक्री के मापदंड

5361. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में शान्ति निकेतन और बसंत विहार में आवास स्थलों को आबंटित करने अथवा बेचने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में मध्यम/निम्न आय वर्ग के किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिल सका है और क्या उक्त मामले में कोई जाँच की गई; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति को शान्ति निकेतन और बसंत विहार में भूमि का आबंटन, भूमि आबंटन सलाहकार समिति की सिफारिशों पर तथा दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास तथा निपटान की योजना के अन्तर्गत दिए गए निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया था।

(ख) तथा (ग). समिति उन सभी सरकारी कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है जो इसके सदस्य थे। कुछ अन्य व्यक्ति जिनकी भूमि अर्जित कर इस समिति को अंशतः आबंटित की गई थी, को भी प्लाट दिये गये थे जिसके वे पात्र थे।

किसी प्रकार की जाँच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में शान्तिनिकेतन और बसन्त विहार में आवास स्थल

5362. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्ति निकेतन और बसन्त विहार कालोनियों में आवास स्थल राजधानी के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये ही थे, परन्तु उनको केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे उच्च अधिकारियों और देश के विभिन्न भागों के कुछ व्यापारियों ने ले लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). जी, नहीं। सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति को भूमि, शान्ति निकेतन तथा बसन्त विहार में आबंटित की गई थी। समिति, सरकारी कर्मचारियों के समस्त वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ अन्य व्यक्तियों को भी, जिनकी भूमि अर्जित कर के समिति को आबंटित की गई थी, समिति का सदस्य बना लिया गया था तथा उन्हें प्लाट दे दिये गये जिनके वे दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास तथा निपटान योजना के अन्तर्गत पात्र थे।

सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण

5363. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये दिल्ली में मकानों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है, और यदि हाँ, तो कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा और किन जगहों पर;

(ख) सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मकानों का आबंटन करने के लिये सरकार क्या मानदण्ड अपनायेगी;

(ग) क्या मकान पट्टे और लाइसेंस के आधार पर होंगे; और

(घ) सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिये सरकार द्वारा आवास की व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है, जबकि सेवारत सरकारी कर्मचारियों के पास अपने बच्चों के लिये रहने की जगह नहीं है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हाँ । शेख सराये, राजौरी गार्डन तथा मदनगीर क्षेत्रों में 570 फ्लैटों के निर्माण किये जाने की आशा है।

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपना नाम पंजीकृत करा लें, तो आबंटन के पात्र होंगे ।

(ग) तत्काल बिक्री तथा किराया-खरीद आधार पर फ्लैटों के आबंटन किये जाने की आशा है ।

(घ) सरकारी कर्मचारी, सेवा से निवृत्त होने के बाद उपयुक्त रिहायशी वास का प्रबंध करने में प्रायः कठिनाई का अनुभव करते हैं । योजना का उद्देश्य ऐसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा रकम की अदायगी करने पर मकानों की खरीद में सहायता करना है ।

सप्रू हाउस लायब्रेरी नई, दिल्ली

5364. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि क्या सरकार सप्रू हाउस लायब्रेरी, नई दिल्ली को 'राष्ट्रीय ग्रन्थालय' का दर्जा देने के लिये कानून बनाने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : जी नहीं ।

Hostels for Harijan Students in Rajasthan

5365. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number and location of new hostels proposed to be opened for Harijan students in Rajasthan during 1972-73; and

(b) whether a demand for opening a hostel for Harijans in the hermitage of Baba Ram Nath at Tehsil headquarters Suratgarh (Sriganganagar) District has been received by his Ministry and if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) 5 new hostels are proposed to be opened for Harijan students during 1972-73 in Rajasthan. The location of these hostels will be determined by the State Government.

(b) No, Sir.

भूजल-गवेषण कार्य का भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग से स्थानान्तरण

5366. **श्री के कोदंडारामी रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूजल गवेषण कार्य को भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग से स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के बीच कोई विवाद है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

Financial Assistance for Bridge Corporation set up by Uttar Pradesh Government

5367. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have set up a Bridge Corporation for constructing bridges in Uttar Pradesh; and

(b) if so, whether any financial assistance from the Central Government has been sought therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Not so far, Sir. The matter is understood to be still under processing with the State Government who are primarily concerned.

(b) No, Sir.

भाण्डागार निगम में भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण

5368. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाण्डागार निगम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए भर्ती तथा पदोन्नति में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण है;

(ख) यदि हाँ, तो 31 मार्च, 1972 तक कितने पद भरे गए और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में इस निगम के कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को विभिन्न कारणों से परेशान किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ । केन्द्रीय

भाण्डागार निगम विभिन्न श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए स्थान आरक्षित करने के मामले में समय-समय पर, भारत सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों का अनुसरण कर रहा है ।

(ख) प्रतिनियुक्तों को छोड़कर 31 मार्च, 1972 को स्टाफ-स्थिति इस प्रकार है :

श्रेणी	नफरी	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण	नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या
प्रथम	50	8	3
द्वितीय	168	28	9
तृतीय	1551	258	153

अपेक्षित संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार न मिल पाने के कारण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों को भरा नहीं जा सका ।

तथापि, जहाँ तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का संबंध है, अनुसूचित, जातियों के कर्मचारियों की संख्या आरक्षित पदों की संख्या से भी बढ़ गई है ।

(ग) भाण्डागार निगम के किसी भी अनुसूचित जाति के कर्मचारी को परेशान नहीं किया गया है ।

दिल्ली नगर-निगम द्वारा झुग्गी-झोंपड़ी और दुकानों के चालान

5369. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम ने गत तीन महीनों में झुग्गी-झोंपड़ियों और दुकानों के कितने चालान किये;

(ख) क्या कुछ ऐसे भी चालान होते हैं जिनमें सम्बद्ध व्यक्तियों को एक वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् सम्बद्ध अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने को कहा जाता है और कुछ मामलों में चालान झूठे सिद्ध होते हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा किसी झुग्गी-झोंपड़ी का चालान नहीं किया गया है । तथापि, झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 321 के अन्तर्गत नगर-भूमि का अतिक्रमण करने पर दुकानों के विरुद्ध 292 चालान किये गये थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं। प्रसंगवश दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के उल्लंघन करने पर चालान किये जाते हैं। ये केवल जे० जे० कालोनियों तक ही सीमित नहीं है, अपितु, निगम के समस्त क्षेत्रों में किए जाते हैं। जे० जे० कालोनियों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं है।

पूसा इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली से इन्द्रापुरी तक पुल का निर्माण

5370. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूसा इन्स्टीट्यूट से इन्द्रापुरी, नई दिल्ली तक हाल ही में बनाये गये रास्ते से हल्के वाहनों एवं अन्य हल्के यातायात के गुजरने की व्यवस्था है;

(ख) क्या वहाँ पर बनाया गया पुल वाहनों के चलने के लिये उपयुक्त है; और

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिये इसे और मजबूत बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) केवल पैदल चलने वालों के आने जाने के लिये एक फुट ब्रिज का निर्माण किया गया है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

राजधानी में पानी का युक्तिसंगत वितरण

5371. **श्री शशि भूषण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के विभिन्न भागों में पानी के वितरण की कोई उचित एवं युक्तिसंगत व्यवस्था नहीं है;

(ख) राजधानी के किन-किन क्षेत्रों में 24 घण्टे पानी आता रहता है और किन-किन क्षेत्रों में विशेष घण्टों में ही पानी आता है;

(ग) जिन क्षेत्रों में 24 घण्टे पानी नहीं चलता उन क्षेत्रों में कितने घण्टे पानी आता है और इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) राजधानी में 24 घण्टे पानी की सप्लाई बनाये रखने का कोई प्रस्ताव क्या सरकार के विचाराधीन है और ऐसा प्रबंध करना कब तक सम्भव हो सकेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) यह सही है कि दिल्ली के सभी क्षेत्रों में सप्लाई किए जा रहे जल की मात्रा और उसके देने की अवधि एक समान नहीं है।

(ख) और (ग). दिल्ली जलपूर्ति और मल निष्कासन उपक्रम द्वारा दी गई अपेक्षित सूचना अनुलग्नक में दी गई है।

(घ) दिल्ली में जलपूर्ति में वृद्धि करने सम्बन्धी योजनाएं पहले से ही क्रियान्वित की जा रही हैं। इनके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे पानी के सप्लाई की स्थिति में सुधार हो जाएगा। परन्तु फिलहाल यह कहना सम्भव नहीं है कि राजधानी में कब तक पानी की सप्लाई चौबीस घण्टे उपलब्ध हो जाएगी।

वैसे स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति इस मामले पर तथा वितरण की उचित प्रणाली के प्रश्न पर विचार कर रही है।

विवरण

निम्नलिखित इलाकों की निचली मंजिल में पीने का पानी प्राय: 24 घण्टे रहता है :

1. माडल टाउन, कमला नगर, रूप नगर, जवाहर नगर आदि जैसे सिविल लाइन्ज़ मण्डल के अधिकतर इलाके।

2. भगीरथ पैलेस, चाँदनी चौक, नया बाजार दरियागंज, आसफ अली रोड जैसे शहरी इलाके।

3. करोल बाग के कुछ हिस्से तथा साउथ जोन की बस्तियाँ जैसे न्यू रोहतक रोड के साथ लगे इलाके, वैस्ट एक्सटेंशन एरिया, पूसा रोड, लाजपत नगर, डिफैंस कालोनी, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन भाग 1 और भाग 2 आदि।

4. शाहदरा मण्डल के अधिकांश इलाके।

5. नजफगढ़ रोड के साथ लगी हुई अधिकतर पश्चिम दिल्ली की बस्तियाँ जैसे नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर, कीर्ति नगर, रमेश नगर, राजौरी गार्डन, सुभाष नगर, अशोक नगर, तिलक नगर आदि।

6. पंजाबी बाग, शिवाजी पार्क आदि पश्चिम दिल्ली की बस्तियाँ।

उपर्युक्त इलाकों की ऊपरी मंजिलों और दिल्ली के शेष भागों में पानी की सप्लाई प्रात: 4 से 8 घण्टों के बीच और सांय 3 से 7 घण्टों के बीच भिन्न-भिन्न समय तक रहती है जो ऊँचे स्थान या इमारत की ऊँचाई, जलाशय से दूरी आदि तथ्यों पर निर्भर होती है।

इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है क्योंकि विभिन्न जलाशयों से निर्दिष्ट घण्टों के बीच जल की सप्लाई की जाती है। फिर भी, उन इलाकों में जो आखीर में पड़ते हैं और ऊँचे स्थान आदि पर स्थित हैं, जल की कमी अनुभव की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी कर्मचारियों को मकान/प्लाट आबंटित किया जाना

5372. **श्री अम्बेश** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली ने गत तीन वर्षों में नई दिल्ली/दिल्ली में मकान/प्लाट आबंटित किये हैं;

(ख) उपरोक्त व्यक्तियों में केन्द्रीय सरकार/दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के नाम, पदनाम और कार्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें नई दिल्ली दिल्ली में सरकारी क्वार्टर आबंटित किये गये हैं; और

(ग) जब उन्हें दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्र में अपने मकान/प्लाट दिये गये हैं तब उन्हें सरकारी क्वार्टरों में रहने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). ये कर्मचारी जिन के पास उनकी नियुक्ति के स्थान पर अपने मकान हैं, सरकारी वास के आबंटन के पात्र हैं । ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों या दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट/मकान आबंटित किये गये हैं तथा वे सरकारी वास के दखल में भी हैं, के बारे में इस प्रकार के साख्यिकीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 31–7–1971 को 2,838 सरकारी कर्मचारियों में से, 539 कर्मचारी जिनके पास अपने मकान हैं, दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में सरकारी आवास में रह रहे थे ।

मंत्रियों और संसद् सदस्यों की ओर बकाया किराया

5373. **श्री अम्बेश** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1972 को संसद सदस्यों और मंत्रियों की ओर कितना किराया बकाया था;

(ख) ऐसे कौन-कौन से संसद सदस्य और मंत्री हैं जिन्होंने 31 जनवरी, 1972 तक सरकार को किराया, फर्नीचर, बिजली, पानी आदि का बकाया देना था;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक व्यक्ति की ओर कितनी बकाया राशि है; और

(घ) उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यह राशि उपरोक्त संसद सदस्यों और मंत्रियों के वेतन में से क्यों नहीं काटी गई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रौढ़ शिक्षा की प्रायोगिक परियोजना

5374. **श्री एम० राजंगम** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप देश की कितनी जनता को लाभ पहुँचाने का अनुमान है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये प्रायोगिक जिलों का चयन किया गया है; और

(घ) उपरोक्त योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) से (ग). देश के सभी जिलों में स्थापित किए जाने वाले आदर्श स्कूलों और नेहरू युवा केन्द्रों की प्रस्ताविक योजना के अंग के रूप में प्रौढ़ साक्षरता सहित, स्कूल के बाहर शिक्षा संबंधी एक व्यापक कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन है ।

चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान, कुछ जिलों में निरक्षरता उन्मूलन का प्रस्ताव भी, सरकार के विचाराधीन है । इस प्रस्ताव को राज्य सरकारों और वित्त मंत्रालय के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इसमें कितनी जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा कितने जिले चुने जाएंगे, इस बात का पता योजना को अन्तिम रूप दिए जाने पर लगेगा ।

(घ) अब तक, इस पर कोई खर्च नहीं किया गया है ।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये शिलांग में एक नया विश्वविद्यालय खोलना

5375. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री त्रिपुरा और कछार में एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में 10 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय क्षेत्रों के लिए शिलांग में एक विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार कब तक करेगी; और

(ख) क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाकर पड़ौसी राज्यों अथवा जिलों की आवश्यकता पूर्ति करेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक समिति इस समय शिलांग में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के हेतु प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार करने में व्यस्त है । समिति की रिपोर्ट की प्राप्त होने पर ही विश्वविद्यालय को स्थापना के लिए विधान प्रस्तुत करने की कार्यवाही आरम्भ की जायेगी । यह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का कार्य होगा कि वे शिक्षा के माध्यम का निर्णय करें ।

Schools in Delhi without Post of P. G. Teachers for Sanskrit

5376. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether there are any Government schools in Delhi under the Delhi Administration where Sanskrit is taught upto 10th class, but there is no post of Post-Graduate Teacher (Sanskrit) therein;

(b) if so, the number of such schools; and

(c) the number of students studying Sanskrit in 10th class in each of the said schools ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D. P. Yadav) : (a) to (c). The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में क्वार्टरों को किराये पर चढ़ाना

5377. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों द्वारा क्वार्टरों को आगे किराये पर चढ़ाये जाने के बारे में 17 अप्रैल, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 428 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों से इतर किसी व्यक्ति द्वारा जो सरकारी कर्मचारी के साथ उसके क्वार्टर में रह रहा हो अथवा जिसने उससे आगे किराये पर लिया हो, सरकारी क्वार्टर/फ्लैट/बंगले में टेलीफोन लगाने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रामकृष्ण पुरम के सैक्टर VI, VII और VIII में ऐसे क्वार्टरों की संख्या कितनी है जो पूरे के पूरे आगे किराये पर दिए हुए हैं अथवा जो आंशिक रूप से आगे किराये पर दिये हुए हैं और जिनमें सरकारी कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों ने टेलीफोन और टेलीविजन लगा रखे हैं; और

(घ) आबंटन नियमों का उल्लंघन करने के कारण अलाटियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). सरकारी कर्मचारी जिसे सामान्य पूल से आवास आबंटित है, उप-किरायेदार को दिये गये भाग का उचित किराया लेकर सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित पात्र वर्ग के व्यक्ति के साथ शेयर कर सकता है। यदि निवास-स्थान किसी अन्य आधार पर शेयर किया जाता है, या पूर्णतया उप-किरायदारी पर दिया जाता है तो आबंटी के विरुद्ध आबंटन नियमों के दण्डात्मक उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। उप-किरायेदारों द्वारा सरकारी निवास-स्थान में टेलीविज़न

सैटों या टेलीफोनों के लगाने के लिए सम्पदा निदेशालय से अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि उनका लगाना सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस बारे में बनाये गये नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होता है। आर० के० पुरम का सेक्टर VI सामान्य पूल में नहीं है तथा वह डाक व तार विभाग के नियन्त्रण में है। 1971-72 के वर्ष के दौरान आर० के० पुरम के सेक्टर VII तथा VIII में मकानों की उप-किरायेदारी के बारे में प्राप्त शिकायतों में से सेक्टर VIII में पूर्ण उप-किरायेदारी के एक मामले का पता लगाया गया है तथा उसे आबंटन नियमों के उपबंधों के अनुसार निपटा दिया गया है। सेक्टर VII तथा VIII से संबंधित अनधिकृत उप-किरायेदारी के संबंध में 25 शिकायतें विचाराधीन हैं।

(घ) उप-किरायेदारी के अपराध को रोकने हेतु, सम्पदा निदेशालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी कालोनियों की समय समय पर जाँच की जाती है। इसके अतिरिक्त, लोगों से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की जाती है।

भाण्डागार निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए नियम तथा विनियम

5378. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में भाण्डागार निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई नियम तथा विनियम बनाये गये हैं यदि हाँ, तो क्या वह उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे;

(ख) इस समय इस पद को किस प्रकार भरा गया है; और

(ग) इस पद पर नियुक्त व्यक्ति की, भाण्डागार संबंधी कार्यक्षेत्र में क्या तकनीकी एवं व्यावसायिक अर्हताएँ और अनुभव हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 7 (1) (जी) के अनुसार केन्द्रीय भाण्डागार निगम के प्रबंध निदेशक को केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशकों के परामर्श से नियुक्त किया जाना होता है। अधिनियम की धारा 7 (1) का उद्धरण संलग्न है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सर्वोच्च प्रबन्ध पदों को भरने के लिए एक विस्तृत कार्यविधि निर्धारित की हुई है। प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भाण्डागार निगम को सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सर्वोच्च प्रबंध पदों पर नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई अनुसूचियों की अनुसूची 'ग' में शामिल किया गया है।

सर्वोच्च प्रबंध पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई विस्तृत कार्यविधि तथा भाण्डागार निगम अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अनुसार ही प्रबंध निदेशक के पद को भरा गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1977/72.**]

(ग) मौजूदा पद के धारक औद्योगिक प्रबंध पूल के एक अधिकारी हैं और उनको अनुसूची 'ग' में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति के लिए तैयार की गई नामिका में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में जिम्मेदारी के विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

वनस्पति उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता

5379. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता वनस्पति की वास्तविक माँग से अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नए यूनिटों को लाइसेंस दिये जाने के संबंध में सरकार की भावी नीति क्या है; और

(घ) पिछड़े क्षेत्रों में वनस्पति की माँग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) जब वनस्पति उद्योग को आंशिक रूप से लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था तब क्षमता में अधिकांश वृद्धि सितम्बर, 1968 से फरवरी, 1970 की अवधि में हुई थी। उद्योग पर लाइसेंस संबंधी नियंत्रण फिर लगा दिया गया है।

(ग) फरवरी, 1970 से, उन यूनिटों को छोड़कर जिनको स्थापित करने के लिए उस समय जबकि उद्योग लाइसेंस से मुक्त था, कारगर उपाय किए गये थे, नये यूनिटों के लिए क्षमता संबंधी नये लाइसेंस देने पर सख्त प्रतिबन्ध है। 1971 में केवल उन्हीं यूनिटों को लाइसेंस दिये गये थे, जिन्हें या तो औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव था या जिन्हें इस बारे में कुछ अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण छूट देना जरूरी था। उनकी क्षमता और आवश्यकता के बारे में अद्यतन स्थिति को ध्यान में रखकर भावी नीति के संबंध में समीक्षा की जा रही है।

(घ) पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उपलब्ध क्षमता काफी से भी अधिक है।

आन्ध्र प्रदेश उर्वरक परिवहन घोटाले के संबंध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की रिपोर्ट

5380. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री आंध्र प्रदेश में परिवहन घोटाले की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच के बारे में 10 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1970 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). एकत्रित प्रमाणों के आधार पर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने 7 उर्वरक फर्मों से संबंधित 20 व्यक्तियों तथा आंध्र प्रदेश सरकार के 4 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध धारा 420, भारतीय दंड संहिता के साथ पठित अनुच्छेद 120-बी० के अभियोग के अन्तर्गत तथा धारा 471, भारतीय दंड संहिता के साथ पठित अनुच्छेद 420, भारतीय दंड संहिता, के अन्तर्गत, मौलिक अभियोगों के विषय में प्रारम्भिक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त 4 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक नियम, 1947 की धारा 5 (1) (डी) के साथ पठित अनुच्छेद 5 (2), के अन्तर्गत भी अभियोग सम्मिलित किये गये हैं। एक प्राईवेट पार्टी और दो सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए अनुच्छेद 477 ए, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत और अभियोग सम्मिलित किये गये हैं।

सात अन्य फर्मों के संबंध में जाँच जारी है।

विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखने के उपाय

5381. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शिक्षा संस्थाओं में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति प्राप्त हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). सरकार की नीति छात्रों को राजनीति से अनभिज्ञ रखने की नहीं है, क्योंकि देश में और बाहर होने वाली सामयिक उन्नति का ज्ञान और उनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण सहित दिलचस्पी रखना छात्रों के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए आवश्यक है।

पाठ्यंतर और रचनात्मक कार्यकलापों जैसे कि समाज सेवा, खेलकूद तथा साहस और मनोरंजन के हेतु सुविधाओं द्वारा छात्रों की शक्ति को दिशा देने से यह आशा की जाती है कि छात्रों को राजनीति के अधिक अनिश्चित और विध्वंसात्मक पक्षों से मुक्त किया जा सकेगा।

गेहूँ का वर्तमान वसूली मूल्य

5382. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूँ के वर्तमान वसूली मूल्य को न बदलने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार के इस निर्णय का क्या आधार है; और

(ग) क्या भारी फसल और चौथी योजना के लक्ष्यों की समय से पूर्व प्राप्ति को देखते हुए गेहूँ के मूल्य में कमी करने की संभावनाओं पर विचार किया गया है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार ने मुख्यत: उत्पादन की मौजूदा प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए चालू वर्ष में गेहूँ का अधिप्राप्ति मूल्य वर्तमान स्तर पर ही जारी रखने का निर्णय किया है ।

(ग) जी हाँ। उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दिए कारणों को ध्यान में रखकर सरकार ने चालू वर्ष के लिए गेहूँ का अधिप्राप्ति मूल्य कम नहीं किया है ।

चौथी योजना के लिए गेहूं का उत्पादन-लक्ष्य

5383. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के लिए गेहूँ के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्व ही प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में भावी कार्यक्रम क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1971-72 में गेहूँ उत्पादन के पक्के अनुमान वर्तमान कृषि वर्ष के अन्त तक, अर्थात किसी समय जुलाई-अगस्त, 1972 में, उपलब्ध होंगे । फिर भी, वर्तमान जानकारी के अनुसार आशा है वर्ष 1971-72 में गेहूँ का उत्पादन चतुर्थ योजना के 240 लाख मीटरी टनों के लक्ष्य से अधिक होगा ।

(ख) गेहूँ कार्यक्रम का मुख्य लक्षण अधिक उत्पादशील किस्मों की सफलता है । इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रों में वृद्धि और उत्पादिता के कारण उत्पादन में वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई है ।

(ग) मामला योजना आयोग के विचाराधीन है ।

देश में पक्षी रक्षित क्षेत्र

5384. **श्री के० कोदंडा रामी रेड्डी : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) देश में, राज्यवार, पक्षी-रक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, और

(ख) उन रक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है जो (1) विकसित किए जा चुके हैं (2) विकसित किए जा रहे हैं और (3) विकसित किए जाने हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पारादीप पत्तन न्यास में स्वीकृत प्राक्कलनों के बिना व्यय

5385. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार प्राक्कलनों की औपचारिक मंजूरी लिए बिना पारादीप पत्तन न्यास द्वारा बहुत से निर्माण कार्य आरम्भ किए गए हैं और खर्चा किया गया है; और

(ख) 31 मार्च, 1971 तक अनुमानित लागत और वास्तविक लागत में कितना-कितना अन्तर था ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है, और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पारादीप पत्तन न्यास में लेखा-रिकार्ड रखना

5386. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन न्यास के 1970-71 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से पता चलता है कि महत्वपूर्ण लेखा रिकार्ड या तो रखा ही नहीं गया है या अनियमित ढंग से रखा गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन त्रुटियों के लिए सरकार उत्तरदायित्व निश्चित करेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हाँ। लेखा-परीक्षा आपत्तियों के पालन करने और आवश्यक रजिस्टर आदि के रखने के लिए पत्तन न्यास ने पहले ही आवश्यक कार्यवाही शुरू कर ली है।

(ख) इसकी जाँच की जायेगी।

कलकत्ता में साक्षरता

5387. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में साक्षरता की प्रतिशतता की दृष्टि से 41 नगरों और कस्बों के बाद कलकत्ता का स्थान है,

(ख) क्या 1961-71 की अवधि में कलकत्ता में साक्षरता में मामूली वृद्धि हुई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और इसे पश्चिम बंगाल सरकार से मालूम किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिए प्राथमिकता

5388. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-सी प्राथमिकता तिथियों तक के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को टाईप 4, टाईप 3 तथा टाईप 2 के क्वार्टरों का नियतन अब किया जा रहा है;

(ख) टाईप 4, टाईप 3 तथा टाईप 2 के क्वार्टरों के हकदार ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी 1 जनवरी, 1972 को 25 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी हो चुकी थी और जिन्हें अभी तक सरकारी क्वार्टर नहीं मिले हैं;

(ग) 31 मार्च, 1972 को कितने सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के कब्जे में टाईप 4, टाईप 3 तथा टाईप 2 के क्वार्टर थे; और

(घ) 25 वर्ष से अधिक की सरकारी सेवा वाले ऐसे कर्मचारियों की जिनको अभी सरकारी क्वार्टर नहीं मिले हैं; कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). दिल्ली/नई दिल्ली में एक वर्ष विशेष के दौरान सामान्य पूल में वास के आवंटन के लिए आवेदन पत्र उस अवधि के दौरान क्वार्टरों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर सीमित आधार पर आमंत्रित किये जाते हैं । 1-8-1970 से आरंभ होने वाले आबंटन वर्ष के लिये, अधिकारियों से आवेदन पत्र निम्न प्रकार से माँगे गये थे तथा 29-4-1972 तक जिस प्राथमिकता की तारीखों तक आवास दे दिए गए हैं और उन अधिकारियों की संख्या जिनको सेवा 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है तथा वे बिना वास के हैं, और टाइप II, III तथा IV में वास के दखल में सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार से है :

टाइप	प्राथमिकता की तारीख जहाँ तक आवेदन-पत्र माँगे गये थे	जिस तारीख तक आवास आबंटित किए जा चुके हैं	25 वर्ष से ऊपर की सेवा के अधिकारियों की संख्या जिन्हें अभी तक वास नहीं मिला है	सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी जो सामान्य पूल के वास के दखल में हैं
II.	31-12-1955	4-11-53	—	41
III.	31-12-1950	1-9-44	72	48
IV.	31-12-1948	1-5-42	353	89

(घ) अपने कर्मचारियों की रिहायशी वास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के पास एक निरन्तर निर्माण कार्यक्रम है, जो निधियों, निर्माण सामग्री, भूमि तथा तकनीकी क्षमता पर निर्भर है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में टाइप II के 2016 क्वार्टरों, टाइप III के 3962 तथा टाइप IV के 2006 क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली/नई दिल्ली में 192 दोहरे कमरों के तथा 128 इकहरे कमरों के फ्लैटों वाले तीन होस्टलों की स्वीकृति दी गई है।

परिवार नियोजन पर व्यय

5389. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार परिवार नियोजन कार्यक्रम के आरंभ से 31 दिसम्बर, 1971 तक देश में 94 लाख बच्चों का जन्म रोका गया;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) क्या खर्च किया गया धन प्राप्त परिणाम के अनुरूप है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ।

(ख) आरंभ से लेकर परिवार नियोजन पर हुआ व्यय इस प्रकार है :

	व्यय लाख में
पहली योजना	14·51 रुपये
दूसरी योजना	215·58 रुपये
तीसरी योजना	2485·95 रुपये
1966-67	1342·81 रुपये
1967-68	2652·20 रुपये
1968-69	3051·45 रुपये (अनंतिम)
चौथी योजना	
1969-70	3718·10 रुपये - तदैव -
1970-71	4773·78 रुपये - तदैव -
1971-72	5913·12 रुपये (अनुमानित)

(ग) जी हाँ, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार परिवार नियोजन कार्यक्रम के लाभ अनुमानतः उसके खर्च से सोलह गुने हैं।

Delhi in Grip of Strange Fever

5390. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether these days Delhi is in the grip of a strange type of fever as a result of which a large number of people are falling ill; and

(b) if so, the steps being taken to prevent it in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Family Planning Programme

5391. **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri Devinder Singh Garcha :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of births prevented as a result of Family Planning Programme during the years 1970, 1971 and 1972 so far; and

(b) the number of persons who have adopted family planning methods during the said period and the expenditure incurred by Government on this Programme during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) The number of births to be eventually averted by the Family Planning Programme during the years 1970, 1971 and 1972 (January and February, 1972) are as under :

1970	4·11 million
1971	5·61 million
1972 (January and February)	1·47 million

(b) The number of persons who have adopted family planning methods during the years 1970, 1971 and 1972 are as follows:

Family Planning Methods	1970	1971	1972 (January and February, 1972)
Sterilisation	13,45,514	19,44,722	4,31,370
I. U. C. D. Insertions	4,69,171	4,79,591	80,673
Conventional Contraceptive Users	21,61,200	22,77,000	21,81,500
Total Acceptors	39,75,885	47,01,313	26,93,543

The figures of expenditure are maintained for financial year and not calendar year-wise.

The estimated figures of expenditure for the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 are as under :

1969-70	Rs. 3718·10 lakhs
1970-71	Rs. 4773·78 lakhs
1971-72	Rs. 5924·22 lakhs

Ayurvedic Development Drug for Procreation

5392. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Ayurvedie Hospital of Hyderabad has developed a drug which can help issueless women in procreation;

(b) whether it has been experimented on many women and has proved successful to a great extent;

(c) whether the said hospital has sought financial aid from the Central Government; and

(d) the action proposed to be taken by Government to help the said Institution with a view to encouraging its programme ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

सहकारी बैंकों को किसानों की माँगें पूरा करने हेतु अधिक धन देना

5393. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सहकारी बैंकों को हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप किसानों की बढ़ती हुई माँगों की पूर्ति हेतु, अधिक धन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस विषय पर राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों को मौसमी कृषि कार्यों और फसलों के विपणन के लिए ऋण सीमाएँ मंजूर करके वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उचित मामलों में बड़े पैमाने के ऋणदायी कार्यक्रमों वाले बैंकों के लिए इन ऋण सीमाओं में वर्षानुवर्ष वृद्धि की जाती है। केन्द्रीय सरकार ने उन चुने हुए कमजोर केन्द्रीय सरकारी बैंकों जिनकी पुनःस्थापना का कार्य चालू वर्ष से

आरम्भ किया गया है, को अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5394. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अप्रैल, 1972 में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) उन पर विचारार्थ क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जामिया के छात्रावासों में कार्य करने वाले 40 व्यक्तियों ने 8 अप्रेल, 1972 से हड़ताल की थी । उनमें से 6 ने अब तक कार्य पुनः आरम्भ कर दिया है ।

(ख) इन व्यक्तियों की ओर से दिल्ली प्रदेश बाल्मीकि मजदूर संघ के महासचिव द्वारा रखी गई माँगों का विवरण संलग्न है ।

(ग) इन माँगों पर जामिया के प्राधिकारियों द्वारा विचार किया गया तथा जिन माँगों पर भारत सरकार का पूर्व परामर्श आवश्यक था, उनको छोड़कर अधिकतर माँगें स्वीकार कर ली गई हैं । फिर भी, हड़ताल करने वाले इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि जामिया प्राधिकारियों को बाल्मीकि मजदूर संघ से समझौते की बातचीत करनी चाहिए । यह बात जामिया को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उसका विचार है कि जिस संघ पर उनका नियंत्रण नहीं है, उसके हस्तक्षेप के बिना ही उन्हें अपने कर्मचारियों से निपटना चाहिए ।

विवरण

माँगों का विवरण

(1) जामिया के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उन्हीं ग्रेडों, वेतनों तथा अन्य भत्तों/सुविधाओं का दिया जाना, जो कि उन्हीं ग्रेडों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुमत्य हैं ।

(2) छुट्टी के लाभ, जो कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमत्य हैं ।

(3) उच्च पदों का निर्माण करके विभिन्न ग्रेडों में उन्नति के अवसर देना ।

(4) भविष्य निधि तथा उपदान के साथ ।

(5) आवास की व्यवस्था ।

(6) चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं।

(7) जामिया के प्रशासन में प्रतिनिधित्व।

(8) एक वर्ष की सेवा के बाद स्थायीकरण।

(9) रु० 4·50 प्रति दिन की दर से दैनिक मजदूरी की अदायगी तथा दैनिक मजदूर के रूप में लगातार दो वर्षों की सेवा के बाद स्थायीकरण।

(10) लंच अवकाश सहित कार्यकाल को आठ घन्टों तक सीमित करना तथा कार्यकाल के बाद किए गए कार्य के लिए अतिरिक्त समय भत्ता देना।

(11) निर्धारित अंतराल पर वरदी देना।

(12) निजी कार्य लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई।

(13) 1966 के बाद मंहगाई तथा अन्य भत्तों के परिशोधन अनुसार बकाया राशि का भुगतान।

(14) प्रयोगशाला कर्मचारियों को 1968 से परिशोधित वेतनमानों का दिया जाना।

अखिल भारतीय गौरक्षा महाभियान समिति को गौरक्षा समिति में प्रतिनिधित्व

5395. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय गौरक्षा महाभियान समिति को गौरक्षा समिति में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). जून, 1967 में सरकार द्वारा गठित गौरक्षा समिति में सर्वदलीय गौरक्षा महाभियान समिति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तदनन्तर अगस्त, 1968 में इस समिति के तीन सदस्य समिति से निकल गये। परिणामस्वरूप समिति का कार्य रुक गया। उनसे अनुरोध करने और संसद में विवरण देने के बावजूद भी काफी समय तक समिति के सदस्यों ने समिति की बहस में भाग नहीं लिया।

समिति का कार्य अनिश्चित काल तक नहीं रोका जा सकता था अतः समिति के सदस्यों को बदल कर 1-4-1972 से गौरक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का कार्यकाल भी 31 मार्च, 1973 तक बढ़ा दिया गया है।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

5396. **श्री सतपाल कपूर** :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार एक

मकान मालिक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी समय अपने किसी किरायेदार की किरायेदारी समाप्त कर सकता है और उसके पश्चात किरायेदार केवल सांविधिक किरायेदार रह जाता है;

(ख) क्या ऐसे सांविधिक किरायेदार की मृत्यु होने पर मकान मालिक मृतक की विधवा तथा परिवार के अन्य सदस्यों से मकान खाली करा सकता है, चाहे वह (मृतक) और उसके परिवार के सदस्य वहाँ 30 वर्ष से अधिक की अवधि से क्यों न रहते हों;

(ग) इन किरायेदारों के हितों की सुरक्षा करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है; और

(घ) क्या दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में उचित संशोधन करने का विचार है और यदि हाँ, तो कब और प्रस्तावित संशोधनों का स्वरूप क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के बारे में, निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा गठित की गई विभागीय समिति ने 'टेनेन्ट' की परिभाषा को संशोधित करने का एक प्रस्ताव किया है, जो कि इस प्रकार है :—

"(ङ) 'टेनेन्ट' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिस द्वारा या जिसके कारण या जिस की ओर से किसी परिसर का किराया, यदि कोई ऐसा विशेष इकरारनामा न हो तो, देय होगा तथा इसमें उप-किरायेदार, मृत किरायेदार का जीवित पति/पत्नी या कोई पुत्र अथवा पुत्री, जो मकान में किरायेदार के साथ किरायेदार की मृत्यु तक किरायेदार के परिवार के रूप में रह रहा था। तथा कोई व्यक्ति जो अपनी किरायेदारी समाप्त होने के बाद उसके दखल में है, परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिसके विरुद्ध बेदखली का कोई आदेश या डिग्री दी गयी हो",

समिति की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

Development of Shanker Garden Colony, Delhi

5397. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Shanker Garden Colony is an approved colony since 1958;

(b) whether the development work in the colony has since been completed and if not, the reasons therefor and when it is likely to be completed; and

(c) the number of plots in the said colony as also the number of houses which have already been constructed there ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir, since 1957.

(b) The colonizers have laid sewers, storm water drains and water supply lines and

have also constructed roads in the colony. There are, however, certain deficiencies in these services which will be made up by the M. C. D. on their taking over the services for maintenance.

(c)	Plots	Houses under construction
	217	7

अखिल भारतीय महापौर परिषद द्वारा पास किया गया प्रस्ताव

5398. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या स्वास्थ्य **और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारिणी समिति के सदस्य 12 अप्रैल 1972 को प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव की एक प्रति उन्हें दी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रतिनिधिमण्डल की माँगें क्या थीं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ।

(ख) अखिल भारतीय महापौर परिषद् की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन और संकल्प की एक-एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1978/72.**]

केरल सरकार का अधिक ट्रैक्टर सप्लाई करने का अनुरोध

5399. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष केरल को जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से प्राप्त ट्रैक्टर सप्लाई किये जाने के बाद भी केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उसे अधिक ट्रैक्टर सप्लाई किये जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

केरल में ग्राम्य जल संभरण के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता

5400. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य जल सम्भरण अथवा राज्य सरकार ने ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता माँगी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिये कितनी सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में निम्न और मध्यम आय आवास योजनाओं के लिये धन का नियतन

5401. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1972-73 में केरल राज्य की निम्न आय वर्ग आवास और मध्यम आय वर्ग आवास योजना के लिए क्रमशः कुल कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) उपर्युक्त वर्ष में केरल सरकार को वास्तव में कितनी राशि दी गई है; और

(ग) राज्य सहकारी आवास निगम द्वारा प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). 1972-73 में केरल के लिये आवास हेतु अनुमोदित योजना परिव्यय 144 लाख रुपये था। इस परिव्यय का योजनावार वितरण तथा व्यवस्था और उसके लिए निधियों का आबंटन, राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार स्वयं किया जाता है, केन्द्रीय सहायता बिना किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से सम्बद्ध किए बिना खण्ड ऋणों और खण्ड अनुदानों के रूप में दी जाती है। वास्तविक लक्ष्य भी उन्हीं द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

(ग) इस मंत्रालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

गत तीन वर्षों में केरल राज्य में राजपथों के लिए मंजूर किया गया धन

5402. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केरल राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) राज्य के प्रत्येक राजपथ के लिए कितना धन मंजूर किया गया; और

(ग) प्रत्येक राजपथ पर अब तक कितना व्यय किया गया ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

1969-70 से 1971-72 के दौरान केरल में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य के लिए आबंटनों का राष्ट्रीय राजमार्ग वार ब्यौरा और उस पर किया गया व्यय ।

(रु० लाखों में)

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम	1969-70 अन्तिम आबंटन	1969-70 व्यय	1970-71 अन्तिम आबंटन	1970-71 व्यय
(1) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47	19·43	16·73	95·10	97·81
(2) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 ए	—		3 71	
कुल	19·43		98·81	

1971-72 के संबंध में 160·05 लाख रु० की बजट व्यवस्था में से राज्य सरकार के खुद की आवश्यकता पर आधारित अन्तिम आबंटन 135·75 लाख रुपये था ।

1969-70 से 1971-72 के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत पर किये गए धन-व्यवस्था और हुए-व्यय के बारे में सूचना ।

(रु० लाखों में)

	आबंटन	व्यय
1969-70	56·88	54·53
1970-71	35·43	35·41
1971-72	कुल आबंटन 25·04 लाख रु० था ।	

टिप्पणी : रख-रखाव और मरम्मत के लिये धन राष्ट्रीय राजमार्गवार नहीं दिया जाता है बल्कि एकमुश्त दिया जाता है ।

केरल राज्य द्वारा प्रारम्भ किए गए समाज कल्याण कार्यक्रम

5403. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में गत तीन वर्षों में प्रारम्भ किये गये समाज कल्याण कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है;

(ख) उनके लिए अनुदानों एवं ऋणों के रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई और उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि वस्तुतः व्यय की गई; और

(ग) इस दिशा में लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त किए जा सके ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पंजाब सरकार द्वारा शास्त्रियों और आचार्यों को बी० ए० तथा एम० ए० के समकक्ष माना जाना

5404. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच संस्कृत परिषद और पंजाब संस्कृत अध्यापक संघ, नाभा से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या पंजाब राज्य सरकार अध्यापकों की भर्ती के प्रयोजन के लिए शास्त्रियों और आचार्यों को बी० ए० तथा एम० ए० के समकक्ष मानती है जबकि उनके वेतनमान उनसे भिन्न हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो पंजाब में शास्त्रियों और आयार्चों के वेतनमान बी० ए० तथा एम० ए० अध्यापकों के वेतनमानों के समान बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) तथा (ख). जी हाँ। अभ्यावेदन में संस्कृत शिक्षा के संचालन तथा अपनी सेवा शर्तों के बारे में पंजाब के संस्कृत अध्यापकों की शिकायतें हैं।

(ग) तथा (घ). भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, अध्यापकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए पंजाब सरकार शास्त्रियों तथा आचार्यों को बी० ए० तथा एम० ए० के समकक्ष मानती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यापकों के हेतु वेतनमान उनकी अर्हताओं के अनुसार नहीं दिए जाते, अपितु उन पदों के अनुसार दिए जाते हैं, जिन्हें वे धारण करते हैं। तथापि, शास्त्रियों तथा आचार्यों के लिए उन पदों के लिए आवेदन करने पर कोई पाबंदी नहीं है, जिनके लिए बी० ए० तथा एम० ए० की अर्हता की अनुमति है।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल (नेशनल फिटनेस कोर) का विकेन्द्रीकरण

5405. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता दल (नेशनल फिटनेस कोर) को, कर्मचारी संगठन के साथ बातचीत किए बिना ही विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्णय के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने पहले ही प्रधान मंत्री से माँग की है कि इस निर्णय को कार्यान्वित न किया जाये; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) राष्ट्रीय व्यवस्था कोर के अनुदेशकों को, जोकि विभिन्न राज्यों के स्कूलों में निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य संवर्ग में स्थानांतरण करने का निर्णय 1965 में लिया गया था तथा 1968 और 1969 में उसे पुन: दोहराया गया । अनुदेशकों को उन राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण में, जिनमें वे कार्य कर रहे हैं, रखने के तथा जो अध्यापक राज्यों को स्वीकार्य हैं और वहाँ जाना चाहते हैं उन्हें राज्यों की सेवाओं में खपाने के लिए प्राधिकृत करने के अंतिम निर्णय लेने से पूर्व ही, केन्द्रीय सरकार में स्थायित्व प्रदान करने और राज्य संवर्ग में स्थानांतरण से पूर्व देश भर के स्कूल अध्यापकों के लिए कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों को अपनाने जैसी कर्मचारी संघ की कुछ माँगों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था । जो अध्यापक राज्यों की सेवाओं में जाने की मनाही करने के अलावा किसी अन्य कारणवश राज्यों में नहीं खपाए जा सकते, उनकी छंटनी नहीं की जायेगी, अपितु जब तक उन्हें कहीं अन्य कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया जाता, तब तक उन्हें उनके वर्तमान पदों तथा वेतन-मानों पर ही रखा जाएगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुछ संसद सदस्यों ने सरकार के हाल ही के निर्णय के कार्यान्वयन को रोक देने का अनुरोध किया है । कुछ अन्य संसद सदस्य अनुदेशकों को राज्यों में शीघ्र ही स्थानांतरित करने के लिए जोर दे रहे हैं ।

(घ) इन अनुरोधों पर भी विचार करने के बाद ही, उपरोक्त पैरा (क) में उल्लिखित कार्यवाही के संबंध में निर्णय किया गया था ।

दिल्ली में यमुनापार कालोनियों के प्लाट होल्डरों के लिए वैकल्पिक आवास

5406. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 10 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2296 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 दिसम्बर, 1971 को लक्ष्मी नगर (शकरपुर) दिल्ली में 60 मकानों को पूरी तरह से गिरा दिया गया था और 60 अन्य मकानों को आंशिक रूप से गिरा दिया गया था;

(ख) क्या प्लाट मालिकों को कोई वैकल्पिक प्लाट और किरायेदारों को निवास स्थान दिये गये हैं;

(ग) क्या इन प्लाट मालिकों को वैकल्पिक प्लाट देने का वचन दिया गया है; और यदि हाँ, तो उन्हें ये प्लाट कब तक दे दिये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) कुल 118 संरचनाएं गिराई गई थीं, जिनमें 68 रिहायशी, 25 वाणिज्यिक तथा 25 स्थल चार दीवारी से घिरे हुए थे।

(ख) रिहायशी संरचनाओं के दखलकारों को वैकल्पिक रिहायशी वास दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

वर्ष 1972-73 में चावल मिलों की स्थापना

5407. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्ष 1972-73 में कुछ राज्यों में चावल मिलें स्थापित करने के लिए किसी योजना को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर और उनमें कितनी पूँजी लगाई जायेगी; और

(ग) वर्ष 1972-73 में बिहार राज्य में ऐसी कितनी मिलें स्थापित की जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). चौथी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में 25 चावल मिलें स्थापित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। इन मिलों का स्थान बताने वाला एक विवरण संलग्न है। इस परियोजना पर कुल 3·60 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) दो।

विवरण

25 चावल मिलों का स्थान बताने वाला विवरण

1. थंजावूर (तमिलनाडु)
2. मन्नड़गुड़ी (तमिलनाडु)
3. सेमनरकाईल (तमिलनाडु)
4. करनाल (हरियाणा)
5. नैल्लोर (आंध्र प्रदेश)
6. निजामाबाद (आंध्र प्रदेश)
7. ओलावक्कोट (केरल)
8. हीराकुंड (उड़ीसा)
9. बटाला (पंजाब)
10. चिदाम्बरम (तमिलनाडु)
11. सूरी (पश्चिमी बंगाल)
12. मरियालगुड़ा (आंध्र प्रदेश)
13. चनपटिया (बिहार)
14. डुंगरपल्ली (उड़ीसा)
15. रुद्रपुर (उ० प्र०)
16. होजई (असम)
17. उत्तरी लखीनपुर (असम)
18. दुर्गापुर (प० बंगाल)
19. पटियाला (पंजाब)
20. बुनियादपुर (प० बंगाल)
21. पुर्णिया (बिहार)
22. सत्तनपल्ली (आंध्र प्रदेश)
23. बांकुरा (प० बंगाल)
24. जेपुर (उड़ीसा)
25. इम्फाल (मणिपुर)

अन्तर्देशीय जल परिवहन पर खर्च न की गई राशि

5408. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अप्रैल, 1972 को कलकत्ता से प्रकाशित 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' के पृष्ठ 1 पर "फंड्स फार इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रिमेन अनस्पेंट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हाँ।

(ख) उक्त समाचार की निम्नलिखित दो मुख्य बातें हैं :

(i) पश्चिम बंगाल में अन्तर्देशीय जल परिवहन परियोजनाओं के लिए चतुर्थ योजना में आबंटित 2·75 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुये हैं; और

(ii) उपर्युक्त राशि के इस्तेमाल न किये जाने का मुख्य कारण पश्चिम बंगाल में एक समुद्री इंजीनियरी निदेशालय का न होना है।

जहाँ तक उपर्युक्त (i) का संबंध है, यह ठीक नहीं है कि 2·75 करोड़ रुपये की रकम पश्चिम बंगाल को आबंटित की गई है। परन्तु ये आँकड़े उन छः अन्तर्देशीय जल परिवहन परियोजनाओं का अनुमानित खर्च है जिनकी सिफारिश भगवती समिति ने चतुर्थ योजना में स्वीकृत करने के लिए की है। इन छः परियोजनाओं में से केवल 1·10 लाख रुपये की लागत की एक योजना का ब्यौरा पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुआ और जिसकी स्वीकृति फरवरी, 1971 में दी गई। शेष परियोजनाओं के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक वह ब्यौरा प्राप्त नहीं हो जाता, केन्द्रीय सरकार उनकी स्वीकृति नहीं दे सकती।

जहाँ तक उपर्युक्त (ii) का संबंध है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ समय पहले सूचित किया था कि अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए उनके पास पहले ही से एक तकनीकी सेल है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसे काफी नहीं समझा और राज्य सरकार को इस सेल को सुदृढ़ करने और इसमें पर्याप्त कर्मचारी रखने का आग्रह किया है।

भेड़ पालन और ढोर विकास में भारत की सहायता करने वाले अन्य देश

5409. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेड़ पालन और ढोर विकास के क्षेत्र में भारत की सहायता करने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस समय चल रही परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) हिसार में एक वृहत भेड़ पालन फार्म की स्थापना करने में, आस्ट्रेलिया भेड़ पालन क्षेत्र में भारत की सहायता कर रहा है। भारत-जर्मन प्रयोजना के अन्तर्गत मंडी में सीमित भेड़ विकास कार्य प्रगति कर रहा है।

स्विटज़रलैंड, डेन्मार्क और जर्मनी गणतंत्र संघ पशु विकास क्षेत्र में भारत की सहायता कर रहे हैं।

(ख) परियोजनाओं के प्रमुख लक्षण, जो कि वर्तमान समय में चालू हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1979/72.**]

रोहतक रोड, दिल्ली पर स्थित बस्तियों के लिए नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था

5410. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक रोड, दिल्ली-35 पर हमामल पार्क, गोल्डन पार्क, अशोक पार्क एक्सटेंशन और तेज राम बाग में झुग्गी निवासियों के लिए शौचालयों और पेय जल की कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं। सिर्फ अशोक पार्क एक्सटेंशन में पीने के पानी की व्यवस्था मौजूद है।

(ख) अशोक पार्क एक्सटेन्शन को छोड़कर इन कालोनियों को, जो अनधिकृत बस्तियाँ हैं, दिल्ली नगर निगम द्वारा अभी नियमित नहीं किया गया है अथवा अपने अधीन नहीं लिया गया है और इसीलिए निगम की नीति के अनुसार वहाँ पर कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाया गया है और न ही पानी के कोई नल ही बिछाये गये हैं। यदि इन कालोनियों के निवासियों से पानी के सार्वजनिक नल के लगाने के अनुरोध प्राप्त हुए तो उनके मीटर सहित दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। लाइन डालने तथा उनके द्वारा खर्च किए जाने वाले पानी का पैसा वहाँ के निवासियों को देना पड़ेगा।

दिल्ली में श्मशान भूमियाँ

5411. **श्री शशि भूषण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा कितनी श्मशान भूमियों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया गया और उनका क्षेत्रफल कितना है;

(ख) कितनी नई शमशान भूमियाँ बनाई जायेंगी और गत तीन वर्ष में राजधानी में कितनी शमशान भूमियाँ बनाई गईं और वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं;

(ग) जहाँ तक शमशान भूमियों का संबंध है राजधानी को कितने क्षेत्रों में बाँटा गया है और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है; और

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन ने एक नई शमशान भूमि बनाने का प्रस्ताव भेजा है, यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 7 शमशान भूमियों का अधिग्रहण किया जिनका क्षेत्रफल 4·90 एकड़ है।

(ख) मास्टर प्लान के अनुसार दिल्ली में 13 नई शमशान भूमियाँ बनाई जानी हैं। पिछले 3 वर्षों में कोई शमशान भूमि नहीं बनाई गई है।

(ग) राजधानी को "शमशान भूमिवार" नहीं बाँटा गया है। वैसे, नगर निगम को 8 प्रशासनिक मण्डलों में बाँटा गया है और उनकी जरूरतों को पूरा करने वाली निम्नलिखित शमशान भूमियाँ हैं :

मंडल का नाम	स्थान
करोल बाग मंडल	सत नगर
पश्चिम मंडल	1. पंजाबी बाग
	2. शकूर बस्ती
	3. तिलक नगर
	4. अशोक नगर
सदर पहाड़गंज मंडल	पंचकुई रोड
शहर मंडल	1. विद्युत शवदाह गृह
	2. जमुना पुल
	बाल घाट
ग्राम मंडल	1. नजफगढ़
	2. नरेला
नई दिल्ली दक्षिणी मंडल	1. महरौली
	2. कालकाजी
	3. मालवीय नगर
	4. निज़ामुद्दीन
	5. नागली घाट
शाहदरा मंडल	1. गांधी नगर
	2. शाहदरा
सिविल लाइन्ज़ मंडल	1. निगम बोध घाट
	2. वजीरपुर

(घ) नई श्मशान भूमि बनाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

दिल्ली में गैर-मंजूरशुदा कालोनियाँ

5412. **श्री शशि भूषण : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन गैर-मंजूरशुदा कालोनियों की संख्या तथा नाम क्या हैं जो 5 मार्च, 1971 को अस्तित्व में आ चुकी थीं और जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है और ये कहाँ-कहाँ हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन कालोनियों का पूरा-पूरा सर्वेक्षण कर लिया है और ब्यौरा तैयार किया गया है ताकि उन्हें मंजूरी दे दी जाये; और

(ग) इन कालोनियों को मंजूरी देने और वहाँ मूल सुविधाएँ प्रदान करने में अधिकतम कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 1966-67 के वर्ष के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 1-9-62 से पहले 103 कालोनियाँ तथा 31-1-67 को 101 कालोनियाँ विद्यमान थीं। इन कालोनियों के नामों के विवरण I और II संलग्न हैं। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1980/72.**] 500 से अधिक की आबादी वाली कालोनियों के बारे में सूचना संकलित नहीं की गई है।

(ख) जी, हाँ। 1-9-62 से पूर्व विद्यमान 103 कालोनियों को अब तक नियमित कर दिया गया है। 101 कालोनियों में से भी 59 कालोनियाँ नियमित कर दी गई हैं। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण छः कालोनियों को नियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

(ग) अनधिकृत कालोनियों के बारे में सम्पूर्ण स्थिति पर नए सिरे से गौर किया जायेगा। इस बीच में अधिसूचित भूमि के अनधिकृत क्रय और विक्रय को बन्द करने के कदम उठाए जा रहे हैं। समय सीमा बताना कठिन है।

महाराष्ट्र में डिघी और मीरकर वाडा पत्तनों का मछली पकड़ने के रूप में विकास

5413. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नवम्बर, 1971 में कोचीन में हुई राष्ट्रीय पत्तन की बोर्ड की 19वीं बैठक में निर्णय किया था कि महाराष्ट्र में डिघी (कोलावा) और मीरकर वाडा (रत्नगिरि) पत्तनों का मछली पकड़ने के पत्तनों के रूप में विकास किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो इन पत्तनों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) विकास कार्य कब तक आरम्भ होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) कोचीन में हुई अपनी 19वीं बैठक में राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड ने महाराष्ट्र में संभावित मीनहरण बन्दरगाह स्थलों के बारे में विचार-विमर्श किया था। बैठक में बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मीनहरण बन्दरगाह योजना के निर्वेशपूर्व सर्वेक्षण द्वारा रत्नगिरि और दीघी दो परियोजना रिपोर्ट (प्राक्कलन तणा प्लान सहित) तैयार करने के लिए चुना गया है।

(ख) और (ग). संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मीनहरण बन्दरगाह निवेशपूर्व सर्वेक्षण परियोजना द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टें रत्नगिरि और दीघी से क्रमशः मई, 1971 और अप्रैल, 1972 में प्राप्त हो गई हैं। मंजूरी देने के लिए सम्बद्ध मंत्रालयों और राज्य सरकार के परामर्श से इन पर कार्यवाही की जा रही है। कार्य के आरम्भ और समाप्ति संबंधित कार्यक्रम सम्बद्ध मंत्रालयों और राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

रत्नगिरि पत्तन के कार्य का पुनर्विलोकन

5414. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी, 1972 में रत्नगिरि पत्तन में कार्य का पुनर्विलोकन किया था और भारत सरकार को सूचित किया था कि पत्तन के निर्माण कार्य में कुछ परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।

(ख) यदि हाँ, तो उन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस पत्तन के लिए अतिरिक्त ऋण के रूप में सहायता माँगी है और यदि हाँ, तो कितनी धन-राशि माँगी है;

(ग) केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार की माँग को कहाँ तक और कब पूरा करेगी; और

(घ) क्या उन्होंने कोचीन में हुई राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड की बैठक में रत्नगिरि पत्तन की आवश्यकताओं के बारे में कोई अश्वासन दिया था और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हाँ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने दूसरी वस्तुओं के अलावा 1500 फुट से 1900 फुट तक पनकट दीवार के विस्तार और एक जेटी की व्यवस्था के लिए 150 लाख रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था के लिए अनुरोध किया है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिन संशोधनों का सुझाव दिया गया है, उनकी तकनीकी जाँच की जा रही है और उसके बाद ही कोई विचार किया जा सकता है।

(घ) 5 नवम्बर, 1971 को कोचीन में हुई राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की बैठक में इस संबंध में यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में रत्नगिरि बन्दरगाह की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जायेगा ।

कच्ची फिल्मों और उपकरणों का आयात

5415. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में फिल्म उद्योग से संबंधित कुल कितने मूल्य की कच्ची फिल्में, उपकरण और कार्टून आयात किये गये; और

(ख) उपर्युक्त वर्ष में भारतीय फिल्मों के निर्यात से कुल कितनी आय हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1981/72.**]

Opening of a New Railway Station between Khandwa and Itarsi Stations (Central Railway)

5416. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to open a new Railway Station between Khandwa and Itarsi Stations; and

(b) if so, the name of the said station and the time by which it is likely to be opened ?

The Minister for Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Development of Powerlooms in Madhya Pradesh

5417. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of powerlooms functioning in Madhya Pradesh at present;

(b) whether Government have explored the possibilities of development of this industry in the state, and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) 8,434 powerlooms are functioning in Madhya Pradesh at present.

(b) & (c). Yes, Sir. The Government of Madhya Predesh have explored the possibilities and taken the following measures to develop the industry in the State :

(i) Permits to 2,430 units to install 4,391 powerlooms have been issued, out of which 1,382 powerlooms have been installed.

(ii) A cooperative spinning mill to supply yarn to powerlooms and a calendering plant in coopertaive sector have been established.

(iii) Three sizing plants would start functioning in 1972-73.

(iv) Establishment of a Powerloom Marketing Cooperative Society has been included in the current year's Annual Plan.

सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान

5418. **श्री वाई० ईश्वरी रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन रेलवे कर्मचारियों को, जिनकी सेवाएँ सितम्बर, 1968 को एक दिन की हड़ताल में भाग लेने के कारण समाप्त कर दी गई थीं परन्तु जिन्हें बाद मे बहाल कर दिया गया था और जिन्हें निलम्बित कर दिया गया था, परन्तु बाद में ड्यूटी पर पुनः आने की अनुमति दे दी गई थी, वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और यह भुगतान उन्हें कब तक कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जिन अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था, उन्हें सरकार की सामान्य नीति के अनुसार फिर काम पर लगा दिया गया था। नौकरी से निकालने की तारीख और नौकरी में फिर से लिए जाने की तारीख के बीच की उनकी अनुपस्थिति की अवधि को सरकार के सामान्य विनिश्चय के अनुसार "छूट-दिवस" माना गया है। इसलिए वे उक्त अवधि की मजदूरी पाने के पात्र नहीं हैं।

स्थायी कर्मचारियों के मामले में, गिरफ्तारी, अभियोजन आदि के कारण उनके निलम्बन की अवधि के भुगतान को प्रवर्त आदेशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित कर दिया गया है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूना मीराज सैक्शन (दक्षिण मध्य रेलवे) पर फालतू सहायक स्टेशन मास्टर

5419. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के पूना मीराज सैक्शन पर कार्य करने वाले 25 सहायक स्टेशन मास्टरों को फालतू घोषित कर दिया गया है और उन्हें अन्य स्टेशनों को स्थानान्तरित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) गाड़ियों की संख्या कम हो जाने के फलस्वरूप कार्य विश्लेषण करने पर काम के घंटे विनियमों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टरों को 'सतत' से 'अनिवार्यत: सविरामी' कर्मचारी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया जिससे 25 सहायक स्टेशन मास्टर फालतू घोषित किये गये ।

अमीनगांव (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) में दो अध्यापकों वाला प्राथमिक विद्यालय

5420. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर अमीनगाँव में एक अध्यापक वाले प्राथमिक विद्यालय को दो अध्यापकों वाले प्राथमिक विद्यालय के रूप में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) इस कार्य पर कितनी अतिरिक्त धन राशि खर्च की जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). अमीनगाँव के एक अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूल को दो अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूल में बदलने की मंजूरी मार्च, 1972 में दी जा चुकी है ।

(ग)	आवर्ती	—	6,024·00 रुपये प्रति वर्ष
	अनावर्ती	—	1,311·00 रुपये ।

गूटी और गुंटाकल में लोको शैडों के कर्मचारियों की संख्या

5421. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गूटी और गुंटाकल स्थित डीजल लोको शैडों में इस समय डीजल इंजनों की संख्या कितनी है;

(ख) देखभाल किये जाने वाले इंजनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शैड में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ग) इस समय वास्तव में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) रिक्त पद न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क)

गूटी	—	83
गुन्टाकल	—	90

(ख) और (ग). उपर्युक्त डीज़ल इंजनों के अनुरक्षण के लिए, प्रत्येक शेड में विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या और इस समय में काम कर रहे कर्मचारियों की वास्तविक संख्या इस प्रकार है :

		पर्यवेक्षक	कुशल	अकुशल
गूटी	स्वीकृत	42	301	259
	वास्तविक	37	195	223
गुन्टाकल	स्वीकृत	45	320	249
	वास्तविक	40	180	237

(घ) भाप रेल इंजन अनुरक्षण कर्मचारी, काफी संख्या में आजकल डीजल रेल इंजन अनुरक्षण का प्रशिक्षण ले रहे हैं जिन्हें अन्ततः उपर्युक्त रिक्त स्थानों में आमेलित किया जायेगा ।

निर्यात गृहों को लाइसेंस जारी करना

5422. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात गृहों को निर्यात तथा आयात लाइसेंस जारी करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं;

(ख) वर्ष 1969 से अब तक कुल कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ग) इन निर्यात गृहों के माध्यम से आयातित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाता है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जिस मार्गदर्शी सिद्धान्त के अन्तर्गत पात्र निर्यात सदनों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं वह हैं : सदनों को विदेशों में बिक्री के लिए वार्ता की उनकी क्षमता को सुदृढ़ बनाना, उनके समर्थक निर्माताओं के साथ पक्के संबंध स्थापित करना तथा ऐसे निर्माताओं को निर्यात उत्पादन के लिए तैयार स्टाक से अपेक्षित कच्चा माल रखने में समर्थ बनाना । पात्र निर्यात सदनों की योजना 1972-73 की आयात नीति पुस्तिका के खण्ड 2 के भाग ग में दी गई है जिसे पहले ही 3 अप्रैल, 1972 को सभा पटल पर रख दिया गया था ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) पात्र निर्यात सदनों को निर्यात उत्पादन में लगे हुए वास्तविक प्रयोक्ताओं को माल देना पड़ता है । वे दूसरों के स्वामित्व वाले उत्पादक प्रतिष्ठानों में अपनी तरफ से निर्यात उत्पादन के लिये आयातित माल का उपयोग भी कर सकते हैं ।

Minor Hydro-Electric Projects in Leh and Kargil

5423. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up minor hydroelectric projects in Nyoma and Noobra villages of Leh Tehsil and Janskar and Karsaili villages of Kargil Tehsil; and

(b) if so, the time by which work on these projects is likely to be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) & (b). Government have taken up the construction of Stakna Project utilising the waters of River Indus with a total installed generating capacity of six sets of 540 kw. for serving the area around Leh. The work on this project has already started.

As regards the Kargil area, a project based on the utilisation of the waters of the river Suru has been investigated and a project report prepared.

There is no proposal to set up any micro hydro-electric installations in Noobra and Nyoma villages of Leh Tehsil and Janskar and Karsaili villages of Kargil Tehsil.

आयातित खोपरा का वितरण

5424. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970--71 और 1971-72 में खोपरा का कुल कितना आयात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं जहाँ से आयात किया गया;

(ख) आयातित खोपरा के वितरण के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं; और

(ग) इसके वितरण में कदाचारों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री(श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970-71 और 1971-72 के दौरान आयातित खोपरे की कुल मात्रा क्रमश: 16,883 मे० टन और 10,724 मे० टन थी। ये आयात श्रीलंका तथा साइचेलिस द्वीपसमूह से किये गये थे।

(ख) आयातित खोपरे का वितरण बड़े व लघु स्तर के क्रशरों को एक निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित एककों के सर्वोत्तम वर्ष के क्रशिंग निष्पादन के आधार पर किया जाता है।

(ग) इस संबंध में कदाचरों की जाँच करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई अन्त: मंत्रालय समिति की जानकारी में जब भी कभी खोपरे के वितरण में कदाचार का कोई मामला आता है तो उस मामले की जाँच की जाती है और उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

नारियल के मूल्यों में कमी

5425. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खोपरा के आयात के कारण देश में नारियल के मूल्य गिर गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो नारियल के मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नारियल की कीमतों का रुख अप्रैल, 1971 से वर्ष के अन्त तक नीचे की ओर रहा। तथापि, बाद में कीमतों में कुछ सुधार आया है। कीमतों में गिरावट अधिकांशतः निम्नलिखित कारणों से आई हैं :

(1) वर्ष के दौरान गैर-मौसम में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में माल की आवक;

(2) प्राकृतिक मुसीबतों तथा बाढ़ के कारण औद्योगिक तथा देश के आन्तरिक भागों में माँग में कमी;

(3) 1971 के दौरान शरणार्थियों के आगमन से परिवहन में गड़बड़।

(ख) केरल राज्य सरकार के परामर्श से, केरल में नारियल की कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करने तथा इस परिस्थिति का सामना करने के लिये, उपयुक्त उपाय सुझाने हेतु कृषि तथा औद्योगिक विकास मंत्रालयों के तकनीकी अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया गया है।

टूंडला स्टेशन पर पार्सल उतारने-चढ़ाने (एस० क्यू० टी०) का काम रेलवे सहकारी श्रम संविदा सोसाइटी लिमिटेड को दिया जाना

5426. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज के जिला अध्यक्ष ने रेलवे प्राधिकारियों से कहा था कि टूंडला ग्रुप स्टेशन के पार्सल उतारने चढ़ाने और एस० क्यू० टी का काम रेलवे सहकारी श्रम संविदा सोसायटी लिमिटेड को दिया जाये;

(ख) क्या उपरोक्त सोसाइटी ने अपने 20 मई, 1971 के पत्र में 1 जून, 1971 से काम बन्द कर देने की धमकी दी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) मैसर्स रेलवे सहकारी श्रम संविदा समिति लिमिटेड, टूँडला चाहते थे कि उन्हें ठेका मूल्य दरों की बजाय एक मुश्त रकम के आधार पर दिया जाये। उन्होंने धमकी दी कि यदि उनकी बातें मंजूर न की गयीं तो वे हड़ताल कर देंगे। वे 15-6-1971 तक मूल्य दरों के आधार पर काम करते रहे और इसके पश्चात् उन्हें 7050 रुपये मासिक की एक मुश्त दर पर ठेका दे दिया गया। यह निर्णय आवक और जावक पारवहन पैकेजों के तोल के विवरण के अभाव में समिति को बिल तैयार करने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रख कर किया गया। बिलों के भुगतान की मंजूरी देते समय रेल प्रशासन को भी इसी तरह की कठिनाई होती थी।

माल उतारने-चढ़ाने वाले ठेकेदारों की धोखाधड़ी के कारण रेलवे की हानि

5427. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि उत्तर रेलवे के इलाहाबाद

डिवीजन में माल उतारने-चढ़ाने वाले कुछ ठेकेदार और सहकारी समितियाँ, जिनके पास माल उतारने-चढ़ाने के ठेके हैं, कुछ रेल कर्मचारियों के साथ-साँठ गाँठ करके अनुसूची में दर्ज महत्वपूर्ण वस्तुओं में हेराफेरी करते हैं जिसके परिणामस्वरूप पार्टियों को अप्रत्याशित भुगतान हो जाते हैं;

(ख) क्या इन शिकायतों की जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ; तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) अलीगढ़ जंक्शन पर मैसर्स रेलवे पार्सल एण्ड गुड्स पोर्टर्स, कोआपरेटिव लेवर कांट्रेक्ट सोसाइटी लिमिटेड, अलीगढ़ जं० के माल सम्हलाई ठेके के संबंध में इस आशय की एक शिकायत मिली है ।

(ख) और (ग). इस मामले की जाँच की जा रही है ।

संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना निर्वाचन आयोग में तदर्थ नियुक्तियाँ

5428. **श्री शशि भूषण** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्वाचन आयोग संघ ने लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना विभिन्न वर्गों के पदों पर बहुत सी तदर्थ नियुक्तियाँ की हैं और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ग-वार इस प्रकार की कुल कितनी तदर्थ नियुक्तियाँ की गईं;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने क्लर्कों के ग्रेड में इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों पर तीव्र विरोध प्रकट किया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या संघ लोक सेवा आयोग के उक्त विरोध के बावजूद निर्वाचन आयोग में और अधिक तदर्थ नियुक्तियाँ की गई हैं और यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) निर्वाचन आयोग को साधारण निर्वाचनों और मध्यावधि निर्वाचनों से संबंधित अप्रत्याशित कार्य-भार को निपटाने के लिए, जो अल्पकालिक सूचना पर कराने पड़े थे, कुछ तदर्थ नियुक्तियाँ करनी पड़ीं ।

(ख) वर्ग I—10
वर्ग II—कुछ नहीं
वर्ग III—21

(ग) संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा 21 निम्न श्रेणी लिपिकों की तदर्थ नियुक्ति को संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के बिना बहुत लम्बी अवधि तक जारी रखना अनियमित है । चूँकि तदर्थ नियुक्तियाँ लोक हित में करनी पड़ीं और उनको जारी रखा गया, अतः यह प्रश्न कि क्या ये नियुक्तियाँ नियमित की जा सकती हैं, सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) निर्वाचन आयोग ने मार्च, 1972 में हुए साधारण निर्वाचनों से संबंधित बढ़े हुए कार्य को निपटाने के लिए 1-1-72 को निम्न श्रेणी लिपिक ग्रेड में एक तदर्थ नियुक्ति की।

भारत के निर्वाचन आयोग में भर्ती

5429. **श्री शशि भूषण : क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के निर्वाचन आयोग में गत तीन वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से और तदर्थ आधार पर सीधे भर्ती किये गये विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनको स्थाई बनाने और पदोन्नत करने के संबंध में तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की अपेक्षा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये कर्मचारियों को वरिष्ठ माना जाता है;

(ग) क्या तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों के मामलों को संघ लोक सेवा आयोग को भेजे बिना उन्हें नियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नितिराज सिंह चौधरी) : (क)

कर्मचारियों का प्रवर्ग	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती	तदर्थ आधार पर की गई भर्ती
अनुसंधान अधिकारी	एक	—
अनुसंधान सहायक	तीन	—
सहायक	तीन	—
आशुलिपिक (ग्रेड II)	दो	—
निम्न श्रेणी लिपिक	नौ	इक्कीस

(ख) जिन पदों पर भर्ती उनके भर्ती नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है उन पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति किए गए व्यक्तियों को तदर्थ हैसियत में की गई सेवा को वह समस्त अवधि ज्येष्ठता के लिए गणना में ली जाएगी जो नियमित नियुक्ति के लिए उनके चुनाव पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित है। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए अभ्यर्थियों को वह समस्त सेवा ज्येष्ठता के लिए गणना में ली जाएगी जो उन्होंने उन पदों पर की हो जिन पर वे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाने के पश्चात् नियुक्ति किए गए हैं।

(ग) और (घ). यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि क्या निर्वाचन आयोग में कुछ निम्न श्रेणी लिपिकों की नियुक्तियां जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए थे नियमित की जानी

चाहिए । आयोग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों पर भर्ती, जो पहले संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी, अब सचिवालय प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से करनी होती है, अतः पूर्वोक्त तदर्थ नियुक्तियों को नियमित बनाने के प्रस्ताव को अब संघ लोक सेवा आयोग को निर्देशित करना आवश्यक नहीं है ।

रोहतक में उपनगरीय रेल गाड़ियों का रख-रखाव

5430. **श्री दलीप सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री जनता द्वारा बार बार शिकायतें किये जाने के बावजूद रोहतक में 1 डी० के० आर०/2 डी० के० आर० उपनगरीय रेलगाड़ियों के रेक गन्दे रहते हैं और उनका रख-रखाव ठीक नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके उचित रख-रखाव के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नांगलोई और बहादुरगढ़ तथा बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच दोहरी रेलवे लाइन बिछाना

5431. **श्री दलीप सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगलोई और बहादुरगढ़ तथा बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोहरी लाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा किया जायेगा और इसे कब तक चालू किया जायेगा ।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) काम निर्धारित कार्यक्रमानुसार चल रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आशा है कि नांगलोई और बहादुरगढ़ के बीच की दोहरी लाइन जुलाई, 1972 में तथा बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच जून, 1974 में माल यातायात के लिए खोल दी जायेगी ।

शकूरबस्ती और नांगलोई के बीच दोहरी रेलवे लाइन बिछाना

5432. **श्री दलीप सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शकूरबस्ती और नांगलोई के बीच दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया था और कई महीने पूर्व उस दोहरी-लाइन पर मालगाड़ियाँ आने-जाने लगी थीं;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर यात्री गाड़ियाँ न चलाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर यात्री गाड़ियाँ कब तक चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ, 20-8-1971 को ।

(ख) दोहरी लाइन यात्री यातायात के लिए इसलिए नहीं खोली जा सकी क्योंकि इस प्रयोजन के लिए शकूरबस्ती में बड़े पैमाने पर यार्ड में बदलाव की आवश्यकता थी ।

(ग) जून, 1972 तक ।

बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर साइकिल स्टैंड बनाना

5433. **श्री दलीप सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-रोहतक सैक्शन पर बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक साइकिल स्टेंड बनाने के संबंध में अभ्यावेदन सरकार को मिला है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर शीघ्र ही एक साइकिल स्टैंड की व्यवस्था करने का विचार है ।

रेलवे स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान

5434. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्कूलों के अध्यापकों को वही वेतनमान दिये जाते हैं जो कि दिल्ली में अध्यापकों को दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पुनरीक्षित वेतनमान, जो कि दिल्ली के अध्यापकों को दिये गये हैं, रेलवे अध्यापकों के मामले में भी लागू कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पुनरीक्षित वेतनमान कब तक लागू कर दिये जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). केन्द्र शासित प्रदेशों के स्कूल अध्यापकों के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा किए गए दो संशोधनों के आधार पर, रेलवे स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों में क्रमशः 1969 और 1970 में दो बार बढ़ोत्तरी की गई है । तीसरे संशोधन के संबंध में यह निश्चय किया गया है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जाये जिनके शीघ्र मिलने की आशा है ।

असलातनगर, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में बिजली लगाया जाना

5435. **श्री हरी सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ग्राम असलात नगर (मुरादनगर) में ग्राम्य विद्युतीकरण डिवीजन मेरठ द्वारा विद्युतीकरण कार्य अब तक पूरा नहीं किया गया है; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उपरोक्त ग्राम के निवासियों ने ग्राम्य विद्युतीकरण योजना कार्यालय, मोदीनगर में अपेक्षित धनराशि जमा करवा दी हैं, यदि हाँ तो इस योजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त ग्राम में ग्राम्य विद्युतीकरण योजना का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). ग्राम असलात नगर, जिला मेरठ के विद्युतीकरण के संबंध में कार्य की प्रगति जारी है । उच्च-वोल्टता लाइन और उप-केन्द्र पूर्ण हो गए हैं । निम्न-वोल्टता मेन्स की प्रगति जारी है और इनके मई, 1972 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है। उपभोक्ताओं ने स्वीकृत प्राक्कलनों की अपेक्षित धन-राशि के जमा करने में देरी कर दी थी, इसलिए विद्युतीकरण पूरा नहीं किया जा सका । 49 उपभोक्ताओं में से जिन्होंने बिजली कनेक्शनों के लिए आवेदन किया था, केवल 2 (दो) ने प्राक्कलनों की धन-राशि जमा कराई है । जैसे ही लाइनें पूर्ण हो जाएंगी दोनों आवेदकों को कनेक्शन दे दिए जाएंगे और शेष आवेदकों को कनेक्शन औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर दिए जाएंगे ।

डीलक्स गाड़ी से जुड़ी ब्रेक वेन से सामान का गुम हो जाना

5436. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 अप्रैल, 1972 को कलकत्ता से छूटने वाली डीलक्स गाड़ी से जुड़ी ब्रेक-वैन में बुक किया गया सामान, उस गाड़ी के दिल्ली पहुँचने पर गुम पाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में कोई जाँच की गई है और क्या उन यात्रियों को कोई मुआवजा दे दिया गया है, जिनका सामान खो गया था;

(ग) उक्त सामान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ, हावड़ा से दिल्ली बुक किया गया एक सूटकेस हावड़ा स्टेशन पर रोक लिया गया था क्योंकि इस सूटकेस के माल को चुराते हुए चार व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गये थे ।

(ख) हावड़ा पार्सल चौकी के रेलवे सुरक्षा दल द्वारा मामले की अभी जाँच-पड़ताल की जा रही है। इस मामले में क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अधीन चार पार्सल पोर्टर गिरफ्तार किए गए थे और उनके विरुद्ध मामले की जाँच-पड़ताल हो रही है।

(घ) रेल कर्मचारियों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे गाड़ियों में पार्सल लादने उताने के काम पर कड़ी निगरानी रखें।

दोबारा मतदान वाले स्थान

5437. **श्री मुहम्मद शरीफ** :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विधान सभाओं के हाल के निर्वाचनों के दौरान किन्हीं स्थानों पर हुई कुछ घटनाओं के कारण पुनः निर्वाचन कराने के आदेश दिए गए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं; और इसके कारण क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हाँ।

(ख) दो विवरण, जिनमें उन स्थानों के नाम, जहाँ निर्वाचन फिर से कराने का आदेश दिया गया था, और उसके कारण बताए गए हैं, सदन के पटल पर रख दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० —1982/72.**]

फिरोजाबाद (उत्तर रेलवे) में एक ठेकेदार को माल लाने ले जाने का ठका देना

5438. **श्री अजीज इमाम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजाबाद में ठेकेदार के पास जो माल लाने-ले-जाने का ठेका है वह 1966 से चला आ रहा है;

(ख) क्या ठेकेदार की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् सहकारी समितियों को नया ठेका देने के लिए उनके साथ बातचीत की गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या मामले पर निर्णय लेने से पूर्व बातचीत समिति द्वारा उचित मजूरी, यातायात तथा अपेक्षित मजदूरों की संख्या को भी ध्यान में रखा गया था; और

(ङ) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) बातचीत के दौरान सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत दरें स्वीकृत नहीं की जा सकीं ।

(घ) जी हाँ ।

(ङ) समिति को बातचीत के लिए फिर बुलाया जा रहा है ।

Invalidity of Ballot Papers due to Supply of wrong Seal to Voters

5439. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that about 400 ballot papers became invalid due to the mistake of the Presiding Officer posted at Polling Station in Village Kanadia of Shajapur District in Madhya Pradesh;

(b) whether the said Presiding Officer had supplied wrong seal to the voters for making their votes on the ballot papers; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Departmental action is being initiated against the defaulting Presiding Officer.

Excess Ballot Papers found in Ballot Box of Polling Station of Basoda Assembly Constituency

5440. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether when the ballot box at Polling Station No. 86 of the Basoda Assembly Constituency was opened at the time of counting of votes for the Assembly Elections of 1972 in the Office of the District Magistrate of Vidisha in Madhya Pradesh, ballot paper Nos. 059017, 059018 and 059021 meant for Biaora Assembly Constituency in Rajgarh District were also found in it;

(b) whether at the time of counting of votes in this very district, 25 ballot papers were found in excess in the ballot box for Notron Centre of Polling Booth No. 38 also; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) Yes, Sir. At the time of counting, these three ballot papers were rejected as provided under Rule 56(g) of the Conduct of Elections Rules, 1961.

(b) During initial counting of the ballot papers in the ballot box of polling station No. 38 of Basoda assembly constituency, it was found that the total number of ballot papers actually found in the ballot box used at the said polling station was in excess of the number as shown in part I of the Ballot paper Account in Form 16 by the concerned presiding officer by 25. It was, however, found on scrutiny that the account prepared by the presiding officer was erroneous and actually, there were no excess ballot papers in the ballot box of that polling station.

(c) The presiding officer has been warned for his negligence.

बंगला देश और पश्चिम बंगाल के बीच फिल्मों का आदान-प्रदान

5441. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के फिल्म निर्माता पश्चिम बंगाल में बनी फिल्मों के साथ बंगला देश की फिल्मों का तबादला करना चाहते हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं, और यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). भारत सरकार तथा बंगला देश की सरकार के बीच इस बात पर सहमति हो गई है कि सिनेमा फिल्मों का व्यापार भारतीय चलचित्र निर्यात निगम तथा बंगला देश के फिल्म विकास निगम द्वारा संभाला जाएगा। किन विशिष्ट फिल्मों का बंगला देश को निर्यात तथा बंगला देश से आयात किया जाए और उनसे संबंधित अन्य मसलों पर उपरोक्त संगठनों द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। सरकार को बंगला देश के फिल्म निर्माताओं के ऐसे किसी भी अनुरोध की जानकारी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में बनने वाली फिल्मों से उनकी फिल्मों का आदान-प्रदान किया जाये।

Grant of Import Licences to Purushottam Traders Private Ltd., Indore

5442. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the purpose for which import licences were issued to Purushottam Traders Private Ltd., Indore last year; and

(b) the value of the import licences issued to the said firm ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारत बंगला देश के बीच वृत्त चित्रों और टेलीविजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान

5443. **श्री समर गुहा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने बंगला देश के साथ कोई करार किया है कि दोनों देशों के बीच वृत्त चित्रों, टेलीविजन कार्यक्रमों तथा अन्य सरकारी फिल्मों का आदान-प्रदान किया जाये ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारत तथा बंगला देश व्यापार करार में बंगला देश से फिल्मों के आयात तथा बंगला देश की फिल्मों के निर्यात की व्यवस्था है जिनका प्रत्येक ओर से मूल्य 15 लाख रु० से अधिक न हो। दोनों सरकारें इससे सहमत हैं कि चलचित्र फिल्मों का व्यापार भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा संभाला जायेगा। टेलीविजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के बारे में कोई करार नहीं किया गया है।

रुई के आयात पर रोक के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

5444. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से रुई के आयात पर प्रतिबन्ध के प्रश्न की जाँच के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसकी सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने रुई के आयात पर प्रतिबन्ध के प्रश्न की जाँच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त नहीं की है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी मुद्रा की आय

5445. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए योजना के शेष वर्षों में सरकार का विचार किन-किन मदों से विदेशी मुद्रा अर्जित करने का है; और

(ख) योजना के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सरकार ने कौन से ठोस कदम उठाये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). चतुर्थ

पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में भारत की विदेशी मुद्रा संबंधी कमाई के दृष्टिकोण से जिन प्रमुख वस्तुओं का महत्व लगातार बना रहेगा, उनमें ये शामिल हैं : प्रमुख परम्परागत वस्तुएँ जैसे पटसन निर्मित वस्तुएँ, चाय और सूती वस्त्र, और अन्य वस्तुएँ जैसे इंजीनियरी सामान, लौह अयस्क, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएँ (जूते सहित), काजू गिरी, खली, मछली तथा मछली उत्पाद, तम्बाकू, मसाले, काफी, रसायन और सह-उत्पाद, हस्तशिल्प की वस्तुएँ आदि ।

लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ अनेक निर्यात सुविधाएँ प्रदान की गई हैं जिनमें मुख्यतः आयात प्रतिपूर्ति, क्षमता प्रतिबंधों का हटाया जाना, दुर्लभ कच्चे माल के आबंटन में प्राथमिकता, रेल भाड़े में रियायत, आयात तथा उत्पादन शुल्कों की वापसी और अन्य सामान्य तथा विशिष्ट प्रकार की सुविधाएँ शामिल हैं ।

योजनावधि के दौरान निर्यातों का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता के संबंध में देश को अवगत कराने के प्रयोजनार्थ सरकार ने एक निर्यात नीति संकल्प भी पेश किया है । विदेशी बाजार ढूँढ़ने और निर्यात हेतु अपेक्षित पूर्तियाँ जुटाने के संबंध में और गहन प्रयास करने का भी हमारा विचार है । निर्यात प्रवृत्ति पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और जब भी आवश्यक होता है, चुने हुए अपरम्परागत उत्पादों के संबंध में प्रतिपूरक सहायता और निर्यात संबंधी गतिविधियों के संबंध में अन्य वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए विद्यमान व्यवस्था और प्रबन्धों को सुदृढ़ तथा सरल व कारगर बनाया जाता है । इन मदों के निर्यातों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के संबंध में कार्यवाही करने के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण और अन्य निगमों जैसे काजू निगम, रुई निगम, पटसन निगम, परियोजना तथा उपस्कर निगम की स्थापना करके विद्यमान संस्थागत संगठन को और भी सुदृढ़ बनाया गया है ।

चालू वित्तीय वर्ष (1972-73) की आयात नीति के अन्तर्गत, चुने हुए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के संबंध में विशेषतः उन उद्योगों के संबंध में जो पर्याप्त मात्रा में निर्यात करते हैं अथवा जो वर्तमान आयातों में वास्तविक कमी करने में योगदान देते हैं, औद्योगिक निविष्ट साधनों के अपेक्षाकृत अधिक आबंटन की व्यवस्था है । विनिर्माताओं के लिए बिक्री करने हेतु इस्पात तथा अन्य कच्चे माल के विपुल मात्रा में आयात करने की व्यवस्था करने में वर्तमान नीति काफी सहायक रहेगी ।

चतुर्थ योजना की शेष अवधि के दौरान पटसन, रुई, तिलहन जैसी प्रमुख वाणिज्यिक फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ।

विभिन्न देशों द्वारा निर्यात के लिए राष्ट्रीय व्यापार निगम को भुगतान

5446. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात की गई विभिन्न वस्तुओं के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि से भुगतान नहीं किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : कनाडा, कांगो, फिनलैण्ड, इराक, लेबनान, नाइजीरिया, टर्की, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा पश्चिम जर्मनी के कुछ विक्रेताओं

ने राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किए गए विभिन्न माल के लिए भुगतान एक वर्ष से अधिक समय से नहीं किया है।

'ट्रैक्टर उपहार योजना' के अन्तर्गत आयातित ट्रैक्टरों पर शुल्क लगाना

5447. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'ट्रैक्टर उपहार योजना' को समाप्त कर दिया है तथा ऐसे ट्रैक्टरों पर शुल्क लगाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को विदेशों में रहने वाले भारतीयों से इस निर्यात के विरुद्ध कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ट्रैक्टर उपहार योजना 30-4-1972 तक वैध थी। इस योजना की अवधि और आगे बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। भारत में ट्रैक्टरों का आयात किए जाने पर उन पर 30 प्रतिशत यथामूल्य का मूल शुल्क तथा $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत यथामूल्य की दर पर विनयामक शुल्क लगता है। भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 की धारा 2क के अन्तर्गत 10 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर उत्पादन शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाता है।

(ख) तथा (ग). उपहार योजना के अन्तर्गत भारत में आयातित ट्रैक्टरों पर लगाये गये शुल्क के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, परन्तु शुल्क के भुगतान से ट्रैक्टरों को छूट देने संबंधी ऐसे आवेदन-पत्रों को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया।

इलाहाबाद डिवीजन के लिपिक वर्ग को घाट शुल्क माफ करने की क्षमता

5448. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजन कार्यालय का लिपिक वर्ग डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट की ओर से किसी पार्टी को उसके विरुद्ध लगने वाले घाट शुल्क, विलम्ब शुल्क को माफ करने के लिए सक्षम है; और

(ख) इलाहाबाद डिवीजन में गत दो वर्षों में ऐसे कितने मामले हुए ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

Visit of General Manager at Gaya (Eastern Railway)

5449. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Central Manager of the Eastern Railway recently visited Gaya area;

(b) if so, the names of Members of Rajya Sabha and Lok Sabha of the area who were informed about it; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The General Manager, Eastern Railway visited Gaya Station on 21.2.72 in the course of the Annual Inspection of Danapur Division.

(b) No Members of the Rajya Sabha and Lok Sabha were informed about the above visit.

(c) There are no instructions on the Eastern Railway requiring the General Manager to inform the Members of Rajya Sabha and Lok Sabha of the area visited about these inspection programmes.

दिल्ली में विश्व औद्योगिक मेले का आयोजन करने संबंधी समिति

5450. **श्री अम्बेश** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में विश्व औद्योगिक मेला, 1972 का आयोजन करने हेतु, गठित की गई समिति के कौन-कौन सदस्य हैं तथा उनके पदनाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : विदेश व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार, 3 नवम्बर से 17 दिसम्बर, 1972 तक नई दिल्ली में तृतीय एशियाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित कर रहा है। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय में मुख्य कार्यकारी निदेशक के अधीन एक व्यापार मेला संगठन गठित किया गया है।

इस परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मेले की व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देने के लिए दो समितियाँ—एक सामान्य समिति और दूसरी विषय निर्वाचन समिति गठित की गई हैं। इन दो समितियों के ब्यौरे संलग्न विवरणों में दिये जाते हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1983/72.]**

Assistance to Handloom Societies

5451. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government consider handloom industry as an essential industry; and

(b) the number of the Societies which have been given assistance in the form of loans or grants to encourage this industry together with the amount of aid given to them during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) Loans and grants to the handloom industry are released by the State Governments and financial institutions. The required information is not available with the Central Government.

राज्य व्यापार निगम के निदेशकों की नियुक्ति

5452. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के निदेशकों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है; और

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र से कितने निदेशक नियुक्त किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम के संस्था के अन्तर्नियमों के अंतर्गत, निदेशक-मंडल का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा अन्य निदेशक उनके द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं।

(ख) अध्यक्ष सहित तीन ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा दिया गया किराया

5453. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने वर्तमान स्थान के लिए किराये के रूप में लगी धन राशि दी जा रही है जबकि इसके पास अपनी भूमि है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम को अपना भवन बनाने लिए जो भूमि आबंटित की गई थी, उसका कब्जा उसे नहीं मिला है और इसलिए वह अपना कार्यालय किराये के स्थान में ही रखे हुए है।

विदेशों में भेजे गये व्यापार प्रतिनिधिमण्डल तथा भारत आये विदेशी प्रतिनिधिमण्डल

5454. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कितने व्यापार प्रतिनिधिमण्डल विदेशों को भेजे गये; और

(ख) उक्त अवधि में कितने विदेशी प्रतिनिधिमण्डल भारत आये ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विभिन्न देशों के साथ व्यापार करारों के बारे में बातचीत करने, व्यापार करार करने तथा उनका पुनरीक्षण करने और नये बाजारों की संभावनाओं का पता लगाने तथा वर्तमान बाजारों का अग्रेतर विकास करने के लिए बारह सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल विदेशों में भेजे गये थे।

(ख) इस काम के लिए पिछले वर्ष के दौरान चौदह विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों ने भारत का दौरा दिया।

Crisis in Power Plants in Bihar Due to Shortage of Coal

5455. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether power plants at Patratu and Barauni are facing crisis due to shortage of coal;

(b) if so, the reasons for shortage of coal; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel): (a) to (c). Patratu and Barauni Thermal Power Stations were in difficulty during March, 1972 and till the middle of April due to short supply of coal which caused partial load shedding.

The main reason for the shortage was non-availability of coal as the loading at some of the collieries supplying coal to Patratu was not satisfactory due to frequent labour troubles.

Special efforts were made to increase the supplies. There is improvement in supply since middle of April.

Accumulation of Goods at Patna Ghat Railway Godown

5456. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether goods have piled up at the Patna Ghat Railway Godown;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government for expeditious movement of the goods ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) The congestion has occurred due to delay in removal of consignments by the consignees.

(c) The Railway Administration is taking following action to expedite removal of goods and ease congestion —

(i) Notices for removal are issued to the consignees, where known, as per rules; and

(ii) strict watch is being maintained and full wharfage charges are being levied.

हस्त शिल्प क्षेत्र में रोजगार क्षमता तथा मजूरी

5457. **श्री राम स्वरूप** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की कुल रोजगार क्षमता क्या है तथा इस क्षेत्र में कितनी निम्नतम मजूरी दी जा रही है;

(ख) दस्तकारों को अधिक मजूरी तथा अधिक रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) चौथी और पाँचवीं योजनाओं के अन्तर्गत इस क्षेत्र के द्वारा कितना रोजगार बढ़ाये जाने का अनुमान है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). ऐसा अनुमान है कि हस्तशिल्प क्षेत्र देश में 13 लाख दस्तकारों को रोजगार देता है। चूंकि हस्तशिल्प उद्योग अधिकांशत: कुटीर क्षेत्र में है और समस्त देश में फैला हुआ है, अतः इस क्षेत्र में प्रचलित विद्यमान न्यूनतम मजूरी स्तर के प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं। तथापि हस्तशिल्प वस्तुओं के क्वालिटी उत्पादन, निर्यात संवर्धन, डिजाइन, ऋण सुविधाओं की व्यवस्था, प्रदर्शनी, प्रचार, विपणन, दस्तकारों को प्रशिक्षण देने आदि की विभिन्न नीतियाँ। योजनाएं बनाई गई हैं तथा उन्हें चलाया जा रहा है। इनसे दस्तकारों का स्तर तथा उनकी उत्पादिता सुधारने में सहायता मिली है, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के उत्पादों की और अधिक माँग हो गयी है और दस्तकारों को अपेक्षाकृत अच्छी मजूरी और अधिक रोजगार की सुविधाएँ सुनिश्चित करने में सहायता मिली है।

गंगा आयोग और नदी बेसिन आयोग में एक प्रतिनिधि की नियुक्ति

5458. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का भगवती आयोग की सिफारिश के अनुसरण में प्रस्तावित गंगा आयोग और नदी बेसिन आयोग में अन्तर्देशीय नौचालन से परिचित एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए और संबद्ध राज्यों द्वारा इसके समेकित ढंग से कार्यान्वयन की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में एक नौवहन विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। बहरहाल, सम्बद्ध तकनीकी मामलों में अयोग की सहायता के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति का प्रस्ताव किया गया है। जब यह तकनीकी सलाहकार समिति स्थापित हो जायेगी, इसमें यदि आवश्यक समझा गया तो एक नौवहन विशेषज्ञ शामिल किया जा सकता है।

दस्तकारी में अल्प रोजगार

5459. **श्री प्रताप सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस्तकारी की वस्तुओं के लिए स्थायी बाजार न होने के कारण दस लाख से

अधिक दस्तकारों को अल्प रोजगार का सामना करना पड़ रहा है और उनकी मजूरी न्यूनतम स्टैण्डर्ड से बहुत कम है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). हस्तशिल्प की वस्तुओं के विपणन के लिए कई माध्यम हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अथवा पंजीकृत सहकारी समितियों आदि के माध्यम से सारे देश में लगभग 250 हस्तशिल्प एम्पोरियम चलाये जा रहे हैं। इसके अलावा, हस्तशिल्प की वस्तुएँ बेचने के लिए सैकड़ों गैर-सरकारी प्रतिष्ठान हैं। पंजीकृत निर्यातकों की संख्या 1500 है। अतः यह धारणा बनाना सही नहीं होगा कि दस्तकारों को अल्प रोजगार का सामना करना पड़ रहा है। दस्तकारों को ऋण सुविधायें, कच्चा माल, नये डिजाइन, उन्नत औजार तथा तकनीक, प्रशिक्षण सुविधाएँ आदि देकर उनके लिए रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने हेतु भारत सरकार तथा साथ ही राज्यों द्वारा प्रयास किये गए हैं।

मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को पूरा करने के उपाय

5460. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है;

(ख) मध्य प्रदेश में विशेषकर रीवा, सीधी जिलों में इस योजना के लिए गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और कितने गाँवों का विद्युतीकरण हुआ है; और

(ग) सरकार इस क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को कब तक पूरा कर लेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आठ जिले हैं, जिनके नाम हैं—रीवा, सीधी, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। अप्रैल, 1969 से पहले, 726 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ था और 2,963 पंपसेटों का ऊर्जन हुआ था। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त जिलों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 795·77 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान 2,389 ग्रामों का विद्युतीकरण और 20,141 पम्पसेटों का ऊर्जन हुआ है। अतः कुल 3,115 ग्रामों का विद्युतीकरण और 23,104 पम्पसेटों का ऊर्जन हुआ है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए रीवा और सिद्धी जिलों के वास्ते स्वीकृत धनराशि और विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या निम्नलिखित है :

	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
रीवा	50·0	162
सीधी	25·5	54

(ग) मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कुल विद्युतीकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजन में और बाद की योजनाओं में व्यवस्थित परिव्ययों पर निर्भर करेगा ।

ग्राम विद्युतीकरण निगम, जिसकी स्थापना केन्द्रीय सेक्टर में जुलाई, 1969 में हुई थी, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए राज्य बिजली बोर्डों को योगात्मक धन देता है । निगम ने अब तक मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की सात ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनमें 376 ग्रामों और 14,552 पंपसेटों के विद्युतीकरण हेतु 365·790 लाख रुपये की ऋण-सहायता सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त, रीवा जिले में 37 ग्रामों और 1,000 पम्पसेटों के विद्युतीकरण के लिए 34·47 लाख रुपये की एक ऋण-सहायता दी गई है ।

Theft of Coal from Yard at Ujjain Station

5461. **Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a large amount of coal is stolen every day from Ujjain yard (Madhya Pradesh) via Hira Mill Chal;

(b) whether any arrest has been made in this connection; and

(c) the steps proposed to be taken by the Railways to stop the pilferage and to arrest and punish the culprits ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) The number of persons arrested during the last three years and upto April, 1972 is given below :

1969	...	73
1970	...	128
1971	...	160
1972	...	55

(c) The following preventive measures are taken to prevent these thefts :

(i) Armed patrolling has been intensified in the Ujjain yard to prevent and detect thefts of coal.

(ii) Armed escorts are provided to pass the Goods trains containing coal wagons from Ujjain yard.

(iii) Surprise raids are arranged by the Zonal Crime Intelligence Branch and local police jointly with the Railway Protection Force.

Scheduled Castes Candidate for Head Ticket Collectors Post in Rajkot Division (Western Railway)

5462. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the post of Head Ticket Collectors in Rajkot Division of the Western Railway is yet to be filled up;

(b) whether the said post is reserved for Scheduled Caste candidate; and

(c) the number of applications received for the said post ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) to (c). There are four vacancies of Head Ticket Collector scale Rs. 250-380 and out of these one is reserved for Scheduled caste candidates. Ten applications have been received for this post but in accordance with the extent rules only four seniormost employees are eligible for consideration.

Inspection of Railway Tracks for introducing Rajdhani Express Type of Trains

5463. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the inspection of Railway tracks has since been carried out for introducing Rajdhani Express type of trains; and

(b) if so, the results thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes, on the New Delhi Bombay Central (Frontier Mail) route.

(b) The track is considered fit for running of Rajdhani Express at a maximum permissible speed of 120 kmph subject to local speed restrictions, on New Delhi-Bomaby Central (Frontier Mail) route.

गरिया स्टेशन (दक्षिण-मध्य रेलवे) पर आक्रमण

5464. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 अप्रैल, 1972 को सियालदेह स्टेशन के गरिया स्टेशन पर लोगों के एक दल ने रेलवे केबिन को लूटा, ब्लाक एपरेटस को क्षति पहुँचाई और कन्ट्रोल फोन को तोड़ दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) सोनारपुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147/447/323/427 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 121 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जिसकी जाँच पड़ताल हो रही है।

(ग) इस मामले का कानून और व्यवस्था से संबंध है और इसलिए निवारक उपाय बरतने के लिए उसको राज्य पुलिस के प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है।

लौह अयस्क की सप्लाई के लिए करार

5465. **श्री के० मालन्ना :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने लौह अयस्क की सप्लाई के लिए किन किन देशों के साथ करार किये;

(ख) प्रत्येक देश के साथ किये गये करार की मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) इन देशों को कितनी मात्रा में लौह अयस्क सप्लाई किया गया और इस अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क की सप्लाई के लिए जापान, ताइवान, हंगरी, रूमानिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, हालैंड, फ्रांस, पूर्व जर्मनी, चैकोस्लोवाकिया तथा बलगारिया के साथ संविदाएँ कीं।

(ख) इन संविदाओं के ब्यौरे प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

(ग) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान इन देशों को क्रमशः 70·57 करोड़ रु० मूल्य के 1·048 करोड़ मे० टन, 79·88 करोड़ रु० मूल्य के 1·206 करोड़ मे० टन तथा 72·46 करोड़ रु० मूल्य के 1·094 करोड़ मे० टन (अनन्तिम) लौह अयस्क का निर्यात किया गया।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से भारत और दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार

5466. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम (सुदूरपूर्व विभाग) ने भारत और दक्षिण एशिया के देशों के साथ कुछ व्यापार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितना ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). निगम अभी भी बनने की अवस्था में है और यह आशा की जाती है कि यह शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ कर देगा ।

बैंकाक में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग की बैठक

5467. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मार्च, 1972 को बैंकाक में हुई एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग की प्राथमिक बैठक में भारत ने बताया कि 'अंकटाड' की स्थापना से लेकर आज तक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में निराशाजनक प्रगति हुई है;

(ख) क्या सम्मेलन में कोई उपचार सुझाव दिए गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग). यह सुझाव दिया गया था कि यद्यपि लीमा घोषणा में निहित सिफारिशों को स्वीकार करने में विकसित देशों की जो प्रगति हुई है उससे सातवें दशक में विश्व व्यापी विकास में काफी सहायता मिलेगी, परन्तु विकासशील देशों के लिए इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि वे पारस्परिक लाभ तथा विकास के लिए अपने बीच आर्थिक सहयोग को तीव्र करें । इस प्रयोजन हेतु यह सुझाव दिया गया था कि द्विपक्ष उप-क्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय प्रबंध महत्वपूर्ण भाग अदा करेंगे और उनसे क्षेत्र में अपेक्षतया अधिक आर्थिक सहयोग की दिशा में केन्द्राभिमुख उपाय अपनाये जा सकेंगे ।

पूंजीगत माल का आयात करने हेतु आयात लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव

5468. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिए सरकार का विचार पूँजीगत माल के लिए आयात-लाइसेंस जारी करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). लघु उद्योग एककों द्वारा पूँजीगत माल का आयात किये जाने के संबंध में नीति में पहले से ही एक उपबंध है । वर्ष 1972-73 के दौरान उन भारतीयों को पूँजीगत माल आयात करने की विशेष सुविधा प्रदान

करने का एक नया उपबंध किया गया है जो विदेशों से लौट रहे हों। विदेशों में रहते हों और भारत में लघु उद्योग एकक स्थापित करने के इच्छुक हों। संलग्न विवरण में इस योजना की मुख्य विशेषताएँ दी गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1984/72.**]

बच्चों के समान रूप से दत्तक ग्रहण करने के बारे में कानून

5469. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार धर्म तथा जाति विभिन्नताओं का विचार किये बिना बच्चों के समान रूप से दत्तक ग्रहण करने के बारे में प्रस्तावित विस्तृत कानून लाने से पूर्व राज्यों को अपने विश्वास में लेने का है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : एक विधेयक का प्रारूप जिसमें दत्तक ग्रहण को ऐसी समर्थकारी विधि के लिए उपबन्ध किया गया है जिसका फायदा धर्म या जाति की विभिन्नताओं का विचार किए बिना लोगों द्वारा उठाया जा सकता है, 1967 के सितम्बर, मास में राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिए भेजा गया था। प्रस्थापित व्यापक विधेयक को अन्तिम रूप देने में राज्य सरकारों के उन विचारों को ध्यान में रखा जा रहा है जो उन्होंने 1967 में उन्हें भेजे गए विधेयक पर प्रकट किए थे। इस प्रक्रम पर राज्य सरकारों को और निर्देश करने का इरादा नहीं है किन्तु यह विचार है कि संसद् में पुरःस्थापना के पश्चात् इस व्यापक विधेयक को सदनों की एक संयुक्त समिति को निर्देशित किया जाए।

Harnessing of Rivers in Madhya Pradesh for Power Generation

5470. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct any survey for harnessing various rivers of Madhya Pradesh for purposes of generation of electricity;

(b) if so, the names of the places where electricity can be generated for commercial purposes indicating the quantum of electricity likely to be generated there; and

(c) the number of places where generation of electricity has already started and the quantum of electricity being generated there and the criteria adopted for its distribution?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel): (a) and (b). The preliminary hydro-electric survey, conducted by the Central Water and Power Commission had indicated that there were a number of power potential sites in Madhya Pradesh. The names of sites, where electricity can be generated for commercial purposes and their power potential are given in the statement at Annexure I.

(c) the Gandhi Sagar (5×23 MW) and Rana Pratap Sagar (4×43 MW) (in Rajasthan) Hydro Electric Projects utilising the potential of the waters of Chambal have been completed so far. The first unit of 33 MW at Jawahar Sagar Power Station (in Rajasthan) on the Chambal is also being commissioned. Power benefits from these projects are being shared by Madhya Pradesh and Rajasthan on a 50 : 50 basis.

Statement

Basin	Scheme	Power Potential (MW at 60% Load Factor)
1	2	3
Godavari	Upper Pench	13·50
	Chitrakot	144·00
	Gudra	26·30
	Bodghat	440·00
	Kutru	277·00
	Maji-Mendri	800·00
Narmada	Rosra	43·00
	Burhner	21·00
	Pandaria	49·00
	Bargi	33·00
	Jhiri	15·00
	Sagra	33·00
	Chinki	54·50
	Sitarewa	11·00
	Hoshangabad	48·50
	Tawa	20·00
	Punasa	442·00
	Barwaha	224·00
	Harinphal	446·00
Mahanadi	Hasdo	62·50
Ganga	Ken	110·00
	Raipura	40·00
	Tons	90 00
	Demba	160·00
	Gopat	30 00
	Kanhar	52·00
Interstate Projects	Inchempalli (A. P.)	417·50
	Bhopalapatnam (Mah.)	150·00
	Chambal (Raj.)	116·00
	Rajghat (U. P.)	24·00
	Dhurwara (U. P.)	18·00
	Lower Kolab (Orissa)	53·50
	Kotri-Nibra (Mah.)	118·00

Inclusion of Harijan Localities in M. P. Under Rural Electrification Schemes

5471. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have asked the Government of Madhya Pradesh to include Harijans' localities into their rural electrification schemes;

(b) the number of villages in which such Harijans' localities have so far been electrified; and

(c) the time by which Government expect to supply electricity to all the villages having Harijan population in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel): (a) to (c). As it was observed that some Harijan Bastis adjacent to already electrified villages were not electrified because of unremunerative loads in these areas and constraint of financial resources of the State Electricity Boards, the Government of India have introduced since December, 1971, a Special Scheme for Electrification of such Harijan Bastis. According to this Scheme, loan assistance at concessional terms is being provided through the Rural Electrification Corporation to the State Electricity Boards for electrification of such Harijan Bastis. The Loan carries an interest of $4\frac{3}{4}\%$ per annum and is to be repaid over a period of 15 years. The Corporation has so far sanctioned one scheme of Madhya Pradesh envisaging loan assistance of Rs. 4·76 lakhs aiming provision of 1,799 street lights in 167 Harijan Bastis adjoining already electrified villages. It has been estimated that 2700 Harijan Bastis adjacent to electrified villages have not been provided with electricity. Schemes for the electrification of about 1000 such Harijan Bastis are under preparation by the Madhya Pradesh State Electricity Board.

It is proposed to provide Rs. 5 crores for the electrification of about 20,000 such Harijan Bastis in the country by the end of Fourth Plan. In respect of Projects to be undertaken for the electrification of villages in future, all the State Electricity Boards have been advised to ensure that while electrifying the villages, adjacent Harijan Bastis should also be electrified.

Out of the total number of 70,414 villages in Madhya Pradesh, 9051 have been electrified by the end of March, 1972. Electrification of all the villages in the State depends upon the outlays provided in the Fifth and subsequent Plans.

Posting of Retrenched Leave Reserve Casual Labourers of Ajmer Division against Vacant Posts (S & T Department, Western Railway)

5472. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether casual labourers retrenched in I. O. W. (Engineering) Department of Ajmer Division have been appointed against the vacant leave reserve posts in the Signal and Tele-communication Department of Western Railway;

(b if so, whether the claims of the temporary hands who have been serving the Signal and Communication Department for several years and who are senior to the casual labourers are being ignored; and

(c) the Railway Board's orders on the subject and whether they are being complied with properly ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Indore-Dohad Railway Line

5473. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Board is seriously looking into the question of laying Indore-Dohad Railway line and the work of preliminary survey has already commenced; and

(b) if so, the work done so far and the steps proposed to be taken in future in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Non-Stoppage of Passenger Trains at Laxmibainagar Station (Western Railway)

5474. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the passenger trains do not halt at Laxmibainagar Station near Indore after 9 P. M.;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have any proposal under consideration to provide a halt for all the passenger trains on the said station at night; and

(d) if so, the time by which it will be done ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No. 95 up Ujjain-Mhow Passenger stops at Lakshmibainagar at 22·23 hours.

(b) Does not arise.

(c) No.

(d) Does not arise.

विदेशों मे भारतीय व्यापार मिशन

5475. **श्री० एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय व्यापार मिशनों के नाम तथा पते क्या हैं जो निर्यात संवर्धन में सहायता देते हैं; और

(ख) वर्ष 1970 से अब तक कितने नये व्यापार मिशन खोले गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विदेशों में स्थित हमारे सभी भारतीय मिशन निर्यात संवर्धन कार्य में सहायता करते हैं। हमारे मिशनों की सूची व पते जहाँ विशेष रूप से वाणिज्यिक काम के लिए पद हैं, दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1985/72.**]

(ख) वर्ष 1970 से आज तक छः व्यापार मिशन खोले गये हैं।

निर्यात संवर्द्धन की सहायतार्थ प्रकाशन

5476. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्द्धन को सहायता देने हेतु वर्ष 1969 से लेकर अब तक कितने प्रकाशन प्रकाशित किए गये हैं और उनके नाम क्या हैं तथा ये कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं;

(ख) गत वित्तीय वर्ष में इन प्रकाशनों पर कितनी धन राशि खर्च की गई;

(ग) क्या कोई ऐसा एकमात्र प्रकाशन है जिसमें सरकार द्वारा दी गई निर्यात संवर्द्धन सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी हो; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका नाम क्या है तथा वह कहाँ से मिल सकता है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यात संवर्धन में सहायता देने के लिए प्रदर्शनी तथा वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय द्वारा 1969 से निकाले गये प्रकाशनों की सूची नीचे अनुबंध 1 में दी गई है। सूची की 1, 2 और 6 मदों में लिखे प्रकाशन, प्रदर्शनी और वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय, विदेश व्यापार मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली में उपलब्ध हैं। तथापि, सूची 3 से 5 मदों में लिखे प्रकाशनों का विक्रय, प्रकाशन प्रबंधक, सिविल लाइन्स, दिल्ली–6 और देश में उनके प्राधिकृत एजेंटों द्वारा किया जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1986/72.**]

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान प्रदर्शनी तथा वाणिज्यक प्रचार निदेशालय द्वारा निकाले गए प्रकाशनों पर हुए व्यय का अनुमान 9,09,000 रु० है।

(ग) जी हाँ।

(घ) "गाइड फार एक्सपोर्टर्स" नामक प्रकाशन। इस प्रकाशन का विक्रय प्रकाशन प्रबंधक, सिविल लाइन्स, दिल्ली-6 और देश में उनके प्राधिकृत एजेंटों द्वारा किया जाता है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त पद

5477. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1972 को देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या कितनी कितनी थी;

(ख) वर्तमान रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा।

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). उच्च न्यायालयों में रिक्तियाँ भरने के प्रस्ताव प्रारंभ में संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों और राज्य प्राधिकारियों को करने होते हैं। कुछ रिक्तियाँ भरने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। और उन पर कार्यवाही की जा रही है जबकि अन्य रिक्तयों के बारे में राज्य प्राधिकारियों से प्रस्तावों की प्रतीक्षा है। रिक्तियों को शीघ्र से शीघ्र भरने की पूरी कोशिश की जा रही है।

विवरण

क० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	स्वीकृत संख्या		वास्तविक संख्या	
		स्थायी	अतिरिक्त	स्थायी	अतिरिक्त
1.	इलाहाबाद	30	13	22	12
2.	आन्ध्र प्रदेश	18	3	14	2
3.	बम्बई	23	7	20	3
4.	कलकत्ता	33	6	30	6
5.	दिल्ली	13	6	13	6
6.	गोहाटी	6	—	6	—
7.	गुजरात	10	8	10	6
8.	हिमाचल प्रदेश	3	—	3	—
9.	जम्मू और कश्मीर	4	1	4	1
10.	केरल	12	5	11	5
11.	मध्य प्रदेश	14	4	14	—
12.	मद्रास	16	3	16	3
13.	मैसूर	14	3	14	2
14	उड़ीसा	7	1	7	—
15.	पटना	16	6	16	—
16.	पंजाब और हरियाणा	12	10	12	10
17.	राजस्थान	8	4	8	4
	योग	239	80	220	60
		319		280	

खान पान सेवाओं से रेलवे की आय

5478. **श्री विक्रम महाजन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे द्वारा खानपान सेवाओं को अपने हाथ में लिये जाने से पूर्व रेलवे को कितनी आय थी और रेलवे द्वारा इनको अपने हाथ में लिये जाने के पश्चात् इन सेवाओं से कितनी आय है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 31-3-1972 तक जिन स्टेशनों पर खान-पान का प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जाने लगा था, उन पर खान-पान ठेकेदारों से लाइसेंस फीस के रूप में प्रतिवर्ष 4,60, 121 रुपये की आय होती थी।

रेलों पर जब से खान-पान व्यवस्था विभाग द्वारा शुरू की गयी है, तब से उसके संचालन परिणाम नीचे दिये गये हैं :—

	(+) लाभ (−) हानि (आँकड़े हजार रुपयों में)
1955-56	−1101
1956-57	−1753
1957-58	−2198
1958-59	−1317
1959-60	− 705
1960-61	− 397
1961-62	− 645
1962-63	− 190
1963-64	+ 756
1964-65	− 314
1965-66	− 660
1966-67	+ 119
1967-68	+ 585
1968-69	+2342
1969-70	+2061
1970-71	+1361
1971-72	+2327 लगभग

चाय के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

5479. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय के निर्यात से वर्ष 1970-71 में विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी औसत वार्षिक आय हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : वर्ष 1970 तथा 1971 के दौरान चाय से अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमश: 148·82 करोड़ रुपये तथा 160·3 करोड़ रुपये है ।

उड़ीसा में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति

5480. **श्री पी० के० देव :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार का उड़ीसा के विभिन्न भागों में आनन्दपुर बाँध परियोजना, कालो परियोजना, दादराघाटी परियोजना, रामजल परियोजना और खादेई परियोजना कार्यान्वित करने का सुझाव है;

(ख) इन परियोजनाओं पर परियोजनावार क्या अनुमानित लागत आयेगी;

(ग) इन परियोजनाओं से कितनी भूमि में सिंचाई होगी; और

(घ) क्या राज्य सरकार के सुझावों पर विचार कर लिया गया है, और यदि हाँ, तो उस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) . इन परियोजनाओं की लागत और इनमें होने वाले प्रस्तावित लाभ निम्नलिखित हैं :

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	सिंचाई लाभ (हैक्टेयर)
आनन्दपुर बराज	2193·66	114·00
काली	196·76	5·58
दादरा घाटी	136·62	4·11
रामाडला	412·00	14·98
खड़खारी	242·52	8·9

(घ) आनन्दपुर बराज परियोजना की तकनीकी जाँच पूर्ण हो गई है। उड़ीसा की चौथी योजना में परियोजना को स्वीकार करने की संभाव्यता की, इसके कार्यान्वयन के लिए उन संसाधनों की रोशनी में जाँच की जा रही है जिनके उपलब्ध होने की सम्भावना है। अन्य परियोजनाओं की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में तकनीकी जाँच की जा रही है।

अजमेर डिवीजन पश्चिम रेलवे में संवर्ग के पुनर्विलोकन के लिए नियम

5481. **श्री पन्नालाल बारूपाल :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री अजमेर डिवीजन में कमर्शियल क्लर्कों के पदों का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में 29 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1235 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संवर्ग की संख्या तथा उस ढांचे के पुनर्विलोकन के बारे में सामान्य नियम क्या हैं; और

(ख) क्या संवर्गों के समय-समय पर पुनर्विलोकन के बारे में तिथियाँ निर्धारित कर ली गई हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) . रेलों को जारी किये गये अधुनातन अनुदेशों के अनुसार, ऐसी कोटियों के बारे में जिनके पद निर्धारित प्रतिशत के आधार पर, विभिन्न

ग्रेडों में विभाजित हैं, प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल की संवर्ग स्थिति की वार्षिक समीक्षा की जाये और ये समीक्षा अधिक से अधिक प्रत्येक वर्ष की पहली अक्तूबर तक पूरी कर ली जाए। संवर्ग के समायोजन में यदि पदों के ग्रेड बढ़ाने-घटाने की बात हो तो वह भविष्य में प्रभावी होगी। ये हिदायतें 1-4-1971 की और उसके बाद की जाने वाली संवर्ग स्थिति की वार्षिक समीक्षा पर लागू होगी। आदेशों में ऐसी भी व्यवस्था है कि यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण समीक्षा पूरी करना सम्भव न हो, तो ऐसे व्यक्ति जो ऊँचे ग्रेड के पदों पर पदोन्नति के पात्र हैं, उस वर्ष की पहली अक्तूबर से पदोन्नति पर देय वेतन पाने के हकदार होंगे।

पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद और दिल्ली आगरा-फोर्ट के बीच गाड़ियों में रेलगाड़ी के बिजली कर्मचारियों की ड्यूटी

5482. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद और दिल्ली-आगरा फोर्ट के बीच चलने वाली प्रत्येक 1 अप, 2 डाउन, 3 अप, 4 डाउन, 5 अप, 6 डाउन और 31 अप, 32 डाउन रेलगाड़ियों में रेल गाड़ी के बिजली कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो रेल गाड़ियों में उन को क्या ड्यूटी करनी पड़ती है तथा उनके सामान्य कार्य घंटे क्या हैं और क्या उनको इन रेल गाड़ियों में ड्यूटी के समय रात को सोने की अनुमति है;

(ग) बिजली के अन्य कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्य घंटे कितने निर्धारित किए हैं; और

(घ) रेलगाड़ी के बिजली कर्मचारियों को ड्यूटी करने के लिए कितना भत्ता दिया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जी हाँ। लेकिन कर्मचारी दो दलों में बारी-बारी से आठ-आठ घंटे की पारी में ड्यूटी करते हैं और जिस दल के कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं होते वे अपनी पारी आने तक आरक्षित स्थानों में विश्राम करते हैं।

कर्मचारियों की ड्यूटी मार्ग में बिजली संबंधी सुविधा फिटिंगों की जाँच करना, त्रुटियों को दूर करना और यार्ड अनुरक्षण के दौरान जिन मदों की मरम्मत होनी हो उनके आधारभूत अनुरक्षण के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ग) गाड़ी रोशनी संबंधी अन्य कर्मचारियों के लिए भी 8 घंटे का सामान्य ड्यूटी रोस्टर नियत किया गया है।

(घ) संबंधित कर्मचारियों को प्रयोज्य नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाता है।

अभ्रक के निर्यात में कमी

5483. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 के प्रथम तीन महीनों के दौरान वर्ष 1971 की उसी अवधि की तुलना में भारत से होने वाले अभ्रक के निर्यात में 3 करोड़ रुपये की कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने हेतु सरकार ने एक अभ्रक सलाहकार समिति स्थापित की । समिति ने अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के बारे में सुझाव दिया है । इन उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

विदेशों में भारतीय उद्यमों के लिए उदार शर्तें

5484. **श्री राजदेव सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय उद्यम स्थापित करने हेतु अनेक उद्योग संघों के अभ्यावेदनों को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार भारतीय उद्यमियों को इस बारे में अनुमति देने की शर्तों को उदार बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उदार बनाई गई शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). इस संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है ।

बैंकाक में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग की बैठक

5485. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग की बैंकाक में आयोजित की गई बैठक में भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बैठक में किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किए गए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). एशिया तथा सुदूर पूर्व हेतु आर्थिक आयोग (इकाफे) का 28वाँ वार्षिक सत्र 15 मार्च से 27 मार्च, 1972 तक बैंकाक में आयोजित किया गया था। भारत ने बैठक में भाग लिया और भारतीय प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व विदेश व्यापार मंत्री द्वारा किया गया था। जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया वे सत्र के दौरान पारित संलग्न कार्यसूची में दिए गए हैं। सत्र के दौरान जो विनिश्चय किये जाते हैं उन्हें सामान्यतः आयोग द्वारा पारित संकल्पों में समाविष्ट किया जाता है। बैंकाक सत्र के दौरान पारित संकल्पों की प्रतिलिपियों का एक सेट संसद पुस्तकालय में रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1987/72.**]

चाय निर्यात करने वाली कंपनियाँ

5486. **श्री वेकारिया** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय का निर्यात करने वाली कंपनियों की संख्या और नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से कितनी कंपनियाँ भारतीय हैं और कितनी कंपनियां विदेशी फर्मों के सहयोग से काम कर रही हैं; और

(ग) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में इन कंपनियों में से प्रत्येक ने किस्मवार कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चाय का निर्यात करने के लिए 400 कंपनियों को लाइसेंस दिए गये हैं।

(ख) इन कंपनियों में लगभग 70% भारतीय कंपनियाँ हैं। भारतीय तथा विदेशी कंपनियों के बीच सहयोग के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में क्रमशः 2074·2 और 2147·9 लाख कि० ग्रा० चाय का निर्यात हुआ।

इन कंपनियों द्वारा निर्यात की जाने वाली चाय के किस्मवार आँकड़े नहीं रखे जाते।

कोयला खानों के निकट तापीय केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव

5487. **श्री वेकारिया** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के निकट बड़े आकार का तापीय केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हाँ। उपयुक्त स्थलों पर कई वृहदाकार ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं जिनमें वे केन्द्र भी शामिल हैं जो कोयला खानों के निकट या तो नए केन्द्र हैं या फिर वर्तमान केन्द्रों के विस्तार के रूप में हैं।

(ख) कोयला खानों के निकट केन्द्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता और उनका स्थान दिखाने वाला विवरण इसके साथ संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	विद्युत केन्द्र का नाम	कोयला खान या वाशरी जिसके निकट विद्युत केन्द्र स्थापित है	सैटों की संख्या और क्षमता (मैगावाट)	कुल क्षमता (मैगावाट)
1.	तलचर विस्तार	उड़ीसा में दक्षिण बलंडा और उत्तर बलंडा कोयला खानों के निकट	2 × 120	240
2.	सन्तालडीह विस्तार	पश्चिम बंगाल में भोजूडीह	2 × 120 1 × 200	440
3.	दुर्गापुर (दामोदर वेली कार्पोरेशन)	पश्चिम बंगाल में पत्थरडीह	1 × 120	120
4.	बोकारो (दामोदर वेली कार्पोरेशन)	बिहार में करगली	2 × 200	400
5.	चन्द्रपुरा (दामोदर वेली कार्पोरेशन)	बिहार में दुगडाह एक और दो	1 × 120	120
6.	पतरातू विस्तार	बिहार में कथारा और सवांग वाशरियाँ	2 × 110	220
7.	कोर्बा विस्तार	मध्य प्रदेश में कोर्बा	2 × 120	240
8.	अमर कंटक विस्तार	मध्य प्रदेश में रेवा कोरिया क्षेत्र	2 × 120	240
9.	नया ताप विद्युत केन्द्र सतपुड़ा	मध्य प्रदेश में पत्थरखेड़ा	6 × 200	1200
10.	कोराडी विस्तार	महाराष्ट्र में सालेवारा	3 × 200	600
11.	तेनूघाट	बिहार में बोकारो कोयला क्षेत्र	4 × 200 1 × 500	1300
12.	ओब्रा विस्तार चरण—दो	मध्य प्रदेश में सिंगरौली	5 × 200	1000
13.	कोठागुडम विस्तार	आंध्र प्रदेश में सिंगारेनी	2 × 110	220

हाईटेंशन ट्रांसमिशन नेटवर्क के विकास के लिए राजस्थान को वित्तीय सहायता

5488. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में हाईटेंशन ट्रांसमिशन नेटवर्क के विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान को कितना रियायती ऋण दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) निगम द्वारा वित्त घोषणा के लिए किन रियायती शर्तों पर ऋण दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम से जिन ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं को सामान्यत: वित्तीय सहायता मिल सकती है उनकी लागत में ये चीजें शामिल होती हैं—उपकेन्द्रों से वितरण ट्रांस्फार्मरों तक पारेषण प्रणाली का विस्तार, 11 के० वी० से स्टेप-डाउन, उपभोक्ता प्वांइटों तक वितरण लाइनों का विस्तार और पम्पसेटों/नलकूपों को सर्विस कनेक्शन उन राज्य बिजली बोर्डों (अर्थात असम, बिहार, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के संबंध में, जहाँ पर ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत से कम है, निगम ने ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति में तेजी लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च वोल्टता पारेषण जाल-प्रणाली के विस्तार के लिए ऋण सहायता की व्यवस्था करने की एक विशेष स्कीम शुरू की है। अब तक निगम ने राजस्थान की एक ऐसी स्कीम को स्वीकृति दी है जिसमें 11·70 लाख रुपये की ऋण सहायता परिकल्पित है। इस समय ग्राम विद्युतीकरण के पास कोई अन्य स्कीम शेष नहीं है। स्कीमों की, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त होने के पश्चात, निगम द्वारा नियत मापदण्ड के आधार पर जाँच की जायेगी और यदि इन्हें तकनीकी रूप से सम्भाव्य और वित्तीय रूप से सक्षम पाया गया तो इनको वित्तीय सहायता के लिए मंजूर कर लिया जाएगा।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत विभिन्न प्रकार के ऋणों पर लागू शर्तें निम्नलिखित हैं—

श्रेणी और क्षेत्र/प्रकार	ब्याज दर	ऋण की अवधि
साधारण-उन्नत	पहले 10 वर्षों के लिए $6\frac{1}{4}\%$ 11 वें से 15 वें वर्ष तक $7\frac{1}{4}\%$ 16 वें से 20 वें वर्ष तक $8\frac{1}{4}\%$ बशर्ते कि यदि कुल ऋण 15 वें वर्ष तक अदा कर दिया जाता है, 11 वें वर्ष से ब्याज $4\frac{1}{4}\%$ होगा (शीघ्र पुन: अदायगी के लिये सभी स्थितियों में $\frac{1}{4}\%$ की छूट)	20 वर्ष (5 वर्ष तक मूलधन की कोई पुन: अदायगी नहीं)

श्रेणी औरक्षेत्र/प्रकार	ब्याज दर	ऋण की अवधि
साधारण-पिछड़े	प्रथम 10 वर्षों के लिए $5\frac{1}{4}\%$ 11 वें से 15 वें वर्ष तक $5\frac{3}{4}\%$ 16 वें से 20 वें वर्ष तक $7\frac{1}{4}\%$ 21 वें से 25 वें वर्ष तक $8\frac{1}{4}\%$ बशर्ते कि यदि पुनः अदायगी पूर्ण रूप से 20 वें वर्ष तक कर दी जाती है तो 16 वें वर्ष से 20 वें वर्ष तक ब्याज केवल $6\frac{1}{4}\%$ होगा (शीघ्र अदायगी के लिए सभी स्थितियों में छूट $\frac{1}{4}\%$)	25 वर्ष (प्रथम 5 वर्षों के लिए मूलधन की पुनः अदायगी नहीं)
साधारण-सहकारी	प्रथम 10 वर्ष $4\frac{1}{4}\%$ 11 वें से 15 वें वर्ष तक $5\frac{1}{4}\%$ 16 वें से 20 वें वर्ष तक $5\frac{3}{4}\%$ 21 वें से 25 वें वर्ष तक $7\frac{1}{4}\%$ 26 वें से 30 वें वर्ष तक $8\frac{1}{4}\%$ (शीघ्र अदायगी के लिए सभी स्थितियों में $\frac{1}{4}\%$ छूट)	30 वर्ष (पहले 5 वर्षों के लिए मूलधन की पुनः अदायगी नहीं)
विशेष-पारेषण	ऋण की समग्र अवधि के लिए $7\frac{3}{4}\%$ (शीघ्र अदायगी के लिए $\frac{1}{4}\%$ छूट)	12 वर्ष (पहले 2 वर्षों के लिए मूलधन की अदायगी नहीं)
विशेष रूप से अल्प-विकसित पहाड़ी क्षेत्र	प्रथम 10 वर्ष $4\frac{1}{4}\%$ 11 वें से 15 वें वर्ष तक $5\frac{1}{4}\%$ 16 वें से 20 वें वर्ष तक $5\frac{3}{4}\%$ 21 वें से 25 वें वर्ष तक $7\frac{1}{4}\%$ 26 वें से 30 वें वर्ष तक $8\frac{1}{4}\%$ (शीघ्र अदायगी के लिए सभी स्थितियों में $\frac{1}{4}\%$ छूट)	30 वर्ष (पहले 5 वर्षों के लिए मूलधन की पुनः अदायगी नहीं)
हरिजन बस्तियाँ	5% (शीघ्र अदायगी के लिए $\frac{1}{4}\%$ छूट)	15 वर्ष

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा माँगी गई रिपोर्ट

5489. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सातवें वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लिखित इस तथ्य के

अनुसार आयोग ने 30 मार्च, 1968 को रेलवे बोर्ड को एक शिकायत भेजी थी जिसमें रेलवे बोर्ड को उस संबंध में कतिपय आवश्यक कागजात और एक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था; और

(ख) क्या उक्त कागजात और रिपोर्ट सतर्कता आयोग को भेज दिये गये थे; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस मामले में जाँच परिणामों और उन पर रेलवे बोर्ड के विचार नवम्बर, 1971 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को परामर्श के लिए उपलब्ध करा दिए गए थे । आयोग ने दिसम्बर, 1971 में अपनी सलाह दे दी थी जिसमें यह कहा गया था कि चूँकि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता का कोई मामला नहीं था इसलिये आयोग इस मामले को समाप्त करने की सलाह देता है । आयोग की इस सिफारिश को रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है ।

समाजवादी देशों को सूती कपड़े के निर्यात में कमी

5490. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाजवादी देशों को किये जाने वाले सूती कपड़े के निर्यात में गत वर्ष की तुलना में कमी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). 1971-72 के दौरान सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, हंगरी जैसे समाजवादी देशों को ऊनी तथा कृत्रिम रेशम के वस्त्रों के निर्यातों में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है । तथापि, वर्ष 1971-72 के दौरान इन देशों को सूती वस्त्रों के निर्यातों में गिरावट आई है । वास्तव में यह गिरावट सभी गन्तव्य देशों को किये गये निर्यातों के संबंध में है और इसका मुख्य कारण रुई की ऊंची कीमतों का होना है, जिसका प्रभाव 1971-72 के दौरान निर्यात किये गये सूती वस्त्रों के उत्पादन पर और उससे भी अधिक सूती धागे के उत्पादन पर दृष्टिगोचर हुआ । कुछ समाजवादी देशों द्वारा जिन कीमतों की पेशकश की गई थी वे इतनी कम थीं कि उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार इन देशों में से कुछ के साथ संविदाएं करने में विलम्ब हुआ । कुछ समाजवादी आयातकर्ता देशों की मुद्रा संबंधी कठिनाइयाँ भी इस गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं । चालू वर्ष के दौरान रुई की स्थिति सूती वस्त्रों के निर्यातों के लिए सहायक सिद्ध हो रही है अतः बेहतर निर्यात निष्पादन की आशा की जा सकती है ।

दिल्ली आसाम मेल का बक्सर और चीरा स्टेशनों (पूर्व रेलवे) के बीच रेलवे फाटक पर एक ट्रेक्टर-ट्रेलर से टकरा जाना

5491. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अप्रैल, 1972 को दिल्ली आसाम मेल बक्सर और चीरा स्टेशन (पूर्व रेलवे) के बीच रेलवे फाटक पर एक ट्रैक्टर-ट्रेलर से टकरा गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ग) इनके संबंधियों को क्या मुआवजा दिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) दुर्घटना 13.4.1972 को हुई थी और जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, वह थी 86 डाउन असम मेल ।

(ख) इस दुर्घटना में 8 व्यक्ति मारे गये ।

(ग) क्षतिपूर्ति के लिए न तो कोई दावा प्राप्त हुआ है और न इस दुर्घटना में मृत आठ व्यक्तियों के विधिक हिताधिकारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में कोई रकम की अदायगी की गयी है । लेकिन 4 मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह के रूप में प्रत्येक को 500-500 रुपये का भुगतान किया गया । लेकिन बाकी 4 मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को इस तरह का कोई भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि उनके अता-पता का ठिकाना अभी तक नहीं लग सका है ।

बिहार की निर्यात-संभावनाओं का अध्ययन

5492. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने बिहार की निर्यात संभावनाओं का अध्ययन कर यह सिफारिश की थी कि बिहार के निर्यात के संवर्धन हेतु नीतियाँ और कार्यक्रम निर्धारण करने के लिए राज्य निर्यात संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो सिफारिश के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संस्थान ने अध्ययन कर राज्य निर्यात संवर्धन बोर्ड को फिर से चालू करने की सिफारिश की थी ।

(ख) राज्य सरकार ने निर्यात संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया है जिसके अध्यक्ष उद्योग मंत्री हैं ।

रेलवे कर्मचारियों का दर्जा बढ़ाया जाना

5493. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य ने 2 फरवरी, 1970 को तत्कालीन रेलवे मंत्री को एक पत्र

लिखा था जो कतिपय अधिकारियों और लिपिक कर्मचारी वर्ग का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में था और क्या इस उद्देश्य के लिए 1969-70 के बजट में 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी;

(ख) क्या कतिपय संसद सदस्यों ने 17 दिसम्बर, 1970 को रेलवे मंत्री और 14 फरवरी, 1971 को प्रधान मंत्री के निवास स्थानों के समक्ष धरना दिया था और उनको एक ज्ञापन दिया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उस ज्ञापन का विषय क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) श्री आर० के० सिन्हा, संसद सदस्य ने 2.2.1970 को तत्कालीन रेल मंत्री श्री पी० गोविन्द मेनन के नाम एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि "अधिकारियों और तीसरे दर्जे के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के ग्रेड ऊँचे करने पर व्यय वहन करने के लिए बजट में 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गयी थी।" भूतपूर्व रेल मंत्री श्री सी० एम० पुनाचा ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था। पी० टी० आई० के साथ साक्षात्कार में जिसकी रिपोर्ट 8 जनवरी, 1969 के इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, रेल मंत्री ने कहा था कि "रेलवे बोर्ड द्वारा सद्यानुमोदित एक नयी योजना से पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारी जिनमें रनिंग कर्मचारी भी शामिल हैं, लाभान्वित होंगे और इन नये हितों पर रेलों को प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ रुपये का खर्च करना पड़ेगा।" लेकिन रेल मंत्री ने यह भी कहा था कि "तीसरी श्रेणी के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए, रेलवे बोर्ड पदोन्नति संबंधी कोटा का प्रतिशत बढ़ाने का विचार कर रहा था।" इस प्रश्न की सविस्तार जाँच की गयी थी और यह विनिश्चय किया गया था कि ग्रेडों के अनुसार पदों का पुनर्वितरण नहीं किया जा सका, लेकिन इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कुछ मामलों में प्रगति रुद्धता है, सभी ग्रेडों के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी दो वर्ष अथवा अधिक से अपने वेतनमान का अधिकतम ले रहे हैं उन्हें उनके वेतन मान में सबसे बाद में मिली वेतन वद्धि की राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन दे देना चाहिए और जो कर्मचारी 435-575 रुपया (1.11.70 से 270-435 रुपये के वेतनमान से समामेलित) और 450-575 रु० के वेतनमानों का अधिकतम दो या उनसे अधिक वर्षों से ले रहे हैं, उन्हें 30 रु० मासिक वैयक्तिक वेतन मंजूर कर दिया जाये।

(ख) आल इंडिया रेलवे मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसियेशन जो मान्यता प्राप्त संगठन नहीं है, की कार्यकारिणी ने 17.12.70 से रेल मंत्री की कोठी के सामने धरना देने का संकल्प लिया। श्री रामावतार शास्त्री ने 2.2.71 को प्रधान मंत्री और तत्कालीन रेल मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) के नाम पत्र भी भेजे थे जिनमें निम्नलिखित माँगें की गयी थीं :—

(i) आल इंडिया रेलवे मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसियेशन को मान्यता प्रदान करना;

(ii) रेलों पर काम करने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का कोटा बढ़ाना।

इस मामले पर विचार किया गया और यह विनिश्चय हुआ कि ऊपर मद (i) के सामने दी हुई माँग को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि दो संघों अर्थात नेशनल फेडरेशन आफ-

इंडियन रेलवेमैन और आल इंडिया रेलवेमैन्स फैडरेशन को भारतीय रेलों पर लगे सभी कर्मचारियों जिनमें लिपिक वर्गीय कर्मचारी भी आते हैं, की ओर से रेलवे बोर्ड से बार्ता करने की सुविधाएँ पहले से ही प्राप्त हैं। जहाँ तक मद (ii) की माँग का संबंध है, प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट करदी गयी है। प्रधान मंत्री अथवा रेल मंत्री को प्रस्तुत तथाकथित किसी ज्ञापन का पता नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुसुंडा (पूर्व रेलवे) पर हुई रेल दुर्घटना

5494. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुसुंडा (धनबाद डिवीज़न) पर 17 सितम्बर, 1971 को हुई रेल दुर्घटना, जिसमें ड्यूटी पर तैनात शन्टर की मृत्यु हुई थी और रेलवे सम्पत्ति की हानि हुई थी, के संबंध में जाँच पूरी हो गई है, और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस मामले में किसी रेलवे कर्मचारी को मुअत्तिल किया गया है; और

(ग) क्या मृत व्यक्ति के परिवार हो मुआवजा दिया जा चुका है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जैसा कि कानून के अन्तर्गत अपेक्षित है, कर्मकार-प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत मृत कर्मचारी के आश्रितों को देय 8,000 रुपये की रकम कर्मचारी के परिवार को देने के लिए कर्मकार-प्रतिकर आयुक्त के पास जमा कर दी गयी है। इससे पहले 17-9-71 को घटनास्थल पर ही 500 रुपये का अनुग्रह भुगतान किया गया था और मृतक के अन्तिम संस्कार के लिए 200 रुपये का अनुदान भी दिया गया था।

इलैक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल सिगनल मेंटेनर्स, इज्जतनगर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में छुट्टी रिजर्व और विश्राम रिजर्व कर्मचारी

5495. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर डिवीजन पर इलैक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल डिवीजन के ग्रेड एक, दो और तीन और मेकेनिकल सिगनल मेंटेनर्स, ग्रेड दो और तीन में श्रेणीवार अलग-अलग कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उक्त डिवीजन पर विश्राम रिज़र्व और छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या छुट्टी रिजर्व और विश्राम रिजर्व कर्मचारियों की संख्या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए निदेशानुसार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) :

(क) (i) **बिजली सिगनल अनुरक्षकों की संख्या**

ग्रेड I	ग्रेड II	ग्रेड III
5	3	26

(ii) यांत्रिक सिगनल अनुरक्षकों की संख्या

ग्रेड I	ग्रेड II	ग्रेड III
बिजली सिगनल अनु-रक्षकों की संख्या में शामिल है	5	39 (इसमें प्रशिक्षु रिजर्व पद शामिल हैं)

(ख) इन वर्गों के लिए विश्राम-दायी कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन वर्गों के कर्मचारियों को छः दिन के काम के पश्चात् एक दिन का विश्राम मिल जाता है। बैटरीमैन और सिगनल अटैन्डेंट के वर्गों में छुट्टी रिजर्व के एक-एक पद की व्यवस्था है ।

(ग) और (घ). विश्रामदायी कर्मचारियों की व्यवस्था इस विषय पर अनुदेशों के अनुरूप है; लेकिन छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था कुछ कम है। छुट्टी रिजर्व के और पदों के सृजन प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है ।

दिल्ली और मुरादाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में इलेक्ट्रिकल सिगनल मेन्टेनर्स और मेकेनिकल सिगनल मेन्टेनर्स के लिए छुट्टी रिजर्व और विश्राम रिजर्व

5496. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली और मुरादाबाद डिवीजन में इलैक्ट्रिकल मेन्टेनर्स के ग्रेड एक, दो और तीन में श्रेणीवार अलग-अलग कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इन प्रत्येक श्रेणियों में विश्राम रिजर्व और छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या छुट्टी रिजर्व और विश्राम रिजर्व कर्मचारियों की संख्या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये निदेशानुसार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) :

(क) (i) बिजली सिगनल अनुरक्षक

मंडल	ग्रेड I	ग्रेड II	ग्रेड III
दिल्ली	78	15	52
मुरादाबाद	35	16	7

(ii) यांत्रिक सिगनल अनुरक्षक

मंडल	ग्रेड I	ग्रेड II	ग्रेड III
दिल्ली	—	24	66
मुरादाबाद	8	17	48

(ख) (i) बिजली सिगनल अनुरक्षक

	दिल्ली मंडल		मुरादाबाद मंडल	
	विश्राम दाता	छुट्टी एवजी	विश्राम दाता	छुट्टी एवजी
ग्रेड I	4		—	—
ग्रेड II	—		—	—
ग्रेड III	1	10 कुशल और 1 अकुशल ग्रेड में	—	3 कुशल और 2 अकुशल ग्रेड में

(ii) यांत्रिक सिगनल अनुरक्षक

	दिल्ली मंडल		मुरादाबाद मंडल	
	विश्राम दाता	छुट्टी एवजी	विश्राम दाता	छुट्टी एवजी
ग्रेड I	—	—	—	
ग्रेड II	—	—	—	
ग्रेड III	5	5 कुशल और 2 अकुशल ग्रेड में	—	1 कुशल और 7 अकुशल ग्रेड में

(ग) और (घ). मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही है ।

Leave Reserve and Rest Giver Staff for Jaipur, Rajkot, Ratlam and Kota Divisions (Western Railway)

5497. **Shri Chandrika Prasad** : Wil the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of posts in Electrical Signal Maintainers Grades I, II and III and Mechanical Signal Maintainers Grades I, II and III in Jaipur, Rajkot, Ratlam and Kota Divisions separately; and

(b) the number of Rest Givers and Leave Reserves working against the said posts, Division-wise ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b). A statement is attached. [*Placed in the Library. Please see* No. L. T.—1988/72.]

Halt Station at Peri Ajab Singh Village between Gonda and Bangain Railway Station (North Eastern Railway)

5498. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to set up a Halt Station at Peri Ajab Singh Village between Gonda and Bangain Railway Stations (North Eastern Railway) on Gonda-Bahraich (U. P.) line; and

(b) if so, the action taken in pursuance thereof and the stage at which it stands at present ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

पश्चिम कोसी नहर परियोजना की खुदाई के लिए भूमि का दिया जाना

5499. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल सरकार ने नेपाली क्षेत्र में स्थित पश्चिम कोसी नहर परियोजना की खुदाई के लिए आवश्यक भूमि अब दे दी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के सीमांकन के लिए निशानदेही का कार्य नेपाल सरकार और बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

घाटे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग में सुधार की आवश्यकता

5500. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन की प्रतियोगिता के कारण रेलों को हर वर्ष सामान की ढुलाई पर भारी हानि उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो रेल विभाग को उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत कितनी वार्षिक हानि होती है; और

(ग) रेलवे के परिवहन विभाग के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेलों को सड़क परिवहन प्रचालकों से कुछ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है लेकिन इस कारण होने वाली हानि महत्वपूर्ण नहीं है।

(ख) वार्षिक हानि का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि उपलब्ध होने वाले याता-

यात का सड़क और रेल पर वितरण सभी पण्य वस्तुओं के संबंध में निरन्तर परिवर्तित होता रहता है ।

(ग) सेवा की किस्म में सुधार करने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाये गये हैं :

(i) कर्षण का डीजलीकरण/विद्युतीकरण,

(ii) देश के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्रों के बीच सुपर एक्सप्रेस मालगाड़ियाँ चलाना,

(iii) लगभग 100 जोड़ी स्टेशनों के बीच भेजे जाने वाले परेषणों के पारवहन समय पर निगरानी रखना,

(iv) (क) कंटेनर सेवा, (ख) भाड़ा-ओषक सेवा, और (ग) नगर बुकिंग एजेंसी, आउट एजेंसियों, घर से घर तक माल लाने-पहुँचाने तथा चल बुकिंग कार्यालयों के जरिये घर से घर तक बिना किसी क्षति के गारंटी युक्त पारवहन समय में माल पहुँचाने की व्यवस्था उपलब्ध करना ।

ईरान में संयुक्त उपक्रम

5502. **श्री बी० बी० नायक : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चस्तरीय भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसने हाल ही में ईरान का दौरा किया था, ईरान में संभावित लाभप्रद तथा वांछनीय संयुक्त उपक्रमों के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बर संघ द्वारा प्रायोजित एक प्रतिनिधिमंडल ने, आपसी व्यापार के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने तथा आपसी लाभ के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के उद्देश्य से अपने समकक्षियों के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए, 5 से 9 मार्च, 1972 तक ईरान का दौरा किया । प्रतिनिधिमंडल ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

(ख) रिपोर्ट में, भारत तथा ईरान के बीच व्यापार के विस्तार तथा विकास की गुंजाइश, जानकारी का आदान-प्रदान तथा ईरान में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभाव्यताओं पर प्रकाश डाला गया है ।

(ग) सरकार ने रिपोर्ट की विषयवस्तु को नोट कर लिया है ।

चौथी योजना के दौरान समाजवादी देशों से व्यापार

5503. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान समाजवादी देशों से व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या व्यापार में बढ़ोतरी की संभावना का पता लगाने के लिए इन देशों में एक दल के भेजे जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग). प्रत्येक वर्ष के लिए किए जाने वाले वार्षिक व्यापार प्रबंधों के बारे में बातचीत भारत में और समाजवादी देशों में बारी-बारी से होती है। अतः वर्ष 1973 के लिए व्यापार प्रबंधों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल के सितम्बर/अक्तूबर, 1972 में हंगरी, बलगारिया, रूमानिया, पौलैंड तथा कोरिया का लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य (उत्तरी कोरिया) का दौरा करने की संभावना है ।

माता टीला बांध द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना

5504. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झाँसी के निकट माता टीला बाँध ने बुंदेलखंड क्षेत्र की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र से कम वित्तीय सहायता मिलने के कारण ऐसा हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). माताटीला बांध परियोजना के कार्यान्वयन से उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में विद्युत की लगभग 20 मेगावाट सप्लाई तथा 2·57 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हुई है । अतः माताटीला बाँध से जितने लाभ हो सकते थे, वे बुन्देलखंड क्षेत्र को प्राप्त हो चुके हैं और इस संबंध में केन्द्र से कम वित्तीय सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात और आयात के लिए और वस्तुओं का शामिल किया जाना

5505. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा कुछ वस्तुओं का निर्यात और आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). मार्गीकरण के लिए विभिन्न वस्तुओं की उपयुक्तता के संबंध में निरंतर अध्ययन किया जा रहा है। जिन वस्तुओं का आयात तथा निर्यात राज्य व्यापार अभिकरणों को सौंपा जाना है, उनकी सूची आमतौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में घोषित कर दी जाती है।

बारबिल, जाजपुर और बाढ़गढ़ स्थित उद्योगों के लिए बन्द माल डिब्बों की व्यवस्था

5506. **श्री बख्शी नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में बारबिल स्थित कालिंग आयरन वर्क्स, जाजपुर स्थित फैरो क्रोम प्लान्ट, बाढ़गढ़ स्थित किरा सीमेन्ट वर्क्स तथा अन्य उद्योगों द्वारा बन्द माल डिब्बों की माँग की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इन औद्योगिक एककों की बन्द माल डिब्बों की आवश्यकता कितनी है; और

(ग) क्या उक्त माल डिब्बों के सप्लाई करने में सरकार के सामने कोई कठिनाइयाँ हैं और यदि हाँ, तो उनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : जी हाँ।

(ख) 1971-72 के दौरान इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपेक्षित बन्द माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :—

(i) कलिंग आयरन वर्क्स, बारबिल	...	...	2,873
(ii) फैरो क्रोम प्लांट, जयपुर	...	...	88½
(iii) हीरा सीमेंट वर्क्स, वरगढ़	...	...	12,036
(iv) अन्य उद्योग—			
(1) कलिंग टयूब्स, चारबेटिया	...	...	1,260
(2) उड़ीसा सीमेंट, राजगंगपुर	...	...	33,460

(ग) माल-डिब्बों की धीमी गति से छुड़ाई और विभिन्न असामाजिक गतिविधियों के कारण हुई सामान्य अस्तव्यस्तता के परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में भारी संख्या में बन्द माल डिब्बे रुके पड़े रहे। लाखों शरणार्थियों के लिए अनाज तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए भारी संख्या में माल-डिब्बों को लगाये जाने के कारण भी अस्थायी रूप से उनकी उपलब्धि में कमी आ गयी। स्थिति में क्रमिक सुधार के फलस्वरूप बन्द माल-डिब्बों की उपलब्धि एवं संभरण में सुधार हो रहा है। जहाँ पार्टियाँ माल प्रेषण के लिए खुले-माल डिब्बे लेना स्वीकार करती है, वहाँ खुले माल डिब्बों के संभरण द्वारा भी इस कमी को पूरा किया जा रहा है।

बंसपाणि जाखपुरा के बीच रेल सम्पर्क के लिए उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव

5507. **श्री बख्शी नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बंसपाणि-जाखपुरा के बीच सम्पर्क स्थापित करने के बारे में उड़ीसा सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) मालंगटोली आगारों के विकास के लिए आवश्यक परिवहन अवसंरचना के संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त दल की रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात् ही इस लाइन के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

उड़ीसा में तूफानों की पुंनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रस्ताव

5508. **श्री बख्शी नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने तूफानों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें

5509. **श्री बख्शी नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के अनेक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). ग्राम विद्युतीकरण निगम, जिसकी स्थापना केन्द्रीय सैक्टर में जुलाई, 1969 में हुई थी, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए राज्य बिजली बोर्डों को योगात्मक धन देता है। मार्च, 1972 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उड़ीसा की 11 स्कीमें स्वीकृत की थीं जिनके लिए

1059 ग्रामों और 16826 पम्पसेटों का विद्युतीकरण करने के लिए 505·637 लाख रुपये की ऋण-सहायता दी जानी है। निगम उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की सात ग्राम स्कीमों पर विचार कर रहा है जिनकी अनुमानित लागत 353·78 लाख रुपये है और जिनके अंतर्गत 645 ग्रामों और 1259 पम्पसेटों का विद्युतीकरण परिकल्पित है।

गुमती परियोजना के पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप उससे प्रभावित होने वाले परिवारों को मुआवज़ा

5510. **श्री दशरथ देव** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुमती परियोजना के पूरा हो जाने के उपरान्त उससे प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या के कोई आँकड़े एकत्रित कर लिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस बाँध से प्रभावित होने वाले परिवारों को कोई मुआवज़ा दिया जायेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो किस प्रकार का मुआवज़ा दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ।

(ख) लगभग 300 परिवार।

(ग) और (घ). जी हाँ। सम्पत्ति के लिए मुआवजे और एवजी जमीन की व्यवस्था के अतिरिक्त सरकार प्रभावित परिवारों को आजिविका के वैकल्पिक साधन जुटाने की भी कोशिश कर रही है।

Electrification of Bhilai-Calcutta Railway Route

5511. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the rail route between Bhilai and Calcutta has since been electrified;

(b) whether passenger trains will not be able to take advantage of it; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) and (c). Some passenger trains are already taking advantage of electric traction and others also will do so with the gradual availability of electric locomotives.

Export of Handloom Products

5512. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether a delegation of the Handloom Export Promotion Council had visited Australia, New Zealand and Fiji to explore the possibilities of increasing export of handloom products;

(b) if so, the outcome of the visit; and

(c) the annual value of exports expected to be made to these countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) to (c). A three-man delegation, under the leadership of the Secretary, the Handloom Export Promotion Council, Madras, visited Australia, New Zealand, Fiji and Singapore during February-March, 1972.

The value of exports of handloom products to Australia, New Zealand, Fiji and Singapore from 1969-70 onwards is as under :—

(Value in Rupees Lakhs)

	1969-70	1970-71	1971-72 (April-Sept. 1971)
Australia	29·98	38·21	23·70
New Zealand	5·52	7·87	5·85
Fiji	5·43	7·22	4·04
Singapore	178·04	176·14	81·97

It is too early to appraise the outcome of the Delegation's visit to these countries. The delegation has established useful contacts, appraised the marketing prospects and the feed back of the information to the handloom sector should generate more exports.

तमिलनाडु में रेलवे लाइनों के सुधार के लिए तमिलनाडु सरकार का अनुरोध

5513. **श्री बी० मायावन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से यह माँग की है कि उस राज्य में कुछ रेलवे लाइनों का सुधार किया जाये तथा रेल सेवा में भी सुधार किया जाय; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

तमिलनाडु सरकार ने चौथी पंच-वर्षीय योजना में समावेश के लिए नयी लाइनें बदलाव के निम्नलिखित सुझाव दिये थे । इस संबंध में वर्तमान स्थिति प्रत्येक के सामने दिखाई गयी है—

क्र० सं०	सुझाव	वर्तमान स्थिति
1.	करूर के रास्ते सेलम से डिंडीगल और मदुरै के रास्ते डिंडीगल से तुत्तुकुडि तक की लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव ।	सुझाव विचाराधीन है ।
2.	तिरुचिरापल्लि-विलुपुरम कार्ड लाइन को बड़ी लाइन में बदलना, विलुपुरम से चिंगलपेट तक एक अतिरिक्त बड़ी लाइन का लगाना और अर्कोनम चिंगलपेट लाइन को बड़ी लाइन में बदलना ।	यातायात की दृष्टि से इस परियोजना के लिए प्रत्यक्षतः कोई औचित्य नहीं बनता ।
3.	नगरकोयल के रास्ते तिरुनेलवेल्लि-त्रिवेन्द्रम लाइन और केप कोमोरिन तक एक शाखा लाइन ।	यह परियोजना 12-4-72 को स्वीकृत की जा चुकी है ।
	24/25-2-72 को हुई दक्षिण रेल प्रशासन की पिछली समय-सारणी बैठक में गाड़ी सेवाओं के संबंध में तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित सुझाव दिये थे :	
(i)	वेस्ट कोस्ट एक्सप्रैस नं० 28 मद्रास स्टेशन पर 1-30 अपराह्न को पहुँचे और नं० 27 मद्रास से 1 या 2-30 अपराह्न को छूटे ।	यह समायोजन व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं पाया गया ।
(ii)	नीलगिरी एक्सप्रैस का डीजलीकरण किया जाये ।	विचार विमर्श के बाद छोड़ दिया गया ।
(iii)	नं०814 वृद्धाचलम-सेलम पैसेन्जर गाड़ी की गति बढ़ायी जाये ताकि सेलम पर 7 बजे पहुँचे ।	विचार-विमर्श किया गया । सम्भव नहीं पाया गया ।

गड़वा रोड जंकशन से दिल्ली और दिल्ली से गड़वा रोड जंकशन के लिए यत्रियों को रिजर्वेशन सुविधायें

5514. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गड़वा रोड जंकशन से दिल्ली और दिल्ली से गड़वा रोड जंकशन के लिए गाड़ियों में यात्रियों को रिजर्वेशन कराने की सुविधायें हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया):(क) और (ख). इस स्टेशन पर आने वाले मामूली यातायात को देखते हुए इस स्टेशन के लिए आरक्षण संबंधी किसी सुविधा अथवा कोटे की व्यवस्था नहीं की गयी है । लेकिन जब शायिकाओं के आरक्षण के लिए यात्रियों की ओर से अनुरोध प्राप्त होता है, तो

अपेक्षित स्थान की व्यवस्था करने के लिए उस स्टेशन को, जहाँ से गाड़ी प्रारम्भ होती है, निःशुल्क तार भेजे जाते हैं। उस स्टेशन से आरक्षण की पुष्टि हो जाने पर स्टेशनमास्टर संबंधित व्यक्तियों को तदनुसार सूचित कर देता है।

बिहार में रेलवे के शिक्षा संस्थान

5515. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल प्रशासन द्वारा बिहार में कुल कितने शिक्षा संस्थान चलाये जा रहे हैं; और

(ख) उन संस्थानों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी के बजाय कोई अन्य भाषा है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 108

(ख) रेलवे बालिका मिडिल स्कूल	...	1
रेलवे मिश्रित प्राइमरी स्कूल	...	7
रेलवे किफायती प्राइमरी स्कूल	...	24

कान्हर डांडू और यूरिया नदियों पर बाँध का निर्माण

5516. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरवा सब-डिवीजन (बिहार) के कान्हर, डांडू और यूरिया नदियों पर बाँध का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). दन्द्र-उड़िया नदी पर एक मध्यम सिंचाई स्कीम के संबंध में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तरों को प्रतीक्षा की जा रही है। जब शेष मामलों पर फैसला हो जायेगा, तो परियोजना पर इसके कार्यान्वयन के लिए और कार्यवाही की जाएगी।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि बृहत् कन्हर सिंचाई परियोजना के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रगति कर रहे हैं।

गोमोह-डेहरी-आन-सोन यात्री रेलगाड़ी की पटना बोगी में से तीसरी श्रेणी का डिब्बा हटाना

5517. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमोह-डेहरी-आन-सोन यात्री रेलगाड़ी की पटना बोगी में से तीसरी श्रेणी का डिब्बा हाल ही में हटा दिया गया है और पटना बोगी में अब केवल प्रथम श्रेणी का डिब्बा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पटना बोगी में तीसरी श्रेणी का डिब्बा फिर से लगाने का है और यदि हाँ, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). बरवाडीह-पटना गाड़ी के लिए उपयोग में आने वाले पहले और तीसरे दर्जे के मिले जुले डिब्बों में से एक क्षतिग्रस्त हो गया था, अतः कुछ समय तक पहले और तीसरे दर्जे का मिला जुला डिब्बा केवल हर तीसरे दिन चलता था और दूसरे दिन केवल पहले दर्जे का पूरा डिब्बा चलता था क्योंकि मिले जुले डिब्बे के बदले वैसा अन्य डिब्बा उपलब्ध नहीं था। 4 मई, 1972 से मिला जुला डिब्बा फिर से प्रति दिन चलने लगा है।

खुर्दा डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में रेल तथा सड़क यातायात में प्रतिस्पर्धा

5518. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के विशेषकर खुर्दा रोड डिवीजन में रेलवे तथा सड़क यातायात में भारी प्रतिस्पर्धा है जिसके परिणामस्वरूप रेलवे की आय में कमी हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो सड़क यातायात का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड मंडल में रेलों को सड़क परिवहन प्रचालकों से कुछ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) सड़क परिवहन से होड़ लेने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाये गये हैं :

(i) कर्षण का डीजलीकरण/विद्युतीकरण;

(ii) देश के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्रों के बीच सुपर एक्सप्रेस मालगाड़ियाँ चलाना;

(iii) लगभग 100 जोड़ी स्टेशनों के बीच भेजे जाने वाले पारेषणों के पारवहन समय पर निगरानी रखना;

(iv) उच्च दर वाले यातायात को आकृष्ट करने के लिए विशेष दरें घोषित करना;

(v) (क) कंटेनर सेवा, (ख) भाड़ा-ओषक सेवा और (ग) नगर बुकिंग एजेंसी, आउट एजेंसियों, घर से घर तक माल लाने-पहुँचाने तथा चल बुकिंग कार्यालयों के जरिए घर से घर तक बिना किसी क्षति के गारंटी युक्त पारवहन समय में माल पहुँचाने की व्यवस्था उपलब्ध कराना।

निर्यात गृहों का व्यापार

5519. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने निर्यात गृह काम कर रहे हैं तथा उनके नाम क्या हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त निर्यात गृह सीधे लाइसेंस प्राप्त कर व्यापार कर रहे हैं अथवा अन्य फर्मों को जारी किये गये लाइसेंसों के अंतर्गत व्यापार कर रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में इन निर्यात गृहों के माध्यम से कुल कितना निर्यात और आयात किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1989/72.**]

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है जो कि प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

(क) 30-4-1972 को मान्यता प्राप्त निर्यात सदनों की संख्या 119 थी। इन मान्यता प्राप्त निर्यात सदनों के राज्यवार नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) किसी भी अन्य निर्यात एकक की भाँति मान्यता प्राप्त निर्यात सदन भी उन्हें जारी किये गये आयात लाइसेंसों के आधार पर कार्य करते हैं। तथापि वे मान्यता प्राप्त निर्यात सदन जिनके पास आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा दिये गये पात्रता प्रमाणपत्र होते हैं, कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के हकदार होते हैं। वे सुविधाएँ संक्षेप में इस प्रकार हैं—

पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात नीति के अंतर्गत अपने ही निर्यातों के आधार पर पात्र निर्यात सदन को आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत वह, पंजीकृत निर्यातकों से अंतरण करा कर भी लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, यह लाइसेंस उस निर्यात सदन द्वारा उन अपरम्परागत मदों के, जो पात्र निर्यात सदन की योजना के अंतर्गत आती हैं, गत वर्ष किये गये निर्यात के जहाज तक मूल्य के 25% मूल्य का हो सकता है। अंतरित लाइसेंसों के संबंध में निर्यात सदन पर एक यह दायित्व होता है कि वह प्राप्त किये गये लाइसेंस के मूल्य से चौगुने मूल्य का माल निर्यात करे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यातों में वृद्धि हो रही है, ऐसे निर्यात सदन को 1973-74 में इतने जहाज पर मूल्य का निर्यात करना होता है जो 1972-73 के दौरान अंतरण द्वारा लिये गये लाइसेंसों के मूल्य से चौगुना हो अथवा निर्यात के जहाज पर मूल्य के बराबर निर्यात करना पड़ता है, जिसके आधार पर वह अनुपूरक प्रारंभिक लाइसेंस का पात्र हो सकेगा।

निर्यात गृहों को विशेष रियायतें

5520. **श्री वयालार रवि :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्यात और आयात के लिए निर्यात गृहों को क्या विशेष रियायतें और विशेषाधिकार देने की अनुमति दी गई हैं; और

(ख) उक्त रियायतें देने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मान्यता प्राप्त निर्यात सदनों को उनकी विपणन दक्षता सुधारने तथा विदेशों में बाजार गवेषणा का संवर्धन करने हेतु वित्तीय तथा अन्य रूपों में कतिपय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

(1) विदेशों में व्यवसाय संबंधी यात्राओं तथा निम्नलिखित अतिरिक्त प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा का एक मुश्त आबंटन;

(1) भारत से प्रतिनियुक्त विशेषज्ञों द्वारा अथवा विदेशों में स्थित गवेषण संगठनों के माध्यम से बाजार अध्ययन;

(2) विदेशों में विज्ञापन द्वारा प्रचार;

(3) विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों तथा भारत के व्यापार केन्द्रों में भाग लेना;

(4) विदेशों से नमूने प्राप्त करना तथा निर्यात उत्पादों तथा वस्तुओं के निर्यात के विषय में जानकारी प्राप्त करना।

(2) निम्नलिखित कार्यों के लिए वित्तीय सहायता :

(1) निर्यात हेतु किसी नये उत्पाद का विकास करने की परियोजना;
(2) नये बाजारों का पता लगाना;
(3) विदेशों में बाजार सर्वेक्षण;
(4) विदेशों में प्रयोग किये जाने के लिए प्रकाशन निकाल कर निर्यात प्रचार;
(5) विदेश प्रदर्शनकक्षों में प्रदर्शनार्थ नमूने रखना;
(6) बिक्री उपरान्त सेवा हेतु एक विदेश कार्यालय अथवा भांडागार स्थापित करना।

(3) विदेशों में भारतीय सरकार के व्यापार प्रतिनिधि मण्डल और साथ ही सरकार के विभिन्न विभाग तथा अभिकरण जो विदेशी बाजार संभाव्यताओं के विषय में मान्यता प्राप्त निर्यात सदन को सीधे जानकारी प्रदान करें;

(4) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित भारत में संस्थाओं तथा विदेशों में होने वाले

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निर्यात सदन के कार्मिकों को स्थान प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलती है;

(5) पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात नीति के अन्तर्गत पात्र निर्यात सदनों को निम्नोक्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं :

(1) पात्र निर्यात सदनों को कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के आयात हेतु प्रारंभिक/प्रतिपूरक लाइसेंस दिए जाते हैं;

(2) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत उनके अपने निर्यातों पर आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस;

(3) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातकों द्वारा उनको आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस;

(4) नीति में निहित नामांकनों के उपबंधों के अनुसार पात्र निर्यात सदन भी अपने समर्थक निर्माताओं को मनोनीत कर सकते हैं ।

(5) पात्र निर्यात सदन, किसी भी विनिर्दिष्ट उत्पाद को बनाने के लिए अपेक्षित अन्य मदों के आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों में शामिल करने के लिए कह सकते हैं और ऐसे आवेदन पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है जो चालू आयात नीति को ध्यान में रखते हुए तथा निर्यात के वास्तविक क्रमवार कार्यक्रम पर निर्भर करेंगे । उनके हक में अंतरित लाइसेंसों के संबंध में पात्र निर्यात सदनों को केवल स्तंभ 4 की अनुमेय मदों के आयात की अनुमति दी जाती है जिनमें, उत्पाद समूह के निर्यात उत्पादों पर, जिनमें निर्यात सदन को पात्रता प्रमाणपत्र मंजूर किये गए हैं, कुछ विनिर्दिष्ट नाजुक मदें शामिल नहीं हैं ।

(6) पात्र निर्यात सदन माल मंगाने वाले सदन के रूप में कार्य कर सकते हैं और इस प्रयोजनार्थ प्राधिकार पत्र प्राप्त किये बिना ही लाइसेंस-धारियों की ओर से वास्तविक प्रयोक्ताओं अथवा पंजीकृत निर्यातकों को कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों पर माल आयात कर सकते हैं ।

(7) पात्र निर्यात सदनों को भी, वास्तविक उपभोक्ताओं को, जो उनके ग्राहक हैं, देय कच्चे माल, संघटकों और फालतू के लिए अपने नाम पर लाइसेंस प्राप्त करके इनका विपुल मात्रा में आयात करने की अनुमति दी जाती है ।

(ख) ऊपर निर्दिष्ट सुविधाएं तथा रियायतें भारत में निर्यातकों का एक विशेषज्ञता प्राप्त संवर्ग बनाने के उद्देश्य से निर्यात सदनों को दी जाती हैं । अंतर्राष्ट्रीय विपणन में कड़ी प्रतियोगिता

स्वाभाविक है। हमारे प्रतियोगियों की दक्षता का मुकाबला करना अकसर कठिन होता है। विशेषत: हमारी गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए काफी मात्रा में विशेषज्ञता के निर्माण की आवश्यकता है। यह विशेषज्ञता बाजार अध्ययन, प्रदर्शन कक्ष खोलने, प्रदर्शनियों और व्यापारिक मेलों में भाग लेने, और निर्यात वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चे माल के आयात के लिए सुविधाएँ देने के रूप में अपेक्षित हैं।

मान्यता प्राप्त पात्र निर्यात सदनों को सुविधाएं देने में अंतर्निहित उद्देश्य विदेशों में बिक्री के लिए उनकी वार्ता करने की क्षमता बढ़ाना, निर्यात सदनों और उनके समर्थक निर्माताओं के बीच अधिक पक्के संबंध बनाना, निर्यात उत्पादन हेतु तैयार स्टाक से आवश्यक कच्चा माल रखने में उन्हें समर्थ बनाना, और विदेशी बाजारों में समकक्षियों के साथ उनके सहकारी संबंधों को विकसित करना है।

प्रत्येक राज्य की राजधानी से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रैस रेलगाड़ियाँ चलाना

5521. **श्री निहार लास्कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य की राजधानी से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस की तरह की रेलगाड़ियाँ चलाने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पहले-पहल, संसाधनों के आधार पर, हर एक राज्य की राजधानी और दिल्ली के बीच रेल सम्पर्क का विचार किया जा रहा है। अभी कलकत्ता और दिल्ली के बीच एक राजधानी एक्सप्रैस है और दूसरी राजधानी एक्सप्रैस इस महीने की 17 तारीख से बम्बई से दिल्ली तक चलायी जा रही है।

आयातित वस्तुओं की पूर्ण सूची रखना

5522. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विदेशों से आयात होने वाली प्रत्येक वस्तु की पूर्ण सूची रखता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसी सूची नियमित रूप से औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजी जाती हैं ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उन क्षेत्रों का पता लगा सके जहाँ आयात प्रतिस्थापन सम्भव हो सकता है; और

(ग) क्या आयातित वस्तुओं की पूर्ण सूची की सार्वजनिक रूप से जाँच हो सकती है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विदेशों से आयातित मदों के आँकड़े 'संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण' के आधार पर रखे जाते हैं जो विशेषज्ञों तथा अंत: मंत्रालय प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया है। संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण

सभी वस्तुओं को सात अंकों के एक वैज्ञानिक वर्गीकरण में विभाजित करता है और इस समय इसमें लगभग 5000 वस्तुएं/वस्तु समूह हैं।

संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण का समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों/संबंधित प्राधिकारियों की सिफारिश पर विस्तार किया जाता है, बशर्ते इस प्रकार और विस्तार करने से लाभ होने की संभावना हो।

(ख) तथा (ग). आयात के बारे में आँकड़े, जैसाकि ऊपर वर्गीकृत किया गया है, प्रति मास "मन्थली स्टेटिसटिक्स आफ दि फारेन ट्रेड आफ इंडिया" में मुद्रित तथा प्रकाशित किये जाते हैं और इस प्रकार ये सभी संबद्ध प्राधिकारियों तथा इच्छुक पार्टियों को उपलब्ध हैं।

Rural Engineering Survey Scheme

5523. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a Rs. 6·24 crore scheme for rural engineering survey has been approved for the remaining period of the Fourth Plan; and

(b) the works completed so far under this scheme indicating the places where these works were completed and the expenditure incurred on them separataly ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) and (b). The scheme of Rural Engineering Surveys has been approved for implementation by the State Governments during the remaining period of the Fourth Plan. The recruitment and training of the staff required for carrying out the surveys is under progress and the actual field surveys are yet to commence.

Criteria for selecting Members of Delegation sent Abroad

5524. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 887 on the 21st March, 1972 regarding benefite from official delegations sent abroad and state the criteria followed in selecting members of the delegations which are sent abroad ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : The Members of official delegations are selected on the basis of subject matters proposed to be discussed at the concerned meetings and conferences; the level at which our country is required to be represented and the qualifications, experience and expertise possessed by the persons in the respective fields.

Reservation Facilities at Falna Station (Western Railway)

5525. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Rallways** be pleased to state :

(a) the average number of passengers buying tickets from Falna station for Bombay, Poona and Ahmedabad every day;

(b) whether there are no facilities for reservation of seats or sleepers at that station in trains going via Falna station to the aforesaid stations; and

(c) if so, the action Government propose to take in the matter ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Daily average number of passengers buying tickets from Falna for Bombay, Poona and Ahmedabad stations is as under :

Name of the station	First Class	Third Class
Bombay	0·7	50
Ahmedabad	0·2	78
Poona	Nil	2

(b) and (c) No specific quota for reservation of accommodation on trains has been allotted to Falna station. Demands from passengers from this station are, however, met to the extent feasible from the reservation controlling stations.

रेलवे यार्डों और स्टेशनों पर चोरी और अपराध में जी० आर० पी० तथा रेलवे सुरक्षा दल का हाथ

5526. **श्री आर० पी० यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलवे यार्डों और स्टेशनों पर चोरी और अपराध के मामलों में जी० आर० पी० और रेलवे सुरक्षा दल का गुप्त रूप से हाथ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) केवल थोड़े से सरकारी रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी ही इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं ।

(ख) जब और जैसे ही उनकी सहापराधिकता प्रकाश में आती है उनके विरुद्ध विभागीय तथा कानूनी दोनों तरह की निवारणार्थ कार्यवाही की जाती हैं ।

पटना-गया लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा

5527. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पटना-गया लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में बहुत अधिक यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं और टिकट क्लेक्टर और टिकट चेकर उक्त यात्रियों से एक रुपया लेकर उन्हें जाने देते हैं;

(ख) क्या ये यात्री बिना टिकट ऊँचे दर्जों में भी यात्रा करते पाए गए हैं, जिससे वास्तविक यात्रियों को असुविधा होती है;

(ग) क्या इन बिना टिकट वाले यात्रियों ने टिकटें देखने वाले कर्मचारियों की सांठ-गांठ से प्रथम श्रेणी के डिब्बे की सीटें फाड़ दी थीं, उनके शीशों को तोड़ा था और गाड़ियों से पंखे आदि उतारे थे; और

(घ) यदि हाँ, तो इस लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा को रोकने और वास्तविक यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पटना-गया खंड में काफी बड़े पैमाने पर बिना टिकट यात्रा की जाती है । लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि टिकट कलेक्टर और चल टिकट परीक्षक प्रत्येक यात्री से 1 रुपये की निश्चित राशि लेकर यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति दे देते हैं ।

(ख) रेल गाड़ी की सभी श्रेणियों में बिना टिकट यात्रा करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है ।

(ग) प्रथम श्रेणी के कक्षों में अशोभनीय कार्य करने और पंखों, सीटों और आइनों को क्षति पहुँचाने के मामलों की रिपोर्ट समय-समय पर मिली है । इन कार्यों के लिए केवल बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि जब सवारी डिब्बे यार्डों में खड़े किए जाते हैं, तो उस समय समाज विरोधी तत्वों द्वारा ऐसे अशोभनीय कार्य किए जा सकते हैं, ऐसी समाज विरोधी गतिविधियों में टिकट जाँच कर्मचारियों की सांठ-गांठ होने की कोई सूचना भी नहीं मिली है ।

(घ) बिना टिकट यात्रा का उत्पात समाप्त करने के लिए विशेष रेलवे मजिस्ट्रेटों, जिनका मुख्यालय पटना-गया में है, की सहायता से टिकट जाँच कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली गहरी जाँच के पटना-गया खंड में निरन्तर थोड़े-थोड़े समय पर भारी संख्या में टिकट जाँच कर्मचारियों और रेलवे मजिस्ट्रेटों द्वारा जिनके साथ पर्याप्त संख्या में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी भी रहते हैं, व्यापक और अचानक जाँच की जाती है ।

बारंग स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के उद्योगों द्वारा स्थान शुल्क तथा रेल भाड़े की बकाया राशि का भुगतान

5528. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन में बारंग के समीप स्थित विभिन्न उद्योगों के मालिकों ने रेल विभाग की देय स्थान शुल्क तथा रेल भाड़े की सभी बकाया राशि अब तक चुका दी है; और

(ख) अब उन पर कितनी राशि बकाया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) सुपुर्द किए गए परेषणों के लिए बारंग स्टेशन पर किसी उद्योग से कोई माल-भाड़ा और/अथवा स्थान शुल्क लेना बाकी नहीं है ।

लेकिन बारंग स्टेशन पर 25 परेषण ऐसे हैं जिनकी सुपुर्दगी अभी की जानती है । इन पर देय माल-भाड़े और 3-5-1972 तक उपचित स्थान शुल्क की राशियाँ नीचे बतायी गयी हैं :

फर्म का नाम	परेषणों की संख्या	देय माल भाड़ा	3-5-72 तक उपचित स्थान शुल्क
		रु० पै०	रु० पै०
1. श्री दुर्गा ग्लास वर्क्स	19	15,851·00	5,011·30
2. उड़ीसा इन्डस्ट्रीज़	6	6,059·00	1,699·20

Construction of a new Platform at Kasganj Junction (North Eatern Railway)

5529. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to construct a new Platform at Kasganj Junction for the convenience of the passengers; and

(b) if so, the time by which it will be constructed ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Improvement of Link Road connected G. T. Road with another road leading to Kasganj from Etah

5530. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Link Road under the control of Railways which joint G. T. Road with another road leading to Kasganj from Etah is in a dilapidated condition;

(b) whether the Railway Department has received any letter from P. W. D., Etah (U. P.) requesting the former that the said road be handed over to P. W. D. for construction at their own expense; and

(c) if so, the reaction of the Railway Department thereto ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए तमिलनाडु सरकार का अनुरोध

5531. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि कुछ छोटी रेलवे लाइनों को बड़ी रेलवे लाइनों में बदला जाये;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कितने प्रस्ताव किए गए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने पहले भी इन लाइनों के बदले जाने का अनुरोध किया था किन्तु धन राशि की कमी के कारण उन पर विचार नहीं किया जा सका; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तमिलनाडु सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ) . एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

तमिलनाडु सरकार के सुझावों के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रस्तावों और उनके संबंध में स्थिति इस प्रकार है :

लाइन का नाम	स्थिति
(1) करूर नयी लाइन होकर सेलम से डिंडिगल्ल तक और मदूरै होकर डिंडिगल्ल से तुत्तिकोरेन तक आमान परिवर्तन	डिंडिगल्ल होकर करूर से मदुरै तक नयी बड़ी लाइन बनाने और मदुरै और तुत्तिकोरन के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और रेलवे बोर्ड द्वारा उन रिपोर्टों की जाँच की जा रही है । जाँच काम पूरा हो जाने के बाद ही इस परियोजना के बारे में कोई विनिश्चय किया जाएगा ।
(2) तिरूच्चिरापल्लि-विल्लुपुरम कार्ड का बड़ी लाइन में बदलाव, विल्लूपुरम से चेंगलपेटटे तक अतिरिक्त बड़ी लाइन बिछाना और अरकोणम चिंगलपेट्टे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना ।	प्रत्यक्षतः यातायात की दृष्टि से इस परियोजना का कोई भविष्य नहीं दिखाई देता ।

Translation of Law Books into Hindi

5532. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether his Ministry are formulating any comprehensive scheme for translating the Law books into Hindi;

(b) the names of the books proposed to be translated under the scheme, and the time by which the translation work will be completed; and

(c) the criteria adopted for selecting the Translations for this work as also fixing the rate of remuneration payable to them ?

The Minister of State in the Ministry of Law aud Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) Yes Sir. One of the main features of the scheme instituted for the production of standard law books in Hindi pertains to the translation into Hindi of law books which have acquired the status of classics on the subjects dealt with therein;

(b) A list containing the names of 59 books selected for such translation is attached. [*Placed in the Library. Please See* No. L. T. 1990/72]. The time taken for completion of the translation of each book will depend on the availability of suitable persons for undertaking the work, the size and complexity of the subject dealt with in the book and the time required by the translator concerned. The work of translation will be entrusted to persons selected on the basis of the recommendations of an Evaluation Committee set up for rendering advice to the Government for the effective implementation of the scheme. Persons who hold a good degree in law, who possess proficiency in Hindi language and in the subject dealt with in the relevant law book and who have adequate experience of translation of legal literature into Hindi, shall be eligible for consideration for such assignment. Every person who is selected and is willing to undertake the translation of a book will be required to enter into an agreement with Government for this purpose. Remuneration at the rate of Rs. 10/-per printed page of Royal Octavo size, subject to a maximum of Rs. 5,000/- per book or a lump-sum not exceeding Rs. 5,000/- and not less than Rs. 2,000/- depending on the size of the book and the complexity of the subject may be given for the translation of a book.

नई दिल्ली में हुए 'अंकटाड' सम्मेलन के पश्चात् निर्यात में कमी

5533. **श्री अनादि चरण दास** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुये अंकटाड के सम्मेलन के बाद भारत के विदेश व्यापार की प्रगति असन्तोषजनक रही है तथा निर्यात से होने वाली आय में भारी कमी हुई है;

(ख) क्या विभिन्न देशों को वस्तुओं के निर्यात पर आयात शुल्क कोटे की बंदिश आदि जैसी शर्तें हैं;

(ग) इन प्रतिबन्धों को हटाये जाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : (क) जी नहीं। नई दिल्ली में हुए अंकटाड सम्मेलन के बाद से हमारे निर्यातों में कोई कमी नहीं आई है। निम्नोक्त आँकड़ों से पता चलेगा कि हमारे निर्यातों का रूप बराबर ऊपर की तरफ रहा है :

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु० में)
1967-68	1198·69
1968-69	1357·87
1969-70	1413·28
1970-71	1535·16

(ख) तथा (ग). जी हाँ, विकासशील देशों की निर्यात हित वाली अनेक वस्तुओं पर

विकसित देशों के बाजारों में टैरिफ तथा गैर-टैरिफ प्रतिबन्ध लगे हुए हैं और इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिए अंकटाड और ग्राट के मंचों पर मिले-जुले प्रयास किये जा रहे हैं। अधिमानों की सामान्यीकृत योजना का स्वीकार किया जाना इन प्रयत्नों का ठोस परिणाम है जिससे विकासशील देशों की अनेक निर्मित और अर्द्ध-निर्मित वस्तुएं विशाल देशों के बाजारों में अधिमानी आधार पर प्रवेश पा सकी हैं।

हथकरघा उद्योग के संकट को दूर करने के लिए सूत की गाँठों का दिया जाना

5534. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के हथकरघा उद्योग को संकट मुक्त करने के लिए सरकार ने सूत की 10,000 गाँठें देने का निर्णय किया है; और

(ख) अन्य राज्यों की इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के बुनकरों ने स्टेपल रेशा धागे की पूर्ति में कमी के संबंध में अभ्यावेदन किये थे। इन क्षेत्रों के बुनकरों के और मानवनिर्मित रेशा कत्तिन संघ के प्रतिनिधियों ने इस वर्ष के आरम्भ में वस्त्र आयुक्त की मध्यस्थता से इस मामले पर विचार-विमर्श किया और इन क्षेत्रों के लिये स्टेपल रेशा धागे की मासिक आवश्यकताएं निश्चित कीं। संघ ने भी निर्धारित आवश्यकता का 50 प्रतिशत भाग 1-1-72 को घोषित अपनी उच्चतम कीमतों पर देने की सहमति व्यक्त की। उत्तर प्रदेश की आवश्यकता 7,000 गाँठ प्रति मास निर्धारित की गयी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस आशय का अभ्यावेदन किये जाने पर कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकताएं कम स्तर पर निर्धारित की गयी हैं, इस कोटे को बढ़ाकर 10,000 गाँठ प्रति मास करने का विनिश्चय किया गया। यह विनिश्चय अप्रैल, 1972 के पहले सप्ताह में किया गया था। अप्रैल, 1972 के तीसरे सप्ताह के दौरान विदेश व्यापार उप-मंत्री ने भी उत्तर प्रदेश और पंजाब के स्टेपल रेशा धागे के कत्तिनों और बुनकरों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की। बुनकरों द्वारा सुझाव दिये जाने पर कत्तिन इस बात के लिए सहमत हो गये कि वे अपने समस्त उत्पादन को 1-1-72 को घोषित अपनी कीमतों से कुछ ऊँचे दर पर खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध करा देंगे। ये ऊँची दरें दक्षिण भारत मिल मालिक संघ द्वारा घोषित दरों के बराबर ही हैं। कत्तिन इस बात से भी सहमत हो गये कि वे वस्त्र आयुक्त की मर्जी पर स्टेपल रेशा धागे की 15,000 गाँठे रख देंगे ताकि यदि बुनकरों को धागा प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो तो वस्त्र आयुक्त अपनी स्वेच्छा से उसका वितरण उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र अथवा अन्य किसी ऐसे क्षेत्र जो संकटग्रस्त है, के बुनकरों को कर सके।

Closure of Brick-Kilns of Delhi due to Short Supply of Wagons for Coal

5535. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether 50 per cent brick-kilns of Delhi have been closed on account of short supply of coal caused by shortage of wagons; and

(b) the steps taken by Government to overcome the shortage ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No, Sir.

(b) Coal loading from Bengal and Bihar fields had suffered a set back since September 1970 due to the various anti-social activities followed by floods, rains, breaches, heavy movements of foodgrains for refugees and Defence moves etc., due to which the movement of brick burning coal to different States including Delhi was affected. Overall coal loading from Bengal-Bihar fields has however, started looking up again since the middle of January 1972, but due to the increased requirements of coal by the Power Houses in Northern India, it has not been possible to increase the loading of slack coal for the brick industry to the same extent. However, despite these difficulties Delhi received on an average 583 wagons of slack coal per month during January to April, 1972.

All out efforts are being made to step up the loading further.

विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्यों को सहायता

5536. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों में इस समय बिजली की कमी है उनको बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या सरकार का कोई विशेष सहायता देने का बिचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की सहायता दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). (i) पड़ौसी राज्यों से राहत-विद्युत की यथासंभव व्यवस्था की जा रही है।

(ii) राज्य के भीतर के ताप केन्द्रों में विद्युत जनन में वृद्धि लाने के लिए अतिरिक्त कोयले की व्यवस्था की जा रही है ताकि विद्युत की कमी वाले राज्य को राहत-विद्युत उपलब्ध की जा सके।

(iii) अन्तर्राज्यिक पारेषण लाइनों के केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम की गति तेज की जा रही है।

सिंचाई जलाशयों में रेत के जमाव को रोकने के उपाय

5537. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : **क्या सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई जलाशयों को रेत की मात्रा तथा रेत जमा होने की दर की समय-समय पर जाँच की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी जाँच से क्या निष्कर्ष निकाला गया है; और

(ग) क्या रेत के जमाव को रोकने के लिए कोई विशेष कार्यवाही किये जाने का विचार है?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) गाद जमा होने की दर और मात्रा निश्चित करने के लिये 11 प्रमुख जलाशयों में क्षमता-सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। तलछट के अन्तर्वाह और बहिर्वाह के प्रेक्षण चलाकर कुछ अन्य जलाशयों में गाद पड़ने के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) अब तक किये गये सर्वेक्षणों और प्रेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि तलछट जमा होने की वास्तविक दर परियोजनाओं का आयोजन करते समय अनुमानित दर से सामान्य तौर पर अधिक है। लेकिन इससे पहले कि विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकें, कई वर्षों तक प्रेक्षण जारी रखे जाने हैं।

(ग) तलछट जमा होने की दर को कम करने के लिए कृषि मंत्रालय के केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 नदी घाटी परियोजनाओं के वाहक्षेत्रों में भू-संरक्षण उपायों का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकारें भी अपनी योजनाओं के एक भाग के रूप में नदियों के वाह-क्षेत्रों में भू-संरक्षण संबंधी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जलाशयों से, जितना संभव होता है, तलछट निकालने के लिए, जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, बाँधों में अंडर स्लूइसों की व्यवस्था की जाती है।

Late running of 55 Up and 6 M. D. Passenger Trains

5538. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of days during the last three months on which 55 Up and 6 M. D. Passenger trains reached Pilkhua and Hapur respectively on time;

(b) whether the Railway Administration have received any complaints and suggestions from the 'Rail Yatri Sangh, Hapur' in regard to the late running of these two trains; and

(c) if so, the steps taken to run these trains on time ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) 55Up Buxar-Delhi Express reached Pilkhua right.time on 3 days and 6 M. D. Delhi Moradabad Passenger reached Hapur right time on 6 days during February to April '1972.

(b) and (c). Yes. A representation from Rail Yatri Sangh has been received regar ding detention to 6 MD Passenger for crossing with 55Up Express. Steps have been taken to avoid unnecessary detention to 6 MD Passenger for crossing and supervision has been strengthened to keep a close watch on the punctual running of both of these trains.

Change in Department time of 55 Up Passenger Trains from Hapur

5539. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Administration proposes to change the departure time of 55Up Passenger train from Hapur from 6·27 P. M. to 7·08 P. M.; and

(b) is so, when ?

The Minister of Railways (Shri K. Hamunanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Publications Brought out in Hindi by Ministry of Irrigation and Power and Central Water and Power Commission

5540. **Shri Ishwar Chaudhury** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4709 on the 13th July, 1971 regarding Publications in Hindi brought out by Ministry of Irrigation and Power and state the progress made in the direction of bringing out Hindi edition of the journal 'Bhagirath' ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : With a view to ascertaining whether there would be adequate demand for Hindi version of the "Bhagirath", its readers numbering about 3500 were requested on two occasion to send their opinion on the Publication of this Journal in Hindi. The response has been rather poor. The matter is, however, being considered further.

गोपालपुर पत्तन और उसके पृष्ठ प्रदेश में रेलवे लाइन

5541. **श्री डी० के० पंडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गोपालपुर पत्तन को इसके मुख्य पृष्ट प्रदेश से जोड़ने के लिए जिसमें, बुरहानपुर, अर्का, भंजनगर, फूलबनी और बोलनेगेरी का क्षेत्र आता है, रेलवे लाइन बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

West Bengal Government Demand for Rail Wagons

5542. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Government of West Bengal have demanded Railway wagons for transportation of building material; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) Movements of building materials programmed and sponsored by the nominated officers of the West Bengal Government are being arranged in higher priority. During the period from 1st January to 20th April, 1972, about 14,468 wagons of building materials were loaded for destinations in West Bengal. Efforts by the Railways to increase further the supply of wagons are closely watched.

Employees of Mhow Loco Shed on Mass Casual Leave

5543. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether large number of employees of Mhow Loco Shed of the Western Railway recently went on mass (casual) leave;

(b) if so, the reasons therefor and the action taken in the matter; and

(c) the loss suffered by the Railways as a result therof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya): (a) & (b). Following certain departmental action taken by the competent authority against the Assistant Loco Foreman, Loco Shed, Mhow, 106 out of a total 600 of the staff of the Loco Shed, went on mass casual leave on 8-4-1972 and stayed away from duty. On 10-4-72 some of these staff presented a memorandum containing certain local issues relating to water shortage, house repairs, engine repairs, shortage of staff etc. A reply was immediately given to the memorandum, and the staff resumed duty thereafter.

(c) One passenger and 7 goods trains had to be cancelled on 8-4-72 and 9-4-72 for want of crews. This involved detention to the loaded wagons and delayed clearance of the Passenger offering.

Posting of Couriers, T. A. G. C. and Cash Witnesses Ajmer Division (Western Railway)

5544: **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether a definite policy has been laid down for the posting of couries. T. A. G. C. and Cash Witnesses in Ajmer Division of the Western Railway;

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) Posts of Couriers are filled from Assistant Cemmercial Clerks/Assistant goods Clerks. Trevelling Assistant Goods Clerks are posted from Assistant Goods Clerke on three years' tenure basis. Cash Witnesses are taken from Commercial Clerks in rotation for one year.

कंट्रोलर आफ स्टोर्स, दक्षिण रेलवे के अधीन क्लर्कों की उच्चतर वेतन मानों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा

5545. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्ट्रोलर आफ स्टोर्ज, दक्षिण रेलवे के अधीन 110-180 रुपये के वेतनमान वाले क्लर्कों को, 130-300 रुपये के वेतनमान में पदोन्नति पर, पदोन्नति के 6 महीने के भीतर, परीक्षा पास करनी होती है;

(ख) वर्ष 1969 से 110-118 रुपये के वेतनमान वाले कितने क्लर्कों को 130-300 रुपये के वेतनमान में पदोन्नति दी गई और परीक्षा में असफल रहने पर कितने क्लर्कों को उनके मूल पदों पर अवनत किया गया; और

(ग) क्या दक्षिण रेलवे के अन्य विभागों में और अन्य रेलों में भी इसी पद्धति का अनुसरण किया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ । जिन वरिष्ठतम क्लर्कों को उपयुक्तता परीक्षा पास करने की शर्त पर पदोन्नत किया जाता है, उन्हें तीन महीने की अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा पास करनी होती है ।

(ख) वेतन-मान 110-130 रुपये से वेतन-मान 130-300 रुपये में पदोन्नत क्लर्कों की संख्या	...	28
1969 से अब तक परीक्षा में असफल रहने के कारण मूल पदों पर परावर्तित क्लर्कों की कुल संख्या		कोई नहीं ।

(ग) सभी रेलों में सामान्यतः 110-130 रुपये के वेतन-मान के क्लर्कों को 130-200 रुपये के वेतन-मान क्लर्क के पद पर पदोन्नति से पहले उपयुक्तता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होती है । दक्षिण रेलवे में कुछ मामलों में समय पर विभागीय परीक्षा न ली जा सकने के कारण कुछ वरिष्ठ क्लर्कों को इस शर्त पर पदोन्नत किया गया है कि वे तीन महीने की अवधि के भीतर उपयुक्तता परीक्षा पास कर लेंगे ।

भण्डार नियन्त्रण, पेरम्बूर (दक्षिण रेलवे) के अधीन अनुसूचित जातियों के क्लर्क

5546. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के भंडार नियन्त्रक, पेरम्बूर के अधीन 110-180 रु० के वेतनमान में अनुसूचित जाति के कितने क्लर्क हैं;

(ख) ऐसे अनुसूचित जाति के क्लर्कों की संख्या कितनी है, जो 130-300 रु० के ग्रेड पर पदोन्नत किए गए थे और जिनकी विभागीय परीक्षा पास न करने के कारण बाद में पदावनति कर दी गई थी;

(ग) क्या अनुसूचित जाति के उन क्लर्कों को, जिन्हें पदावनत किया गया था, दूसरा अवसर नहीं दिया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत और फ्रांस के बीच औद्योगिक और आर्थिक सहयोग

5547. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच औद्योगिक और आर्थिक सहयोग पर बातचीत करने के लिए एक फ्रांसीसी व्यापार शिष्टमंडल ने अभी हाल में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ । बैंक नेशनल पेरिस के अवैतनिक अध्यक्ष, श्री एच० विजोट के नेतृत्व में फ्रांसीसी निर्यातकों की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा प्रायोजित एक उच्च स्तरीय मिशन ने 19 से 23 अक्तूबर, 1971 के बीच भारत का दौरा किया था ।

(ख) मिशन ने मंत्रियों, भारत सरकार के अधिकारियों तथा बैंकिंग/वित्तीय/औद्योगिक संस्थाओं के साथ भारत-फ्रांसीसी आर्थिक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया । मिशन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में, चिरस्थायी आधार पर दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय सम्पर्क बढ़ाने के लिए भारत तथा फ्रांस में भारत-फ्रांसीसी स्थायी समितियाँ स्थापित की गई हैं ।

जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में 'बी' ग्रेड ड्राइवरों की पदावनति के कारण रिक्त पदों का भरा जाना

5548. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में पिछले एक वर्ष के दौरान अनेक अर्हता प्राप्त ग्रेड, 'बी' ड्राइवरों को निम्न रेन्कों पर पदानवत कर दिया गया है;

(ख) क्या ये पदावनतियाँ रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई० (एन० जी०)/168 पी० एन० आई० 64, दिनांक 11 जून, 1965 और पत्र सं० ई० (डी० जैड० ए०) 65 आर० जी० 24 दिनांक 9 जून, 1966 का उल्लंघन करके की गई है और क्या उनके मामलों में संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन ड्राइवरों द्वारा रिक्त किए गए पदों को समाप्त कर दिया गया है अथवा उन पदों पर नए व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया है; और

(ङ) यदि इन रिक्त पदों को भर दिया गया है, तो उन व्यक्तियों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं, जो पहले ही इन पदों पर कार्य कर चुके हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 'सी' ग्रेड के 18 ड्राइवर जो तदर्थ आधार पर 'बी' ग्रेड में स्थानापन्न ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहे थे, प्रत्यावर्तित कर दिये गये ।

(ख) और (ग). चूंकि 'बी' ग्रेड के ड्राइवरों के प्रवरण में उनका चुनाव नहीं हुआ इसलिए उन्हें स्थान खाली करना पड़ा।

(घ) ये खाली स्थान अनिन्तम पेनल पर रखे गये व्यक्तियों द्वारा भरे गये हैं।

(ङ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर में कारण बता दिये गये हैं।

जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में ग्रेड 'बी' ड्राइवरों की ग्रेड 'सी' ड्राइवरों के रूप में पदावनति

5549. **श्री सतपाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में अनेक स्थानापन्न ग्रेड 'बी' ड्राइवरों की ड्राइवर ग्रेड 'सी' के रेंक में पदावनति कर दी गई है;

(ख) पदावनति का इस प्रकार के कितने ड्राइवरों पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) कितने समय से वे ग्रेड 'बी' ड्राइवर के पद पर कार्य कर रहे थे; और

(घ) क्या यह कार्य रेलवे में मितव्ययता करने के लिए किया गया है और यदि नहीं तो इस प्रकार की पदावनति के क्या कारण थे ?

रेल मंत्री श्री (के० हनुमनतैया) : (क) और (ख). 'सी' ग्रेड के 18 ड्राइवर, जो तदर्थ आधार पर 'बी' ग्रेड ड्राइवरों के रूप में काम कर रहे थे, प्रत्यावर्तित कर दिये गये थे।

(ग) वे 1 से 2 वर्ष की विभिन्न अवधियों तक स्थानापन्न रूप से काम करते रहे थे।

(घ) जी नहीं। उनका प्रत्यावर्तन प्रवरण में न आने के कारण हुआ।

पूर्वी रेलवे द्वारा दक्षिण उपनगरीय नगरपालिका बहाला, कलकत्ता, को देय नगरपालिका की बकाया राशि

5550. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे प्रशासन पर दक्षिण उपनगरीय नगरपालिका बहाला, कलकत्ता के नगरपालिका करों की 2 लाख से भी अधिक की राशि बकाया है;

(ख) क्या नगरपालिका अधिकारियों द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने और स्मरणपत्र देने के बावजूद, करों की बकाया राशि का पिछले आठ वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). नगरपालिका ने 1-4-63 से 30-9-71 तक की अवधि के लिए 2,99,682·50 रु० की राशि का दावा किया है। 1,17,747 रु० की

राशि का भुगतान नगरपालिका को कर दिया गया है । जुलाई, 1970 में नगरपालिका के विरुद्ध हुई डिगरी की 1,81,389·23 रु० की राशि को अलग कर देने के बाद रेलवे 1-10-71 को केवल 546·27 रुपये की देनदार थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य पूर्व के देशों और मलेशिया में चाय के लिए मंडी-सर्वेक्षण का प्रस्ताव

5551. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत, बहरीन, सउदी अरब और मलयेशिया में चाय के लिये मण्डियों का सर्वेक्षण करने संबंधी कोई प्रस्ताव चाय बोर्ड के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सर्वेक्षण कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी नहीं । भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तथा अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा वित्त-पोषित चाय निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण की परियोजना के अंतर्गत भारतीय विपणन गवेषणा निगम कुछ देशों का पहले ही सर्वेक्षण कर चुका है जिनमें कुवैत तथा मलयेशिया भी शामिल हैं ।

मंत्रालयों में चाय बोर्ड की उधार बिक्री प्रणाली

5552. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में संचालित चाय बारों/जलपान-गृहों में उधार बिक्री प्रणाली है;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न मंत्रालयों में कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ग) उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ । चाय बोर्ड द्वारा उद्योग भवन, संसद भवन, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग में संचालित चाय बारों/जलपान गृहों में उधार पर बिक्री की प्रणाली विद्यमान है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सभी चारों चाय जलपान गृहों/बारों द्वारा संबंधित मंत्रालयों को अपेक्षित उधार बिल भेजे जाते हैं और बकाया राशि की वसूली के लिए नियमित रूप से स्मरण-पत्र भेजे जाते हैं तथा सम्पर्क स्थापित किये जाते हैं ।

विवरण

15-4-1972 को उधार की बकाया राशि का विवरण

मंत्रालय/विभाग	उद्योग भवन में चाय जलपान गृह	संसद भवन में चाय जलपान गृह	वित्त मंत्रालय में चाय जल-पान गृह	योजना आयोग में चाय बार
	रु०	रु०	रु०	रु०
विदेश व्यापार मंत्रालय आदि	14,477·14	116·80	—	
औद्योगिक विकास मंत्रालय आदि	3,250·18	1531·40	—	
इस्पात मंत्रालय	2,994·40	31·20	—	
वित्त मंत्रालय	112·65	53·40	803·96	
गृह मंत्रालय	—	195·20	54·50	
रक्षा मंत्रालय	—	372·20	—	
शिक्षा मंत्रालय	—	1042·00	—	
विदेश मंत्रालय	—	—	—	
कृषि मंत्रालय	—	1036·80	—	
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय		1124·80	—	
प्रधानमंत्री सचिवालय	—	220·80	—	
श्रम तथा नियोजन मंत्रालय	—	188·80	—	
सरकारी उपक्रम ब्यूरो	—	780·60	—	
विविध	—	2402·93	—	
योग	20,834·38	9,096·93	858·46	नगण्य

चाय की पेटियों की बिक्री

5553. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने भारत में मंत्रालयों को चाय की पेटियाँ बेचना प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में चाय अधिनियम में कोई उपबन्ध है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). मंत्रालयों को चाय की पेटियां चाय की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों तथा दौरे पर आये प्रतिनिधिमंडलों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों में वितरण हेतु उपलब्ध करायी जाती हैं। केवल चाय की वास्तविक लागत ही वसूल की जाती है और चाय बोर्ड पेटी निशुल्क देता है। संवर्धात्मक प्रयोजनों के लिए चाय बोर्डों/बारों/वफ्टों/चाय केन्द्रों से पेटियों में चाय या तरल चाय की बिक्री चाय अधिनियम के अन्तर्गत वर्जित नहीं है।

चितरंजन लोको कारखाने द्वारा डीजल इंजनों का निर्माण

5554. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चितरंजन लोको कारखाना कब तक स्टीम इंजनों के स्थान पर डीजल इंजनों का निर्माण करने लगेगा ?

रेल मंत्री श्री के० हनुमन्तैया : भाप रेल इंजनों का उत्पादन जनवरी, 1972 से बन्द कर दिया गया है। चितरंजन रेल इंजन कारखाना, अब केवल बिजली और डीजल रेल इंजनों का निर्माण कर रहा है ?

पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं

5555. **श्री पी० वी० रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए (कलसर) बहुत सी योजनाओं की इस शर्त पर मंजूरी दे रहा है कि उपभोक्ता योजनाओं की अनुमानित लागत की 20 प्रतिशत राशि निगम को ऋण के रूप में दें;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों के छोटे और गरीब किसानों को इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि वे उक्त ऋण देने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों के बारे में यह शर्त हटाने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). ग्राम विद्युतीकरण निगम, जो कि केन्द्रीय सेक्टर में जुलाई, 1969 से स्थापित किया गया है, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को योगात्मक धन देता है। पिछड़े इलाकों के संबंध में, निगम ही परियोजना पर शतप्रतिशत धन लगाता है। स्कीम की लागत में उपभोक्ताओं को कुछ नहीं देना पड़ता।

हल्दिया और पारादीप बन्दरगाहों को लौह अयस्क की ढुलाई के लिए बाक्स वैगनों की कमी

5556. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया और पारादीप बन्दरगाहों को लौह अयस्क ढोने के लिए बाक्स-वैगनों की कमी के कारण उड़ीसा के बांसपानी और बारबिल-बजामला क्षेत्र में लौह अयस्क भारी मात्रा में जमा हो रहा है;

(ख) क्या उक्त मामले पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) बारबिल और बांसपानी में लौह अयस्क के इकट्ठा हो जाने की रिपोर्ट मिली है । निर्यात अयस्क को हल्दिया भेजने के संबंध में फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि बन्दरगाह तैयार नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न समाज विरोधी गतिविधियों में कमी हो जाने से, जिसके कारण निर्यात अयस्क सहित सभी तरह के यातायात की वहन-क्षमता में भारी गिरावट आई और रक्षा कार्यों तथा शरणार्थियों के लिए सामानों की विभिन्न विशेष ढुलाई में कमी हो जाने से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बड़ा जानदा क्षेत्र से पारादीप और कलकत्ता पत्तनों को निर्यात अयस्क के लदान को बनाये रखने के लिए अप्रैल, 1972 से अभियान चलाये गये हैं ।

बालूगन रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) का सुधार

5557. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा डिवीजन के बालूगन रेलवे स्टेशन का और सुधार करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या ऊँचे दर्जे के यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ शीघ्र ही एक उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

खुर्दा डिवीजन के बालूगन स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर माल क्लर्क की नियुक्ति

5558. **श्री चिन्ताणमि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा डिवीजन के बालूगन रेलवे स्टेशन पर किसी माल क्लर्क की नियुक्ति नहीं की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). बालूगन स्टेशन पर माल बाबू की

अलग से व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि इस स्टेशन पर जितना यातायात होता है उससे एक अलग माल बाबू की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं बनता, तथापि कोचिंग और माल दोनों के काम में स्टेशन मास्टर की सहायता करने के लिए इस स्टेशन पर एक वाणिज्य क्लर्क को नियुक्त कर दिया जाता है।

संकट-ग्रस्त कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

5559. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित, संकट-ग्रस्त कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

1971-72 में हुए व्यापार करार

5560. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में जिन देशों के साथ व्यापार करार/समझौते किए गए हैं उनके नाम क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक करार/समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : वर्ष 1971-72 के दौरान नेपाल, अफगानिस्तान, बंगला देश, पेरू, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, ईराक तथा फ्रांस के साथ व्यापार करारों/सलेखों पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) इन कारारों/संलेखों की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में पहले ही रख दी गई हैं।

उर्वरक की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे दक्षिण के चाय बागान

5561. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दक्षिण भारत के चाय बागान केन्द्रीय उर्वरक पूल से उर्वरकों के अल्प-आबंटन के कारण इस समय इनकी अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि उर्वरकों की कमी के कारण चाय के उत्पादन और निर्यात में कमी न हो ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). चाय और अन्य बागानों में सामान्यत: उपयोग में लाए जाने वाले उर्वरक ये हैं : सल्फेट आफ अमोनिया, यूरिया, कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट और एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। वर्ष 1971-72 में दक्षिणी भारत की यूनाइटेड प्लान्टर्स एसोशियेशन को कैल्शियम एमोनिया नाइट्रेट और एमोनिया सल्फेट नाइट्रेट की पूर्ति उसे किये गये आबंटन के अनुरूप पूरी थी। एमोनियम सल्फेट और यूरिया की जो पूर्ति की गई वह उसे किए गए आबंटन का क्रमश: 72% और 47% थी। यद्यपि अप्रैल-जून 1972 की तिमाही में आबंटन काफी नहीं हैं परन्तु यहाँ यह बता देना सुसंगत होगा कि दक्षिण क्षेत्र में चाय बागान में उर्वरक प्रयोग करने का मौसम फरवरी के अंत तक समाप्त हो जाता है और यह फिर अगस्त में प्रारम्भ होता है। अगस्त, 1972 और उसके पश्चात बागान की आवश्यकताओं को जुलाई-सितम्बर, 1972 की तिमाही में आबंटन द्वारा पूरा किए जाने की आशा है।

उर्वरक उपभोक्ताओं से प्रत्याशा की जाती है कि उर्वरक की अपनी अधिक से अधिक सप्लाई को घरेलू निर्माताओं से प्राप्त करें और पूल उनकी शेष बची हुई आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता है।

बागानों को परामर्श किया गया है कि वे अपनी आवश्यकताओं को मुख्यत: देश में उत्पादित उर्वरकों से पूरा करें चाहे इन उर्वरकों की कीमतें पूल उर्वरक की तुलना में कुछ अधिक ही क्यों न हों। उन्हें एमोनियम सल्फेट के उद्योग के बदले यूरिया का उपयोग करने का परामर्श भी दिया गया है क्योंकि यह उर्वरक देश तथा विदेश दोनों जगह अधिक आसानी से उपलब्ध है और यह उर्वरक सस्ता भी है। उर्वरकों के लिए बागानों की अवशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किये जाने के प्रयास पूल द्वारा भी किये जाते रहेंगे।

केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उपलब्ध की गई धनराशि

5562. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में केरल राज्य से कुन्नाथूर, कोहाराकारा, पुनालूर, कथानपुरम, पथानथिहा में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए कितना धन उपलब्ध किया गया है; और

(ख) क्या इस दृष्टि से ये क्षेत्र अपेक्षित हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). कुनतूर, कोट्टारकारा, पुनालोर, पतनपुरम् और पतनतिट्टा केरल के क्विलोन जिले के भाग हैं। राज्य सरकार ने 1972-73 के लिए क्विलोन जिले में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 25·10 लाख रुपये की धनराशि पृथग्रक्षित की है। एलेप्पी और त्रिवेन्द्रम के आसन्नवर्ती जिलों के लिए क्रमश: 19·40 लाख रुपये और 21·20 लाख रुपये का तदनुरूप प्रावधान है। इसलिए क्विलोन

जिले में 1972-73 के लिए ग्राम विद्युतीकरण पर परिव्यय उस राज्य में आसन्नवर्त्ती क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है ।

काजू का आयात/निर्यात

5563. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित कच्चे काजू के वितरण के लिए क्या नीति स्वीकार की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों में कितना कच्चा काजू आयात किया गया है और इस वर्ष कितने काजू का निर्यात किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आयातित कच्चा काजू इस समय भारतीय काजू निगम द्वारा, निर्यात अभिमुख उद्योग को, निम्नलिखित के संबंध में हिसाब लगाकर न्यूनतम मात्राओं के आधार पर, वितरित किया जा रहा है :

(1) विगत दो वर्षों में अधिकतम आयात;
(2) विगत दो वर्षों में अधिकतम निर्यात; तथा
(3) एकक की साधित करने की क्षमता ।

(ख)

कच्चे काजू के आयात (मे० टन में)			काजू गिरियों का निर्यात (मे० टन में)
1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
195528	163426	169359	60834

तम्बाकू डीलर्स एसोसियेशन, कानपुर से अभ्यावेदन

5564. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में रामगंज, कानपुर की तम्बाकू डीलर्स एसोसियेशनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका सारांश क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) अभ्यावेदन में हुक्के की अनिर्मित तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की दरें घटाने के लिए कहा गया है ।

(ग) चूंकि यह मामला बजट प्रस्थापनाओं से संबंधित है, इसलिए इस अवस्था में इस अभ्यावेदन पर कोई प्रतिक्रिया दिखाना सम्भव नहीं है।

केरल में नई रेल लाइनों के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव

5565. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में रेल लाइनें बिछाने के बारे में केरल की राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेलवे संबंधी विकास राज्यवार या क्षेत्रवार दृष्टि से नहीं किया जाता बल्कि राष्ट्रीय हित में समग्र विकास के विचार से किया जाता है। नई लाइनों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी, केरल राज्य सरकार द्वारा सुझाई गई नई लाइनों के प्रस्ताव और उनसे संबंधित स्थिति इस प्रकार है :

लाइन का नाम	स्थिति
1. पीरमादे और कुमिली के रास्ते कोट्टयम-वेदीनायकनूर (मीटर आमान—180 कि० मी०)	इस लाइन को काफी दूरी तक पश्चिमी घाट होकर जाना होगा और वह भूभाग ऐसा है कि उस पर निर्माण की बहुत अधिक लागत आयेगी। गहरे ढालों और तीखे मोड़ों के कारण यह भी संभावना है कि इस लाइन की क्षमता प्रतिबंधित करनी पड़े। चूंकि यह लाइन घने जंगलों के पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरेगी, उस पर पर्याप्त यातायात भी नहीं होगा और आर्थिक दृष्टि से उसके सक्षम होने की भी आशा नहीं है।
2. तेल्लिचेरी-मैसूर (मीटर आमान—237 कि० मी०)	1957-58 में किये गये इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि दूरी बढ़ाकर प्रभार लेने पर भी यह परियोजना अलाभप्रद सिद्ध होगी।
3. अल्लेप्पी के रास्ते कायामकुलम-एरणाकुलम (मीटर आमान—97 कि० मी०)	बड़े आमान के सम्पर्क के लिए हाल में यातायात सर्वेक्षण किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, बड़े आमान का यह सम्पर्क बहुत ही अलाभप्रद होगा। फिर भी, इस समय यह रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के परीक्षाधीन है।

लाइन का नाम	स्थिति
4. तिरुवनन्तपुरम-कुमारी अन्तरीप (मीटर आमान, 100 कि० मी०)	नागरकोइल के रास्ते तिरुवनन्तपुरम से तिरुनेलवेलि और कन्याकुमारी तक शाखा लाइन सहित बड़े आमान का लगभग 164·02 कि० मी० लम्बा रेल सम्पर्क 14153 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अभी हाल में मंजूर किया गया है ।
5. गुरुवयूर और कंगानूर के रास्ते कुट्टीपुरम-एरणाकुलम (मीटर आमान—128 कि० मी०)	राज्य सरकार द्वारा यह औचित्य बताया गया है कि गुरुवयूर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है; लेकिन वित्तीय दृष्टि से इस लाइन के सक्षम होने की संभावना नहीं है ।

जयपुर और अजमेर डिवीजनों (पश्चिमी रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों की रचना

5566. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर और जयपुर के डिवीजनल लेखा अधिकारियों के पास गत कई वर्षों से वाणिज्यिक क्लर्कों के नये पदों की रचना संबंधी अनेक प्रस्ताव विचाराधीन पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) अजमेर खण्ड में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । जयपुर खण्ड में सहायक बुकिंग क्लर्कों के 6 स्थानों और सहायक सामान क्लर्कों के 7 स्थानों के सृजन के लिए प्रस्तावों पर निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रस्ताव निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं हैं। अतः बहुत ध्यानपूर्वक उनकी जाँच की जानी चाहिए ।

स्थायी नदी आयोग के बारे में भारत-बंगला देश वार्ता

5567. **श्री एम० राजंगम** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच स्थायी नदी आयोग की स्थापना के बारे में वार्ता के लिए वह हाल ही में बंगला देश गए थे;

(ख) क्या उन्होंने भारत और बंगला देश की बाढ़ और तूफान की समस्याओं पर चर्चा की थी; और

(ग) उनके द्वारा बंगला देश में हुई वार्ता का ब्यौरा तथा परिणाम क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). भारत और

बंगला देश के बीच मैत्री, सहयोग और शान्ति-सन्धि के अनुच्छेद 6 और 19 मार्च, 1972 को भारत और बंगला देश के प्रधान मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये संयुक्त घोषण पत्र के पैरा 14 का पालन करते हुए, सिंचाई और विद्युत मंत्री ने 26 से 30 अप्रैल, 1972 तक बंगला देश की यात्रा की। यह यात्रा ऊपर निर्दिष्ट संयुक्त घोषणापत्र में अन्तर्विष्ट नीतियों के कार्यान्वियन से संबंधित थी।

बंगला देश के नेताओं और विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए बाढ़ और चक्रवात चेतावनी, सिंचाई और नदी विकास, विद्युत विकास आदि पर कार्यवाही संबंधी एक कार्यक्रम पर सहमति हो गई है।

समुद्रीतट के साथ-साथ आप्टा से मंगलौर तक पश्चिम तट रेलवे

5568. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और कोंकण के कुछ संसद सदस्यों ने आप्टा से मंगलौर तक पश्चिमी तट पर रेलवे लाइन बनाने के बारे में रेल मंत्री को भेजे गये एक अभ्यावेदन में कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्टों की जाँच करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।

(ग) लगभग 31–8–72 तक।

भारतीय रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों को खपाना

5569. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में विभिन्न पक्षों/विभागों में अस्थायी श्रमिक भर्ती किये जाते हैं;

(ख) क्या उन्हें सेवावधि दर्शाने वाले कार्ड जारी किये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को खपाने का है जिन्होंने काफी समय तक सेवा की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) नैमित्तिक श्रमिक आवधिक, अन्तः विरामी और छिट–पुट निर्माण कार्यों पर तथा परियोजनाओं पर भी लगाये जाते हैं।

(ख) सेवा कार्ड सभी नैमित्तिक श्रमिकों को देने पड़ते हैं।

(ग) सभी नैमित्तिक श्रमिक जो सेवा अवधि के छः मास पूरे कर चुके हैं, छान-बीन के उपरान्त चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों पर आमेलित किये जाने के पात्र हैं।

विदेश यातायात लेखा कार्यालय दिल्ली-किशनगंज (पश्चिम रेलवे) के परिशिष्ट II-ए योग्यता प्राप्त ग्रेड I के क्लर्कों को अधिक वेतन देना

5570. **डा० कर्णी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश यातायात लेखा कार्यालय, किशन गंज, दिल्ली, पश्चिम रेलवे में कार्य कर रहे परिशिष्ट II-ए योग्यता प्राप्त ग्रेड-I के क्लर्क अपने से वरिष्ठ कर्मचारियों से अधिक वेतन पा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) 88 ।

(ग) इसके कारण निम्नलिखित हैं :

(i) कनिष्ठ कर्मचारी अपने वरिष्ठ कर्मचारियों से पहले अपेंडिक्स II-ए परीक्षा पास कर लेने पर ।

(ii) कनिष्ठ कर्मचारी अपेंडिक्स III-ए परीक्षा पास कर लेने के बाद ऊँची दर पर वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के फलस्वरूप अधिक वेतन पाने के हकदार हो जाते हैं ।

(iii) क्लर्क ग्रेड II काडर से लिये गये जिन कनिष्ठ कर्मचारियों को कम्पटोमीटर मशीनों पर काम करने के लिए लगाया गया था उनका वेतन इस पद के साथ लगे 15 रुपये का विशेष वेतन मिला कर निश्चित किये जाने के परिणामस्वरूप उन्हें अपने से वरिष्ठ कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता है ।

(iv) वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत हिन्दी की प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर कनिष्ठ कर्मचारी प्रोत्साहन के रूप में एक अग्रिम वेतन वृद्धि पाने का हकदार हो जाता है ।

(v) युद्ध सेवा वाले जिन उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित स्थायी पदों पर भर्ती किया गया था उन्हें उनसे पहले अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की तुलना में ऊँची वरिष्ठता मिली थी लेकिन युद्ध सेवा वाले ऐसे उम्मीदवारों का वेतन उन्हें केवल युद्ध सेवा का लाभ देकर ही निश्चित किया गया था । यह वेतन अस्थायी पद पर नियुक्त अधिक लम्बी सेवा वाले नियमित कर्मचारियों के वेतन से कम बना था लेकिन इन कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में आरक्षित रिक्तियों पर युद्ध सेवा वाले उम्मीदवारों को रखने के लिए स्थान दिया गया था ।

विदेश यातायात लेखा कार्यालय (पश्चिम रेलवे) में ग्रेड II के लेखा क्लर्कों को मशीन चालकों के रूप में कार्य करने पर दिया जाने वाला विशेष वेतन

5571. **डा० कर्णी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे में ग्रेड-II लेखा क्लर्कों को मशीन-

चालकों के तौर पर कार्य करने के लिये दिये जाने वाले विशेष वेतन को किसी भी समय ग्रेड-I क्लर्क के पद पर पदोन्नति पर वेतन निश्चित करते समय जोड़ा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके परिणामस्वरूप बहुत से कर्मचारियों के साथ ठोस और काफी अन्याय हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रभावित कर्मचारियों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ, न केवल पश्चिम रेलवे के इतर यातायात लेखा कार्यालय में बुक कीपिंग मशीन प्रचालकों के संबंध में, बल्कि सभी क्षेत्रीय रेलों के सभी कार्यालयों में भी 1-4-61 से 9-4-63 तक की अवधि में क्लर्क ग्रेड-I के पदों पर पदोन्नत किये जाने पर, उनके वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा लिये गये विशेष वेतन को हिसाब में शामिल कर लिया गया था। लेकिन 10-4-63 के बाद नियमों में परिवर्तन कर दिया गया और यह विशेष वेतन उस अन्तर तक संरक्षित किया जाता है जो क्लर्क ग्रेड-I में पदोन्नति की तारीख को नियमित वेतन (विशेष वेतन को हिसाब में शामिल किये बिना) और मशीन प्रचालकों के निम्नतर पद में वैयक्तिक वेतन के रूप में लिए गये विशेष वेतन जो कि भावी वृद्धियों में आमेलित किया जाना है और वेतन के बीच किया जाना है।

(ख) चूँकि विशेष वेतन की रकम संरक्षित की जाती है, अतः हानि का प्रश्न नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे मुख्यालय के कार्यालय को कानपुर / लखनऊ स्थानान्तरित करना

5572. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उत्तर रेलवे मुख्यालय के कार्यालय को दिल्ली से कानपुर अथवा लखनऊ स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या कानपुर के महापौर ने कानपुर में उत्तर रेलवे को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है;

(ग) क्या लखनऊ के महापौर से भी इसी प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार से भी इन प्रस्तावों के बारे में उनके विचार प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). कानपुर और लखनऊ के महापौरों की ओर से आवास की व्यवस्था के संबंध में इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे को तोड़-फोड़ से होने वाली हानि

5573. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1971 की अवधि के दौरान तोड़-फोड़ से रेलवे को होने वाली हानि का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारें भी उक्त हानि का भार वहन करती हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों ने कुल हानि का कितना अंश वहन किया ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) लगभग 1·79 लाख रुपये ।
पूर्व रेलवे = 650 रुपये ।
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे = 1,16,175 रुपये ।
दक्षिण रेलवे = 62,311 रुपये ।

इस अवधि में अन्य रेलों पर कोई हानि नहीं हुई ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ताँबे के तार की चोरी

5574. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी से 30 अक्तूबर, 1971 तक, जोन-वार कितने मूल्य के ताँबे के तार की चोरी हुई और वर्ष 1970 की इसी अवधि में कितने मूल्य के ताँबे के तार की चोरी हुई थी;

(ख) ऐसी कितनी चोरियों में रेलवे सुरक्षा दल और अन्य रेल कर्मचारियों की चोरों के साथ मिलीभगत पाई गई है; और

(ग) ऐसे कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई तथा पूरी कर ली गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) क्षेत्र	1-1-1971 से 30-10-1971	1-1-1970 से 30-10-1970
	रु०	रु०
मध्य रेलवे	5,639.50	10,141·00
पश्चिम रेलवे	12,201·00	5,430·00

क्षेत्र	1-1-1971 से 30-10-1971	1-1-1970 से 30-10-1970
	रु०	रु०
उत्तर रेलवे	2,94,354·98	5,50,572·92
पूर्वोत्तर रेलवे	6,724·00	1,000·00
दक्षिण रेलवे	48,085·00	30,593·00
पूर्व रेलवे	5,72,785·00	4,84,490·00
दक्षिण पूर्व रेलवे	47,285·00	64,231·00
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	—	—
दक्षिण मध्य रेलवे	1,741·00	2,714·00

(ख)

मध्य रेलवे	कोई नहीं
पश्चिम रेलवे	कोई नहीं
उत्तर रेलवे	कोई नहीं
पूर्वोत्तर रेलवे	कोई नहीं
दक्षिण रेलवे	ताँबे के तारों की चोरी के किसी भी मामले में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी अथवा रेलवे कर्मचारियों की चोरों के साथ मिलीमगत नहीं पायी गयी। लेकिन ताँबे के तारों की चोरी के एक मामले में 1971 में रेलवे के तीन कर्मचारी और 1970 में एक मामले में रेलवे का एक कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल था।
पूर्व रेलवे	कोई नहीं।
दक्षिण पूर्व रेलवे	1971 में डाक-तार विभाग के तारों की चोरी के एक मामले में पुलिस ने एक लोको फिटर को गिरफ्तार किया था।
पूर्वोत्तर सीमा रलवे	कोई नहीं।
दक्षिण मध्य रेलवे	कोई नहीं।

(ग)

मध्य रेलवे	प्रश्न नहीं उठता।
पश्चिम रेलवे	प्रश्न नहीं उठता।
उत्तर रेलवे	प्रश्न नहीं उठता।
पूर्वोत्तर रेलवे	प्रश्न नहीं उठता।
दक्षिण रेलवे	1971 में फँसे तीन कर्मचारियों से संबंधित मामले का न्यायालय में अभी निर्णय होना बाकी है और 1970 में फँसे एक कर्मचारी से संबंधित मामले की विभागीय कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है।
दक्षिण पूर्व रेलवे	उन्हें निलम्बित कर दिया गया है।
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	प्रश्न नहीं उठता।
दक्षिण मध्य रेलवे	प्रश्न नहीं उठता।

स्टेनोग्राफरों की वरिष्ठ ग्रेड में पदोन्नति (उत्तर रेलवे)

5575. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-रेलवे में 130-300 रुपये के वेतन-मान में काम करने वाले स्टेनोग्राफरों को 210-425 रुपये के वेतन-मान में पदोन्नत करने के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में उनको कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) संसद् सदस्यों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है और उनका उत्तर दे दिया गया है। प्रवरण में की गयी अनियमितताओं के आरोपों की भी जाँच-पड़ताल की गई है। जाँच-पड़ताल की रिपोर्ट पर की जाने वाली करिवाई को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

रेलवे में स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति के नियमों में परिवर्तन

5576. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नियमों में परिवर्तन किए हैं जिनके परिणामस्वरूप डिवीजनों में काम करने वाले स्टेनोग्राफरों की मुख्यालय द्वारा किये जाने वाले सामूहिक चयन के माध्यम से पदोन्नति नहीं होगी; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मुख्यालय का स्टेनोग्राफर ग्रेड में पदोन्नति के लिए चयन करने का विचार है और क्या उस चयन में डिवीजनों में काम करने वाले स्टेनोग्राफरों को बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, यद्यपि पिछले सामूहिक चयन का परिणाम घोषित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मुआवजा-दावों संबंधी एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की रेलवे सुरक्षा दल के बारे में टिप्पणियाँ

5577. **श्री धर्मगज सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० बी० लाल की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अध्याय 11 के पैरा 1101 में रेलवे सुरक्षा दल के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) समिति ने कहा है कि जनता और कुछ रेल अधिकारियों ने रेलवे सुरक्षा दल की कार्य प्रणाली पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी ।

(ग) उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए गए हैं । रेलवे सुरक्षा दल को अधिक कारगर और उपयोगी बनाने के लिए उसका पुनर्गठन किया जा रहा है ।

वाणिज्यिक विभाग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

5578. **श्री धर्मगज सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने वाणिज्यिक विभाग के लिए एक पृथक पदावलि बनाने और वाणिज्यिक विभाग द्वारा बाजार अनुसंधान कार्य आरम्भ करने के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ हाट-अनुसंधान कार्य करने के लिए रेलों के वाणिज्यिक विभागों में पहले से ही विपणन और विक्री संगठन गठित किए जा चुके हैं । ऐसा समझा जाता है कि रेलों के व्यापक हित में रेलों के परिचालनिक और वाणिज्यिक विभागों को एक ही संवर्ग के रूप में काम करना जारी रखना चाहिए ताकि यातायात अधिकारियों को अपने सेवाकाल में विभिन्न स्तरों पर वाणिज्यिक और परिचालनिक दोनों ही कार्य प्रणाली का अनुभव हो जाये और वे इस विभाग के परस्पर जुड़े दोनों स्कंधों के घनिष्ठरूप से संबद्ध कार्यों का और भी अच्छा समन्वय करने में समर्थ हो सकें ।

पार्सल कार्यालयों के कार्यकरण के बारे में मुआवजा-दावों संबंधी एक-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियाँ

5579. **श्री धर्मगज सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दावों संबंधी श्री आर० बी० लाल की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने पारसल कार्यालयों के कार्यकरण के बारे में अध्याय 13 के पैरा 1312 में टिप्पणियाँ की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो समिति ने क्या टिप्पणियाँ की हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). मुख्य रिपोर्ट के पैरा 1312 में उल्लिखित विचार, उनके संबंध में सरकार का अभिमत और उन पर की गई कार्यवाही के संबंध में एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1991/72.**]

खासा और गुरुसर सुतलानी स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के बीच 526/17-18 वें किलोमीटर पर बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रासिंग पर फाटक की व्यवस्था करना

5580. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला अमृतसर में खासा और गुरुसर सुतलानी स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के बीच 526/17-18 वें किलोमीटर पर बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रासिंग पर फाटक की व्यवस्था करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों के पास कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जाली भाड़ा रसीदें बनाने वाले गिरोह का भण्डाफोड़

5581. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अप्रैल, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में जाली भाड़ा रसीदें बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पुलिस द्वारा कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया है और अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) जी हाँ, इस मामले का 20 अप्रैल, 1972 को पता चला था ।

(ख) रेल सुरक्षा दल, नई दिल्ली के एक उप-निरीक्षक द्वारा लगभग 20,000/-रु० की

कीमत के डीजल इंजन के पुर्जों का एक परेषण पकड़ा गया था। इस संबंध में 21-4-1972 को जयपुर में श्री एम० एल० शर्मा नामक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था।

(ग) मामले की जाँच पड़ताल चल रही है। वाणिज्यिक कर्मचारियों को समय-समय पर हिदायतें दोहराई जाती हैं कि जब भी कोई सुपुर्दगी लेने के लिए रेलवे रसीद प्रस्तुत की जाये तो सावधानी पूर्वक उसकी जाँच करलें। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि धन मूल्य बहियों का ठीक ठीक लेखा रखा जाये और ये उपयुक्त अभिरक्षा में रखी जायें।

अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के रनिंग स्टाफ की वरिष्ठता का निर्धारण

5582. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने दिनांक 17 सितम्बर, 1964 के अपने पत्र संख्या ई/1030/3/12 द्वारा जो रनिंग स्टाफ की वरिष्ठता निर्धारित करने की विधि के बारे में आदेश जारी किए थे और सभी डिवीजनों को हिदायतें दी थीं वे इसके अनुसार रनिंग स्टाफ की वरिष्ठता का विनियमन करें;

(ख) क्या रनिंग स्टाफ की वरिष्ठता इन्हीं हिदायतों के अनुसार अन्तिम रूप से निश्चित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लोको रनिंग स्टाफ की शिकायतें तथा समस्यायें

5583. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके दिनांक 8 अप्रैल, 1970 के पत्र संख्या एम० आर०/475/70 के द्वारा अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन से कहा गया था कि वह लोको रनिंग स्टाफ की शिकायतों तथा समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत करे;

(ख) क्या इस एसोसियेशन ने अपने दिनांक 1 मई, 1970 के पत्र संख्या, ए० आई० एल० आर० एस० ए०/एस० पी०/70 द्वारा एक विस्तृत ज्ञापन भेजा था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). अखिल भारतीय लोको रनिंग कर्मचारी संघ ने अपने 1-5-1970 के पत्र संख्या ए० आई० एल० आर० एस० ए०/एस० पी०/70 में सामान्य किस्म की कतिपय माँगें रखी थीं, जिनके संबंध में पहले ही जाँच हो चुकी थी और वे माँगें अतर्कसंगत पाई गई थीं।

राजकोट डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में फायरमैनों से चालकों और गार्डों के बक्से उठवाना

5584. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाक एसोसियेशन ने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक से अभ्यावेदन किया है कि राजकोट डिवीजन में चालकों के बक्से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से उठवाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती अपितु फायरमैनों को यह कार्य करने पर बाध्य किया जाता है जब कि गाड़ी के बक्से स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा उठाए जाते हैं; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में लोको/ईंधन इंस्पेक्टरों के पद पर पदोन्नति के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया

5585. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री रेलवे में लोको/ईंधन इंस्पेक्टरों के पद पर पदोन्नति के बारे में 20 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5345 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चालकों की संख्या कितनी है जो चालक के रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी किए बिना, उत्तर और पश्चिम रेलवे में पावर कंट्रोलर और लोको/ईंधन इंस्पेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Transfer of Catering Service in Dining Car Attached to 1 UP and 2 DOWN Kalka Mail to a Private Contractor

5586. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the catering service in the dining car attached to 1 UP add 2 DOWN Kalka Mail is being transferred to a private contractor and if so, the reasons therefor ?

(b) the number of employees likely to be rendered jobless thereby; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The catering services on 1UP/2DN Kalka Mails were transferred to a contractor with effect from 1,5.1972 as continuation of these services by the Railway was not proving to be remunerative,

(b) & (c). All staff rendered surplus on account of this would be absorbed against existing vacancies on the Northern Railway.

नेपाल के प्रधान मंत्री की दिल्ली यात्रा

5587. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के प्रधान मंत्री की 17 अप्रैल, 1972 की दिल्ली यात्रा के दौरान उनके और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच राधिकापुर आवाजाही मार्ग के बारे में विचार-विमर्श हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस चर्चा का क्या परिणाम रहा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 15 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

CORRECTING STATEMENT TO U. S. Q. NO. 35 DATED 15. 11. 1971

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में लोक सभा में 15 नवम्बर, 1971 को श्री एस० सी० सामंत द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के भाग (क) के उत्तर में एक विवरण संलग्न था, उसमें शैक्षिक व्यक्तियों के नामों, उनके पदनाम, उससे पहले जिस पद पर वे थे, और शैक्षिक अर्हताएँ दी गई थीं। विश्वविद्यालय द्वारा बाद में की गई जाँच से विवरण में कुछ गलतियों का पता चला। इसलिए, सभा पटल पर एक संशोधित विवरण रख दिया गया था। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1992/72.**]

2. उत्तर को ठीक करने में देरी का कारण यह है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को, जिसकी सूचना पर उक्त विवरण दिया गया था, प्रत्येक संबंधित व्यक्ति के व्यैक्तिक रिकार्डों की बाद में भली-भाँति जाँच पड़ताल करते समय अध्यापकों के शैक्षिक अर्हताओं में गलतियों का पता लगा।

दिनांक 22 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2772 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

CORRECTING STATEMENT TO U. S. Q. NO. 2772 DATED 22. 6. 1971

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : 22-6-1971 को लोक सभा में श्री रामशेखर प्रसाद सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न 2772 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में यह कहा गया था कि—

"जी नहीं, लेकिन 28-5-1971 को टेकनवास और कोपासम्होता स्टेशनों के बीच सवारी गाड़ी नं० 87 अप के तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में डाका पड़ा था। बदमाशों ने कई यात्रियों की सम्पत्ति को लूटा। दो यात्रियों को चोटें आयीं। घायल यात्रियों में से एक यात्री की चोट के कारण बाद में मृत्यु हो गई। इस गाड़ी में पुलिस रक्षक की व्यवस्था नहीं की गई थी।"

उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न (भाग क, ख और ग) का सही उत्तर इस प्रकार है—

जी नहीं, लेकिन 28-5-1971 को टेकनवास और कोपासम्मोता स्टेशनों के बीच सवारी गाडी नं० 87 अप के तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में डाका पड़ा था। बदमाशों ने कई यात्रियों की सम्पत्ति को लूटा। दो यात्रियों को चोटें आयीं। उनमें से एक को गम्भीर चोटें आयीं। इस गाड़ी में पुलिस रक्षक की व्यवस्था नहीं की गई थी।

क्षेत्रीय रेलवे से प्राप्त गलत उत्तर के फलस्वरूप इसे दुरुस्त करने और उत्तर देने में विलम्ब हुआ। इस गलती का पता बाद में लगा जब चोट के कारण मृत समझे गये व्यक्ति से क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में दूसरा हवाला प्राप्त हुआ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT

प्रश्न

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने डा० शाह द्वारा आत्महत्या किये जाने के विषय में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार कर रहा हूँ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, you have not even admitted the Calling Attention Motion on the subject.

अध्यक्ष महोदय : यह विषय स्थगन प्रस्ताव के लिए नहीं है। मैं इस विषय पर चर्चा के पक्ष में हूँ। शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इसके लिए समय नियत किया जा सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने आज इस विषय पर वक्तव्य देना है । हम उस पर प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अच्छा होगा कि वे आज वक्तव्य न दें । इस विषय पर सरकार की भर्त्सना होनी चाहिए इसीलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर हम बैठक में बातचीत कर सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरी समझ में नहीं आता कि इस विषय में स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं हो सकता ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें अन्य वैज्ञानिकों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय को वक्तव्य के स्थान पर अपना त्यागपत्र देना चाहिए ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The hon. Minister is laughing. Does not he feel ashamed of himself ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को मालूम होना चाहिए कि वह संसद में बैठे हैं । वह अपनी आदत को सुधारने की कोशिश करें ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू और कश्मीर के तिथवाल क्षेत्र में भारतीय ठिकानों पर पाकिस्तानी आक्रमण का समाचार

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं रक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

> "जम्मू और कश्मीर के तिथवाल क्षेत्र में भारतीय ठिकानों पर 5 मई, 1972 को बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी आक्रमण का समाचार ।"

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : भारत-पाकिस्तान के मध्य 17 दिसम्बर, 1971 को सायं 7 बजे की गई युद्ध विराम घोषणा के बाद अब तक, वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लगी सीमा पर या उसके पार से अनेक बार अतिक्रमण और संघर्ष की घटनाएँ हुई हैं । इन घटनाओं के संबंध में जो विवाद और मतभेद थे उन्हें अधिकांशतः स्थानीय कमांडरों ने मिल कर तय कर लिए थे ।

2. हाल ही में पाकिस्तान की ओर से विशेषकर जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्र में युद्ध विराम

उल्लंघन और अतिक्रमण की घटनाओं में वृद्धि एवं तेजी आई है। 5 मई को पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर में टिथवाल के दक्षिण पूर्व में स्थित केयान क्षेत्र में तोपखाने की सहायता से जो हमला किया था वह अब तक की सीमा उल्लंघन की घटनाओं में से सबसे बड़ा था।

3. स्मरण होगा कि केयान क्षेत्र जोकि लीपा घाटी में लगभग 13·2 वर्ग मील क्षेत्र का है। 14 दिन के युद्ध में हमारी सेनाओं ने टिथवाल क्षेत्र में कब्जा किया था। पाकिस्तानी सैनिक हमारी चौकियों पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार से फायरिंग करते रहे हैं और हमारी सेना ने भी समय समय पर जवाब में गोली बारी की है।

4. 5-5-1972 की प्रात 3·00 बजे पाकिस्तान की सेना ने जिसकी संख्या लगभग एक बटालियन थी, तोपखाने की सहायता से इस क्षेत्र में हमारी एक चौकी पर अचानक आक्रमण कर दिया। यह चौकी टिथवाल के दक्षिण पूर्व की ओर 10 मील की दूरी पर स्थित थी और इसमें लगभग 70 भारतीय सैनिक तैनात थे। हमारे वीर जवान जो कि शत्रु के मुकाबले में 1 और 10 के अनुपात से कम थे बड़ी वीरता से लड़े और शत्रु को बड़ी संख्या में हताहत किया फिर भी उनको लगभग प्रातः 7·00 बजे इस चौकी से पीछे हटना पड़ा।

5. पुनः 5-5-1972 को 1·45 बजे अपराह्न पाकिस्तान के एक बटालियन से अधिक सैनिकों ने उसी क्षेत्र में स्थित एक अन्य चौकी पर, जिस पर हमारे 120 सैनिक तैनात थे, और जो टिथवाल से साढ़े दस मील दक्षिण पूर्व में स्थित थी, आक्रमण किया। पाकिस्तानी आक्रमणकारियों की भारी संख्या शक्ति के बावजूद, हमारे जवान वीरतापूर्वक लड़े और उन्हें भारी संख्या में हताहत करके 6-5-1972 को प्रातः 6·45 बजे वे इस चौकी से वापस हो गये।

6. सदन को सूचित करते हुए मुझे खेद है कि इस लड़ाई में हमारे लगभग 80 सैनिक हताहत हुए जिसमें 20 सैनिक मारे गए हैं। ऐसा अनुमान है कि पाकिस्तानी हताहतों की संख्या इससे कहीं अधिक है।

7. चूंकि हम इस संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते थे अतः हमारे सेना मुख्यालय ने 6-5-1972 को पाकिस्तानी मुख्यालय से संपर्क स्थापित किया और युद्ध विराम की पेशकश की जिसके बाद स्थानीय कमांडरों के बीच बातचीत करने तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वापस होने तथा सीमांकन करने के सिलसिले में एक फ्लेग वार्त्ता की व्यवस्था करनी थी। फलतः दोनों सेना मुख्यालयों ने युद्ध विराम का आदेश दिया जो 6-5-1972 को 7·30 बजे सायं को लागू हुआ। फ्लेग वार्त्ता के लिए प्रयास किया जा रहा है।

श्री पीलू मोदी : मैंने टिथवाल तथा डा० शाह की आत्महत्या के बारे में दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना दी थी। परन्तु बहुत ही अचम्भे की बात है कि जिस घटना के बारे में माननीय मंत्री को स्वयं ही सदन को विश्वास में लेकर वक्तव्य देना चाहिए, उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में गृहीत किया गया है और दूसरे विषय में मुझे सूचित किया गया है। मंत्री महोदय सदन में वक्तव्य देंगे। मैं यह इस कारण आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि आप भविष्य में इस बात का ध्यान रखें।

तिथवाल की घटना के बारे में माननीय मंत्री ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि युद्ध विराम के पश्चात युद्ध विराम का यह बहुत ही गंभीर उल्लंघन है और इसमें 20 व्यक्तियों की मृत्यु सहित 80 व्यक्ति हताहत हुए हैं। यह एक बहुत ही गंभीर घटना है। मेरे विचार से सीमा की झड़पों और शिखर वार्त्ता के घटित होने की संभावना के कम होने में अवश्य ही कोई संबंध है। पाकिस्तान से वापिस आने पर श्री डी० पी० धर ने समझौते के बारे में बहुत ही उत्साहवर्धक वक्तव्य जारी किए थे। परन्तु कुछ ही समय बाद विदेश सचिव ने उनके विपरीत वक्तव्य दिए। परन्तु आज सरकारी प्रवक्ता ने 'मरी' और रावलपिंडी वार्त्ताओं के बारे में तीसरी बात की है।

इन घटनाओं की संख्या में जिस प्रकार वृद्धि हो रही है उससे प्रतीत होता है कि इनकी परिणति युद्ध विराम के गंभीर उल्लंघन में होगी। युद्ध विराम के लिए आवश्यक है कि दोनों ओर की सेनाएँ एक दूसरे से पर्याप्त फासले पर रहें जिससे कि दोनों में झड़पों की संभावनाएँ कम हों। आज हमें बताया गया है कि दो चौकियाँ हमारे हाथों से चली गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार इन दोनों चौकियों को वापिस लेने का है अथवा सरकार शिखर वार्त्ता तक इस स्थिति को चुपचाप स्वीकार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : हम इन चौकियों से पीछे हट गए हैं। हमारी सेना के मुख्यालय और पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के सम्पर्क के परिणामस्वरूप 6 तारीख की शाम को वहाँ युद्ध-विराम हो गया। अब तक इस प्रकार की झड़पों का हल 'फ्लैग' बैठकों द्वारा किया जाता रहा है। इनके बारे में हमारा विचार है कि उक्त प्रकार की बैठक कर के पाकिस्तान से इन चौकियों को खाली करने को कहा जाए। पाकिस्तान इस मामले का अन्तर्राष्ट्रीकरण चाहता है और हर अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को नियुक्त करने की माँग करता है। परंतु हमारा यह मत रहा है कि हमने युद्ध-विराम एक पक्षीय रूप से किया था, अतः संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों सहित किसी अन्य तीसरे पक्ष को इससे सम्बद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवसर पर भी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की बात की परंतु हमने कहा है कि इस मामले को "फ्लैग" बैठक द्वारा सुलझाया जाना चाहिये।

श्री निहार लास्कर (करीमगंज) : इस बारे में कोई दो मत नहीं हो सकते कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं परंतु इस बात को जानना बहुत कठिन है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। इस प्रकार की गंभीर घटनाएं देख कर मन में सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या पाकिस्तान शांति चाहता भी है ? अतः जब पाकिस्तान इस रवैये को अपनाए है तो क्या पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय अथवा शिखर वार्त्ता करने में कोई लाभ है ?

भारत तथा पाकिस्तान के बीच उच्चस्तरीय वार्त्ता के एक सप्ताह के भीतर ही पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। क्या इससे भावी शिखर वार्त्ता आशंकित नहीं हुई है ? भावी शिखर वार्त्ता में हम क्या रुख अपनाएंगे ?

श्री जगजीवन राम : हमारा यह प्रयास होगा कि इस उप-महाद्वीप में स्थायी शांति हो। इस विशेष घटना का हल हम 'फ्लैग' बैठक द्वारा चाहते हैं। हम प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति भुट्टो के बीच शिखर वार्त्ता को इस घटना से सम्बद्ध नहीं करना चाहते।

मैं अपने वक्तव्य में एक शुद्धि करना चाहता हूँ। अब प्राप्त सूचना के अनुसार, हताहतों की संख्या इस प्रकार है—मृतक 24; जख्मी 56; गुम 3; हताहतों की कुल संख्या 83।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप अधिकारियों और जवानों के मृत शरीरों के होते हुए वार्त्ता नहीं कर सकते।

श्री जगजीवन राम : हम इस घटना को वार्त्ता से सम्बद्ध नहीं करना चाहते।

अनेक माननीय सदस्य उठे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस घटना के बारे में यह पहली बार अधिकृत जानकारी दी गई है। परंतु महोदय इस वक्तव्य को पढ़ कर हमें दुःख होता है। पिछले कुछ दिनों से एक इत्मीनान का वातावरण बन रहा था जिसका सारा दोष श्री डी० पी० धर के लच्छेदार वक्तव्यों पर जाता है।

वक्तव्य के पैरा तीन में स्वीकार किया गया है कि पाकिस्तानी कैमान क्षेत्र में हमारे ठिकानों पर यदा-कदा गोलियाँ चलाते रहे हैं और हमारे सैनिक भी समय-समय पर उसका जवाब देते रहे हैं। परंतु वक्तव्य के अगले पैरा में पूरे बटालियन के साथ अचानक हमले की बात है। बटालियन के साथ अचानक आक्रमण को 'सीमा पर हुई' झड़प नहीं कहा जा सकता। यह तो एक निश्चित उद्देश्य के साथ आक्रमण था। वास्तव में इस बारे में पूरी तैयारी होनी चाहिये थी और पूरी सतर्कता बरती जानी चाहिए थी। श्री भुट्टो ने अपने एक वक्तव्य में कहा बताया जाता है कि इस प्रकार की झड़पें फिर से हो सकती हैं। अतः हमें इस दिशा में सतर्क रहना चाहिये जिससे फिर अचानक हमला न हो। इन घटनाओं के कारण हमें शिखर वार्त्ता को घटित होने से नहीं रोकना। शायद पाकिस्तान का इन घटनाओं के पीछे यही उद्देश्य हो, क्योंकि श्री भुट्टो की मनः स्थिति को कोई नहीं जानता। परंतु माननीय मंत्री को सदन को इतना आश्वासन अवश्य देना चाहिये कि मुक्के का जवाब मुक्के से दिया जायेगा। हम जानते हैं कि हमारे जवान इसके लिए सक्षम हैं।

श्री भुट्टो ने यह कहा है कि वे बंगला देश को मान्यता नहीं देंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है। अमरीका तथा अन्य देशों से शस्त्रास्त्र खरीदे जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में क्या सरकार सदन को यह आश्वासन देगी कि 'वास्तविक नियन्त्रण' रेखा को बनाए रखा जायेगा और पाकिस्तानी आक्रमण को विफल किया जायेगा और शिखर वार्त्ता के प्रति हम अपना रुख नहीं बदलेंगे। शिखर वार्त्ता का महत्व पाकिस्तान से अधिक भारत के लिए है, अतः हमें इस वार्त्ता के रास्ते में किसी बाधा को नहीं आने देना चाहिये।

श्री जगजीवन राम : जब से युद्ध-विराम घोषित हुआ है तब से बहुत अधिक उल्लंघन हो चुके हैं। यद-कदा गोलावारी की घटनाएं केवल जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्र में ही नहीं अपितु राजस्थान और पंजाब क्षेत्रों में भी हुई हैं, जैसा कि मैंने कहा है कि यह आक्रमण अचानक हुआ। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान के स्थानीय कमान्डर काफी समय से इसके लिए तैयारी कर रहे थे तभी पूरी बटालियन के साथ उन्होंने हमला किया। हमारे सैनिकों की संख्या कम थी और इलाके की स्थिति को देखते हुए उनके पास शीघ्रता से कुमुक पहुँचाना संभव नहीं था। इस विषय की और अधिक गहराई में न जाते हुए, मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि हम

शांति चाहते हैं और शांति के लिए प्रयत्न भी करेंगे परंतु यदि अन्य पक्ष द्वारा शांति विरोधी स्थिति उत्पन्न की गई तो पाकिस्तानी सेनाओं की इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिए समुचित कार्यवाही की जायेगी।

Shri R. V. Bade (Khargone) : It has been said in the statement that "of late the number and intensity of Pakistani violations and intrusions have shown an increase," whereas newspaper reports say that there have been three thousand violations. It is so, why the Government had been complacent to this regard ? Most of these violations are happening on Jammu and Kashmir Border. Such things are being deliberately done in order to capture Kashmir and China as well as U.S.A. have also a hand in this game. Mr. Bhutto is postponing the Summit talks till USA-USSR talks. Was the issue of Kashmir discussed by Mr. Jha during his recent talks ?

It has been said in the statement that this incident is not going to affect the impending Summit talks. It has also been said that 'even the U. N. observers have failed to get this post vacated'. But still we are taking the stand that we will get these vacated through talks.

Shri Jagjivan Ram : There is nothing secret in it that Pakistan is getting arms from China as well as from U. S. A. The House is also aware that Pakistan has raised the strength of its Army after the cease-fire. I can tell the House that we also prepare ourselves keeping in view the preparations made by Pakistan.

Shri Atal Bihari Vajpayee : But if we were prepared why these posts had gone ?

Shri Jagjivan Ram : I have not tried to conceal any information and I cannot tell anything more. It is also a fact and it is obvious that when two enemies are standing face to face, such skirmishes can take place. Pakistan has been demanding dis-engagement of armies but I want to say that unless solution is found for lasting peace on this sub-continent we cannot bring back our armies.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, no one can disagree with the gallantry of our soldiers, but it is clearly established that we were not well prepared. But what were the reasons for this state of affairs ?

Shri Jagjivan Ram : I can only say that this has been an isolated incident and in future if Pakistan does not learn to behave, she will get a befitting reply.

वियतनाम में युद्ध के बारे में

RE. WAR IN VIETNAM

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : राष्ट्रपति निक्सन ने उत्तरी वियतनाम के बन्दरगाहों को जाने वाले मार्गों पर सुरंगें बिछाने के आदेश दिये हैं। राष्ट्रपति निक्सन ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी सेनाओं को आदेश दिये हैं कि वे उत्तरी वियतनाम को समुद्र, रेल तथा सड़क के मार्ग से जाने वाली सप्लाई को काट दें और विमानों द्वारा उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण जारी रखें। इससे तीसरे विश्व युद्ध के आरम्भ हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : राष्ट्रपति निक्सन विश्व के सबसे बड़े अपराधी हैं। मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वह इस बारे में कल एक वक्तव्य दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : कोई भी बात जिससे युद्ध तेज होता हो वह हमारे लिये चिन्ता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके विचार प्रधान मंत्री को सूचित कर दूंगा।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : क्या विश्व में घटने वाली प्रत्येक घटना पर सरकार को टिप्पणी करनी होती है ? हमें इस बारे में चिन्ता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत नियम

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : मैं श्री उमाशंकर दीक्षित की ओर से गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मार्च, 1972; अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 286 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—1958/72.**]

चकरियापल्ली और पेनुकोडा स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में विवरण और रेल संरक्षा बल (संशोधन) नियम आदि

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मैं निम्नलिलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) दक्षिण रेलवे के चकरियापल्ली और पेनुकोडा स्टेशनों के बीच 26 अप्रेल, 1972 को रेलगाड़ी संख्या 223 अप मैसूर-हुबली यात्री गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में एक विवरण। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०— 1959/72.**]

(2) (एक) रेल संरक्षा बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रेल संरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1813 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1960/72.]

श्री भारतीय मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी के प्रबंध में अधिसूचना और राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं श्री ए० सी० जाने की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत श्री भारतीय मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी, के प्रबन्ध के बारे में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 304 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—1963/72.]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

[मंत्रालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1964/72.]

राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों के संबंध में विधि आयोग का प्रतिवेदन

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों के संबंध में विधि आयोग के 43 वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—1961/72]**

'77' के दल की लीपा मीटिंग संबंधी एक विवरण

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं '77' के दल की लीपा मीटिंग संबंधी एक विवरण (हिन्दी संस्करण) तथा घोषणापत्र, सिद्धान्त और कार्यवाही का लीपा कार्यक्रम सभापटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1962/72]**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : मैं श्री डी० पी० यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभापटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—1965/72.**]

डा० वी० एच० शाह की आत्महत्या के समाचार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* : REPORTED SUICIDE BY DR. V. H. SHAH

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मुझे सदन को यह सूचित करते हुए बहुत दुःख है कि डा० वी० एच० शाह, वरिष्ठ सस्य विज्ञानी तथा परियोजना सह समन्वय अखिल भारतीय मक्का सुधार परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने दिनांक 5 मई, 1972 को आत्म हत्या द्वारा प्राण त्याग दिए। उस समय मैं दिल्ली से बाहर था, किन्तु श्री शिन्दे मेरे सहयोगी डा० शाह के घर गये और उनके परिवार को भारत सरकार की ओर से हार्दिक खेद और महान दुःख प्रकट किया।। केवल दो वर्ष पहले ही अपने देश में मक्का सस्य विज्ञान संबंधी अनुसंधान का सारा भार उन्हें सौंपा गया था, ऐसे समय में अपने कार्यकाल की युवावस्था में उनका निधन महान खेद का विषय है। इस दुखान्त घटना पर मेरा मंत्रालय अति चिन्ता व्यक्त करना चाहता है और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इन उलझनों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जायेगा जिससे भरती नियमों और कार्य प्रणाली का उत्तम ढंग निकाला जा सके।

आरम्भ में ही, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मेरा मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भर्ती की वर्तमान पद्धति से संतुष्ट नहीं हैं, जिसमें एक वैज्ञानिक को पदों के लिये प्रार्थना पत्र देने पड़ते हैं और सम्पूर्ण कार्यकाल तक प्रवरण समितियों द्वारा उसका साक्षात्कार किया जाता है। निश्चय ही इस पद्धति द्वारा बहुधा असंतोष पैदा होता है जिससे कुंठा पैदा होती है। यह स्थिति डा० शाह की दुखद घटना से नाटकीय रूप में हुई है, जिन्होंने 1 मई, 1972 को हुए साक्षात्कार में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सस्य विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर चयन न किये किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न अत्यधिक व्यथा और मानसिक संताप के कारण अपने जीवन का अन्त करने का निश्चय कर लिया। डा० शाह के सह समन्वयक पद का वेतनमान 1100-1400 रुपये है जबकि प्रोफेसर के पद का वेतनमान 1100-1600 रुपये है। डा० शाह का मूल वेतन मृत्यु के समय 1150 रुपये था।

1 अप्रैल, 1966 से पहले, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा अन्य कई संस्थानों में, जोकि अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन हैं, भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी। वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिक संगठनों में व्यापक रूप से व्याप्त इस विचारों के आधार पर कि विज्ञान के इस तीव्र परिवर्तनशील संसार में, वैज्ञानिक पदों पर भर्ती तकनीकी व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए न कि सामान्य विशेषज्ञों द्वारा, सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सुसंस्थापित क्रियाविधि के अन्तर्गत अपनी चयन समितियाँ स्थापित करने के लिये

अधिकृत कर दिया, किन्तु स्वर्गीय डा० शाह की आलोचना और माननीय सदस्यों से समय-समय पर मुझे प्राप्त होने वाले पत्रों से स्पष्ट हो गया है कि भर्ती की पद्धति के पुनरीक्षण और पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। अत: भारत सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के भर्ती नियमों और क्रियाविधि का पुनरीक्षण करने और समुचित परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देने के लिये किसी प्रख्यात वैज्ञानिक की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति करने का विचार है। सरकार समिति के सुझावों को भी ध्यान में रखा जायेगा, जिसने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के भर्ती विषयक मामलों के कार्य संचालन की जाँच पड़ताल की थी।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को, जिसमें 1000 वैज्ञानिक नियुक्त हैं, भूमि संबंधी अर्थ व्यवस्था सुधारने के हमारे प्रयत्नों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। माननीय सदस्यों से इस संस्थान की सेवा परिस्थितियों तथा उत्पादकता में सुधार लाने के संबंध में प्राप्त होने वाले सुझावों का स्वागत है। हमने हाल ही में संस्थान के कार्य संचालन तथा गत पाँच वर्षों की अवधि में संस्थान के वैज्ञानिक योगदान का समीक्षात्मक मूल्यांकन करने के लिये, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि आयुक्त डा० जे० एस० पटेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। डा० पटेल के अतिरिक्त, इस समिति में प्रो० वी० एम० डन्डेकर निदेशक, गोखले अर्थशास्त्र तथा राजनीति संस्थान, पूना; डा० एस० के० मुखर्जी, सदस्य, राष्ट्रीय कृषि आयोग; डा० एन० के अनन्त राव, डीन, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विज्ञान तथा तकनौलौजी विश्वविद्यालय, पंतनगर; डा० ए० एस० पैन्तल, निदेशक, विट्ठल भाई पटेल चैस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय; डा० एम० एस० मुथाना, निदेशक, इन्डियन इन्स्टिट्यूट आफ तकनौलौजी, कानपुर और प्रो० वी० एम० जौहरी, अध्यक्ष, वनस्पति विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं। सरकार, डा० शाह द्वारा अपनी मृत्यु के समय छोड़े गये पत्र में वर्णित वैज्ञानिक मुद्दों को उनकी विस्तृत जाँच-पड़ताल कराने और उस संबंध में रिपोर्ट देने के लिये, इस समिति को सौंप रही है। हमें माननीय सदस्यों के नोटिस में आने वाले, अन्य वैज्ञानिक मत भेदों को इस समिति को सौंपने में भी प्रसन्नता होगी। कृषि विषयक वैज्ञानिक निष्कर्षों के महत्व का अंतिम निर्णायक कृषक है और उसकी प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप हमारे वैज्ञानिकों का कार्य अति प्रशंसा के योग्य होता है।

अब मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सस्य-विज्ञान के प्रोफेसर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में सहायक महा निदेशक (खाद्यान्न और चारा फसल) के पदों पर किये गये चयन के संबंध में तथ्य पूर्ण जानकारी देने के लिये माननीय सदस्यों का थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के अनुसार, प्रत्येक वैज्ञानिक पद के लिये चयन अखिल भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा और विधिवत गठित प्रवरण बोर्डों द्वारा करना पड़ता है और तदनुसार दिसम्बर, 1971 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 1100-1600 रुपये के वेतनमान में सस्य विज्ञान के प्रोफेसर के पद का विज्ञापन किया गया। प्रोफेसर के कार्यों में शिक्षण, शैक्षणिक प्रशासन तथा कुछ अनुसंधान संबंधी कार्य सम्मिलित हैं। इस पद के लिए प्रवरण समिति में डा० एच० आर० अरकेरी जो राष्ट्रीय कृषि आयोग के सदस्य हैं और जिनको मैंने इसका अध्यक्ष नामजद किया था और दो बाह्य विशेषज्ञ अर्थात डा० सी० जे० पटेल, प्रबन्ध निदेशक, केरोटर सहकारी चीनी उद्योग लिमि०, खेड़ा जिला और डा० टी० जे० मीरचन्दानी कृषि के भूतपूर्व डीन, दिल्ली विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा सस्य विज्ञान प्रभाग के प्रधान

सम्मिलित हैं । डा० राजत डे, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सस्य-विज्ञान प्रभाग के प्रधान हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिव, इस समिति के पदेन सदस्य हैं । बारह उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया था और एक उम्मीदवार को, जिसने विदेश से आवेदन-पत्र भेजा था उसकी अनुपस्थिति में उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया गया । समिति ने डा० राजेन्द्र प्रसाद को प्रथम स्थान, डा० वी० एच० शाह को दूसरा स्थान दिया ।

दोनों डा० शाह और राजेन्द्र प्रसाद मक्का परियोजना में वरिष्ठ सस्य विज्ञानी तथा परियोजना सह समन्वयक के पद के लिए भी उम्मीदवार थे । इस पद का वेतनमान 1100-1400 रुपये था और डा० शाह अपनी मृत्यु के समय इसी वेतनमान में थे । इस पद के लिए प्रवरण समिति में डा० ए० के० दत्त, कृषि निदेशक, पश्चिम बंगाल; डा० टी० जे० मीरचन्दानी; भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्वर्गीय डा० एस० एस० बैन्ज और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिव सम्मिलित थे । मैं प्रवरण समिति के निष्कर्षों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ :

> ''प्रवरण समिति यह निर्णय करती है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा डा० वी० एच० शाह जो समिति के सामने उपस्थित हुए और डा० के० पी० पी० नायर, जिनके आवेदन-पत्र पर अनुपस्थिति में विचार किया गया इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार थे । जहाँ तक सामान्य सस्य विज्ञान का संबंध है, डा० राजेन्द्र प्रसाद आसाधारण उम्मीदवार समझे गए, किन्तु मक्का सस्य विज्ञान में उनके अनुभव को दृष्टि में रखते हुए समिति ने सिफारिश की कि वर्तमान पद पर डा० वी० एच० शाह को, जो बहुत समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, नियुक्त किया जाए ।''

जहाँ तक 1300-1800 रुपये के वेतनक्रम में सहायक महानिदेशक (खाद्यान्न तथा चारा फसल) के पद का संबंध है प्रवरण समिति में डा० बी० पी० पाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के भूतपूर्व महानिदेशक, पदेन अध्यक्ष के रूप में तथा डा० आर० एल० पालीवाल, प्रबन्ध निदेशक, तराई बीज विकास निगम, डा० वाई० आर० मेहता, उप महा-प्रबन्धक, राष्ट्रीय बीज निगम, डा० एस० रामानुजन, भूतपूर्व अनुसन्धान निदेशक, बिहार सरकार, डा० टी० आर० मेहता, उप महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शामिल थे । इस समिति ने इस पद के लिये डा० शाह की सिफारिश नहीं की थी।

इससे माननीय सदस्यों को पता चलेगा कि जिन पदों के लिये डा० शाह उम्मीदवार थे, चयन ऐसे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों की समितियों द्वारा किया गया है जिनके निर्णय पर कोई शक नहीं किया जा सकता है ।

अन्ततः यद्यपि डा० शाह का परिवार समृद्ध है, फिर भी सरकार उनकी विधवा तथा छोटे बच्चों की सहायता के लिये भरसक प्रयत्न करेगी ।

समितियों के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTTES

दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2 के खण्ड (1) (सोलह) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त परिनियम के खण्ड (1) के परन्तुक के अनुसार श्री नारायण चन्द्र पाराशर के स्थान पर दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2 खण्ड (1) (सोलह) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें उस परिनियम के खण्ड (1) के परन्तुक के अनुसार श्री नारायण चन्द्र पाराशर के स्थान पर दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं श्री ए० सी० जार्ज की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार अधिनियम, 1972 की धारा 4 (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार अधिनियम, 1972 की धारा 4 (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

चाय बोर्ड

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं श्री ए० सी० जार्ज की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

"कि चाय नियम 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

साधारण बीमा (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक

GENERAL INSURANCE (EMERGENCY PROVISIONS) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरा स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमें इस सभा में आश्वासन दिया गया था कि एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा और मुआवजा दिया जाना बन्द किया जायेगा। परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार व्यापक विधेयक प्रस्तुत नहीं करना चाहती। मैं चाहता हूँ कि वह आश्वासन दे कि सभा में एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा जिससे कि मुआवज़े की अदायगी बन्द की जाये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि वह आश्वासन चाहते हैं तो मैं उनको आश्वासन देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

अनुदानों की माँगें, 1972-73

DEMANDS FOR GRANTS, 1972-73

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : इन माँगों पर पहले ही 35 मिनट अधिक लग चुके हैं। मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्या मंत्री महोदय एन्टीबायोटिक्स फैक्टरी में चल रही हड़ताल में हस्तक्षेप करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वह आश्वासन दें कि इस हड़ताल को रोका जाये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : सभा में गुमराहकुन वक्तव्य दिए गए हैं। यह कहा गया था कि इंडियन आयल कारपोरेशन तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय जाँच कार्य में बाधा नहीं डाल रहे हैं। परन्तु समाचार-पत्रों में कुछ और ही प्रकाशित हुआ है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : हमें यह बताया गया था कि टकरू आयोग के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है। परन्तु आयोग ने कटु आलोचना की है। हमें टकरू आयोग के मामले पर तीन घण्टे की चर्चा करने की अनुमति दी जाये।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : टकरू आयोग पर उस दिन विस्तार से चर्चा हुई थी। इस मामले पर विभिन्न अवसरों पर चर्चा होती रहती है, यह एक प्रकार का न्यायाधिकरण है जो जाँच कर रहा है। यह आरोप ठीक नहीं है कि मंत्रालय उनसे सहयोग नहीं कर रहा है। मैंने मंत्री का पद सम्भालने के तुरन्त बाद आयोग को दो इन्वेस्टीगेटरों की सेवाएँ उपलब्ध कराई थीं। सरकार निष्पक्ष तथा उचित जाँच के पक्ष में है और वे इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगी। इंवेस्टीगेटरों के चयन का कार्य भी आयोग पर छोड़ दिया गया था। उनको आयोग द्वारा विभिन्न फाइलों में दी गई सामग्री को एकत्र करना बताया गया था। हमने आयोग की इस माँग को तुरन्त स्वीकार कर लिया था। अतः मेरा कहना यह है कि इस बारे में अनेक अवसरों पर चर्चा हो चुकी है, परन्तु फिर भी यदि माननीय सदस्य विस्तृत चर्चा चाहते हैं तो मैं सभा से सहमत हूँ।

श्री बनर्जी ने, जिन्होंने हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स का मामला उठाया है, अभी आधे घंटे पहले मुझे एक पत्र दिया था। मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ। उन्होंने पत्र में यह लिखा है कि शायद

11 तारीख को हड़ताल शुरू हो जाए। यह भी लिखा गया है कि बातचीत हुई थी परन्तु वह सफल नहीं हो सकी। हम भी यही चाहते हैं कि विवाद का कोई शान्तिपूर्ण हल निकल आये। मैं इस मामले पर ध्यान दूँगा।

श्री के० एल० चावड़ा (पाटन) : विदेशी फर्मों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : टकरू आयोग के बारे में पूरी चर्चा की जानी चाहिए। 20 महीने का विलम्ब हो चुका है।

श्री एच० आर० गोखले : बंगाल के पोर्ट कैनिंग क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य में विलम्ब का कारण यह है कि डिजीटल सिसमिक फील्ड यूनिट विदेशों से खरीदने पड़े थे। प्ले-बैक उपकरणों को चालू करने में भी कुछ समय लगा है। सर्वेक्षण कार्य अभी भी चल रहा है। शुरू में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने त्रिपुरा में खुदाई के लिए अपेक्षित उपकरणों की सूची तैयार करने में काफी समय लिया था। उनको विदेशों से आयात किया जाना था। अधिकांश क्रयादेश अमरीकी फर्मों को दिये गये थे। अमरीका में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उक्त उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त जब उपकरणों को रेल द्वारा लेजाया जा रहा था तो माल डिब्बे में आग लग जाने से उन्हें क्षति पहुँची थी जिसे दूर करने में काफी समय लग गया। आशा है जून, 1972 के अन्त तक ड्रिलिंग कार्य पुनः शुरू हो जायेगा।

इंडियन आयल कारपोरेशन को प्रतिवर्ष 20 से 25 करोड़ रुपये का लाभ हो रहा है। आरक्षित पूँजी में से सात प्रतिशत लाभांश भी दिया गया था। आशा है 1972-73 और 1973-74 में इण्डियन आयल कारपोरेशन की आरक्षित पूँजी में और 90 करोड़ रुपये जमा हो जायेंगे।

आयातित अशोधित तेल के मूल्यों में जो तेजी से वृद्धि हुई है उसके बारे में हमें भी चिन्ता है। तेल का उत्पादन तथा निर्यात करने वाले देशों ने कर, रायल्टी तथा अशोधित तेल के मूल्यों की वसूली के लिए आपस में सांठ-गांठ कर ली है। विदेशी फर्म अपनी सम्बद्ध फर्मों के माध्यम से कार्य करती हैं और वे अपना सारा बोझ हम पर डाल देती हैं। वे प्रति बैरल 30 सेन्ट का लाभ कमा रही हैं।

सरकार इस प्रकार का कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। सरकार ने उनकी विदेशी मुद्रा की पूरी माँग भी स्वीकार नहीं की है तथा तेल कम्पनियाँ कम तेल का शोधन कर रही हैं। अतः हमें विदेशों से तेल मँगाना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त विदेशों से सस्ते मूल्यों पर शोधित तेल प्राप्त हो रहा है अतः वहाँ से अशोधित तेल मँगाने की अपेक्षा शोधित उत्पाद मँगाना अधिक उचित है। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने देश में ही अधिक से अधिक तेल प्राप्त हो सके तथा उसका शोधन किया जा सके। सरकार को इस बात का भी ध्यान है कि अन्तरराष्ट्रीय मण्डियों से तेल से वही उत्पाद मँगाए जाएं जिनकी अपने देश में कमी है तथा जो सस्ते मूल्य में उपलब्ध हैं। देश में तेल उत्पादों के मूल्य केवल उतने ही बढ़ाए गए जितने की अपेक्षा थी। सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है तथा उन्हें विदेशों से कम से कम मूल्यों पर अशोधित तेल मँगाने की स्वतन्त्रता भी दी जा रही है जिससे गैर-सरकारी तेल कम्पनियों को अपने सूत्रों से अशोधित तेल मँगाने के प्राप्त अधिकार से उत्पन्न कठिनाई का सामना किया जा सके।

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में अपने लाभ का कुछ भाग विदेश भेजने के संबंध में सरकार उनके लेखे-जोखों की पूरी जाँच पड़ताल करने का प्रयत्न कर रही है। किन्तु भारत में तीन प्रमुख विदेशी कम्पनियों को अपने देश में धनराशि भेजने का अधिकार है क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व हुए करार में उनकी यह शर्त थी।

जहाँ तक विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के सुझाव का संबंध है मैं इस प्रस्ताव पर तुरन्त कोई निर्णय नहीं कर सकता। इस संदर्भ में मैं प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के उत्तर में कही गई बात का उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि "सरकार ने राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध है और न उससे डरती है। किन्तु राष्ट्रीयकरण हमारी बदलती हुई अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए। हम ऐसे किसी भी उद्योग या उसके एकक का राष्ट्रीयकरण करने में नहीं हिचकिचायेंगे जिनके द्वारा राष्ट्रीय हितों का हनन होता हो। किसी भी व्यक्ति के हाथों में आर्थिक शक्ति न सिमटने देने के लिए राष्ट्रीयकरण अन्य उपायों में से एक उपाय है।"

अतः माननीय सदस्यों को विश्वास होना चाहिए कि सरकार माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई हर महत्वपूर्ण समस्या पर पूरा-पूरा विचार करेगी।

श्री के० एस० चावड़ा : औधषियों के 250 करोड़ रुपयों के व्यापार में से विदेशी कम्पनियों के अधिकार में 200 करोड़ रुपये का व्यापार है तथा वे अत्यधिक मुनाफा ले रही हैं। इस संबंध में मैंने सरकार को दो प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न था कि क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि विदेशी फर्मों का आगे विस्तार नहीं होने दिया जायेगा तथा उन्हें अतिरिक्त लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे।

मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या विदेशी फर्मों के कार्यकरण की जाँच करने के लिए संसदीय समिति नियुक्त की जायेगी।

श्री एच० आर० गोखले : मैंने निवेदन किया है कि सरकार औषध निर्माण उद्योग को विकसित करने तथा अधिकतर दवाइयाँ स्वदेशी क्षेत्र के उपक्रमों में बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार इस बात पर भी अधिक ध्यान दे रही है कि उद्योग के विकास के लिए देश में प्रभावकारी अनुसंधान कार्य हो सके क्योंकि इस उद्योग में अनुसंधान कार्य का अधिक महत्व है। सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है कि अधिक से अधिक उत्पादन भारतीय उद्योग में ही किया जाये।

श्री के० एस० चावड़ा : सरकार विदेशी फर्मों को एरीप्रोमीसिन का आयात करने की अनुमति क्यों दे रही है। **(व्यवधान)** यह प्रश्न राष्ट्रीय हितों से संबंधित है तथा कई बार सदन में उठाया गया है। मंत्री महोदय ने सभा को धोखा दिया है। यदि माननीय मंत्री यह कह दें कि मेरी बात गलत है तो मैं सहायता से त्याग-पत्र देने को तैयार हूँ। सरकार विदेशी एकाधिकार को क्यों प्रोत्साहन दे रही है? **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बार-बार कहा है कि उनके मंत्रालय ने टकरू आयोग के समक्ष लगभग 4000 फाइलें प्रस्तुत की हैं जिससे स्पष्ट है कि मंत्रालय आयोग के साथ सहयोग कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि आयोग ने अपने पत्र में कुछ फाइलों की संख्या तक लिखकर यह अनुरोध किया है कि उन फाइलों को तुरन्त

प्रस्तुत किया जाये किन्तु अभी तक वे फाइलें आयोग को नहीं दी गई तथा मंत्रालय ने कह दिया कि वे फाइलें या तो गुम हो गई अथवा नष्ट कर दी गई। (**व्यवधान**) उदाहरण के लिए आयोग ने फाइल संख्या 22362/ ओ० आर० की माँग की। यह फाइल श्री पी० आर० नायक के विदेशों में दौरों से संबंधित है। किन्तु मंत्रालय ने यह उत्तर दिया कि पूरे प्रयत्नों के बाद भी यह फाइल उपलब्ध नहीं हो सकी।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : अशोधित तेल के मूल्यों के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि तेल कम्पनियों ने अशोधित तेल के अधिक मूल्यों की माँग की जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इस पर तेल कम्पनियों ने कम अशोधित तेल मंगाना आरम्भ कर दिया किन्तु सरकार उन्हें इतनी ही विदेशी मुद्रा देती रही जितनी पहले दी जाती थी। इसके क्या कारण हैं ?

श्री एच० आर० गोखले : फाइलों के संबंध में मैंने कहा था कि भारतीय तेल निगम ने 4,000 फाइलें प्रस्तुत की हैं। मंत्रालय ने लगभग 300 फाइलें प्रस्तुत की हैं। आयोग के निर्देश पदों के अनुसार सभी संबद्ध फाइलें प्रस्तुत किये जाने का प्रयास जारी है। जो फाइलें नहीं मिली हैं उनकी भी खोज की जा रही है।

सरकार द्वारा तेल के मूल्यों के संबंध में कम्पनियों को मूल्यों में इतनी वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी गई जितनी वे चाहती थीं। उन्हें विदेशी मुद्रा भी कम दी गई है जिससे वे कम्पनियाँ कम अशोधित तेल का आयात कर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप हुई तेल की कमी को पूरा करने के लिये विदेशों से आयात किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 26 से 31 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Cut Motions Nos. 26 to 31 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 39 से 48 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Cut Motions Nos. 39 to 48 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of the Ministry of Petroleum and Chemicals were put and adopted.

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
66	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	64,73,000
125	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	69,12,61,000

विधि और न्याय मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में विधि और न्याय मंत्रालय की माँग संख्या 64 और 65 पर विचार-विमर्श किया जायेगा। इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या लिखकर पर्चियाँ सभा पटल पर रख दें। उन्हें प्रस्तुत हुआ मान लिया जाएगा।

विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की अनुदानों की निम्न-लिखित माँगें प्रस्तुत की गईं

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
64	विधि और न्याय मंत्रालय	5,47,75,000
65	न्याय प्रशासन	2,37,000

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : महोदय गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी इस मंत्रालय की माँगों पर चर्चा करने के लिए कम समय दिया गया है।

न्यायाधीशों की विवादास्पद नियुक्ति तथा दोषपूर्ण कानूनी सलाह देने के लिए यह मंत्रालय काफी बदनाम हो गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 19 या 20 वीं शताब्दी में बने थे। अतः मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए उनमें संशोधन किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा चुका है किन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए अभी तक कोई विधेयक नहीं लाया गया। अतः इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो सके।

गरीब लोगों को कानूनी सहायता देने के संबंध में सरकार ने बहुत दिनों से उक्त प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया है। मंत्रालय के 1971-72 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि अपर्याप्त साधनों के कारण इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया तथा इस मामले को बार काउंसिल को सौंपे जाने का प्रयत्न है। किन्तु यदि बार काउंसिल के पास भी साधन नहीं हुए तो इतने दिनों तक ऐसे गरीब लोगों की कैसे सहायता की जाएगी, जिन्हें विवश होकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है तथा जो न्यायालय की फीस देने तथा अन्य खर्च करने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को उनका भार अपने ऊपर लेना चाहिए अन्यथा 'गरीबी हटाओ' का नारा निराधार रह जायेगा।

विभिन्न उच्च न्यायलयों में बड़ी संख्या में मुकदमे अनिर्णीत पड़े हैं। सरकार ने इसके कारणों के बारे में कोई अध्ययन नहीं कराया। प्रतिवेदन के अनुसार एक समिति नियुक्त की गई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि समिति ने क्या सिफारिशें की थीं तथा उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अनिर्णीत मुकदमों की संख्या बढ़ने के बहुत से कारण हैं। एक कारण यह है कि उच्च

न्यायालयों तथा छोटे न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कम है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

मैं मंत्री महोदय का ध्यान केन्द्र सरकार के वकीलों का पैनल बनाने की ओर दिलाना चाहता हूँ। विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में इस प्रकार का पैनल बनाया जाता है किन्तु कई बार उसमें कुशलतम वकीलों को सम्मिलित नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, वकीलों को काम देने में भी पक्षपात किया जाता है। वास्तव में पैनल केवल नाम मात्र के होते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकीलों को काम देने में पक्षपात होता है तथा उन्हें बहुत दिनों तक फीस नहीं दी जाती। इस प्रकार कुशल वकील पैनल में नहीं आना चाहते।

वर्तमान परिस्थितियों तथा कठिनाइयों को देखते हुए, प्रतिभाशाली विधि वेत्ता न्यायाधीश बनना नहीं चाहते। अत: मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है।

अधिकतर लोगों तथा विशेषकर वकीलों की राय में सेवानिवृत्त न्यायधीशों को कोई कार्यभार नहीं सौंपा जाना चाहिए। भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सेवानिवृत होने पर कोई कार्यभार नहीं सौंपा जायेगा। इसका कारण यह है कि ऐसे अधिकारी सरकार का समर्थन प्राप्त करने के लालच में कोई कार्य न करें। मेरे प्रश्न के के उत्तर में बताया गया था कि अगस्त, 1967 से 31 जुलाई, 1970 तक सरकार ने न्यायाधीशों की सेवा प्राप्त की। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि न्यायाधीशों में भी मानवजात कमजोरियाँ होती हैं तथा वे सेवानिवृत्त होने पर अन्य कार्य प्राप्त करने के लिए सरकार को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। अत: यह प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए तथा न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होने पर कोई कार्यभार नहीं सौंपा जाना चाहिए।

देखा गया है कि विधि प्रतिवेदन तथा अन्य विधि प्रकाशनों का अधिकृत प्रकाशन अनधिकृत प्रकाशनों से बहुत देर बाद होता है जिससे उनका महत्व घट जाता है।

संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक से अधिक आयुक्त होने चाहिएँ। किन्तु खेद का विषय है कि सरकार ने अभी तक निर्वाचन आयोग को केवल एक ही आयुक्त के अधीन रखा है तथा शेष आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है। अत: निर्वाचन आयोग का विस्तार किया जाना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

निर्वाचन आयोग को अपने निर्णयों को क्रियान्वित कराने तथा देश में निर्वाचन कराने के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास अपने कर्मचारी नहीं हैं। अतः सरकार यदि पक्षपात रहित चुनाव कराने में विश्वास रखती है तो निर्वाचन आयोग को पर्याप्त कर्मचारी मिलने चाहिएँ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय में भी पर्याप्त कर्मचारी होने चाहियें।

विधि और न्याय मंत्रालय की माँगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
64	11	श्री डी० के० पंडा	मजदूरों, किसानों और निर्धन हरिजनों और आदिवासियों को विधिक सहायता की गारंटी देने के साथ कमजोर वर्गों को शीघ्र न्याय-प्राप्त कराने के लिए न्याय प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	12	श्री डी० के० पंडा	न्यायालयों, विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय में सेवा निवृत्त न्यायाधीशों द्वारा वकालत पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	13	श्री डी० के० पंडा	न्यायाधीशों पर भारतीय विधि संस्थान जैसे किसी भी ऐसे संस्थान से, जिसे अमरीकी सहायता मिलती है, सहयोजन करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	14	श्री डी० के० पंडा	जाँच आयोगों तथा राज्य वादकरण के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति संबंधी प्रणाली से भाई भतीजावाद और पक्षपात का उन्मूलन करने के लिए एक संसदीय समिति की नियुक्ति करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	15	श्री डी० के० पंडा	परामर्शदाताओं में सरकारी मामलों के वितरण करने के लिये मानक निर्धारण करने के लियें निष्पक्ष व्यक्तियों की एक समिति गठित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	16	श्री डी० के० पंडा	भारतीय विधि संस्थान का, पाकिस्तान के समर्थन में, भारत-विरोधी, विएतनाम-विरोध, तथा बंगला देश विरोधी प्रचार करने के लिए उपयोग किए जाने को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
	17	श्री डी० के० पंडा	यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपने ही राज्य के उच्च न्यायालयों में नियुक्त न किये जायें।	100 रुपये
	18	श्री डी० के० पंडा	अपील और अन्तर्वर्ती कार्यवाही तथा भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, द्वारा जारी किये गये डिप्लोमा को मान्यता देने में विलम्ब।	100 रुपये
	19	श्री डी० के० पंडा	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सामान्यतया तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विशेषतया, न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
	20	श्री डी० के० पंडा	एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की कमियों को दूर करने और बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंसों का देना कम करने के लिए एकाधिकार आयोग को उपयुक्त तथा समय पर सलाह देने में असफलता।	"
	21	श्री डी० के० पंडा	उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के मामले में सही मार्गदर्शन और सलाह देने में असफलता।	"
	22	श्री डी० के० पंडा	सरकारी अभियोग-सार का समान और उचित वितरण करने और विधि की विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञ तैयार करने के लिए अधिवक्ताओं की गोष्ठी में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता।	"
	23	श्री डी० के० पंडा	समाज के निर्धन तथा कमजोर वर्गों को आवश्यक विधिक सहायता देने के लिए वकील परिषद् की असफलता।	"
	24	श्री डी० के० पंडा	समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों की विधिक सहायता सुनिश्चित करने में असफलता।	"

1	2	3	4	5
64	25	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में उच्चतम न्यायालय का एक सरकिट न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	26	श्री डी० के० पंडा	एकाधिकार की वृद्धि और कर-अपवंचन को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध सही सामाजिक-दर्शन का सत्यापन करने के आधार पर विधि आयोग का तीसरा सदस्य लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	27	श्री आर० वी० बड़े	ऐसे न्यायाधीशों को, जो अतिरिक्त अथवा तदर्थ न्यायाधीश न हों, निर्वाचन याचिकाओं के बारे में निर्णय देने के लिए नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	29	श्री भोगेन्द्र झा	गरीब किसानों, कृषि-मजदूरों तथा अन्य निर्धन वर्गों के लिए न्याय को मुफ्त उपलब्ध कराने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दिया जाए
64	30	श्री भोगेन्द्र झा	वकीलों द्वारा चुनाव से न्यायधीशों की नियुक्ति न करना ।	”
64	31	श्री भोगेन्द्र झा	न्यायाधीशों की नियुक्ति में सम्पतिशाली वर्गों के साथ पक्षपात ।	100 रुपये
64	32	श्री भोगेन्द्र झा	आर्थिक और सामाजिक शोषण मिटाने के लिए समुचित विधिक मार्गदर्शन और सलाह देने में असफलता ।	100 रुपये
64	33	श्री भोगेन्द्र झा	बिहार सरकार द्वारा टाटा जमींदारी उन्मूलन के विरुद्ध टाटा के हित में गलत कानूनी सलाह दिया जाना ।	100 रुपये
64	34	श्री भोगेन्द्र झा	हरिजनों, आदिवासियों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अन्य लोगों को न्यायार्थ आवश्यक वित्तीय तथा विधिक सहायता देने में असफलता ।	100 रुपये

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : इस मंत्रालय की रिपोर्ट बहुत छोटी है और पूर्ण विवरण इसमें नहीं दिया गया है। इसमें कार्यों का तो विवरण है, किन्तु उनके परिणामों का नहीं।

इस मंत्रालय के अन्तर्गत अनेक विषय आते हैं, परन्तु इस समय मैं न्यायपालिका, चुनाव संबंधी मामलों और राज भाषा आदि की ही चर्चा करूँगा।

प्रत्येक न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमों की संख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती जा रही है। निचली अदालतों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमे का निर्णय होने में लगभग 14-15 वर्ष का समय लग जाता है। अदालतों के कार्यभार में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

फौजदारी मुकदमों का निर्णय होने में भी चार से पाँच वर्ष लग जाते हैं। अपराधी को गिरफ्तार करके सालों अदालती हिरसात में रखा जाता है। दण्ड देने में हिरासत की अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाता। उपराष्ट्रपति श्री पाठक के शब्दों में न्याय पाने में विलम्ब एक कैन्सर बन चुका है और इसके लिए शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई, तो सारी व्यवस्था ही धूल-धूसरित हो जायेगी। इस बारे में मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

मजिस्ट्रेटों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और मुन्सिफ एवं न्यायाधीशों में भी उसकी शुरूआत हो गयी है। मन्त्री महोदय को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की जड़ें समाप्त करनी चाहिए।

यद्यपि चुनाव की निष्पक्षता बनाये रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, किन्तु फिर भी कुछ राज्यों में जाली वोट ही नहीं डाले गए बल्कि मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर लिया गया। यही नहीं, चुनाव कर्मचारी जाली मतदान कराने और अन्य गैर कानूनी कार्यों के लिए घूस तक लेते हैं। गाँवों में 45 अथवा 50 प्रतिशत से अधिक मतदान नहीं होता, परन्तु 98,000 मतदाताओं के एक विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक उम्मीदवार 70,000 मतों से विजयी हुआ। अगर काउन्टर फायल पर किये गये हस्ताक्षरों का मिलान वास्तविक मतदाताओं के हस्ताक्षरों से किया जाय, तो वास्तविकता सामने आ जायेगी।

चुनाव आयोग एक स्वायत्त और स्वतन्त्र संस्था है और केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों में से चुनाव अधिकारी और मतदान अधिकारी चुनने की उसे स्वाधीनता होनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं मिलता, तो लोकतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा।

अब मैं कानूनी मामलों में राजभाषा के प्रयोग के बारे में बोलना चाहूँगा। बहुत कम अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है। अधिक से अधिक अधिनियमों का हिन्दी में शीघ्र अनुवाद किया जाना चाहिए ताकि जनता उन्हें समझ सके।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : बदलते हुए और गतिशील समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में न्यायपालिका बुरी तरह असफल रही है। न्यायालयों में भारी संख्या में मुकदमे अनिर्णीत पड़े हैं। कुछ वर्ष पहले अनिर्णीत मुकदमों की संख्या 2 लाख थी जो अब बढ़कर 4 लाख हो गई है। इस बारे में विधि आयोग और सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने जो सिफारिशें की थीं उनको कार्यान्वित किया जाना चाहिए और सिविल एवं दण्ड प्रक्रिया संहिताओं में संशोधन किये जाने चाहिए। पिछले कई वर्षों से यह मंत्रालय अपने कार्य में पूर्णतः विफल रहा है। केरल सरकार द्वारा विदेशी बागानों के राष्ट्रीयकरण संबंधी विधेयक पर मंत्रालय ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

केरल सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम पारित किए हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस अधिनियम के कुछ उपबन्धों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यह अधिनियम लाखों व्यक्तियों के जीवन से संबद्ध है, इसलिए संविधान में संशोधन करके इसे नवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

न्यायपालिका का आचरण इस प्रकार का होना चाहिए कि उस पर किसी को शक करने की कोई गुंजाइश ही न रहे। कुछ न्यायाधीशों के कुछ कंपनियों में शेयर और निहित स्वार्थ हैं फिर वे आम जनता को किस प्रकार न्याय दे सकते हैं? इसलिए यह आवश्यक है कि सिविल और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किये जाएँ। मैं मंत्रालय की माँगों का विरोध करता हूँ।

Shri M. C. Daga (Pali) : The poor are unable to get the fruits of their hard labour. Articles 14, 22 and 38 of the Constitution enjoins upon this State to provide to every citizen justice social and economic. If timely steps are not taken in this direetion the country will soon be engulfed by a revolution.

Nothing rambles more in the human heart than a brooding sense of ijnustice. Illness we can put up with. But injustice makes us want to pull things down. Democracy's very life depends upon making the machinery of justice so effective that every citizen shall believe in its impartiality and fairness.

It was decided in 1961 that Court fees would be abolished for the poor, but the decision has not been implemented so far. I would, therefore, request that laws should be amended in keeping with the changing circumstances.

श्री के० बासप्पा (चित्रदुर्ग) : भारत के अनेक राज्यों विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में वक्फ अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। मैसूर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यह अधिनियम 1954 से लागू है, परन्तु सर्वेक्षण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

जिला जजों की सेवा-निवृत्ति की आयु कुछ राज्यों में 55 वर्ष है और कहीं 58 वर्ष है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति आयु क्रमशः 62 वर्ष और 65 वर्ष है। सारे भारत में जिला जजों की सेवा-निवृत्ति की आयु समान रूप से 58 वर्ष कर दी जानी चाहिये। राजभाषा आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी केन्द्रीय अधिनियमों का क्षेत्रीय भाषाओं में शीघ्रातिशीघ्र अनुवाद किया जाय। भारतीय संविधान का अनुवाद सभी प्रादेशिक भाषाओं में होना चाहिए।

विधि-आयोग में इस समय दो पूर्ण-कालिक सदस्य हैं, उनमें एक प्रोफेसर है और एक उच्च न्यायालय का जज है। एक अन्य न्यायशास्त्री को तीसरे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लौर) : मुझे इस बात पर हर्ष है कि सरकार संविधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन की आवश्यकता महसूस करने लगी है। विधि-आयोग निदेशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाये जा सकने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। मंत्री महोदय को इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

विधि-आयोग ने 1955 में अपनी स्थापना के बाद 47 रिपोर्टें पेश की हैं, परन्तु वार्षिक रिपोर्टों में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि कितनी सिफारिशें क्रियान्वित की गईं।

गरीबों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के प्रश्न पर वर्ष 1957 में विधि मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णय किया गया था, परन्तु सरकार ने अधिवक्ता विधेयक, 1970 में इसकी व्यवस्था की। अब यह संसद की संयुक्त समिति को सौंप दिया गया है। सरकार ने स्वयं कार्यवाही करने में पन्द्रह वर्ष लगा दिए। सरकार को गरीबों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

राजभाषा आयोग को केन्द्रीय कानून, भारतीय संविधान और कानूनी पुस्तकों का तमिल तथा अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना चाहिए।

तमिलनाडु, केरल, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश की जनता के लाभ के लिए मद्रास में सर्वोच्च-न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित की जानी चाहिए। तमिलनाडु के दक्षिणी भाग की जनता के लाभ के लिए मदुरै में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित की जानी चाहिए।

सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के एक ही पदवी होनी चाहिये। व्यक्तिगत कानून समाप्त होना चाहिए।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : हमें यह स्वीकार करना होगा कि उच्च न्यायालयों में मुकदमों के फैसलों में काफी विलम्ब होता है। इसका एक कारण न्यायाधीशों की संख्या कम होना है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने और रिक्त स्थानों के भरने में विलम्ब को समाप्त करने एवं अतिरिक्त न्यायाधीशों के अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले पाँच वर्षों में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 245 से बढ़कर 319 हो गई है। उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मुकदमों की समस्या का अध्ययन करने के लिए नियुक्त जे० सी० शाह समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

सिविल और दण्ड प्रक्रिया संहिताओं से संबंधित कानूनों का संशोधन करके उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सीमित करने का प्रश्न विचाराधीन है। विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्त्तमान दण्ड संहिता प्रकिया को बदलने संबंधी विधेयक संसद में विचाराधीन है। मुकदमों के निपटान में विलम्ब समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए विधि आयोग से अनुरोध किया गया है।

सरकार इससे सिद्धांत रूप में सहमत है कि न्याय सस्ता होना चाहिए और शीघ्र उपलब्ध होना चाहिए। कोर्ट फीस राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्रीय सरकार कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के अलावा और कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इस बारे में अधिवक्ता विधेयक के बारे में नियुक्त संयुक्त संसदीय समिति विचार कर रही है।

जहाँ तक केन्द्रीय अधिनियमों का संबंध है, राजभाषा आयोग को हिन्दी अनुवाद का कार्य सौंपा गया है। आयोग ने आधे से अधिक अर्थात 302 कानूनों का हिन्दी में अनुवाद कर लिया

है । संसद में पेश होने वाले विधेयकों के अंग्रेजी पाठ के साथ हिन्दी अनुवाद भी पेश किया जाता है । राज्यों के अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद करना मूलतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । हिन्दी में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्य 1 जुलाई, 1972 से प्रारम्भ किया जा रहा है । संविधान का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दिया गया है और उन्हें शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा ।

बिहार के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से मतदान केन्द्र पर कब्जा करने की कोई सूचना नहीं मिली है और जहाँ भी सूचना मिली, वहाँ चुनाव दुबारा कराये गये हैं ।

यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग में अनेक सदस्य होने चाहिए । संसद की संयुक्त समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया है और इस बारे में शीघ्र ही सरकार विधेयक पेश करेगी ।

श्री बासप्पा ने कुछ राज्यों में वक्फ बोर्ड कानून लागू न होने और वक्फ सम्पत्ति का सर्वेक्षण न होने की बात कही । हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि राज्य सरकारों को हम सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए लिखेंगे । जिला न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु के बारे में निर्णय करना राज्य सरकारों का दायित्व है । विधि आयोग में तीसरे सदस्य की नियुक्ति करते समय हम उनके सुझाव को ध्यान में रखेंगे ।

बदलती परिस्थितियों के अनुकूल कानूनों को आधुनिक बनाने की ओर भी अप्रत्यक्ष रूप से संकेत किया गया । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1-9-71 को नवगठित विधि आयोग के निर्देश पदों में परिवर्तन किया गया है । कानूनों में संशोधन करते समय माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखा जायगा ।

श्री चन्द्रप्पन ने यह कहा कि केरल सरकार का विदेशी बागानों का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी विधेयक डेढ़ साल से केन्द्रीय विधि मंत्रालय में विचाराधीन है, यह सही नहीं है । केरल में विदेशी स्वामित्व के चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी अध्यादेश सलाह के लिए विधि मंत्रालय में आया था जिस पर सलाह दे दी गई है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सम्भवतः यह गृह मंत्रालय में विचाराधीन पड़ा हो ।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : यह अध्यादेश अभी तक विचाराधीन है ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota): The poor people in our country are not getting cheaper and speedy justice under the existing judicial framework. Election laws are full of malpractices. Parliamentary Committee and Expert Commission recommended suitable amendments in the election laws but nothing has been done in this regard uptil now. The system of signing the counterfoil of the ballot paper is not proper. This system has lead to further malpractices in the election procedure. Therefore, this system should be abolished. The counting of votes should not be postponed for days together. The counting of votes should be held boothwise. In place of the existing majority system, the tests system should be introduced. Similarly the system of stamping of the ballot paper should be abolished and that of punching the ballot papers should be introduced to avoid malpractices.

Election petitions are not disposed of early. They take quite a long time. There should be a time limit of 6 months to decide such cases.

So far as the question of Stamp duty is concerned, it is a great burden and rather a costly affair for the poor people. Only because of this poor people are deprived of cheap and honest justice. Therefore, stamp duty system should be abolished. In this conection Scheduled Castes/Scheduled, Tribes people are the worst sufferers. They can not afford high expenditure to fight their cases. There should be adequate provisions for giving free legal aid to the persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes communities. There should be separate courts of law for these people and they should not be charged Stamp Duty.

Election Commission should consist of three members. The Parliamentry Committee has recommended in its report that a committee of legal experts should be appointed to suggest suitable amendments in the Election Law to make it more effective.

श्री धर्मराव अफजलपुरकर (गुलबर्गा) : मैं विधि और न्याय मंत्रालय को अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ। इस मंत्रालय के अधीन तीन विभाग हैं जिनमें एक विभाग विधिक विभाग है। यह विभाग भारत सरकार के मंत्रालयों और विभिन्न विभागों को कानूनी सलाह देता है। मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार इस विभाग के पास लगभग 25,241 मामले पहुँचे हैं, किन्तु प्रतिवेदन में यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि ये मामले सलाह देकर संबंधित विभागों को वापस भेज दिए गये हैं अथवा नहीं।

गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के बारे में 1957 में विधि मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था। परन्तु इस संबंध में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। गरीब लोगों, विशेषकर किरायेदारों और श्रमिकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह विभाग इस कार्य के लिए अत्यधिक धन खर्च करता है फिर भी इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। अतः गरीब लोगों और श्रमिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने हेतु सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

विभिन्न न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की बड़ी-बड़ी सूचियाँ पड़ी हुई हैं। कुछ मामले तो 1932 से लम्बित हैं। जब तक कानूनी प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जायेगा और नये कानून नहीं बनाये जायेंगे तब तक लम्बित पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने की दिशा में कुछ भी नहीं किया जा सकता है और गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा।

जहाँ तक जिलाधीशों की नियुक्ति का संबंध है, इनकी नियुक्ति वकीलों में से नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे न्यायांग में कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति नहीं होगी।

मुन्सिफों के चयन का कार्य लोक सेवा आयोग को नहीं सौंपा जाना चाहिए अपितु यह कार्य उच्च न्यायालय को सौंपा जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति "बार" (वकीलों) से की जानी चाहिए किन्तु उच्च न्यायालय से नहीं। उसे अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

जैसी कि विधि आयोग ने सिफारिश की है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अन्य राज्य से की जानी चाहिए । इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय और दूसरे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त किसी न्यायालय में वकाकत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

हरिजन और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीश के पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए ।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : Legal procedures should be easily understandable to the people and the justice should be cheap and easily available to the people and for this purpose the present procedure should be streamlined.

Legal proccedings take very long time and that is why the number of pending cases in the various High Courts is increasingly mounting. There are 71,000 cases pending in Allahabad High Court; 39,000 cases pending in Bombay High Court; 77,000 cases pending in Calcutta High Court and more than 15,000 cases are pending in Andhra High court. Even more deteriorating condition is in the lower courts. Therefore, Government should see that cases should not remain pending for more than three years.

For the effective system of judiciary it is necessary to improve the lot of the advocates. A few advocates have monopolised this profession and their earnings have become very large and fantastic, while majority of the lawyers are hardly earning to make both ends meet. In order to have equitable distribution of income and in order to abolish monopoly of a section of lawyers in the profession cooperative societies of the lawyers should be formed to remove this monopolistic tendency.

People have to face great hardship and harassment because of the provisions contained in Section 80 of Civil Procedure Code which needs amendment.

There is a long pending demand that a division bench of High court should be established in Jaipur. The volume of work in Jaipur is too much and therefore it is justified, that a bench is established in Jaipur. The Government should look into this long standing demand and take a favourable decision in the matter.

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : मंत्री महोदय ने बताया है कि उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ योग्यताओं के आधार पर ही की जाती हैं । परन्तु जहाँ योग्यता पर ध्यान दिया जाता है तो वहाँ हरिजन लोगों को न केवल उच्च न्यायालयों में अपितु न्यायिक अधिकारियों, सरकारी अभियोक्ताओं, राज्य सरकार के अभियोक्ताओं के पदों पर भी नियुक्त किया जाना चाहिए ।

दुर्भाग्य की बात है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णयों में यह कह कर भ्रम उत्पन्न कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 335 को, अनुच्छेद 16 के साथ पढ़ा जाना चाहिए । किन्तु 335 एक अलग अनुच्छेद है और इसमें न्यायपालिका की सेवायें सम्मिलित हैं । हरिजनों में भी योग्य व्यक्ति हैं और उनको न्यायाधीश के पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए । अन्यथा हरिजनों के प्रति अन्याय समझा जायेगा क्योंकि अभी तक किसी हरिजन को उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है । इन नियुक्तियों में विशेष समुदायों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए ।

अत: मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि अनुच्छेद 335 के अनुरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण करने हेतु एक विधेयक पेश किया जाए। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : सरकार और महा न्यायवादी ने उत्तर-प्रदेश के अधिकारियों को सलाह दी है कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है। परन्तु विधि मंत्रालय के सचिव ने खुले तौर पर यह प्रचार किया है कि राज्य सरकार को चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई अधिकार नहीं है। महा न्यायवादी की सलाह के पश्चात् मंत्रि-मण्डल ने भी इस बात को स्वीकार किया है किन्तु फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार को चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं करने दिया गया है। अवर और कनिष्ठ अधिकारियों में मामलों का वितरण करने में भेदभाव और भाई भतीजावाद बरता जाता है।

एन० आई० डी० सी० जो एक सरकारी उपक्रम है वहाँ के कर्मचारी को.........

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत मामलों को यहाँ नहीं लाना चाहिए।

श्री डी० के० पंडा : वहाँ एक कर्मचारी के मुकदमा दायर करने पर उपक्रम के प्रबन्धक मण्डल ने 2,000 रुपये फीस लेने वाला एक वकील नियुक्त किया जिसमें क्लर्क आदि के खर्च पर 200 रुपये और जेब खर्च पर 300 रुपये और व्यय हुए। यदि कर्मचारी के दावे का भुगतान सीधे ही किया जाता तो केवल 130 रुपये खर्चा पड़ता। यह बहुत हास्यास्पद बातें हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। उड़ीसा में भी उच्चतम न्यायालय की सर्किट बैंच बनाई जानी चाहिए।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई-मध्य) : जहाँ तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का संबंध है मैं जानता हूँ कि इन जातियों के अनेक युवा प्रतिभावान वकील हैं। उन्हें उच्च न्यायालयों की विभिन्न तालिकाओं (पैनलों) में लिया जाना चाहिए। उन्हें विधि आयोग और न्यायिक सेवा में लिया जाना चाहिए। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि अयोग्य और मूढ़मति व्यक्तियों को लिया जाए। परन्तु जब इन जातियों में योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति उपलब्ध हैं, तो उन्हें न्यायिक सेवा में अवश्य लिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को इस संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए।

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गए हैं। और जहाँ तक सम्भव होगा उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया जायेगा।

कई माननीय सदस्यों ने "कानूनी सहायता" हेतु एक व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। इस संबंध में दो मत नहीं हो सकते। अभियोक्ता संशोधन अधि-नियम, जो दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के समक्ष विचाराधीन है, में यह सुझाव दिया गया है और गरीब व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने हेतु एक व्यापक वैध योजना पर सक्रिय रूप में विचार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि उचित समय में वैध सहायता संबंधी योजना सभा की स्वीकृति के लिए उसके सम्मुख पेश की जायेगी।

यह बात भी ठीक है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़े मामलों

की बहुत अधिक संख्या हो गई है और निर्णय करने में बहुत विलम्ब होता है। यह भी ठीक है कि न्यायाधीशों की संख्या भी बहुत बढ़ा दी गई है। परन्तु बात यहाँ ही समाप्त नहीं होती है। देश में वर्तमान दीवानी और फौजदारी दोनों प्रक्रिया जो अब पुरानी हो गई हैं, का पूर्णतया शोधन किया जायेगा जिससे न्यायालयों में निपटाए जाने वाले मामलों में जो विलम्ब होता है उसे समाप्त किया जा सके। आपराधिक प्रक्रिया संहिता को संसद की समिति के पास भेजा गया है, जिसने इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का सुझाव दिया है जिससे कि आपराधिक मामलों को निपटाने में होने वाले विलम्ब को कम किया जा सके। सिविल प्रक्रिया संहिता को भी संयुक्त समिति में भेजा गया था और उस समय संयुक्त समिति ने ठीक ही राय दी थी कि जो सुझाव दिए गए हैं उनसे समस्या के एक पक्ष का भी समाधान नहीं हुआ है। इस मामले को विधेयक के रूप में न लाने के बजाए इसको विधि आयोग को सौंप दिया गया है जो होने वाले विलम्ब को कम करने और मुकदमे की लागत में कमी करने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता में आमूल परिवर्तन करने के सुझाव-कार्य में संग्लन है। संविधान के अनुच्छेद 133 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जा रहा है। जिसमें यह विचार किया जा रहा है कि छोटी अथवा कम सम्पत्ति वाले वादी को भी अपील करने का अधिकार हो। अतः हमने यह निर्णय किया है कि इस मामले की पुनः जाँच की जानी चाहिए और इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि विधि आयोग द्वारा इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 133 का संशोधन करने वाला विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जायेगा।

विधि आयोग ने टिप्पणी की है कि समाज विरोधी अथवा वित्त संबंधी अपराधों को करने वाले अपराधियों को जो दण्ड दिया जाता है वह अपराध की तुलना में बहुत कम होता है। अतः सरकार का विचार है कि समाज विरोधी अपराधों अथवा वित्त संबंधी अपराधों के अपराधियों को अलग-अलग दण्ड दिया जाए। विधि आयोग पहले ही समाज विरोधी अथवा वित्त संबंधी अपराधों से निपटने हेतु समूची पद्धति के पुनर्निर्माण के लिए एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुका है। हमें आशा है कि हम यथाशीघ्र उस प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने में समर्थ हो जायेंगे।

सरकार ने विभिन्न न्यायालयों में बहुत अधिक अनिर्णीत मामलों से छुटकारा पाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व न्यायमूर्ति श्री जे० सी० शाह हैं। इस समिति ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसमें कुछ सिफारिशें निस्संदेह ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिनके लिए विधान बनाए जाने की आवश्यकता है किन्तु इसके लिए विधान पारित होने तक समूचे प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने से न रोका जाए। हम पहले ही यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर चुके हैं कि कम से कम प्रशासनिक मामलों को, जो विलम्ब को कम करने में सहायक हो सकें तथा जिनकी समिति ने सिफारिश की है, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। इस संबंध में मैंने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखा है कि वह मामले पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से विचार विमर्श करें ताकि इन लम्बित पड़े मामलों के बारे में कुछ तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी बहुत कुछ कहा गया है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं इस संबंध में हमारे संविधान में व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्याया-

धीशों की नियुक्ति के संबंध में भी राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में उनकी योग्यता को सर्वोपरि देखा जाता है। हमारा प्रयत्न सदा यही होता है कि इन पदों पर उदार एवं योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाए। जैसाकि मैंने पहले भी कहा न्यायाधीशों का चयन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है। विचार विमर्श की इस प्रक्रिया में हमें पुरानी पद्धति पर नहीं अड़े रहना चाहिए कि जब कभी भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से कोई प्रस्ताव आए, हम उसे नियम के रूप में स्वीकार कर लें। इस संबंध में हम अवश्य ही अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहेंगे कि उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्ति के लिए योग्य क्यों नहीं समझा जाता तथा उसके लिए हम स्वयं किसी योग्य व्यक्ति का नाम देंगे। निस्संदेह इस प्रक्रिया में पहले से थोड़ा अधिक समय अवश्य लगेगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन में माननीय सदस्य श्री शंकर तिवारी ने कुछ जिज्ञासा प्रकट की है। उनके चयन में किए जाने वाले विलम्ब के कारणों को यहाँ बताना मेरे लिए संभव नहीं किन्तु इतना अवश्य है कि वह सभी कारण न्यायोचित हैं। हरिजन न्यायाधीशों की संख्या अन्यों की तुलना में बहुत कम है किन्तु यह सब नहीं है कि एक भी हरिजन न्यायाधीश नहीं है। उच्च न्यायालय में थोड़े बहुत हरिजन न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, केवल यह तथ्य कि कोई व्यक्ति विशेष किसी विशेष वर्ग का है, निर्णयात्मक तथ्य नहीं माना जा सकता। मुझे बहुत हर्ष होगा यदि मुझे उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के पद के लिए अनुसूचित जातियों के अधिकाधिक लोग आवेदन दें। बम्बई में यद्यपि समूची तालिका का पुनर्गठन नहीं किया गया है तथापि इस तालिका में कुछ हरिजन अधिवक्ताओं को सम्मिलित करने का आदेश दे दिया गया है। मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों को इसमें सम्मिलित करने का यथासंभव प्रयास किया है किन्तु उनमें इसके लिए समुचित क्षमता तथा योग्यता होनी चाहिए।

हाल में हुए चुनावों के बारे में भी माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। इस समस्या के दो पहलू हैं—पहला चुनाव की निष्पक्षता से संबंधित है तो दूसरा निर्वाचन कानून से जिसका संबंध चुनाव आयोग के गठन से भी है। जहाँ तक चुनावों में, विशेषतया हाल के चुनावों में पक्षपात किए जाने के आरोपों का संबंध है, यह आरोप उन राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए हैं, जिन्हें गत चुनावों में करारी हार हुई है। ये आरोप निराधार हैं। मैं इनका पूर्णतया खण्डन करता हूँ।

जहाँ तक मत-पेटिकाओं में हेर-फेर करने का संबंध है जब कभी कोई मामला चुनाव आयोग की जानकारी में लाया गया कि अमुक निर्वाचन क्षेत्र में मत-पेटिकाओं में हेर-फेर किया गया है अथवा हिंसा द्वारा मत-पेटिकाओं को हटाया गया है, तो चुनाव आयोग द्वारा तुरन्त कार्यवाही की गई और उन चुनाव केन्द्रों पर चुनाव रोक दिया गया। अन्य मामलों में जहाँ ऐसा करना संभव नहीं हो सका, चुनाव आयोग ने पुनः चुनाव कराने का आदेश दिया तथा वहाँ दुबारा चुनाव कराए गए। परन्तु यह घटनाएँ केवल एक या दो राज्यों में ही हुईं। आमतौर पर अधिकांश राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में न तो ऐसी शिकायतें की गई हैं और न ही चुनाव तंत्र के अधिकारियों द्वारा ऐसी घटनाएँ होने का उल्लेख किया गया है।

जहाँ तक जाली मतों का संबंध है, इस विषय में मैं सदन के समक्ष आँकड़े प्रस्तुत कर

सदन का समय नष्ट नहीं करूँगा। मैं केवल पश्चिम बंगाल का इस संदर्भ में उल्लेख करना चाहता हूँ। चुनाव वाले दिन वहाँ से हमें एक भी इस प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उस दिन के बाद कहा गया है कि चुनाव पक्षपातपूर्ण तथा अनुचित ढंग से हुए हैं। लाखों मतदाताओं के निर्वाचन क्षेत्र में केवल चार ऐसे मामले ध्यान में लाए गए हैं। यदि ये आरोप कि चुनाव पक्षपातपूर्ण थे, मत-पेटिकाओं में हेर-फेर किया गया है इत्यादि जिम्मेदारी की भावना से लगाए गए हैं, तो वे ऐसे मामले चुनाव आयोग की जानकारी में क्यों नहीं लाये गये, जिसका गठन विशेष रूप से चुनाव कराने के लिए किया गया है। समूचा विश्व यह मानता है कि इस देश में जो इतना बड़ा है, चुनाव निष्पक्ष होते हैं तथा जहाँ लोकतन्त्रात्मक पद्धति द्वारा संसद और विधान सभाओं के चुनाव होते हैं। कश्मीर में जहाँ इस प्रकार का शोर मचाया गया, स्वयं श्रीनगर में ही सत्तारूढ़ दल के 7 प्रत्याशी पराजित हो गए। अत: चुनावों के बारे में लगाए गए आरोप राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर लगाए गए हैं। संविधान में मतदान के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। चुनाव कानून के संशोधन का समूचा मामला संयुक्त समिति के समक्ष था और उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। हम उसके संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श कर रहे हैं। यह प्रश्न कि मतदाता की आयु को कम करना चाहिए या नहीं, चुनाव कानून के संशोधन का एक अंग है। यद्यपि ऐसा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन करके नहीं किया जा सकता तो भी इसके लिए संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

All the Cut Motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधि तथा न्याय मंत्रालय की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following demands in respect of the Ministry of Law were put and adopted.

माँग संख्या	माँग का नाम	राशि
		रुपये
64	विधि और न्याय मंत्रालय	5,47,75,000
65	न्याय प्रशासन	2,37,000

कम्पनी कार्य विभाग

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कम्पनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की अनुदानों की निम्नलिखित माँग प्रस्तुत की गई :

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
91	कम्पनी कार्य विभाग	1,02,99,000

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) : समवाय कार्य विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि यह एकाधिकारी प्रवृत्तियों के दमन में सहायक होगा। मैं केवल एकाधिकार गृहों के संबंध में विचार व्यक्त करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि यह मंत्रालय एकाधिकारी प्रवृत्तियों का दमन करने में कहाँ तक सफल हुआ है।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।**
SHRI K. N. TIWARI *in the Chair.*]

एकाधिकार जाँच आयोग ने एकाधिकार गृहों की संज्ञा उन गृहों को दी है जिनकी कुल आस्तियाँ 35 करोड़ रुपये से अधिक की हैं। हमें यह देखना है कि इस समाजवादी सरकारी ढाँचे के अन्तर्गत इन एकाधिकारी गृहों की क्या भूमिका रही है। 1963-64 में 75 बड़े औद्योगिक गृहों के पास लगभग 2,600 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति थी जो बढ़कर 1967-68 में 4,032 करोड़ रुपये हो गई। 1969 में इन्हीं 75 औद्योगिक गृहों को लगभग 268 लाइसेंस जारी किए गए। 1971 में कुल 159 लाइसेंस जारी किए गए थे जिनमें से 114 बड़े एकाधिकारियों को मुख्यतः बिड़ला, थापर, श्रीराम, साहू जैन, टाटा आदि को दिए गए। मैं नहीं समझ पाया कि सरकार इस संबंध में क्या नीति अपनाना चाहती है। एक ओर वह एकाधिकारी प्रवृत्तियों को कुचल कर समाजवाद की स्थापना करना चाहती है तो दूसरी ओर इन बड़े-बड़े एकाधिकारियों को लाइसेंस जारी कर एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही है। 1972 में भी स्थिति ऐसी ही रही। 1972 में अत्यधिक जनमत प्राप्त करने के बाद बड़े एककों के विस्तार के 18 आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया। औद्योगिक विकास मंत्रालय के कार्यकारी दलों ने बड़े औद्योगिक गृहों और अधिक विदेशी शेयरों वाली फर्मों के 13 आवेदन-पत्र निपटाए ताकि वे अपना उत्पादन 200-300 प्रतिशत तक बढ़ा सकें और 54 मुख्य उद्योगों के विषय में लाइसेंस संबंधी नीति को उदार बनाया। मंत्री महोदय को सभा में यह बताना चाहिए कि लाइसेंस से निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन करने के दोष में कितनी कम्पनियों पर मुकदमा चलाया गया। 1971 में लगभग 600 ऐसे औद्योगिक गृह थे जो लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे थे। उदाहरण के रूप में कलकत्ता की यूनिवर्सल इलैक्ट्रिक कम्पनी तथा बम्बई की लारसन ट्यूब्रो कम्पनी का नाम लिया जा सकता है। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितनी कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और उन्हें क्या दण्ड दिया गया है।

एक कम्पनी अथवा उद्योग से निधि का दूसरी कम्पनी अथवा उद्योग में लगाया जाना देश में एक सामान्य सी बात बन गई है और लगातार कुछ वर्षों से ऐसा होता चला आ रहा है। इस सभा में पूंजी के अन्तर्गथन के बारे में कई बार कहा गया है किन्तु सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार इस मामले पर अर्थात् एकाधिकार को समाप्त करने में हिचकिचा रही है। अभी तक कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है कि एकाधिकारियों को लाइसेंस दिए जायँ या नहीं। मंत्री महोदय को स्पष्ट उत्तर देना चाहिए कि कम से कम क्या वह अब कोई निर्णय लेने वाले हैं कि एकाधिकारियों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा अथवा यह बता दें कि उनकी नीति एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की है ताकि जनता के पैसे पर यह बड़े एकाधिकारी गृह फलें फूलें। अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति अत्यंत खराब है। हमें 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक विदेशी ऋण का भुगतान करना है। सभी विदेशी कम्पनियाँ फल-फूल रही हैं। उन्हें अधिक लाइसेंस दिए जा रहे हैं तथा उनके विस्तार कार्यक्रम में उदारतापूर्ण

रवैया अपनाया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस देश में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए यह मंत्रालय क्या कार्यवाही करने जा रहा है।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : इस मंत्रालय की अनुदानों की माँगों के समर्थन के संबंध में मैं दो चार शब्द कहना चाहता हूँ। मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन को देखकर मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। मंत्रालय की उपलब्धियाँ नगण्य हैं, फिर भी मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ और हमने पिछले वर्ष भी इनकी माँगों का समर्थन किया था।

गत पाँच वर्ष पहले प्रबंध अभिकरण प्रणाली समाप्त की गई थी किन्तु यही उद्योगपति और यही औद्योगिक गृह, इन उपक्रमों पर, भेष बदल कर नियंत्रण कर रहे हैं। वे अब परामर्श-दाता, सलाहकार अथवा विक्रय अभिकर्त्ता के रूप में वेतन के आधार पर कार्य कर रहे हैं। अतः बड़े गृहों पर इनका नियंत्रण पहले के समान बना हुआ है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि कम्पनी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। दो वर्ष बीत गए हैं, पर इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है।

इन बड़े गृहों का छोटी कम्पनियों में हित है किन्तु इस प्रक्रिया को रोकने के लिए इस विभाग ने कुछ नहीं किया है। इस संबंध में भी मंत्री महोदय ने संशोधन करने का आश्वासन दिया था पर न जाने यह संशोधन कब तक किया जाएगा।

इन बड़ी गैर सरकारी कम्पनियों को ब्याज की उच्च दरों पर बड़े-बड़े निक्षेप मिल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप यह कम्पनियाँ देश में अधिक राशि और अतिरिक्त राशि का उपयोग कर रही हैं नहीं तो इस राशि को आर्थिक विकास के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इन औद्योगिक गृहों की लेखा-परीक्षा कुछ लेखा-परीक्षा फर्मों तक सीमित है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इस बात का निर्णय करता है कि अमुक फर्म की लेखा-परीक्षा अमुक फर्म द्वारा की जाएगी। किन्तु यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। युवा लेखा परीक्षक निस्सहाय है उन्हें काम नहीं मिल रहा। मंत्री महोदय ने विधेयक लाने का आश्वासन दिया था परन्तु प्रस्तावित संशोधनकारी विधेयक अभी तक लाया नहीं गया है। एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा कानून वर्ष 1969 में पास किया गया था। परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। लाइसेंस विस्तार के लिए अथवा नए लाइसेंस केवल बड़े उद्योग गृहों को ही दिए जा रहे हैं और इसका एक कारण यह बताया जाता है कि अधिक उत्पादन की जरूरत है जबकि अधिक उत्पादन की जरूरत है तो यह भी जरूरी है कि वितरण समान हो अन्यथा सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं होगा। यह विभाग बड़े गृहों पर कारगर ढंग से रोक अथवा वियंत्रण नहीं लगा सका है। इसका एक मुख्य कारण धारा दो के अधीन हो गई 'प्रमुख उपक्रम' की परिभाषा है। इसमें कहा गया है कि वह उपक्रम जिसका समस्त उत्पादित वस्तुओं के एक तिहाई भाग पर नियंत्रण होगा, प्रमुख उपक्रम कहलाएगा। लेकिन 'वस्तुओं में क्या समाविष्ट किया जाएगा इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। जब तक इस परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया जाएगा तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि अमुक उपक्रम का अमुक वस्तु उत्पादन पर अधिक नियंत्रण है। परिभाषा के शब्दों में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि बेहतर नियंत्रण अथवा रोक लगाई जा सके।

उत्पादित वस्तुओं का मूल्य लागत में 15 प्रतिशत जोड़ कर निर्धारित किया जाता है। किन्तु वितरक जो मूल्य लेता है उसकी इस मूल्य में गणना नहीं की जाती। परिणामस्वरूप उपभोक्ता को अत्यधिक मूल्य देना पड़ता है। विभाग को इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के भाग 'क' में एकाधिकार पर और भाग 'ख' में व्यापार प्रक्रियाओं पर पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस संबंध में 7,050 नामों का पंजीकरण किया गया। यह तो अदालत के मुकदमे के समान बात है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या अभी तक किसी मामले को निपटाया गया है? क्या आपने यह सुनिश्चित करने का यत्न किया है कि यह निर्माता किस ढंग से कार्य कर रहे हैं? अधिनियम की धारा 37 में योजना की जाँच का अधिकार दिया गया है यदि यह प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया है तो सरकार को फर्म को उसके अनुरूप कार्य करने का आदेश देना चाहिए। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 27 में सरकार को इन बड़े गृहों को विभाजित करने का भी अधिकार दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसका उपयोग सरकार को आवश्यकता पड़ने पर जरूर करना चाहिए। कुछ वित्तीय संस्थानों ने बहुत बड़ी राशि व्यापार गृहों को ऋण के रूप में दे रखी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है। कुछ निजी कम्पनियाँ ऐसी हैं, जिन्हें 40 से 60 प्रतिशत वित्त सरकारी वित्तीय संस्थानों से मिला हुआ है। यह धन निजी कम्पनियों के हाथ में चला गया है तथा वह भारी मुनाफा अर्जित कर रही हैं। यदि सरकार संयुक्त क्षेत्र चाहती है तो न केवल उसके शेयर आधे से अधिक होने चाहियें बल्कि समवाय के प्रबंध पर भी उसका नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा करने से हम अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर सकेंगे। सरकारी क्षेत्र तभी शिखर पर पहुँच सकता है जबकि निजी कम्पनियों पर ऐसा नियंत्रण रखा जाये।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस मंत्रालय के कार्यभारी मंत्री महोदय बहुत क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति हैं और उनके भाषणों से भी क्रांति झलकती है। मैं आशा करता हूँ कि वह अपने कार्य से भी क्रांतिकारी व्यक्ति ही सिद्ध होंगे।

श्री के० बालतन्डायुतम् (कोयम्बटूर) : यदि इस विभाग के प्रतिवेदन को देखा जाये तो उससे यही लगता है कि सर्वप्रथम इस विभाग को काल्पनिक पूँजी की वृद्धि की समस्या को ही हल करना चाहिए। इस कारण बहुत से व्यक्तियों को उनके धन से वंचित किया जाता है। यह विभाग उन सभी कम्पनियों का निरीक्षण करने में सफल नहीं रहा है जिनके निरीक्षण का इसे आदेश दिया गया था। यदि विभाग कर्मचारियों की कमी के कारण ऐसा करने में सफल नहीं हुआ है तो इससे यह स्पष्ट है कि इस विभाग का कार्य संचालन त्रुटिपूर्ण है। इसी प्रकार लेखा परीक्षण के बारे में यह कहा गया है कि यह कार्य चार्टर्ड एकाउटेन्ट्स की कुछ फर्मों के हाथ में केन्द्रित हो गया है। मैं समझता हूँ कि इस समस्या को सुलझाने का एकमात्र उपाय लेखा परीक्षण का राष्ट्रीयकरण करना है।

जहाँ तक एकाधिकार के प्रश्न का संबंध है, उसके बारे में सरकार को यह बताना चाहिये कि सरकारी आयोग ने बिड़ला फर्मों के बारे में क्या रिपोर्ट दी है? प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया की जाँच का आदेश भी दिया गया था, इसके बारे में क्या किया गया है? स्वामित्व के फैलाव का प्रश्न

जाँच के लिए कम्पनी कार्य विभाग को ही सौंपा गया था, इसके बारे में क्या प्रगति हुई है ? एकाधिकारी न केवल अनेक सौदे कर रहे हैं जिनमें कि विदेशी मुद्रा निहित है अपितु वह विदेशी फर्मों के साथ गुप्त सौदेबाजी में भी लगे हुये हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की सभी कार्यवाहियों पर मंत्रालय द्वारा कड़ी नजर रखी जानी चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या एकाधिकारी तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया गया है ? इसके साथ ही हमें यह भी बताया जाना चाहिये कि क्या इस विधेयक के अन्तर्गत निर्धारित सभी उद्देश्य पूरे हो गये हैं ? और यदि नहीं, तो क्या उन्हें पूरा करने के लिए सरकार अतिरिक्त शक्तियाँ प्राप्त कर रही है ?

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : कम्पनी कार्य मंत्रालय के कार्यकरण के बारे में श्री जगन्नाथ राव ने जो शिकायतें की है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही मैं अनुदानों की माँगों का भी समर्थन करता हूँ। मैं समझता हूँ हमें उत्पादन बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है। थोड़े उत्पादन का वितरण काफी नहीं है। कम्पनी विभाग को इस कार्य में और अधिक रुचि लेनी चाहिए और देश में हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। यदि किसी कम्पनी की उत्पादन क्षमता उसे जारी किये गये लाइसेंस से अधिक है तो उसे अधिक उत्पादन क्षमता का लाइसेंस दिया जाना चाहिये।

एकाधिकारी निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रिया आयोग के अध्यक्ष एक न्यायाधीश हैं। उन्हें न्यायाधीश का भत्ता मिल रहा है। इसके साथ ही उन्हें 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता भी मिल रहा है। अतः कुल मिलाकर उन्हें 2000 दिये जा रहे हैं और उनका आयकर में भी कोई हिसाब नहीं रखा जाता। यह उचित नहीं है। यह आयोग पूरे दिन कार्य भी नहीं करता। आयोग को यह आदेश दिये जाने चाहियें कि वह सौंपे गये मामलों के बारे में तुरन्त निर्णय करे। प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति तथा महाप्रबन्धकों तथा कम्पनियों के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में भी विभाग को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माँगों का समर्थन करता हूँ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सदन में गणपूर्त्ति नहीं है।

सभापति महोदय : उसके लिए घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति हो गई है। अब आप अपना भाषण आरम्भ कीजिए।

श्री पीलू मोदी : श्रीमन्, यदि मैं मंत्रालय की माँगों का समर्थन नहीं कर रहा तो उसका केवल यही कारण है कि मंत्रालय द्वारा कोई भी सराहनीय कार्य नहीं किया गया है। महीनों से किसी भी व्यक्ति को एक भी लाइसेंस नहीं दिया गया जिस कारण इस देश में लाखों टन के सामान का उत्पादन नहीं हो पाया है। उत्पादन न होने के फलस्वरूप देश को जो हानि हुई है, मंत्रालय से उसे पूरी करने को कहा जाना चाहिए। जब तक उत्पादन नहीं होता तब तक गरीबी दूर नहीं की जा सकती।

जब हमारी सरकार ने यह महसूस किया कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं हुआ है और राष्ट्रीय आय में भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तो उसने एक

नया सिद्धान्त निकाला कि राष्ट्रीय उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं है। यदि अर्थ-व्यवस्था को आँकना ही है, तो इससे सरकारी क्षेत्र के उत्पादन के आधार पर आँका जाना चाहिए। मेरे एक मित्र ने कहा है कि उत्पादन सामाजिक ढंग से किया जाना चाहिए। परन्तु सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है, इस सरकार का नियंत्रण, कांग्रेसियों का नियंत्रण। यह खेद की बात है कि जो लोग अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, सरकार उन्हें अधिक उत्पादन करने की अनुमति नहीं देती। उसके लिए लाइसेंस नहीं देती।

सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने एकाधिकार की बात भी कही है। मैं इस संबंध में यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का सबसे घातक एकाधिकार सरकार के अपने हाथ में है। इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उस पर कोई आर्थिक कानून ही लागू होता है। परन्तु एकाधिकार इसलिए बुरे होते हैं कि उन पर किन्हीं विपणन शक्तियों का नियंत्रण नहीं होता है। इसके फलस्वरूप प्राय: उपभोक्ता को उत्पादन के लिए ऊंचे मूल्य देने पड़ते हैं। यदि इस देश में किसी प्रकार का सामाजिक न्याय लाना है, तो उसके लिए उपभोक्ता को लाभ पहुँचाने वाली अर्थ-व्यवस्था को लक्ष्य बनाना अनिवार्य होगा। यदि सम्पूर्ण सदन इस विभाग की माँगों का समर्थन न करे तो बहुत उचित होगा।

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : जब मैं श्री पीलू मोदी के भाषण को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा मानों कोई आज से सौ वर्ष पूर्व की बात कर रहा हो। उनके द्वारा व्यक्त किये गये आर्थिक सिद्धान्त उतने ही पुराने और बेकार हैं जितने कि वह स्वयं। श्री मोदी ने उत्पादन का पूर्ण समर्थन किया है परन्तु किसके उत्पादन का ? उन्होंने एयर-कन्डिशनरों, रेफ्रीजिरेटरों, प्रैशरकुकरों तथा सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन पर बल दिया है जो कि पहले ही गैर-सरकारी लोगों के हाथ में है। सरकारी एकाधिकार और गैर-सरकारी एकाधिकार के बीच एक मूल अन्तर है—गैर-सरकारी क्षेत्र लाभ अर्जित करने के लिए उत्पादन करता है, वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन नहीं करता।

सभी प्रयत्नों के बावजूद भी एकाधिकार निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम से एकाधिकार समाप्त नहीं हुये और न ही इससे एकाधिकार ही कम हुये हैं। इसमें केवल यही कहा गया है कि यदि कोई बड़ा व्यापार गृह अथवा एकाधिकार गृह और विस्तार करना चाहता हो तो वह ऐसा केवल सरकार की अनुमति से ही कर सकता है। यह तो केवल एक शक्ति प्रदान करने वाला विधेयक है। इसका उद्देश्य तो केवल सरकार की नीतियों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

हाल ही में जो घटनायें घटी हैं उनसे हम चिंतित हैं। व्यापार गृहों के विस्तार के लिए मुक्त रूप से अनुमति दे दी गई है और अब उसमें विदेशी पूँजी का निवेश भी हो सकता है। निगमित क्षेत्र में 25 प्रतिशत निवेश विदेशी कम्पनियों का है। वे करोड़ों रुपयों का लाभ इस देश से बाहर ले जाती हैं। अत: देश में कम से कम विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये। बड़े व्यापार गृहों को विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि वे देश के उत्पादन में बाधा डाल रही हैं। अत: देश के हित के लिए सरकार को एकाधिकार अपने हाथ में लेकर स्वयं चलाने चाहिये।

Shri R. R. Sharma (Banda) : Mr. Chairman, Sir, it has been stated that the object

of Department of Company Affairs will be to check concentration of economic power and to curb restrictive trade practices. But during the Congress misrule of last 25 years, the gulf between the rich and the poor has further widened. Country is not being ruled by Congress but it is being ruled by 11-12 industrialists who are dominating the Congress Party. The pace of industrial development is very low.

In 1962 the rate of industrial development was 9·6 percent whereas in 1971 it has slumped down to 2 percent. There is a shortage of steel in the country. The production of Engineering unit have been on a reduced scale due to the shortage of steel. To overcome the shortage we should try to run the Public Sector steel plants in full rated capacity.

Many items which were originally designed to be manufactured in the Public Sector have now been transferred to Private Sector. This has resulted in all sorts of corruption and increased poverty.

This is a useless Department and it should be closed. No amount of grant should be sanctioned for this Department.

श्री वयालार रवि (चिरंयिकील) : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि इन अधिनियमों अर्थात कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएँ अधिनियम का अर्थ क्या है ? गत दस वर्षों में इन अधिनियमों के बावजूद एकाधिकार गृहों का विकास हुआ है। इन अधिनियमों को बनाकर हमने एकाधिकार गृहों का विनियमन किया है और उनको अधिक सम्मानजनक बनाया है। इनके विकास को रोकने में सरकार असफल रही है। 1960 से 1964 तक इन कम्पनियों की कुल पूँजी 2609 करोड़ रुपये थी जो 1969-70 में बढ़कर 4039 करोड़ रुपये हो गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि इनके विभाजन को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

देश में 7,000 करोड़ रुपयों से अधिक का काला धन है। यह एक बुराई है जिससे मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित हुई है। हमें इसमें आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए। वे देश में समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं।

मैं सरकार का ध्यान 18 अप्रैल के फाइनेन्शियल एक्सप्रेस में छपे समाचार की ओर दिलाना चाहता हूँ। फायर स्टोन, बर्मा शैल, आई० बी० एम० आदि फर्में हमारे देश के धन को लूट रही हैं। आई० बी० एम० वाले इलैक्ट्रोनिक उपकरण बना रहे हैं। इन हथियारों को वियतनाम में लोगों को मारने के लिए भेजा जा रहा है। ये बहुद्देशीय फर्में हमारे देश के धन को लूट रही हैं।

सरकार ने नौवहन उद्योग के लिए प्राइवेट फर्मों को 75 से 95 प्रतिशत तक ऋण दिया है। इस प्रकार सरकार नये एकाधिकार गृहों के उत्पन्न होने में सहायता दे रही है। गैर-सरकारी क्षेत्र में नौवहन उद्योग के लिये 60 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि यह मंत्रालय नौवहन उद्योग में एकाधिकार गृहों के विकास को नहीं रोक रहा है।

जहाँ तक जाँच आदि करने का संबंध है सरकार को वर्तमान कानून में त्रुटियों को दूर करने के लिए कुछ अन्य कानून बनाने चाहिएं जिससे कि न्यायालय जाँच में बाधा न बन सके।

ये बड़े-बड़े एकाधिकार गृह अपने सहायक निर्यात गृहों के माध्यम से अब भारत मत्स्य उद्योग

में भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। वे इनके माध्यम से विदेशी मुद्रा के मामले में गड़बड़ी करते हैं। इनके विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। टाटा बन्धु कोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से दस प्रतिशत अधिक मूल्य पर मत्स्य खरीद रहे हैं। ऐसा विदेशी मुद्रा के मामले में घुटाला करने के लिए किया जा रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि इन बहु-राष्ट्रीय फर्मों, एकाधिकार गृहों के विकास को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की जाये।

श्री सी० सी० देसाई (साबरकंठा) : कंपनी लॉ और एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएँ अधिनियम में मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री निरन्तर रूप से यह वचन देते रहे हैं कि वह संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि संशोधनों को दो ग्रुपों में विभाजित कर दिया जाय अन्यथा इन पर बहुत समय लगेगा और हो सकता है तब तक विधेयक की अवधि ही समाप्त हो जाये।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कंपनी अधिनियम में कमियाँ हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को पर्याप्त छूट प्राप्त है परन्तु पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में पर्याप्त अनुशासन रखा जाता है। यही कारण है कि प्राईवेट लिमिटेड कंपनियों की श्रेणी में अधिक से अधिक कंपनियाँ शामिल होती जा रही हैं। इस सत्र में इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए।

जहाँ तक मैनेजिंग डायरेक्टरों की नियुक्तियाँ तथा उनके वेतन और भत्तों का संबंध है, प्राइवेट कंपनियों को पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के समान लाना चाहिए।

मैं सरकार का ध्यान अब 'इन्टर-कारपोरेट' पूँजी की ओर दिलाना चाहता हूँ। होता यह है कि छोटी फर्म सर्वप्रथम वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है और उससे दूसरी फर्मों के शेयर खरीदती है। इसके पश्चात् वे उन शेयरों को बैंकों के पास गिरवी रखकर फिर धन ले लेती हैं और उससे अन्य कंपनियों से शेयर खरीद लेती हैं। यह प्रथा चलती रहती है और इस प्रकार छोटी फर्में बड़ी-बड़ी फर्मों में परिवर्तित हो जाती हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अनेक सदस्यों ने कहा है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएँ अधिनियम के बावजूद सरकार एकाधिकार गृहों के विकास को रोकने में असफल रही है। इसका कारण यह है कि अधिनियम के उपबंधों को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया है।

पूर्णकालिक प्रबन्धक निदेशकों तथा कार्यकारी निदेशकों को अन्य कंपनियों के निदेशक बनने से रोका जाना चाहिए। उनको अन्य कंपनियों से वेतन आदि लेने से भी रोका जाना चाहिए।

कंपनी कानून विभाग ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएँ अधिनियम के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की है। इसमें तुरन्त संशोधन करने की आवश्यकता है। इसमें प्रभुत्व प्राप्त कंपनियों की इस प्रकार व्याख्या की गई है जिससे इसके क्षेत्राधिकार में अनेक प्रभुत्व प्राप्त कंपनियाँ नहीं आतीं।

जब गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ कम्पनी सचिवों को नियुक्त कर सकती हैं तो इसका

कोई कारण नहीं है कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जो कि बड़ी हैं, कंपनी सचिवों को नियुक्त न किया जाये ।

आशा है कि माननीय मंत्री आवश्यक संशोधनों सहित एक व्यापक विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत करेंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : कंपनी कार्य विभाग अपने दोनों उद्देश्यों, अर्थात, एकाधिकार गृहों को बढ़ने से रोकने तथा कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम के उपबंधों का पालन कराने में असफल रहा है । 31-3-70 को 90 ऐसी कंपनियाँ थीं जिनकी पूँजी 20 करोड़ अथवा इससे अधिक थी । इनमें से 57 गैर-सरकारी कंपनियाँ थीं । यह बड़े दुःख की बात है कि आजादी के 25 वर्ष बाद भी हम इन गैर-सरकारी कंपनियों को अधिक से अधिक आस्तियाँ प्राप्त करने की अनुमति दे रहे हैं । अनेक कंपनियाँ बेनामी सौदे करती हैं । सरकार इस समस्या को गम्भीर रूप से हल नहीं कर सकी । इसका कारण यह है कि वे सत्तारूढ़ दल को चन्दा देती हैं ।

विभाग के प्रतिवेदन से पता लगता है कि केवल दो मामलों में कंपनी अधिनियम की धारा 235 और 247 के अंतर्गत जाँच की गई है । ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं कि कंपनियाँ समय पर तुलन-पत्र तैयार नहीं करतीं और आम-सभा की बैठक समय पर नहीं बुलातीं । मेरा सुझाव है कि इसके लिए, यदि आवश्यक हो तो कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए । धारा 397 के अंतर्गत की गई कार्यवाही में सरकार कुछ मामलों में तो हस्तक्षेप करती है परन्तु अन्य अनेक मामलों में वह ऐसा नहीं करती । मैं जानना चाहता हूँ कि हस्तक्षेप करने का निर्णय किस कसौटी को ध्यान में रखकर किया गया ।

प्रतिवेदन से पता लगता है कि अनेक मामलों में पब्लिक ट्रस्टी पुराने ट्रस्टी के पक्ष में अपनी प्राक्सी दे देते हैं । यदि ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि अधिनियम में इस प्रकार का उपबंध रखने का क्या लाभ है । कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्टी को पुराने ट्रस्टी की ओर से मत देने का अधिकार नहीं है बल्कि उसको प्रत्येक मामले के तथ्यों को जानने के पश्चात् स्वयं अथवा अपने नाम निदेशित व्यक्ति के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए ।

लेखा परीक्षा कार्य को कुछ फर्मों में केन्द्रीयकृत नहीं करना चाहिए बल्कि अधिक से अधिक लेखापरीक्षकों की सेवाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए ।

धारा 410 के अन्तर्गत सरकार को परामर्श देने के लिए एक परामर्शदात्री समिति की स्थापना करना आवश्यक है । यह समिति स्थापित की गई परन्तु देखने की बात यह है कि 1971 में इसकी केवल एक ही बैठक हुई । इस समिति का वास्तविक प्रयोजन क्या है ? इसको कौन से मामले सौंपे गये हैं ? इस समिति द्वारा कोई विशेष सामग्री सप्लाई नहीं की गयी है । अतः इन शब्दों के साथ मैं माँगों का विरोध करता हूँ ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : देश में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएँ अधिनियम राजनैतिक घटनाओं तथा जनता के संघर्ष के कारण ही बना है । मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह सावधान रहें और नौकरशाही तथा अन्य विचारों के लोगों द्वारा इसको असफल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को विफल बनायें ।

ऐसे समाचार मिले हैं कि एकाधिकार आयोग के सदस्यों तथा आयोग और विभाग में कुछ मतभेद हैं। आयोग कोई न्यायालय नहीं है बल्कि एक जाँच करने वाला निकाय है, अतः आयोग अपनी जाँच का कार्य नहीं छोड़ सकता।

आयोग को धारा 62 की विवेचना संकीर्ण भावना से नहीं करनी चाहिए क्योंकि संसद को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। हम चाहते थे कि उन विशिष्ट मामलों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये जिसकी आयोग ने जाँच की है। गैर-सरकारी क्षेत्र में घटी जा रही घटनाओं से संसद को सूचित रखना बहुत आवश्यक है।

क्या सरकार का विचार विदेशी एकाधिकार गृहों का स्थान स्वदेशी एकाधिरपतियों को देने का है अथवा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का है जिनमें उन कंपनियों का कार्यभार कर्मचारियों द्वारा सम्भाल लिया जाए।

लेखापरीक्षा के राष्ट्रीयकरण करने के सुझाव का मैं समर्थन करता हूँ। मुझे आशा है कि शीघ्र ही एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

कंपनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : यद्यपि कुछ सदस्यों ने आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की हैं तथापि मैं उनका आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ उपयोगी सुझाव दिए हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कंपनी अधिनियम में विभिन्न संशोधन करने का सुझाव दिया है। मैंने पहले ही इस मामले पर विचार किया है और हमने संशोधनों को दो भागों में लाने का निर्णय किया है। स्वदेशी फर्मों द्वारा विदेशी फर्मों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रवृत्ति को रोक दिया गया है।

लेखापरीक्षा के मामलों पर बड़ी सावधानी तथा सूझ-बूझ से विचार होगा। इसमें हमें धीरे-धीरे परिवर्तन लाना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कंपनी अधिनियम में भी कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि हम संशोधनों की पहली किस्त को शीघ्र ही सभा के समक्ष रख देंगे।

जहाँ तक एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएँ अधिनियम में संशोधन करने का संबंध है, मैं इस बारे में पूरी तरह सजग हूँ। अन्तर-सबंध वाले उपक्रमों की परिभाषा को कंपनी अधिनियम में शामिल कर दिया जायेगा। इससे अधिनियम और उसके उपबंधों को लागू करने में सहायता मिलेगी।

अनेक सदस्यों द्वारा एकाधिकार गृहों के विकास का प्रश्न उठाया गया है। हमें एक बात याद रखनी है कि हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था चला रहे हैं। एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएँ अधिनियम का कार्य केवल इन एकाधिकार गृहों को विनियमित करना है। इससे इन गृहों को समाप्त नहीं किया जा सकता। हम आर्थिक शक्ति को कुछ हाथों में जमा होने से रोकने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। इसके लिए वित्तीय सस्थाएँ विभिन्न कंपनियों में शेयर खरीद रही हैं। सरकार सरकारी क्षेत्र के कारखानों में अधिक पूँजी लगा रही है इससे भी एकाधिकार गृहों को बढ़ने से रोकने में सहायता मिलती है। दूसरे हमें इसके लिए कैपिटल इशू कन्ट्रोल एक्ट, उद्योग (विकास

तथा विनियमन) अधिनियम तथा अन्य अनेक सम्बद्ध अधिनियमों को अधिक प्रभावशाली बनाना होगा। एक सीमा तक एकाधिकार का विकास ठीक रहता है परन्तु इसके पश्चात वह विकास अलाभकारी तथा प्रोत्साहन-रहित हो जाता है। फिर भी सरकार इस बारे में सजग है और विकेन्द्रीकरण के तरीके अपना रही है। हमें विकास और आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण में कमी में संतुलन लाना होगा। आर्थिक शक्ति में विकेन्द्रीकरण लाने के साथ हमें आर्शिक विकास की दर के लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। अतः हमें इन दोनों पहलुओं में सन्तुलन लाना है।

1 मई, 1972 तक धारा 21 और 22 के अन्तर्गत 226 मामले प्राप्त हुए थे। उनमें 149 मामलों को निपटा दिया गया है। नये उपक्रमों की स्थापना के केवल पाँच मामलों को ही रद्द किया गया है।

अतः यह कहना गलत है कि हम देश के औद्योगिक विकास में बाधा डाल रहे हैं। यह बाधा केवल बड़े-बड़े व्यापार गृहों द्वारा ही डाली जा रही है क्योंकि अधिक लाभ कमाने के लिए नये-नये क्षेत्रों में धन लगा रहे हैं और अधिक उत्पादन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं।

निगमित क्षेत्र में विद्यमान बुराइयों को दूर करने के लिए विभाग भरसक प्रयत्न कर रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो कंपनी अधिनियम में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे।

जहाँ तक निपटाये जाने वाले मामलों का संबंध है, 32 मामलों में अगले कुछ दिनों में आदेश दे दिये जायेंगे। इनको निपटाने में समय लगने का कारण यह है कि आवेदन-पत्र के प्राप्त होने के पश्चात इसको टिप्पणी के लिए अनेक विभागों को भेजा जाता है इसके पश्चात परामर्शदात्री समिति के पास इसको भेजा जाता है। यदि विभाग के कार्यकारी मंत्री सलाहकार समिति के विचार अथवा सिफारिश से असहमत होते हैं, तो उक्त मामला मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय संबंधी उप-समिति को भेजना पड़ेगा और इस बारे में इसे निर्णय लेना होगा।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : इस प्रक्रिया में न्यूनतम कितना समय लगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम उन आवेदन-पत्रों पर यथा शीघ्र निर्णय लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेने में समय लग सकता है क्योंकि कभी-कभी कम्पनियाँ सनुवाई के लिए समय चाहती हैं। आवेदक भी अपनी बात कहने के लिए समय चाहते हैं। धारा 29 के अन्तर्गत सुनवाई अनिवार्य है। कोई आदेश पारित करते समय यह देखना आवश्यक होता है कि विभाग द्वारा सहज न्याय किया गया है।

विभाग द्वारा मामले पर विचार प्रकट करने के बाद मामले को आर्थिक तथा समन्वय संबंधी मंत्रिमंडल समिति को अन्तिम निर्णय के लिए भेजा जाता है। इस संबंध में अन्तिम निर्णय एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक समन्वय संबंधी मंत्रिमंडल समिति को ही लेना होता है, कम्पनी विभाग को नहीं।

इस बारे में 48 मामलों में से केवल 16 मामले विचाराधीन हैं, जिनमें से 14 मामले केवल 2 महीने पूर्व प्राप्त हुए थे।

हम सब कम्पनियों का निरीक्षण करना चाहते हैं। हमने यह निर्णय लिया है कि 20 बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित सब कम्पनियों का कम से कम वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाये। इस संबंध में हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

एक या दो मामलों में आवेदन-पत्रों को निपटाने में विलम्ब हुआ है। कुल 2895 आवेदन-पत्रों में से 2552 आवेदन-पत्रों का निपटारा किया जा चुका है। कुछ आवेदन-पत्र इसलिए विचाराधीन हैं कि या तो उनके संबंध में कम्पनियों ने सहयोग नहीं दिया है अथवा उनके बारे में कुछ कानूनी समस्याएँ हैं।

हम चाहते हैं कि योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की सचिवों के रूप में नियुक्ति की जाये। इस दिशा में विधि में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं।

ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को दी गई है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने जाँच-कार्य आरम्भ कर दिया था। सम्बद्ध व्यक्ति उच्च न्यायालय से रोकादेश ले आया था। जब तक न्यायालय रोकादेश रद्द नहीं कर देता इस मामले में आगे जाँच नहीं की जा सकती।

पी० टी० आई० के संबंध में हमें निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है।

रिजर्व बैंक ने कुछ विनियम बनाये हैं जिनके अन्तर्गत 25 प्रतिशत से अधिक प्रदत्त पूँजी को जमा धन राशि के रूप में नहीं लिया जा सकता। लेकिन यदि डायरेक्टर गारन्टी देते हैं तो कितनी भी धनराशि को जमा धनराशि माना जा सकता है। रिजर्व बैंक विनियमों में संशोधन करने पर जाँच कर रहा है। कम्पनी कार्य विभाग भी इस बारे में जाँच कर रहा है कि ऐसी कम्पनियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाये जो लोगों की धनराशि जमा कर लेने के तुरन्त बाद दिवालिया हो जाती हैं। मध्यम वर्ग के अनेक लोगों ने एसी कम्पनियों में धनराशि जमा की है और उन्हें अपनी धनराशि से हाथ धोना पड़ा है। इस संबंध में हमें अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन वर्तमान स्थिति में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता।

इस कुप्रथा को रोकने के लिए हम कम्पनी अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर रहे हैं।

बहुद्दशीय निगमों के कारण जटिल राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। उपनिवेशी शासन के कारण हमारे देश में विदेशी पूँजी का निवेश हुआ है। इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है। यद्यपि इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हुए हैं, फिर भी हम इस संबंध में स्थिति का ध्यान-पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। विदेशी कम्पनियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाये इस बारे में कम्पनी कार्य-विभाग विचार कर रहा है।

एकाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जायेगा और एकाधिकार आयोग द्वारा भेजी गई जाँच निदेशक की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों को भी सभा पटल पर रख दिया जायेगा। एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा हमें दी गई सब रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने का मामला विवादास्पद है और इस मामले में मैं नहीं जाना चाहता।

श्री एस० एन० मिश्र : एकाधिकार आयोग के कार्य तथा उसके अध्यक्ष को दिए जाने वाले विशेष भत्ते के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जब एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर जाता है और उच्च न्यायालय से बाहर जब वह न्यायाधीश के रूप में पीठासीन होता है तब उसे कुछ पारिश्रमिक और दैनिक भत्ते का अधिकार है।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : क्या उन कम्पनियों पर मुकदमा चलाया जायेगा जिन्होंने अपनी लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन किया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह मामला उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आता है। मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि एकाधिकार आयोग एक महत्वपूर्ण निकाय है। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश इसका अध्यक्ष है। आयोग के सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। वे अच्छा कार्य कर रहे हैं।

श्री एस० एन० मिश्र : इसी कारण इसमें विलम्ब होता है। मेरे विचार से उनका वेतन 3500 रुपये था और उन्हें अभी भी 20 रुपए प्रतिदिन दैनिक भत्ता मिल रहा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को और कोई भत्ता नहीं मिलता है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जब कभी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर नियुक्ति होती है, और वह अन्य विभाग के अधिकारी के रूप में काम करता है, तो उसे प्रतिदिन 20 रुपये या कुछ अन्य पारिश्रमिक दिया जाता है। इसी उपबन्ध के अनुसार इस विशेष न्यायाधीश को, जिसे एकाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, भत्ता दिया जा रहा है।

सभापति महोदय द्वारा कम्पनी कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई—

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
91	कम्पनी कार्य विभाग	1,02,99,000

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

सभापति महोदय : अब सदन में नौवहन और परिवहन मंत्रालय की माँगों पर विचार किया जायेगा। इसके लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे सभा पटल पर अपनी पर्चियाँ रख दें। उन्हें प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक माँगे प्रस्तुत की गई

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
69	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1,44,14,000
70	सड़कें	21,14,95,000
71	नौवहन	7,58,36,000
72	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	1,12,09,000
73	बन्दरगाह	4,44,14,000
74	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	40,83,000
126	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	71,35,88,000
127	बन्दरगाहों पर पूँजी परिव्यय	8,50,08,000
128	नौवहन और परिवहन मंत्रालय का अन्य पूँजी परिव्यय	14,66,93,000

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को ध्यान में रखते हुए नौवहन का बहुत महत्व है। किन्तु खेद है कि हमारे इन्जीनियरिंग सामान के निर्यात में वृद्धि के लिए नौवहन कार्य के लिए आवश्यक सुविधाए नहीं दी गई हैं।

[**श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए।**
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair.*]

भारतीय निर्यातकर्त्ताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनसे अधिक माल भाड़ा वसूल किया जाता है तथा उनके सामान के लिये पर्याप्त स्थान भी नहीं मिलता। देश में जहाज निर्माण की क्षमता कम होने के कारण सरकार तथा व्यापारी विदेशी जहाजों का उपयोग करते हैं। स्वयं सरकार इस मामले में अधिक से अधिक विदेशी कम्पनियों, तकनीशियनों आदि पर आश्रित रहती है। अत: आत्मनिर्भरता केवल नारा बनकर रह गई है। प्रमुख पत्तनों की स्थिति अच्छी नहीं है। रेत आदि जमने से हुगली दिन प्रतिदिन उथली होती जा रही है जिससे कलकत्ता बन्दरगाह की स्थिति बड़ी दयनीय है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति है।

श्री गदाधर सहाय : यदि उसका तलकर्षण किया गया होता तो बड़े-बड़े टेंकर और जहाज उसमें आसानी से चल सकते थे तथा यातायात में वृद्धि हो सकती थी। फरक्का बाँध परियोजना तथा हल्दिया परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से दो वर्ष पीछे रह गया है। मेरा निवेदन है कि सरकार इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने का प्रयत्न करे जिससे कलकत्ता बन्दरगाह की स्थिति सुधर सके।

भारतीय तथा विदेशी नौवहन कम्पनियाँ आधुनिकीकरण तथा यंत्रीकरण के नाम पर अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रही हैं जिससे नाविकों में भारी असंतोष है तथा वे बेरोजगार हो रहे हैं। 1957 में पंजीकृत नाविकों की संख्या 27,251 तथा उपलब्ध रोजगार की संख्या 17,086 थी। 1960 में यह संख्याएँ क्रमश: 24,096 और 17,086 थीं 1969 में 12,614 और 7,670 रह गईं। अर्थात् 12 वर्ष में पंजीकृत नाविकों की संख्या 27,251 से घटकर 12,614 रह गई तथा इस उद्योग में 17,086 की अपेक्षा केवल 7,670 नाविकों को रोजगार दिया गया। सरकार गरीबी हटाने की बजाए इस प्रकार बेरोजगारी उत्पन्न करने की नीति का समर्थन कर रही है।

भारतीय नाविकों को वैध बोनस भुगतान के बारे में खाडिलकर सूत्र को लागू करने में सरकार नितांत असफल रही है। सभी भारतीय नाविकों को 5 प्रतिशत बोनस दिए जाने के बारे में नवीनतम करार किया गया था किन्तु किसी भी नाविक को उसका भुगतान नहीं किया जा रहा हैं। वर्कमेन कर्मगार मुआवजा अधिनियम के अनुसार 500 रुपया मासिक वेतन पाने वाले को वैयक्तिक क्षति मुआवजा मिलना चाहिए जो आज नहीं दिया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि अधिनियम की संबंधित धारा में संशोधन किया जाये तथा यह मुआवजा 1500 रुपया तक मासिक वेतन पाने वालों को दिया जाये।

सरकार तथा नौवहन अधिकारी नाविकों की यूनियनों को मान्यता देने में पक्षपात बरतते हैं। मेरी माँग है कि फोरवार्ड सीमेन्स यूनियन को शीघ्र मान्यता दी जाये क्योंकि यह यूनियन अधिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है।

सरकार को सड़कों के सुधार तथा विकास के लिए अधिक धनराशि नियत करनी चाहिए क्योंकि सड़क परिवहन से सरकार को भारी आय होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा के लिए बहुत कम राशि दी गई है। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय की माँगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
128	10	श्री गंगाधर साहा	केन्द्रीय सड़क निधि में से सड़क निर्माण कार्य के लिए राज्यों को अधिक धन का आबंटन करने की आवश्यकता।	100 रुपये
	11	श्री गंगाधर साहा	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने के लिए पर्याप्त धन देने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
128	12	श्री गंगाधर साहा	कलकत्ता बन्दरगाह को दयनीय स्थिति से बचाने और इसके महत्व को पुनः स्थापित करने के लिए हुगली नदी के रख-रखाव और उसमें ड्रैजिंग (निकर्षण) कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
	13	श्री गंगाधर साहा	पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बांध बनाने के कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
69	14	श्री भोगेन्द्र झा	मुजफ्फरपुर-दरभंगा पार्श्ववर्ती राजपथ को निर्मली होकर फारबिसगंज से जोड़ने में विफलता।	100 रुपये
	15	श्री भोगेन्द्र झा	बिहार में निर्मली के उत्तर होकर भारतीय क्षेत्र में कोसी पर पुल बनाकर दोनों तरफ की सड़कों को परिवहन योग्य बनाने में असफलता।	100 रुपये
	16	श्री भोगेन्द्र झा	नेपाल सीमा स्थित बिहार के दरभंगा जिला में राज नगर तथा बाबू बरही तक आने वाली सड़कों को कमला नदी में पुल बनाकर जोड़ने में असफलता।	100 रुपये
	17	श्री भोगेन्द्र झा	उत्तर बिहार में नेपाल से भारतीय सीमा के समानान्तर सड़कों को एक-दूसरे से पूरी तरह जोड़ने में विलम्ब।	100 रुपये
	18	श्री भारत सिंह चौहान	भारत के हजारों मील लम्बे समुद्र-तट पर प्राकृतिक साधनों के उपलब्ध हो ने के उपरान्त भी बन्दरगाहों का विकास करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
	19	श्री भारत सिंह चौहान	राज्यों को बन्दरगाहें बनाने के लिए प्रोत्साहन देने तथा उनकी माँगों पर उचित ध्यान देने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
	20	श्री भारत सिंह चौहान	अनेक राज्य मार्गों का राष्ट्रीय राजपथों के रूप में विकास करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए

1	2	3	4	5
69	21	श्री भारत सिंह चौहान	भारत की महत्वपूर्ण सड़कों को आधुनिक ढंग का बनाने के लिए एक केन्द्रीय सड़क निगम का गठन करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रु० करदी जाए
	22	श्री भारत सिंह चौहान	राष्ट्रीय राजपथों को, आधुनिक आवश्यकताओं को देखते हुए, चौड़ा करने में असफलता ।	100 रुपये
	23	श्री भारत सिंह चौहान	राष्ट्रीय राजपथों पर पुलों की दुर्दशा ।	100 रुपये
	24	श्री भारत सिंह चौहान	छोटे जहाजों को आधुनिक साज सज्जा से युक्त करने में असफलता ।	100 रुपये
	25	श्री भारत सिंह चौहान	छोटे बन्दरगाहों में आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
	26	श्री भारत सिंह चौहान	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों की दुर्दशा	100 रुपये
	27	श्री भारत सिंह चौहान	मध्य प्रदेश में कुछ सड़कों का राष्ट्रीय राजपथों के रूप में विकास करने में असफलता ।	100 रुपये
	28	श्री भारत सिंह चौहान	राष्ट्रीय राजपथों पर छायादार वृक्षों तथा पानी का भारी अभाव ।	100 रुपये
	29	श्री भारत सिंह चौहान	भारत के तीन हजार मील लम्बे समुद्र-तट पर छोटे-छोटे बन्दरगाहों का विकास करने में असफलता ।	100 रुपये
	30	श्री भारत सिंह चौहान	छोटे जहाजों को आवागमन तथा माल ढोने के काम लाने में असफलता ।	100 रुपये
	31	श्री भारत सिंह चौहान	राष्ट्रीय राजपथों का उचित अनुरक्षण कर बस तथा ट्रकों की दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता ।	100 रुपये

श्री एम० एस० संजीवी राव (कारीनाडा) : इस मंत्रालय की माँगों का समर्थन करते हुए मुझे लगता है कि इसके लिए नियत धनराशि बहुत कम है ।

नौवहन प्रौद्योगिकी में विश्व में हुई प्रगति को देखते हुए यदि हमने इस बारे में प्रगति नहीं

की तो हमारा देश पीछे रह जाएगा। आर्थिक समानता की उपलब्धि व्यापार के माध्यम से ही हो सकती है तथा कोई देश जितना अधिक निर्यात करेगा उतना ही समृद्ध होगा। विश्व में जहाज-भाड़े की दरों में वृद्धि होती जा रही है तथा अब कोई देश ऋण के रूप में आठ दस वर्ष बाद भाड़ा लेने को तैयार नहीं है।

वर्ष 1959 में हमारे पास 640·000 टन भार क्षमता थी जो 1971 के अन्त तक बढ़कर लगभग 250 लाख टन हो गई। आँकड़ों से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है किन्तु वास्तविकता यह है कि हमारे जहाज केवल 20 प्रतिशत माल ही ढोते हैं और शेष माल विदेशी जहाजों द्वारा ढोया जाता है। आश्चर्य है देश को प्रतिवर्ष 165 करोड़ रुपये माल भाड़ा अदा करना पड़ता है। इस प्रकार सरकार को नौवहन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

हमारे अधिकतर जहाज बहुत पुराने हो गए हैं जिस कारण इस मंत्रालय को अधिक विदेशी मुद्रा चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने 40 लाख टन भार की क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिससे चौथी योजना के अंत तक हमारे जहाज 35 प्रतिशत माल ढो सकें।

इसके अतिरिक्त हमारे बन्दरगाह भी पुरानी किस्म के हैं जिन पर लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक आदि सामान को चढ़ाने-उतारने में बड़ी कठिनाई होती है। इन बन्दरगाहों को आधुनिकतम उपकरण तथा तकनीकी सुविधा सम्पन्न बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे वहाँ सभी प्रकार के जहाज आ-जा सकें। गहरी बन्दरगाहों के निर्माण के लिए मजदूरों का सहयोग प्राप्त करना भी आवश्यक है किन्तु इस संबंध में मंत्रालय तथा राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया है। लौह अयस्क जैसे माल के चढ़ाने-उतारने के लिए उपयुक्त उपकरण न होने के कारण सामान के उतारने और लादने में अधिक समय लगने के कारण माल-भाड़ा भी अधिक है। अत: सरकार को इन सभी असुविधाओं को दूर करना चाहिए तथा बन्दरगाह पर पानी की गहराई बढ़ाई जानी चाहिए जिससे बड़े-बड़े जहाज वहाँ आ सकें। हमारे प्रमुख पत्तन इस स्थिति में होने चाहिएं कि वहाँ 1,00,000 टन भार वाले जहाज खड़े हो सकें तथा वहाँ पर प्रतिदिन 50,000 टन माल चढ़ाया-उतारा जा सके। दूसरे, उन पत्तनों पर सभी आधुनिक उपकरण होने चाहिएं। मुझे प्रसन्नता है कि योजना आयोग ने इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना में 280 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

प्रसन्नता की बात है कि प्रधान मंत्री ने कोचीन में जहाज उत्पादन कारखाने की आधार शिला रखी है जहाँ 85,000 टन भार के जहाजों का उत्पादन किया जायेगा। विशाखापतनम पत्तन में इस वर्ष 5,69,000 रुपयों का लाभ हुआ है। यह प्रसन्नता की बात है कि वहाँ पर पश्चिम जर्मनी के जहाजों की किस्म के जहाज बनाना आरम्भ हो गया है। शिपयार्ड ने मंत्रालय के पास 1,00,000 डी० डब्ल्यू० टी० के टैंकर बनाने का प्रस्ताव भेजा है। मेरा निवेदन है कि विश्व में उपयोग किए जा रहे बड़े टैंकरों के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए।

शिपयार्ड ने आधुनिक किस्म का ड्राई डाक बनाया है तथा इसमें पनडुब्बियों की मरम्मत का कार्य आरम्भ हो गया है। संयुक्त अरब गणराज्य की पनडुब्बियों की मरम्मत से यहाँ विदेशी

मुद्रा भी अर्जित की जा रही है। मेरा सुझाव है कि विशाखापतनम बन्दरगाह का प्रवेश द्वार बड़ा किया जाए जिससे डाक में बड़े जहाज भी मरम्मत के लिए लाए जा सकें।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को छोटे पत्तनों में सुधार करने के लिए सहायता दी है जिसके लिए मैं इस मंत्रालय को बधाई देता हूँ। काकी नाडा पत्तन के लिए एक करोड़ रुपये की राशि दिए जाने के लिए मैं उनका विशेष आभारी हूँ। मेरा निवेदन है कि सरकार होम आईलेंड के लिए 2·6 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करे। मंत्रालय की अन्य उपलब्धियों के लिए भी मैं उसको बधाई देता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, अभी-अभी आकाशवाणी से समाचार मिला है कि राष्ट्रपति निक्सन ने उत्तर वियतनाम के पत्तनों पर घेरा डालना आरम्भ कर दिया है। हमने सरकार से इस बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध किया था किन्तु अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया।

सभापति महोदय : मैं आपकी भावना को सरकार तक पहुँचा दूंगा।

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar) : This Ministry has failed to promote the shipping industry in our country. Having a Coast-line of 3,000 miles Government could not augment the capacity of shipping and could not strengthen the country in this field.

It was possible for the Government to solve the unemployment problem to a great extent if only the shipping and transport industry had been expanded. Government have not so far implemented the recommendations of the committee on major parts. I suggest that Government should construct various types of ports and set up small industries there. This will go a long way in developing our fishing industry and giving employment to a large number of people. We can also earn a lot from this industry and exploit our natural resources. Existing ports should be developed and the construction of new ports—major, minor and small, should be undertaken under a phased programme.

I am sorry to observe that the condition of our roads and National highways is deplorable. There are no proper arrangements to maintain them. I, therefore, suggest that Central Government should set up a Central Agency to ensure proper maintenance of National highways.

Rajasthan Government is unable to maintain the boarder roads due to paucity of funds. Central Government should look into this matter and take necessary steps. Places of historical and religious importance and tourist's centres should be linked with roads in order to increase national income. I hope Government would consider all these points.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : Sir, I rise to support the demands of this Ministry.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।**
SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*]

After independence several new roads have been constructed the total length of which is not less than 24,000 miles. Thus all parts of this vast country have been interlinked. However, considering the vastness of our country it is not possible for the Central Government to cater to the needs of the people of the entire country in this sphere. It is also the duty of the different State Governments to assist the Government in this matter. They have also taken some steps but much remain to be done.

I also draw the attention of the hon. Minister towards the region consisting of Uttar Pradesh, Bihar, Bangal and Assam. The speed of work there is very slow in this matter. I am sorry to say that the proposed Lateral Road has not been completed so far as a result of which Bihar state could not get any advantage of this Road. I request that small bridges should be constructed as soon as possible so that this road can also be used by Bihar. I am glad to say that Government have incurred a heavy sum of Rs. 220 crores on the construction of roads during the fourth plan period.

I would also like to draw the attention of the hon. Minister to the recommendation at page 89 of the Report of Inland Water Transport Committee wherein it has been stated that Hydrographic surveys of the Ganga between Buxur and Farrakka should be taken up on a priority basis for ensuring proper organisation of river services. The committee have also recommended the conservancy measures to improve navigation. I also suggest that dredging system should be improved in order to have better water transport with easy movement of vessels. To mitigate the losses caused by various rivers especially the Kosi river and to improve inland water transport Government should seriously consider the recommendations of Bhagawati Committee and also those of the Bihar Government. I appreciate the steps being taken to construct the bridge over Ganga river at Patna.

Besides this it is my submission that construction of a minor bridge on the river Ganga near Bhagalpur will facilitate the movement of people belonging to South Bihar to North Bihar. In an emergency waterway it can be of great help for transportation. So efforts should be made to strengthen the inland rivers transport.

श्री शंकर राव सावन्त (कोलाबा) : राष्ट्र के विकास में इस मंत्रालय को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है क्योंकि व्यापारिक नौपरिवहन का विस्तार प्रति वर्ष हो रहा है। मैं इस बारे में महाराष्ट्र की ओर सरकार का ध्यान दिलाऊँगा।

बम्बई के बंदरगाह का स्थान देश में सर्वोपरि है, परन्तु उसके विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। प्रतिवेदन के पृष्ठ 43 में दिखाया गया है कि चौथी योजना में इस बंदरगाह के लिए 48 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे जबकि वर्तमान अनुमान लगभग 145 करोड़ रुपये का है परन्तु इस समय उसका परिव्यय केवल 25 करोड़ रुपये रखा गया है। इसी प्रकार बम्बई के बंदरगाह के लिए वार्षिक योजना 1970-71, में 9·50 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे परन्तु व्यय 3 करोड़ रुपये का ही हुआ है। इस संबंध में सरकार से मिली सहायता नगण्य है जिसको बढ़ाया जाना चाहिये।

बम्बई के बंदरगाह की वित्तीय स्थिति अच्छी है। यह लाभ देने वाला बंदरगाह है। कई अन्य बंदरगाह घाटे पर चल रहे हैं। जब बम्बई के बंदरगाह से लाभ मिल रहा है तो इस पर और अधिक धन व्यय क्यों नहीं किया जाता है?

मैं अब छोटे बंदरगाहों के बारे में बताऊँगा। महाराष्ट्र में रत्नगिरी का सब मौसमों में काम करने लायक बंदरगाह के रूप में विकास किया जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया है तथा और अधिक सहायता की माँग की है। यदि यह सहायता मिल जाती है तो रत्नगिरी बंदरगाह को सब मौसमों में कार्य करने लायक बनाया जा सकता है। सरकार से अनुरोध है कि वह सहायता देने का आश्वासन दे। इसी प्रकार डिग्गी और मिरकरवाडा

का मत्स्य बंदरगाह के रूप में बिकास करने का आश्वासन दिया गया था परन्तु अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है।

एक सुझाव यह है कि बम्बई और गोवा के मध्य तटीय यातायात केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रण में ले ले। इसको इस समय एक गैर सरकारी कम्पनी चला रही है जिसकी सेवाएँ बड़ी अनियमित हैं। वे यात्रियों का ध्यान नहीं रखते हैं। सरकार इसको अपने नियंत्रण में लेकर राहत सहायता दे सकती है जैसे कि लक्कादीव और अन्डमान द्वीपसमूहों में घाट नावों के लिए किया जा रहा है।

जहाँ तक सड़क निधि का प्रश्न है 1970-71 तक महाराष्ट्र की योजनाओं के लिए 1371 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई थी परन्तु व्यय 870 करोड़ रुपयों का हुआ था। यदि हम अन्य राज्यों को देखें तो स्थिति इससे भिन्न है। गुजरात के लिए 728 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी और व्यय 633 करोड़ रुपये किया गया था। आंध्र प्रदेश के लिए 451 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई थी और व्यय 337 करोड़ रुपये किया गया था। महाराष्ट्र को बहुत कम राशि आबंटित की गई है जिसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के विकास के लिए जो धन आबंटित किया गया है वह बहुत कम है। मंत्रालय इसके लिए बधाई का पात्र है कि उसने पश्चिम समुद्र तट की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। मैं मंत्री महोदय से केवल यह अनुरोध करूंगा कि वे इस सड़क के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करें क्योंकि इस पर कई स्थानों में बड़े बड़े पुल बनाये जाने हैं तथा समूची सड़क को चौड़ी करना है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि नए बंदरगाह रत्नगिरी और डिग्गी और मिरकरवाडा को मत्स्य बंदरगाह के रूप में विकसित करने की ओर सरकार ध्यान दे।

वस्तुतः इस बात का कोई कारण नहीं है कि रत्नगिरी बंदरगाह के कार्य पर इतना समय लगाया गया है। रत्नगिरी पश्चिम समुद्र तट का सबसे उत्तम तथा बड़ा बंदरगाह बन सकता है यदि इसके लिए सुविधाएँ उपलब्ध की जायें। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे दमोल बंदरगाह पर भी विचार करें। यदि इसके मुहाने में जमी मिट्टी को हटाया जाये तो यह एक अच्छा बंदरगाह बन सकता है।

सरकार को बम्बई और गोवा के मध्य तटीय यातायात को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार करना चाहिए। इस यातायात का भार भी मुगल लाइन को ले लेना चाहिए क्योंकि उनके जहाज वहाँ पहले ही चल रहे हैं।

इन शब्दों के साथ में मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ।

The Minister of State in the Department of Parliamentry Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : Some hon. Members have mentioned about certain State highways and National highways. Since 1947 we have spent 1200 crores of rupces on these state highways and National highways. About 6 lakhs Kilometre new roads have been constructed.

The length of roads, which was 21,440 kilometres in 1947, had been increased to 24,000 kilometres in 1969. This year we have constructed more roads and the total length has increased to 28,819 kilometres. Eleven new State roads have been included in National Highways.

We have declared West Coast road as National Highway from this year. We have also constructed 3,387 kilometre missing link, major bridges numbering 185 have been constructed. 18,000 kilometre low grade roads have been converted into Highgrade and 8,800 kilometre single lane road have also been converted into double lane. Similarly in 1971-72, we have constructed new 136 kilometre roads and 10 major bridges have been constructed. We are paying every possible attention for the development of roads to facilitate transportation and travelling.

This year we have completed the work on Neendkara bridje, bridge on Ghagara river, Farakka barrage in West Bengal. About 4·5 crores of rupees have been sanctioned to U. P. Government for the construction of bridges on the river Ganga for this road. In the same way amounts have been sanctioned for the construction of second Hooghly bridge in Calcutta. The work of connecting Rameswaram with Mainland will be taken up shortly.

It is a matter of pleasure that some states like Tamilnadu, Mysore, Andhra have created separate Chief Engineers Organisations for National highways. I hope these roads will be improved and employment opportunities created, when these organisations start taking active interest.

Bhagwati Committee on Inland water transport had recommended to start work on 32 projects. Sanction for 19 projects has been given.

This year we have introduced an experimental-cum-promotional service from Patna to Ghazipur for the facility of the people. We are thinking to extend the service from Ghazipur to Patna up to Allahabad and Calcutta, when the work on Farakka barrage is completed. Moreover waterway transport from Calcutta to Assam *via* Bangla-Desh will be started when agreement is reached with Bangla Desh Government for the construction of this road. The work on Kosi bridge will be taken up shortly.

D. T. U. in Delhi had been incurring loss and the people were not getting good transport service. The Government had taken the service of D. T. U. in its hand by converting it into autonomous corporation as was recommended by Morarka Commission and Working Group on metropoliton transport. Under D. T. C., 1222 buses are on road when the number was 1089 under D. T. U.. About 150 buses have been put on the road after repair. The number of trips have been increased from 10738 to 13192. In the same way the revenue of D. T. U. has considerably increased. Under D. T. C. orders for new buses have been placed and these buses will start coming from this month. This will make the service better.

Our officers hold meetings with trade unions. I appeal to public also to buy tickets in the buses if they want improved bus service. To eradicate the ill of travelling without ticket, we have introduced magistrates and speeial checking squads. We give punishment to those drivers and conductors who do not perform their duty faithfully. An incentive scheme has also been introduced to improve the bus service. We are thinking to include labour representation in the management so that their advice may be utilized.

We are trying not to increase bus fares although prices of Petrol, diesel have incre-

ased and same case has happened in the salaries and allowances of the workers. Action against private buses for their carelessness have improved their services. We have put time-tables at important bus-stops for the facility of the passengers. Formerly due to missing trips in D. T. U. passengers had to wait for long but now the percentage of missing trips has been reduced to 17 percent from 33 percent.

We have created a planning cell which will help to acquaint us with the requirements of buses and the changes necessary to be brought in bus services. I hope the hon. Member is satisfied with the improvements as stated above.

श्री एस० एल० पेजे (रत्नगिरी) : श्रीमन, मेरे माननीय मित्र श्री सामंत ने कोंकण की तटीय यातायात की कठिनाइयों और समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में रखा है। जब सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी कोंकण के तटीय यातायात को चलाती थी तब स्थिति ठीक थी परन्तु इसका नियंत्रण मैसर्स चौगुले एण्ड कंपनी के हाथ में आ जाने से यह बिगड़ गई है। उन्होंने न केवल किराए में वृद्धि की है अपितु कुछ सेवाओं का चलना बंद कर दिया है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

11 वाँ प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 11 वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय : अब यह सभा मई 10, 1972 के 11 बजे तक के लिए स्थागित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 मई 1972/20 बैशाख, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 10 1972/Vaisakha 20, 1894 (Saka)

New India Printing Press, Khurja

P.L.S. 48. XIV. 40. 72 (N)
490

© 1972 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पाँचवाँ संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
न्यू इण्डिया प्रिंटिंग प्रेस, खुरजा द्वारा मुद्रित ।

© 1972 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, NEW INDIA PRINTING PRESS, KHURJA (U. P.)